सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना

वर्ष 2001- 2007

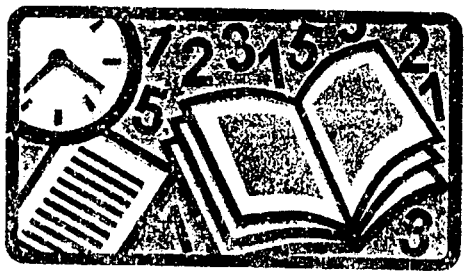

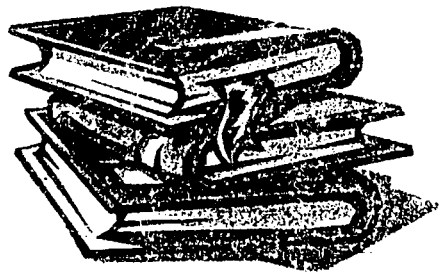

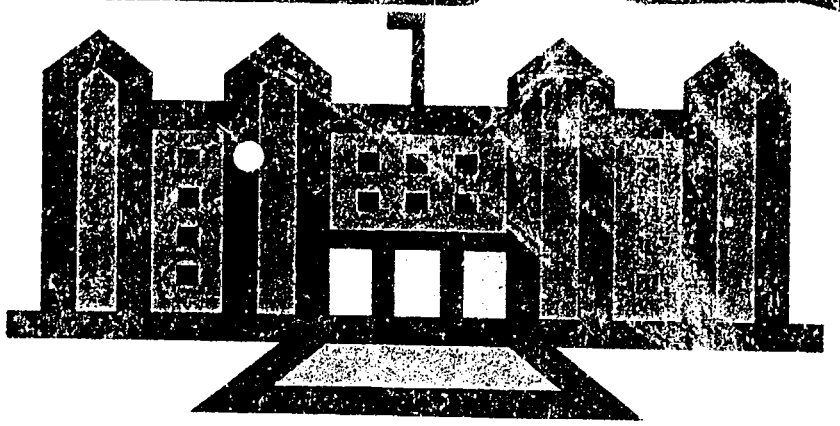

जनपद - देहरादून

उत्तरांचल

सर्व शिक्षा अभियान – जनपद देहरादून

अनुक्रमणिका

क्र0स0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जनपद देहरादून – एक परिचय	1 – 23
2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	24 – 59
3	अ– जनपद में कियान्वित कार्यक्रम ब – सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य	60 – 66
4	नियोजन प्रकिया	67 – 78
5	समस्याएँ एंव रणनीतियाँ	79 – 89
6	निर्माण कार्य एंव भौतिक आवश्यकताएँ	90 – 111
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार	112 – 120
8	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	121 – 128
9	शैक्षिक नवाचार	129 – 138
10	समेकित शिक्षा – विशेष वर्ग की शिक्षा	139 – 149
11	अ – गुणवत्ता विकास के लिए परियोजना ब – शोध , मूल्यांकन , अनुश्रवण एंव पर्यवेक्षण	150 – 190
12	योजना कियान्वयन एवम् अनुश्रवण	191 – 204
13	परियोजना लागत/बजट	205 – 209
14	TIME SCHEDULING	210
15	ANNEXXURE'S	211 –

शैक्षिक मानचित्र (बेसिक)

प्रमुख विद्यालय- जनपद-देहरादून

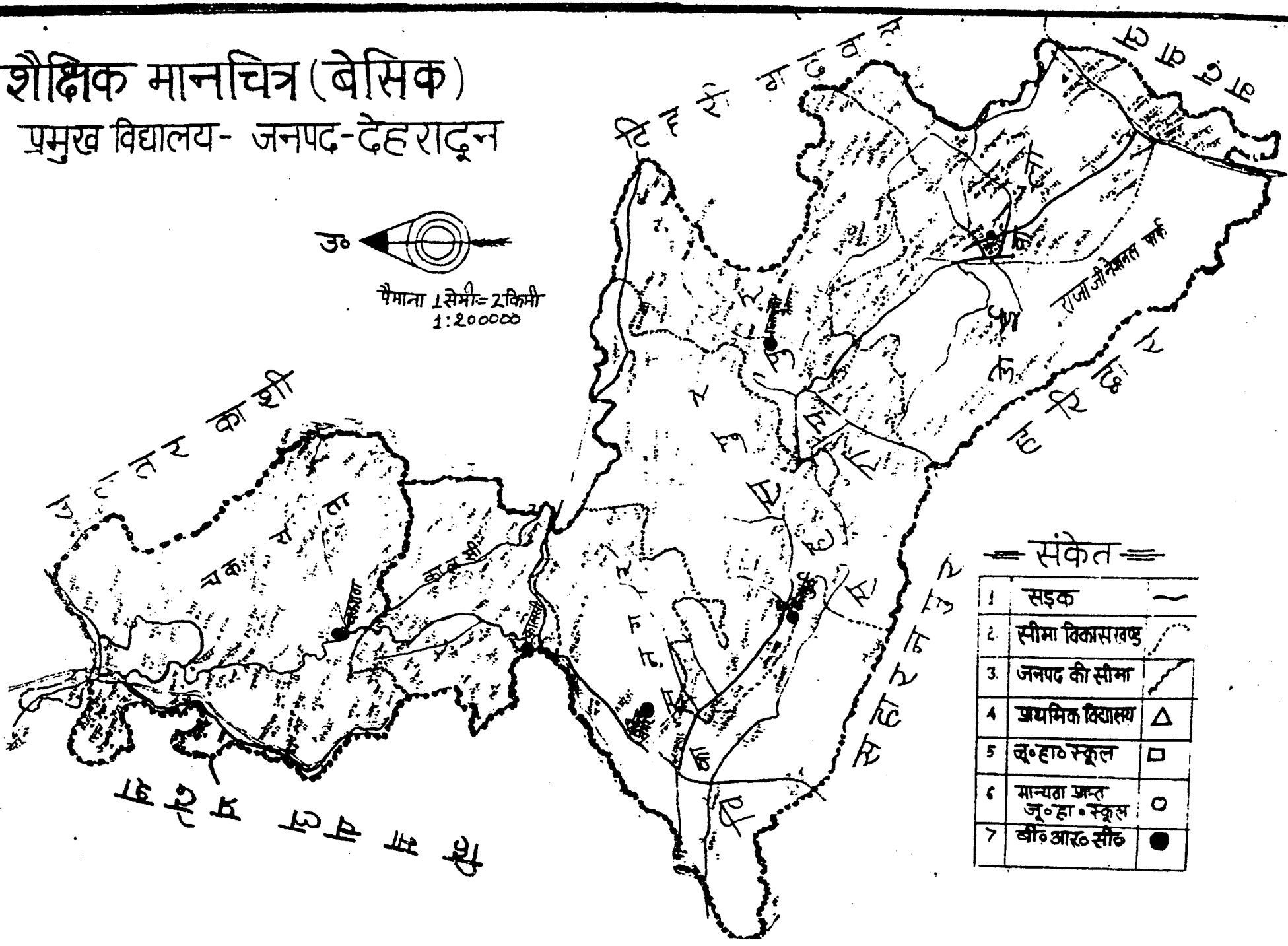

अध्याय–1

जनपद – देहरादून – एक परिचय

उपविषए

	भाग – अ
1.1	नाम उदभव ।
1.2	जनपद देहरादून की भौगोलिक स्थिति ।
1.3	जलवायु ।
1.4	वन ।
1.5	जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण ।
1.6	सामाजिक दशा ।
1.6.1	सामाजिक वातावरण ।
1.6.2	भाषा, बोली, लोकला, गीत, नृत्य, लोक कहावत ।
1.6.3	लोग, जानवर, पक्षी, जंगली जीव आदि ।
1.6.4	मकान।
1.6.5	स्वास्थ्य सेवाएँ ।
1.6.6	सामान्य सुविधाएँ ।

1.6.7	मनोरंजन के स्त्रोत ।
1.6.8	वाहय एजेन्सी ।
1.6.9	आर्थिक क्रियाकलाप ।
1.6.10	जनपद में महत्वपूर्ण व्यवसाय तथा उसमें कार्यरत लोग।
1.6.11	कृषि ।
1.6.12	आवागमन के साधन ।
1.6.13	संचार के माध्यम ।
1.6.14	विभिन्न स्तर पर शौक्षिक सुविधाएँ ।
1.7	जनपद स्थित प्रमुख स्थान ।
1.8	जनपद देहरादून का रेशम उद्योग।
1.9	जनपद देहरादून में पर्यटन ।
1.10	उद्योग धन्धे ।
1.11	जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ।

भाग – ब

1.	जनसंख्यातमक विवरण
2.	जनपद देहरादून का जनजातीय क्षेत्र
3.	जनसंख्या का वृद्धि दर।
4.	जनसंख्या विवरण– 1991 सारिणी (1 अ)
5.	विकासखण्डवार जनसंख्या का विवरण (2001 के अनुसार प्रक्षेपित)
6.	वर्ष 2001 तक प्रक्षेपित जनसंख्या

अध्याय–1

जनपद देहरादून – एक परिचय;

भाग – (अ)

जनपद देहरादून हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित उत्तरांचल राज्य का महत्वपूर्ण नगर व राजधानी है। यह नगर प्रदेश तथा देश के मानचित्र पर अपनी नैसर्गिक सौन्दर्यता एवम् शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जनपद शिवालिक पर्वत श्रृंखला की धाटी में स्थित है। इसको दून धाटी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से संतृप्त दून धाटी अपनी आध्यात्मिक एवम् सांस्कृतिक उपलब्धियों के इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी सौपती रही हैं। अशोक महान का अहिंसा का संदेश कालसी के प्रस्तर खंड (शिलालेख) से सदियों तक इस धाटी में गूँजता रहा। गुरू राम राय ने यहां डेरा डालकर समन्वय एवम् सद्भावना का अलख जगाया, कदाचित अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्वाह करते हुए देहरादून जनपद आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अनेक लब्ध प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के साथ श्री गुरू राम राय मिशन द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य इस जनपद में हो रहा है,वह निःसंदेह अद्वितीय है। मात्रात्मक ही नहीं, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए देहरादून भारत के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाए हुए है।

1.1 नाम उद्भव

देहरादून नगर अपने नाम व अनेक सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके नाम के सम्बन्ध में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित है। एक मत के अनुसार गुरू द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम द्रोणाश्रम था, जो कालान्तर में देहरादून के नाम से प्रचलित हो गया। एक अन्य मत के अनुसार देहरादून शब्द देहरा और दून शब्दों से मिलकर बना है। इस मत को गुरूरामराय के यहॉ डेरा डालने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार देहरा (डेरा) को दून के साथ जोड़ने से यह क्षेत्र देहरादून के

अध्याय–1

जनपद देहरादून – एक परिचय;

भाग – (अ)

जनपद देहरादून हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित उत्तरांचल राज्य का महत्वपूर्ण नगर व राजधानी है। यह नगर प्रदेश तथा देश के मानचित्र पर अपनी नैसर्गिक सौन्दर्यता एवम् शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जनपद शिवालिक पर्वत श्रृंखला की धाटी में स्थित है। इसको दून धाटी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से संतृप्त दून धाटी अपनी आध्यात्मिक एवम् सांस्कृतिक उपलब्धियों के इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी सौपती रही हैं। अशोक महान का अहिंसा का संदेश कालसी के प्रस्तर खंड (शिलालेख) से सदियों तक इस धाटी में गूँजता रहा। गुरू राम राय ने यहां डेरा डालकर समन्वय एवम् सद्भावना का अलख जगाया, कदाचित अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्वाह करते हुए देहरादून जनपद आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अनेक लब्ध प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के साथ श्री गुरू राम राय मिशन द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य इस जनपद में हो रहा है,वह निःसंदेह अद्वितीय है। मात्रात्मक ही नहीं, शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए देहरादून भारत के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाए हुए है।

1.1 नाम उद्भव

देहरादून नगर अपने नाम व अनेक सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके नाम के सम्बन्ध में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार गुरू द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम द्रोणाश्रम था, जो कालान्तर में देहरादून के नाम से प्रचलित हो गया। एक अन्य मत के अनुसार देहरादून शब्द देहरा और दून शब्दों से मिलकर बना है। इस मत को गुरूरामराय के यहॉ डेरा डालने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार देहरा (डेरा) को दून के साथ जोड़ने से यह क्षेत्र देहरादून के

नाम से पुकारा जाता है। भूगोल वेत्ताओं के मतानुसार, दो पहाड़ियों के बीच की घाटी को दून के नाम से पुकारा जाता है।

1.2 जनपद देहरादून की भौगोलिक स्थिति;

- जनपद देहरादून उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत स्थित है। इसको दून घाटी नाम से भी जाना जाता है।
- जनपद देहरादून शिवालिक पर्वत श्रृखंला की घाटी में स्थित है।
- जनपद देहरादून उत्तरांचल की उत्तर पश्चिम सीमा पर **29.57** था **31.2** डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा **77. 35** डिग्री एवं **29.20** डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है।
- जनपद के पश्चिम में टौन्स और यमुना नदी, जनपद को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है।
- इस जनपद के पूर्व में टिहरी, पौड़ी, उत्तर में उत्तरकाशी तथा दक्षिण में हरिद्वार व सहारनपुर जनपद है।
- जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल **3088** वर्ग किमी0 है।
- **2001** की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या **1279083** है। **603534** स्त्रियॉं, **675549** पुरूष है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व **414** प्रति वर्ग किमी0 है।
- जनपद में वर्ष **1991** की जनगणना के अनुसार **764** ग्राम आबाद है तथा **21** वनग्राम हैं। जनपद की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत **21.6** प्रतिशत है।
- प्रतिवेदित क्षेत्रफल का **15.9** प्रतिशत बायो क्षेत्रफल है।
- जनपद की वार्षिक सामान्य वर्षा **2212** मिमी0 है।
- प्रमुख नदियॉं–– गंगा, यमुना, टोंस, आसन, सुसवा, विन्दाल, रिस्पना, सौंग है।
- भूमिगत जल–– भूगर्भ जल **50** फीट से लेकर **350** फीट तक उपलब्ध है।
- वन सम्पदा–– इस जनपद में **219811** हेक्टेअर क्षेत्रफल में वन है।
- खनिज सम्पदा–– खनिज पदार्थो में चूना, संगमरमर, चिप्स, फासफाइट, डोलोमाइट एवं तांबा प्रमुख है।
- तहसील–जनपद देहरादून में चकराता, देहरादून, विकासनगर एवम् ऋषिकेश **4** तहसीलें हैं।

❖ विकासखण्ड– इस जनपद में चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर, डोईवाला तथा रायपुर छः विकासखण्ड है।

❖ भौगोलिक दृष्टि से– इस जनपद को **3** भागों में बॉटा जा सकता है।

- ◆ उत्तरी पहाड़ी भाग
- ◆ मध्य भाग
- ◆ दक्षिणी पहाड़ी भाग

❖ उत्तरी पहाड़ी भाग–

यह भाग अधिकतर पहाड़ी है जो समुद्रतल से **900** से **2700** मी उँचाई तक फैला है। इसमें देववन, चकराता एवं बाबर मुख्य पहाड़ हैं।

❖ मध्य भाग घाटी–

यह भाग गंगा एवं यमुना के बीच का भाग है और समुद्र तल से **90** मीटर से **315** मीटर उँचाई तक फैला हुआ है। यह भाग धान की फसल के लिए बहुत अच्छा है। इस मध्य भाग को देहरादून नगर कहते हैं।

❖ दक्षिणी पहाड़ी भाग–

यह भाग शिवालिक पहाड़ी की तलहटी है जो समुद्र की सतह से **300** मीटर से **900** मीटर ऊँचा है। सहारनपुर जाते समय रास्ते में पहाड़ के बीच से जो सुंरग बनाई गयी हैं, ये ही शिवालिक की पहाडियाँ है।

1.3 जलवायु–

जनपद देहरादून की जलवायु शीतोष्ण है। यह स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभकारी है। इस जनपद में नवम्बर से मार्च तक जाड़े की ऋतु, अप्रैल, मई तथा जून में ग्रीष्म ऋतु तथा जून के अन्तिम सप्ताह से स्तिम्बर तक वर्षा ऋतु होती है। यहाँ की सामान्य वर्षा 2212 मि0मी0 है।

1.4 वन –

जनपद देहरादून वनों के लिए प्रसिद्ध है, यहॉ दो प्रकार के वन पाये जाते हैं–

- प्रथम प्रकार के वन– चकराता में पाये जाते हैं, जो शंकुधारी हैं। इसमें देवदार, कैल, चीड़ आदि प्रमुख इमारती लकड़ी वाले वन हैं।

- दूसरे प्रकार के वन– अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर पाये जाते हैं। इनमें शीशम, तुन, बेर, बहेड़ा, आदि विभिन्न प्रकार की वनौषधियॉ पाई जाती हैं।

1.5 जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रमुख कर्मकर कुल जनसंख्या का **31.4** प्रतिशत है तथा कृषिकर्मकर कुल जनसंख्या का **10.4 प्रतिशत** है तथा कृषि श्रमिक **3.1** प्रतिशत है। इसी प्रकार पारिवारिक उद्योगों में लगे कर्मकर कुल जनसंख्या के **3.9** प्रतिशत हं। उक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जैसे उद्योग, निर्माण, परिवहन एवं अन्य सेवाओं में लगे कर्मकरों की संख्या कुल जनसंख्या का **64.6** प्रतिशत है। कर्मकर तथा काम न करने वालों का अनुपात **32:68** है। पुरूषों का अनुपात **51:49** तथा स्त्रियों में **11:89** प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या में से **35** प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या में **30** प्रतिशत कार्य करने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कर्मकरों में से **51** प्रतिशत कृषि मजदूर है तथा कृषक का प्रतिशत **49** हैं।नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने वालों में से **67** प्रतिशत अकृषकों का है तथा **3** प्रतिशत कृषकों व श्रमिकों का है। जनपद में स्त्री कर्मकरों की जनसंख्या **11** प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कर्मकरों का प्रतिशत **83** है जबकि **17** प्रतिशत कर्मकर अकृषक कार्यो में लगे हैं।

" स्त्रोत– जिला सांख्यिकी "

1.6 सामाजिक दशा

जनपद देहरादून एक ऐसा जनपद है, जिसमें सभी संस्कृतियों और जातियों का समावेश है। संस्कृति, जातिगत एवं भाषागत विविधताओं के चलते भी सभी सामाजिक कियाकलापों में समन्वय, सहयोग एवं सद्भावना देखने को मिलती है। जनपद देहरादून में जौनसार बावर की एक विशिष्ट संस्कृति है। जौनसार बावर क्षेत्र पौराणिक काल में महाभारत की संस्कृति से जुड़ा रहा, इसके पुष्ट प्रमाण इस क्षेत्र में मिलते है। जौनसार बावर की संस्कृति में कौरवों एवं पाण्डवों की संस्कृति की झलक मिलती है। जौनसार बावर के रीति रिवाज जनपद के सामान्य रीति रिवाजों से अलग हैं। इस क्षेत्र का पहनावा एवं खान–पान विशिष्टता लिये हुये हैं।लोकगीत, लोकनृत्यों के संदर्भ में यह क्षेत्र बहुत समृद्ध है। जौनसार बावर क्षेत्र में ऊन तथा भेड़ पालन एक प्रमुख काम के रूप में है। जनपद के अन्य भागों में लोग मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं।

1.6.1 सामाजकि वातावरण (सस्कृति) धर्म, रीति रिवाज, विश्वास, रहन–सहन का स्तर :–

- जनपद देहरादून में सभी संस्कृतियों तथा जातियों का समावेश है। संस्कृति जातिगत एवं भाषागत विविधताओं के चलते सभी क्रियाकलापों में समन्वय, सहयोग एवं सद्भावना देखने को मिलती है। इस जनपद में जौनसार बाबर क्षेत्र पौराणिक काल में महाभारत की संस्कृति से जुड़ा रहा हैं इसके पुष्ट प्रमाण इस क्षेत्र में मिलते है। जौनसार बावर के रीति–रिवाज जनपद के सामान्य रीति–रिवाजों से भिन्न है। इस क्षेत्र का पहनावा एवं खान–पान विशिष्टता लिये हुये हैं। यहाँ की स्त्रियाँ लहंगा पहनती हैं तथा हाथों में चाँदी के कड़े व कानों में सोने के चौड़े कुण्डल पहनती है।

  यहाँ के त्योहारों में दीपावली, होली, बिस्सू, पायता, जागड़ा आदि है। तथा मेलों में झंडा का मेला, बिस्सू का मेला, शाकुम्बरी देवी मेला प्रमुख है।

1.6.2 भाषा, बोली, लोक कला, गीत, नृत्य, लोक कहावत :

- जनपद देहरादून में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोली जाती हैं इस जनपद में गढ़वाली, जौनसारी प्रमुख क्षेत्रीय बोलियाँ है।
- स्थानीय लोकनृत्यों में पाण्डव नृत्य, घूमसू, झैला, राढ़ों तादाँ आदि प्रमुख हैं।
- जनपद के चकराता क्षेत्र को बीर महासू की धरती केसरी चन्द्र की जन्म स्थली, नन्त राम नेगी की शौर्य भूमि कहा जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से जौनसार बावर के नाम से जाना जाता हैं। यहाँ महाभारत कालीन पाण्डवों की संस्कृति आज भी विद्यमान है।

1.6.3 लोग, जानवर, पक्षी, जंगली जीव आदि :

- जनपद देहरादून में जनसंख्या का धनत्व 414 वर्ग कि0मी0 है तथा लिंग अनुपात 893 प्रति हजार पुरूष है।
- जनपद में साक्षरता का कुल प्रतिशत 78.96 है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 85.57 तथा महिलाओं की 71.22 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) है।
- जनपद में मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े तथा खच्चर आदि पाले जाते हैं।
- यहाँ के जंगलों में मुख्य रूप से हाथी, हिरन, बंदर, काकड़ आदि पाये जाते हैं। यहाँ का मालसी डियर पार्क हिरनों के विहार के लिये प्रसिद्ध है।
- इस जनपद में अन्य जनपदों की तरह विभिन्न प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं जिनमें गौरेया, मैना, कौआ, तोता, बुलबुल आदि सम्मिलित हैं।

1.6.4 मकान –

- जनपद के शहरी क्षेत्रों में आधुनिक पक्के मकान हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पक्के तथा कुछ कच्चे व पारम्परिक मकान हैं।

1.6.5 स्वास्थ्य सेवाएँ :

- जनपद देहरादून में जनस्वास्थ्य की सुविधा हेतु 104 एलोपैथिक चिकित्सालय, 37 आयुर्वेदिक, 08 हाम्योपैथिक 01 यूनानी, 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 129 परिवार एवं मातृ शिशु उपकेन्द्र, 02 विशेष उपकेन्द्र चिकित्सालय (क्षय), 02 कुष्ठ रोग चिकित्सालय तथा 02 संक्रामक रोग चिकित्सालय उपलब्ध हैं।
    - इस जनपद में पुशु स्वास्थ्य रक्षा के लिये 26 पशु चिकित्सालय उपलब्ध हैं।

1.6.6 सामान्य सुविधाएं :

- जनपद के नगरीय क्षेत्र में बारात धर, सामुदायिक केन्द्र, खेल के मैदान व मेला का क्षेत्र उपलब्ध हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत घर तथा कहीं–कहीं सामुदायिक केन्द्र भी उपलब्ध है।

1.6.7 मनोरंजन के स्त्रोत –

- जनपद के नगरीय क्षेत्र में मनोरंजन के साधनों के रूप में सिनेमा हाल है।
- जनपद के नगरपालिकाओं के प्रेक्षागृह में समुदाय द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे– नाटक, कवि सम्मेलन आदि आयोजित किये जाते हैं।
- जनपद में विभिन्न त्योहारों एवं स्थानीय मेलों जैसे– दीपावली, दशहरा, होली एवं झंडा मेला, बिस्सू–मेला तथा शाकुम्बरी मेला में लोग इक्टठा होते हैं।

1.6.8 बाह्य एजेन्सी –

- जनपद में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं गैर सरकारी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।
- प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता के क्षेत्र में रूलेक देहरादून तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समता जनपद के जनजातीय विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में कार्य कर रही है।
- वर्ष 2001–02 से सर्व शिक्षा अभियान द्वारा इस जनपद को आच्छादित किया गया है।

- जनपद के चकराता तथा कालसी विकासखण्डों में महिला समृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनीसेफ द्वारा स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

1.6.9 आर्थिक क्रियाकलाप –

- जनपद के लघु–उघोग में डेरी, खाड़सारी, कार्ड बोर्ड बाक्स, बल्ब, मेडिकल उपकरण, कृषि के उपकरण बनाये जाते है।
- जनपद के बड़े उघोगों में उन–उघोग, गुड़, चावल, चाय, टेलरिंग, तेल, चीनी आदि आय के प्रमुख स्त्रोत हैं।
- इस जनपद के डोईवाला नगर में चीनी मिल स्थापित हैं। यहाँ की चाय तथा बासमती चावल विदेशों में निर्यात किया जाता है।

1.6.10 जनपद में महत्वपूर्ण व्यवसाय और उनमें कार्यरत लोग –

- जनपद देहरादून में प्रमुख कर्मकर, कुल जनसंख्या का 34.54 प्रतिशत है। कृषि कर्मकर कुल जनसंख्या का 35.29 प्रतिशत है। खनन कार्य में .22 प्रतिशत, उद्योगों में 11.34 प्रतिशत, घरेलू उद्योगों में 0.86 प्रतिशत, भवन निर्माण कार्य में 4.78 प्रतिशत् तथा अन्य सेवाओं में 47.51 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं।

1.6.11 कृषि –

- जनपद देहरादून बासमती चावल के लिये प्रसिद्ध है। खरीफ की अन्य फसलों में मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, कुलथ तथा गन्ना आदि है।
- सिंचाई के साधन के रूप में नदियाँ तथा नहरें हैं।
- जनपद के मध्य भाग (घाटी) में ट्रैक्टर तथा पहाड़ी भाग में बैलों को जुताई तथा अन्य कार्यो में उपयोग किया जाता है।
- जनपद में विभिन्न उत्पादों के क्रय–विक्रय के लिये मण्डियाँ है, जैसे– अनाज की मण्डी, सब्जी की मण्डी आदि।
- जनपद के चकराता तहसील में अदरक, टमाटर, मिर्च आदि उत्पादों के लिये क्षेत्रीय स्तर पर क्रय–विक्रय केन्द्र नही है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सही समय पर सही मूल्य नही मिल पाता है।

1.6.12 आवागमन के साधन :

- जनपद देहरादून 2383 कि0मी0 लम्बी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। जिसमें लोग निर्माण विभाग के अधीन 1528 कि0मी0, राष्ट्रीय राजमार्ग 144 कि0मी0 तथा जनपद की मुख्य सड़के 1119 कि0मी0 लम्बी हैं। इसके अतिरिक्त 501 कि0मी0 सड़कें स्थानीय प्रशासन के प्रबन्धन के अधीन हैं। 1528 कि0मी0 सड़कें स्थानीय प्रशासन के प्रबन्धन के अधीन है।
- सड़कों पर बस, ट्रक, कार, ट्रैक्टर, साइकिल, इसके अतिरिक्त 501 कि0मी0 सड़कें स्थानीय प्रशासन के प्रबन्धन के अधीन हैं।
- सड़कों पर बस, ट्रक, कार, ट्रैक्टर, साइकिल, स्कूटर आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं, जबकि कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी प्रमुख साधन है।
- देहरादून रेलवे–स्टेशन तथा ऋषिकेश उत्तर रेलवे का प्रमुख स्टेशन है इस जनपद में 64.50 कि0मी0 लम्बी रेल–लाईन हैं। देहरादून स्टेशन से दिल्ली, मुम्बई, हावड़ा वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, काठगोदाम आदि के लिये रेलगाड़ियाँ चलती हैं।

1.6.13 संचार के माध्यम –

- जनपद देहरादून में संचार के माध्यमों में पोस्ट–आफिस, टेलीफोन, तार, एस0टी0डी0/आई0एस0डी0 फैक्स, ई–मेल आदि की सुविधाएँ हैं।

  इस जनपद में 1 लाख जनसंख्या पर 23.4 प्रतिशत डाकधर हैं। इनमें से तार की सुविधा 7. 12 प्रतिशत डाकघरों में है।

1.6.14 विभिन्न स्तर पर शैक्षिक सुविधाएँ

- इस जनपद में शिक्षा के विस्तार हेतु 831 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, 210 परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, 53 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 87 इण्टरमीडिएट कालेज, 08 डिग्री कालेज, 04 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 02 पालिटेक्निक तथा शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिये 01 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान (डायट) स्थित है।

1.7 जनपद में स्थित प्रमुख संस्थान

हमारे जनपद में महत्वपूर्ण कार्यालय व संस्थान स्थित है। यह जनपद संस्थानों के लिये प्रसिद्ध है। कुछ प्रसिद्ध संस्थानों का विवरण और उनके कार्यो के विषय में जानकारी दी जा रही है।

❖ **भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इण्डिया)**

इस संस्थान में मानचित्रों का निर्माण होता है मानचित्रों का मानव जाति के लिये अत्यन्त महत्व है। मानचित्र बनानें के लिये भारत सरकार द्वारा यही एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसकी स्थापना सन् 1967 में हुयी थी।भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय देहरादून में ही स्थित है।

❖ **तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ. एन. जी. सी)**

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का कार्यालय देहरादून में स्थित हैं। जिसको तेल भवन भी कहा जाता हैं। इस संस्थान का कार्य भूमि के अन्दर छिपे तेल का पता लगाना है और उसे निकालना है।

❖ **वन अनुसंधान संस्थान (एफ. आर. आई)**

जनपद देहरादून मे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के साथ–साथ वन अनुसंधान का कार्य किया जाता है।

❖ **भारतीय सैन्य अकादमी (आई0एम0ए0)**

देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है,जिसमें कैडिटों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ये कैडिट भारतीय सेना में नियुक्ति पाते हैं।

❖ **लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी**

लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी इसी जनपद के मसूरी नगर में स्थित है,जहां देश के सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

❖ **भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई0आई0पी0)**

पेट्रोलियम उत्पादों से सम्बन्धित शोध कार्य के लिए जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। इस संस्थान में पेट्रोलियम पदार्थो के विषय में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं।

❖ **आयुध निर्माणी (आर्डीनेन्स फैक्ट्री)**

आयुध निर्माणी देहरादून में रायपुर नामक स्थान पर स्थित है। यह रक्षा सम्बन्धी उपकरणों का विशाल कारखाना है।यहाँ रक्षा उपकरणों का निर्माण एवंम् अनुसंधान होता है।

❖ **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग**

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में स्थित है।यह विभाग प्राचीन संस्कृति की खोज एवम् संरक्षण का कार्य करता है।

❖ **राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान**

दृष्टिहीनों के लिए देहरादून नगर में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दृष्टि बधितार्थ संस्थान है,जो दृष्टिहीनों में आत्मविश्वास,आत्मनिर्भरता लाने में अपना योगदान करता है।

❖ **हिमालियन चिकित्सा विज्ञान संस्थान**

यह संस्थान जौलीग्रांट में स्थित है। इसकी स्थापना महान विद्वान संत श्री स्वामी राम जी ने की है।इस संस्थान में चिकित्सा विज्ञान में उपाधि दी जाती है तथा रोगियों का इलाज किया जाता है।

❖ **वाडिया संस्थान :** यह संस्थान देहरादून शहर में बल्लूपुर चौक के पास जनरल महादेव सिंह रोड़ पर स्थित है। यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। इस संस्थान में भूगर्भीय शोध कार्य किये जाते हैं।

1:8 जनपद देहरादून का रेशम उद्योग

जनपद देहरादून रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। जनपद में इस उद्योग का प्रारम्भ **1858** में मसूरी कें झड़ीपानी गाँव में,अंग्रेजी शासनकाल में कैप्टन हिल्टन के द्वारा किया गया था। आज पूर्वी देहरादून का रेशम माजरी इस उद्योग में सबसे आगे है। सन **1881** से यह कार्य इस गॉव में किया जा रहा हैं। यहॉ लगभग **35** एकड़ भूमि सरकार द्वारा किसानों को रेशम उद्योग के लिये दी गयी थी, इस समय **1647** परिवार इस उद्योग में लगे हुये हैं।

1.9 जनपद देहरादून में पर्यटन

भारत के पर्यटन स्थलों की गणना में उत्तरांचल प्रमुख है। उत्तरांचल एक पर्वतीय प्रदेश है,जिसमें कुमायूँ एवम् गढवाल दो मण्डल है। जनपद देहरादून गढ़वाल मण्डल का एक सुन्दर जनपद है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहॉ की जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक है। पर्यटन की दृष्टि से वास्तव में समूचा जनपद महत्वपूर्ण है; किन्तु जनपद के कुछ पर्यटन केन्द्र अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् नैसर्गिक सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है।

❖ देहरादून नगर

देहरादून नगर आधुनिक नगरों में से एक है। नगर में देश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जो कि पर्यटन के दृष्टि से ही नहीं अपितु वैज्ञानिक, शैक्षिक एवम् अनुसंधानात्मक कार्यो के लिये भी महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम प्रधानमत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू को देहरादून शहर बहुत पसन्द था।

❖ सहस्त्रधारा

यह स्थान देहरादून से 12 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है, तथा अपनी प्राकृतिक सौन्दर्यता के लिये प्रसिद्ध हैं। इस नदी से कई धाराऐं निकलती हैं, इसलिये इसे सहस्त्रधारा कहते हैं। नदी के किनारों पर प्राकृतिक रूप से शुद्ध गन्धक के जल के फब्बारे निकलते हैं।

❖ हनोल

यह स्थान देहरादून से 155 कि0 मी0 दूर है।यहॉ पर भगवान (महासू) का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं। लोगों का विश्वास है, कि हिमालय यात्रा के दौरान पाण्डवों ने भगवान विष्णु की आराधना करने के लिये इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु महासू जौनसार बावर के जनजाति लोगों के आराध्य देव तथा न्याय के प्रतीक हैं।

❖ मसूरी

देहरादून के पर्यटक स्थलों में सबसे मनोरंजक मसूरी है। यह देहरादून से 35 कि0 मी0 उत्तर में स्थित है। इसकी उँचाई समुद्र तल से 1791 मीटर है। मसूरी नगर अत्यधिक रमणीक है। इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि बड़ी रोचक है। इसे सन् 1811में एक यूरोपियन मेजर " हिदरसे " ने खरीदा था, तत्पश्चात् 1812 में उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों बेच दिया। गर्मियों में जलवायु आनन्दायक होती है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर कैम्टी,मैसी फाल नामक दो सुन्दर जल प्रपात हैं। प्रतिवर्ष लाखों देश–विदेश के पर्यटक यहॉ अप्रैल से जून तक आते हैं।

❖ ऋषिकेश

यह देहरादून से पूरब की ओर हिमालय की तलहटी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान हरिद्वार से 24 कि0 मी0 दूर है। यहॉ पर 250 मी0 लम्बे लोहे के रस्सों से बना पुल हैं, जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है।

❖ टपकेश्वर मंदिर

यह मंदिर देहरादून नगर से 6 कि0 मी0 दूरी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक एवम् धार्मिक महत्व का स्थान है। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य जी ने शिवजी से धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिये तथा शिव जी को प्रसन्न करने के लिये इस गुफा में तपस्या की थी।

❖ डाकपत्थर

यह स्थान देहरादून से **45** कि0 मी0 दूर है, सिंचाई विभाग तथा यमुना जल विद्युत परियोजना के तहत सुन्दर बैराज का निर्माण किया गया है। यहॉ से यमुना तथा टौंस नदी का पानी पक्की नहर द्वारा ढकरानी व ढालीपुर विद्युत पावर हाउस के लिये लाया है।

❖ कोटी छिबरू

देहरादून से लगभग **60** कि0 मी0 दूर इस स्थान पर टौंस नदी के किनारे भारतीय वैज्ञानिकों तथा इन्जीनियरों की सहायता से स्वदेशी तकनीकी द्वारा **240** मेगावाट क्षमता के एक भूगर्भ पावर ड्राउस का निर्माण किया गया है। कोटी स्थित बाँध से टौन्स का पानी लगभग **24** कि0मी0 लम्बी सुरंग से छिबरू भूगर्भ पावर हाऊस तक लाया जाता है।

❖ लाखमण्डल

यह स्थान देहरादून से **168** कि0 मी0 दूर स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत के समय पाण्डवों की मृत्यु की कामना से लाक्षागृह का निर्माण यहीं पर हुआ था। यहॉ खुदायी में लाखों मूर्तियॉ प्राप्त हुयी है। यहॉ पर प्राचीन शिव मंदिर है।

❖ चकराता

चकराता देहरादून से **100** कि0 मी0 उत्तर में स्थित है। यह अति सुन्दर पहाड़ी नगर है। कहा जाता है कि महाभारत काल में यह नगर पाण्डवों से सम्बद्ध रहा है। उस समय इसका नाम चकानगरी था। इसका आधुनिक नाम ही चकराता है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज इसकी प्राकृतिक सुन्दरता से प्रभावित हुये तथा उन्होने इसे आवासीय बना दिया है। यह नगर चीड़ तथा देवदार के वृक्षों से ढका हुआ है, तथा जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर का केन्द्र स्थल है। यहॉ पर सैनिक छावनी भी है।

प्रमुख उपज एवम् उद्योग–धन्धे

हमारा जिला पहाड़ी होने के कारण पथरीला और ऊँचा नीचा है। इसके पहाड़ी भागों मे घने जंगल पाये जाते हैं। मैदानी भाग में मिट्टी उपजाऊ होने के कारण फसल अच्छी होती हैं।फसलों को हम दो भागों में बॉट सकते हैं––

❖ खरीफ की फसल

यह फसल जून–जुलाई में बोयी जाती है, और अक्टुबर–नवम्बर में काट ली जाती है। इस फसल की मुख्य पैदावार मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। देहरादून में धान

सबसे अधिक होता हैं। देहरादून का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध हैं, जो दूर–दूर तक भेजा जाता हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी स्थानों पर अदरक, चौलाई, कोंदों, कंगनी, हल्दी, मिर्च, गागली आदि भी उगायी जाती हैं। चकराता और कालसी आलू, मिर्च, राजमा तथा गागली के लिये प्रसिद्ध है।

❖ रबी की फसल

यह फसल अक्टुबर–नवम्बर में बोयी जाती हैं, जो अप्रैल–मई में काट ली जाती है। इसकी मुख्य उपज गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिलहन आदि हैं।

1.10 उद्योग–धन्धे

❖ चाय

यह जनपद चाय की पैदावार के लिये प्रसिद्ध है। लगभग 4000 एकड़ भूमि पर चाय के बगीचे है। गुडरिच, उदियाबाग, हरबर्टपुर, कौलागढ़, अम्बीवाला, निरंजनपुर, आरकेडिया इत्यादि में चाय के बागान हैं। यहॉ पर हरी चाय तैयार को जाती है, जो विदेशों को भी भेजी जाती हैं।

❖ चावल

हमारे जिले का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है।सेवला, माजरा, बद्रीपुर, तपोवन, मझोन, कांढली का बासमतीं चावल प्रसिद्ध है।

❖ चूना

इस जनपद में पहाड़ी नदियों और पहाड़ों से चूने का पत्थर निकालकर इसे– भट्टों में फूंककर चूना बनाया जाता है। यह उद्योग रिस्पना नदी के किनारे अधोईवाला गॉव के आस–पास अधिक स्थित है।

❖ जिप्सम पत्थर

यह पत्थर मसूरी, सहस्त्रधारा, और पश्चिमी भाग की ओर फैली पर्वत श्रेणियों से निकाला जाता हैं। इन पहाड़ियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाला पत्थर तथा गन्धक युक्त पत्थर भी मिलता है।

❖ लकड़ी

हमारे जिले में पहाड़ों पर चीड़,देवदार,कैल, इत्यादि पेड़ अत्यधिक पाए जाते हैं और मैदानी भागों में साल,शीशम,हल्दू,सांदन आदि इमारती लकड़ी के जंगल पाए जाते हैं। देहरादून से इमारती लकड़ी बाहर भी भेजी जाती है। यहाँ पर छड़ी,स्लीपर,टोर,बल्लियाँ,शहतीर आदि इमारती लकडियों का व्यापार भी होता है।

❖ ऊन

हमारे जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में भेड़ें पाली जाती है,जिनसे ऊन मिलती है। ऊन से कम्बल और कोट के कपड़े और ऊनी चादर तैयार करके उनका व्यापार होता है। चकराता और ऋषिकेश में ऊन के सरकारी केन्द्र भी है। यहाँ पर पशुलोक में ऊन के लिए उन्नत विदेशी भेड़ें पाली जाती है,और ऊन साफ करके बाजार में भेजी जाती है। देहरादून – मसूरी मार्ग पर भी ऊन की एक मिल है।

❖ जड़ी–बूटी

यहाँ पहाड़ व जगंल अधिक होने के कारण जड़ी–बूटी व औषधियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ राजपुर रोड़ पर अमृतधारा फार्मेसी ट्रस्ट है जो जड़ी–बूटियों से दवाइयाँ तैयार करके बाहर भेजती हैं।

❖ बाग

इस जिले में अनेक प्रकार के फलों के बाग पाये जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से लीची, आम, चूलू, सेब, आड़ू, नाशपाती के बाग हैं। इसके अतिरिक्त पपीता और अमरूद का व्यापार भी होता हैं।

❖ चीनी/गुड़

हमारे जिले में डोईवाला नामक स्थान पर चीनी मिल है जो लगभग **5** लाख कुंतल चीनी प्रति वर्ष तैयार करती है। कुछ किसान गुड़ स्वंय बनाते हैं।

1.11 जनपद की प्रशासनिक इकाइयॉं

क.सं	प्रशासनिक इकाइयाँ	संख्या
1	तहसील	04
2	विकासखण्ड	06
3	न्याय पंचायत	40
4	ग्राम पंचायत	335
5	राजस्व ग्राम	744
6	आबाद ग्राम	746
7	गैर आबाद ग्राम	18
8	वनग्राम	21
9	नगर निगम	01
10	नगर पालिका परिषद	03
11	छावनी क्षेत्र	04
12	नगर पंचायत	02
13	नोटीफाइड एरिया	01
14	सेन्सस टाउन	06
15	पुलिस स्टेशन–क. ग्रामीण ख. नगरीय	06 11

स्त्रोत–जिला सांख्यिकी

भाग (ब)

1. जनसंख्यात्मक विवरण;

जनसंख्या 1991 के अनुसार;	जनसंख्या 2001 के अनुसार;
पुरूष – **556432**	पुरूष – **675549**
महिला – **469247**	महिला – **603534**
कुल योग – **1025679**	कुल योग – **1279083**

वृद्धि दर – **24.71 प्रतिशत**

लिंग अनुपात – **893** प्रति हजार पुरूष

जनसंख्या घनत्व – **414** प्रति वर्ग किमी

अनुसूचित जाति;	अनुसूचित जनजाति;
पुरूष – **92598**	पुरूष – **55510**
महिला – **7883**	महिला – **49304**
कुल योग – **171431**	कुल योग – **104814**

जनसंख्या

जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001
ग्रामीण – **510199**	ग्रामीण – **636255**
नगरीय – **515480**	नगरीय – **642828**
कुल जनसंख्या – **1025679**	कुल जनसंख्या – **1279083**

स्त्रोतः– जनगणना कार्यालय

2. जनपद देहरादून का जन जातीय क्षेत्र

चकराता विकासखण्ड

कुल जनसंख्या – 49097

पुरूष – 26341

महिला – 22756

साक्षरता दर

कुल – 27.88

पुरूष – 27.06

महिला – 12.36

कालसी विकासखण्ड (वर्ष 1991)

कुल जनसंख्या – 49514

पुरूष – 26514

महिला – 23000

साक्षरता दर

कुल – 38.06

पुरूष – 53.22

महिला – 20.12

2. जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर

- वर्ष 1991 की जनसंख्या – 1025679
- वर्ष 2001 की जनसंख्या – 1279083

$$r = \left[\left\{ P_n/P_0 \right\}^{\frac{1}{n}} - 1 \right] X\ 100$$

$P_n = 1279083$
$P_0 = 1025679$

r =2.23

जनपद की जनसंख्या –वाषिक वृद्धिदर – 2.23 प्रतिशत्

4. सारिणी 1(अ) ग्रामीण/नगरीय जनसंख्या विवरण – 1991 के अनुसार

क्रम	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति संख्या			अनुसूचित जनजाति संख्या		
सं0		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चकराता	26341	22756	49097	7291	6353	13644	16705	15224	31929
2	कालसी	26514	23000	49514	6234	5449	11683	17151	15868	33019
3	विकासनगर	47167	40333	87500	6060	5156	11216	6775	5502	12277
4	सहसपुर	54242	48073	102315	7281	6163	13444	680	563	1243
5	रायपुर	58326	49752	108090	7484	6171	13655	63	35	98
6	डोईवाला	55656	47093	102749	6664	5409	12073	1261	1077	2338
7	वनक्षेत्र	5866	5070	10936	847	725	1572	51	20	71
8	नगर क्षेत्र	282520	233160	515680	32390	27787	60177	1824	1247	3071
	योग	556432	469247	1025679	74251	63213	137464	44510	39536	84046

5.सारिणी 1(ब)
जनगणना 2001 के अनुसार

क्रम	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या संख्या			अनुसूचित जाति संख्या			अनुसूचित जनजाति संख्या		
सं0		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	चकराता	32850	28379	61229	9093	7923	17016	20833	18986	39819
2	कालसी	33065	28683	61748	7774	6795	14569	21389	19788	41177
3	विकासनगर	58822	50299	109121	7557	6430	13987	8449	6861	15310
4	सहसपुर	67645	59952	127597	9080	7686	16766	848	702	1550
5	रायपुर	72738	62046	134784	9333	7696	17029	79	44	123
6	डोईवाला	69409	58730	128139	8311	746	15057	1573	1343	2916
7	वनक्षेत्र	7315	6322	13637	1056	904	1960	64	25	89
8	नगर क्षेत्र	333705	30923	642828	40394	34653	75047	2275	1555	3830
	योग	675549	603534	1279083	92598	78833	171431	55510	49304	104814

नोटः– जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1279083 है। जिसमें पुरूष 675549 व महिला 603534 है। जनपद की पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 24.71 प्रतिशत है, इस आधार पर विकासखण्डों व नगर क्षेत्र की जनगणना को वर्ष 2001 के लिए आंगणित कर प्रक्षेपित किया गया है।

- जनपद देहरादून में वप्र 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 1025679 है, जिसमें 556432 पुरूष ताा 233160 महिलाएं सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में कुल जनसंख्या 1279083 है जिसमें 675549 पुरूष तथा 603534 महिलाएँ सम्मिलित है।
- जनपद स्तर पर जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 2.23 प्रतिशत् है।
- जनपद में लिंग अनुपात 893 प्रति हजार पुरूष है तथा जनसंख्या का घनत्व 414 प्रति वर्ग कि0मी0 है।
- वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 137464 है, जिसमें 74251 पुरूष तथा 63213 महिलाएँ सम्मिलित है। जनपद में कुल अनु0 जनजाति की जनसंख्या 84046 है जिसमें 44510 पुरूष तथा 39536 महिलाएँ सम्मिलित हैं।

सरिणी 1 (स)

जनपद की वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार वर्ष 2007 तक प्रक्षेपित जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर – 2.23 प्रतिशत

वर्ष	पुरूष	महिला	योग	अनुसूचित जाति			अनु0 जनजाति		
				पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
2001	675549	603534	1279083	92598	78833	171431	55510	49304	104814
2002	690614	616993	1307607	94663	80591	175254	56748	50403	107151
2003	706015	630752	1336767	96774	82388	179162	58013	51527	109540
2004	721759	644818	1366577	98932	84225	183157	59307	52676	111983
2005	737854	659197	1397051	101138	86103	187241	60629	53850	114480
2006	754308	673897	1428205	103393	88023	191416	61931	55052	117033
2007	771129	688925	1460054	105698	89986	195684	63363	56279	119642

वर्षिक वृद्धि दर – 2.23 प्रतिशत्

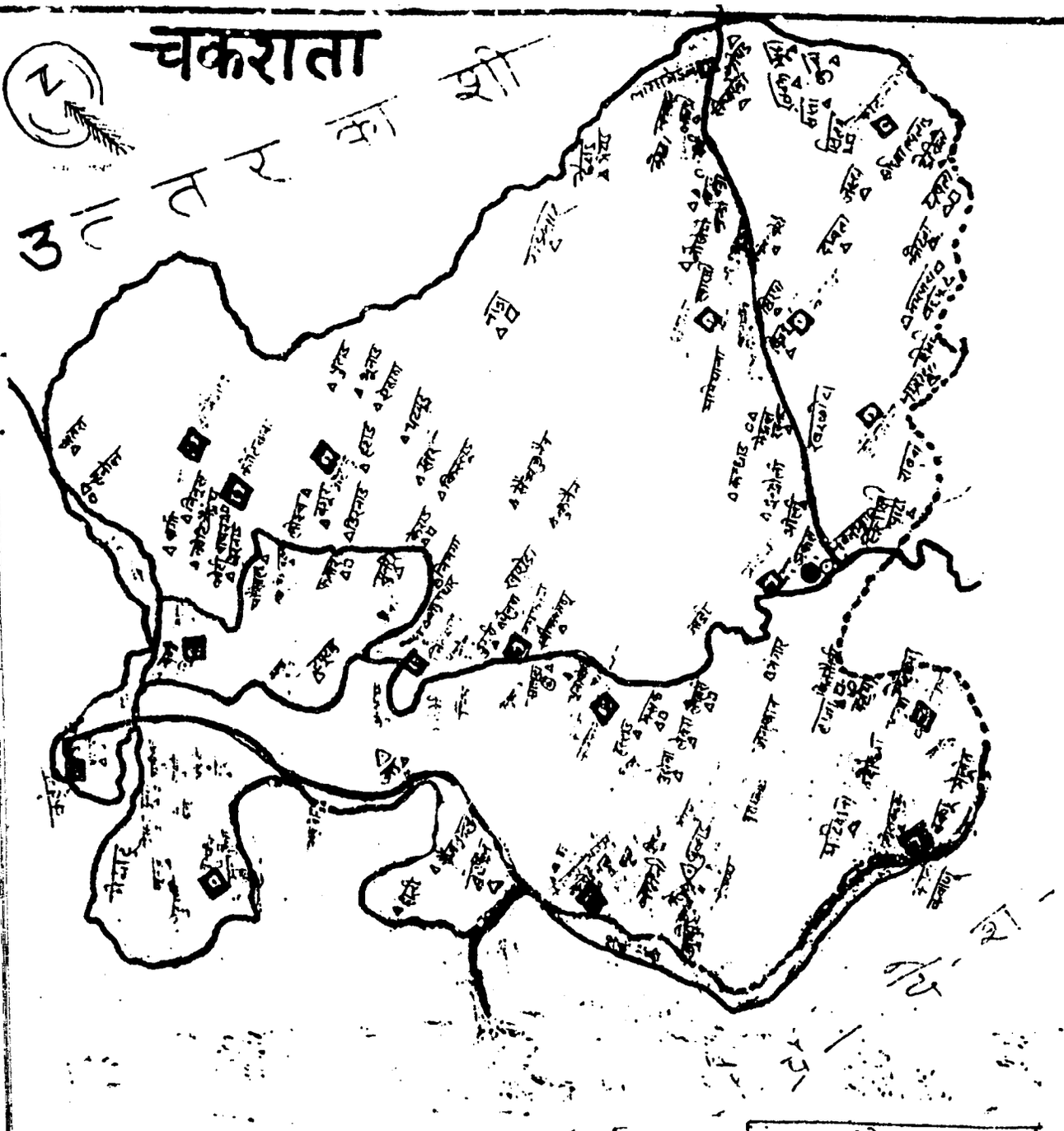

चकराता
उत्तर काशी
हिमाचल
पैमाना
विकास खण्ड - चकराता
— संकेत —
जनपद की सीमा
विकास खण्ड की सीमा
पक्की सड़क
कच्ची सड़क
परि० प्रा० विद्यालय
परि० जू० हा० स्कूल
मा० प्रा० जू० हा० स्कूल
इण्टरमीडियट
हाई स्कूल
बी० आर० सी०
सी० आर० सी०

अध्याय–2

शैक्षिक परिदृश्य

2.1	राज्य एंव जनपद स्तर पर साक्षरता एवम् साक्षरता दर।
2.2	विकासखण्डवार साक्षरता (1991 के अनुसार)।
2.3	शैक्षिक संस्थाएँ – जनपद देहरादून।
2.4	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संगठनात्मक ठाँचा।
2.5	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का संकायगत ठाँचा।
2.6	विकासखण्डवार एकल अध्यापकीय विद्यालय।
2.7	छात्रसंख्या के अनुसार विकासखण्डवार परिषदीय प्राथमिक विद्यालय।
2.8	परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण
2.9	परिषदीय पूर्व मा0विद्यालयों कें कार्यरत शिक्षकों का विवरण।
2.10	अध्यापक विवरण – प्राथमिक स्तर
2.11	जनपद में आँगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण।
2.12	परिषदीय प्रा0वि0 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात।
2.13	कुल छात्र संख्या प्राथमिक स्तर (कक्षावार)।
2.14	कुल छात्रसंख्या उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षावार)
2.15	छात्रसंख्या–प्राथमिक स्तर (जातिवार)

2.16	छात्रसंख्या – उच्च प्राथमिक स्तर (जातिवार)।
2.17	छात्र–अध्यापक अनुपात (परि0 प्राथमिक विद्यालय)।
2.18	प्राथमिक विद्यालय रहित बस्तियाँ।
2.19	उच्च प्राथमिक विद्यालय रहित बस्तियाँ।
2.20	विद्यालय रहित बस्तियाँ जहाँ ई0जी0एस0 एवं ए0एस0 की आवश्यकता है।
2.21	स्कूल जाने वाले तथा न जाने वाले बच्चों का विवरण।
2.22	6–11 वय वर्ग की अनुमानित जनसंख्या (वर्षवार)।
2.23	11–14 वय वर्ग की अनुशासित जनसंख्या (वर्षवार)।
2.24	विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण (ग्रामीण क्षेत्र)।
2.25	विकलांग बच्चों का विवरण (ग्रामीण क्षेत्र)।
2.26	प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन।
2.27	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधत।
2.28	प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता।
2.29	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता।

अध्याय –2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद देहरादून ने शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहचान राष्ट्र के मानचित्र में रेखांकित की है। शिक्षा के क्षेत्र में श्री गुरू राम राय द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यो एंवम् पहुँच ने शिक्षा के सर्व सुलभीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण. कार्य किया है। विश्व भर में प्रसिद्ध दून स्कूल तथा व्हेलम स्कूल भी इसी जनपद में है। महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से अधिक होने के कारण इस जनपद को सभी के लिए शिक्षा तथा डी0पी0ई0पी0 जैसी परियोजनाओं से आच्छादित नहीं किया गया। इस जनपद में किसी भी शिक्षा परियोजना को संचालित न होने के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत नामांकन,ठहराव और सम्प्राप्ति की दशा अपेक्षाकृत अच्छी है। बालिका शिक्षा को जनपद में प्रोत्साहन मिला है। इस जनपद में उच्च शिक्षा के भी पूंर्ण एंवम् बेहतर अवसर है। डी0ए0वी0,डी0बी0एस0,एम0के0पी0, गुरू राम राय, पी0जी0 महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय किसी परिचय के मोहताज नही हैं। इन महाविद्यालयों ने अपने जनपद की ही नही बल्कि असेवित दूरदराज एवं बाहय जनपदों के छात्रों के भविष्य को सवाँरने में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। इन महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा,पत्रकारिता,पर्यावरण,कम्प्यूटर आदि के पाठ्यक्रम संचालित हैं। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पाठ्यक्रमों को लेकर इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय भी इस जनपद में स्थापित है। शिक्षा में नवाचार लाने में एंवम् प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण की दिशा में वर्ष 1994 से इस जनपद में डायट संचालित है। उत्तरांचल राज्य गठन के बाद शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एंवम् विशिष्ट प्रशिक्षणों के लिए राज्य में सिमेट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 का प्राविधान किया जाना अपेक्षित है। शैक्षिक परिदृश्य के अन्तर्गत जनपद की स्थिति सारिणियों में अंकित है–

सारणी 2.1

राज्य एवं जनपद स्तर पर साक्षरता एवं साक्षरता दर

स्तर	जनसंख्या			साक्षरता			साक्षरता दर		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य स्तर	4316401	4163161	8479562	3044487	2130689	5706	84.01	60.26	72.28
जिला स्तर	675549	603534	1279083	506621	374855	881476	85.57	71.22	78.96

स्त्रोत– कार्यालय
जनगणना

सारणी–2.2

विकासखण्डवार साक्षरता (1991के अनुसार)

कम0संख्या	विकासखण्ड का नाम	पुरूष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	योग प्रतिशत
1	चकराता	27.08	12.36	27.88
2	कालसी	53.22	20.12	38.06
3	विकासनगर	57.64	32.31	46.01
4	सहसपुर	71.81	51.51	62.30
5	रायपुर	80.39	60.26	71.20
6	डोईवाला	81.51	57.14	70.46
7	नगर क्षेत्र	86.95	73.71	81.04
	जनपद की कुल साक्षरता	77.95	59.26	69.05

जनगणना कार्यालय

स्त्रोत–

सारिणी 2.3 जनपद की शैक्षिक संस्थाएँ

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त वित्तसहित विद्यालय			मान्यता प्राप्त वित्तविहिन विद्यालय			कुल योग		
सं0		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	745	86	831	0	0	0	317	193	510	1062	279	1341
2	माध्य0 विद्यालय सम्बद्ध	0	0	0	0	16	16	C			0	0	16
	प्राइमरी अनुभाग			0	0								
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	198	12	210	20	26	46	126	70	196	344	108	452
4	माध्यमिक विद्यालय से	0	0	50	0	0	57	C	0	0	0	0	107
	सम्बद्ध (उच्च प्रा0 अनुभाग)												
5	केन्द्रीय विद्यालय	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6	नवोदय विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हाई स्कूल	33	3	36	11	6	17	0	0	0	44	9	53
8	इण्टरमीडिएट	39	5	44	19	24	43	0	73	73	58	102	160
9	डिग्रीकालेज	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	7
11	प्रशिक्षण संस्थान (बी0एड0)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
12	तकनीकी संस्थान	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
	आई0 आई0 टी/पॉलीटे0												
13	आंगनबाडी केन्द्र	349	57	406	0	0	0	0	0	0	349	57	406
14	मकतब/मदरसे	0	0	0	6	1	7	0	0	0	6	1	7
15	बी0 आर0 सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	सी0आर0सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	डी0 आई0 ई0 टी0(डायट)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	विकलांग संस्थाऐं	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5

स्त्रोत–विभागीय

सारिणी– 2.4

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संगठनात्मक ढ़ाँचा एवम् उपलब्ध जनशक्ति

(30–9–2002 के अनुसार)

क0स0	पद का नाम	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	1	1	0
2	उप प्राचार्य	1	1	0
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	6	5	1
4	प्रवक्ता	17	17	0
5	सहायक अध्यापक	3	3	0
6	कार्यालय अधिक्षक	1	1	0
7	लेखाकार	1	0	1
8	आशुलिपिक	1	1	0
9	प्रयोगशाला सहायक	2	2	0
10	कनिष्ठ लिपिक	9	9	0
11	परिचारक	5	5	0

स्त्रोत – विभागीय

सारिणी–2.5 जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का संकायगत ढ़ाँचा

क0स0	संकाय का नाम	उप प्राचार्य/वरिष्ठ प्रवक्ता	प्रवक्ता	सहायक अध्यापक	लिपिक	योग
1	सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1	8	0	1	10
2	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संकाय	1	1	0	1	3
3	पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवम्	1	1	0	0	2
	मूल्याकंन संकाय					
4	कार्यानुभव संकाय	1	1	1	0	3
5	शैक्षिक तकनीकी संकाय	1	1	1	0	3
6	जिला संसाधन इकाई	1(उप प्राचार्य)	4	0	1	6
7	शैक्षिक नियोजन एवम् प्रबन्ध संकाय	1	1	1	0	3

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी–2.6

जनपद में विकासखण्डवार एकल अध्यापकीय विद्यालय – 30–9–2000 के अनुसार

क0स	विकासखण्ड / नगर क्षेत्र	परिषदीय विद्यालयों की संख्या	एकल शिक्षक विद्यालय की संख्या	बंद विद्यालयों की संख्या	एकल शिक्षक विद्यालय जहाँ शिक्षा मित्रों की व्यवस्था है	शेष एकल शिक्षक विद्यालय
1	चकराता	155	77	15	67	25
2	कालसी	150	44	3	40	7
3	विकासनगर	91	16	0	1	15
4	सहसपुर	107	7	0	1	6
5	रायपुर	115	16	0	6	10
6	डोईवाला	127	25	0	1	24
7	नगर क्षेत्र देहरादून	57	12	0	0	12
8	नगर क्षेत्र मसूरी	16	2	0	0	2
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	13	0	0	0	0
	कुल योग	831	199	18	116	101

स्त्रोत– विभागीय

जनपद–देहरादून

सारिणी–2.7

छात्रसंख्या के अनुसार विकासखण्डवार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

क्र0सं0	विकासखण्ड/नगर क्षेत्र	0 से 20 तक	21 से 80 तक	81 से 120 तक	121 से 160 तक	161 से 200 तक	201 से 300 तक	301 से 400 तक	401 से 500 तक	500 से अधिक	योग
1.	चकराता	5	123	23	3	–	1	–	–	–	155
2.	कालसी	12	118	14	5	–	2	–	–	–	151
3.	विकासनगर	3	39	11	4	8	13	9	1	2	90
4.	सहसपुर	8	55	15	12	3	8	1	4	–	106
5.	रायपुर	15	52	16	11	10	10	–	–	1	115
6.	डोईवाला	20	65	22	9	5	4	2	1	–	128
	योग ग्रामीण	63	452	101	44	26	38	12	6	3	745
7.	नगरक्षेत्र– दे0दून	3	10	20	10	10	4	–	0	–	57
8.	मसूरी	2	4	4	6	–	–	–	–	–	16
9.	ऋषिकेश	1	5	5	2	–	–	–	–	–	13
	योग नगरक्षेत्र	6	19	29	18	10	4	–	0	–	86
	महायोग	69	471	130	62	36	42	12	6	3	831

सारणी – 2.8

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण

क्रम	विकास खण्ड	वि0 की	प्रधानाध्यापक			सहायक अध्यापक			योग		कुल योग
सं0	का नाम	संख्या	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	अध्यापक	शिक्षा मित्र	
1	चकराता	155	29	17	46	83	153	174	220	69	289
2	कालसी	150	26	73	99	27	143	146	245	38	283
3	विकास नगर	91	70	17	87	57	133	190	277	1	278
4	सहसपुर	107	41	39	80	10	266	276	356	1	357
5	रायपुर	115	44	42	86	25	258	283	369	6	375
6	डोईवाला	127	58	24	82	24	222	246	328	1	329
	योग ग्रामीण	745	268	212	480	226	1175	1315	1795	116	1911
	नगर क्षेत्र										
1	न0क्षे0देहरादून	57	16	34	50	19	47	66	116	0	116
2	न0क्षे0मसूरी	16	4	9	13	3	14	17	30	0	30
3	न0क्षे0ऋषिकेश	13	5	6	11	6	19	25	36	0	36
	योग नगरीय	86	25	49	74	28	80	108	182	0	182
	कुल योग	831	293	261	554	254	1255	1423	1977	116	2093

स्त्रोत–विभागीय

सारणी – 2.9

परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की उपलब्धता

क्रम	विकास खण्ड	विद्यालय का प्रकार				अध्यापकों की उपलब्धता						कुल
						प्रधानाध्यपाक			स0 अध्यापक			
सं0	का नाम	बालक	बालिका	क्रमोत्तर	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	योग
1	चकराता	34	0	2	36	32	0	32	81	0	81	113
2	कालसी	32	1	1	34	31	0	31	43	0	43	74
3	विकास नगर	26	3	1	30	26	1	27	112	9	121	148
4	सहसपुर	27	4	2	33	25	4	29	87	31	118	147
5	रायपुर	20	6	3	29	17	6	23	70	36	106	129
6	डोईवाला	26	5	5	36	21	5	26	102	44	146	172
	योग ग्रामीण	165	19	14	198	152	16	168	495	120	615	783
	नगर क्षेत्र											
1	देहरादून	5	1	1	7	2	1	3	16	17	33	36
2	मसूरी	4	0	0	4	1	2	3	16	0	16	19
3	ऋषिकेश	1	0	0	1	0	0	0	0	4	4	4
	योग नगरीय	10	1	1	12	3	3	6	32	21	53	59
	योग	175	20	15	210	155	19	174	527	141	668	842

स्त्रोत–विभागीय

अध्यापक–विवरण (प्राथमिक स्तर)

सारिणी – 2.10

जनपद – देहरादून

क्र0सं0	विकासखण्ड / नगरक्षेत्र	कार्यरत									सृजित पद	कम	अधिक	आवश्यकता	शिक्षामित्र
		प्र0अ0			स0अ0			योग							
		M	F	T	M	F	T	M	F	T					
1.	चकराता	29	17	46	83	115	174	112	132	220	310	90			69
2.	कालसी	26	73	99	27	143	146	53	216	245	300	55			38
3.	विकासनगर	70	17	87	57	133	190	127	220	277	319	42			1
4.	सहसपुर	41	39	80	10	266	276	51	305	356	264		92		1
5.	रायपुर	44	42	86	25	258	283	69	300	369	256		113		6
6.	डोईवाला	58	24	82	24	222	246	82	246	328	254		74		1
	योग ग्रामीण										**1795**	187	279		116
7.	नगरक्षेत्र– दे0दून	16	34	50	19	47	66	35	81	116	153	37		37	
8.	मसूरी	4	9	13	3	14	17	7	23	30	32	2		2	
9.	ऋषिकेश	5	6	11	6	19	25	11	25	36	42	6		6	
	योग नगरक्षेत्र									182	227	45		45	
	महायोग									**1977**	**1930**	232	279	45	116

– स्त्रोत विभागीय

सारणी– 2.11

जनपद में आँगनवाडी केन्द्रों का विवरण

क0स0	नगर/विकासखण्ड	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	बच्चों की संख्या	20 से कम छात्र सं0 के केन्द्र	20 से अधिक छात्र सं0 के केन्द्र
1	नगर क्षेत्र देहरादून	98	2712	7	91
2	चकराता	50	1835	6	44
3	विकासनगर	97	2806	4	93
4	कालसी	50	1453	6	44
5	सहसपुर	158	3700	72	86
	योग	453	12506	95	358

स्त्रोत – विभागीय

सारिणी 2.12 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

क0स0	विकासखण्ड / नगर क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालयों की सख्या	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं0				2:1 के अनुपात में उ0प्रा0वि0 की आवश्यकता	उ0प्रा0वि0 की कमी
			परिषदीय	राजकीय हा0 / इ0 से सम्बद्ध	मान्यता प्राप्त हा0 / इ0 से सम्बद्ध	योग		
1	चकराता	155	36	6	0	42	77	35
2	कालसी	150	34	6	0	40	75	35
3	विकासनगर	91	30	6	4	40	45	5
4	सहसपुर	107	33	10	11	54	53	–1
5	रायपुर	115	29	6	9	44	57	13
6	डोईवाला	127	36	12	8	56	63	7
7	न.क्षे. देहरादून	57	7	2	18	27	28	1
8	न.क्षे.मसूरी	16	4	1	4	9	8	–1
9	न.क्षे. ऋषिकेश	13	1	01	3	5	6	1
	कुल योग	831	210	50	57	317	412	97

सारिणी - 2.13

जनपद – देहरादून

कुल छात्र संख्या प्राथमिक स्तर (समस्त) वर्ष 2001–02

क्र0सं0	विकासखण्ड / नगरक्षेत्र	कक्षा –1			कक्षा –2			कक्षा –3			कक्षा –4			कक्षा –5			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	चकराता	1643	1663	3306	1137	1119	2256	998	1070	2068	735	775	1510	673	602	1275	5186	5229	10415
2.	कालसी	1469	1585	3054	883	1005	1888	819	882	1701	741	745	1486	591	577	1168	4503	4794	9297
3.	विकासनगर	2684	2244	4928	1903	1688	3591	1681	1464	3145	1497	1216	2713	1172	1039	2211	8937	7651	16588
4.	सहसपुर	2619	3118	5737	1928	1749	3677	1697	1550	3247	1553	1374	2927	1408	1338	2746	9205	9129	18334
5.	रायपुर	4327	4151	8478	2977	3044	6021	2622	2597	5219	2230	2409	4639	1951	1956	3907	14107	14157	28264
6.	डोईवाला	1618	1490	3108	1238	1264	2502	1292	1234	2526	1129	1256	2385	1072	1108	2180	1349	6352	7701
	योगग्रामीण	14360	14251	28611	10066	9869	19935	9109	8797	17906	7885	7775	15660	6867	6620	13487	48287	47312	95599
	नगरक्षेत्र–																		
7.	दे0दून	2576	2364	4940	2089	1786	3875	1680	1611	3291	1469	1380	2849	1089	1243	2332	8903	8384	17287
8.	मसूरी	182	185	367	116	136	252	103	95	198	99	98	197	88	76	164	588	590	1178
9.	ऋषिकेश	799	664	1463	671	562	1233	597	542	1139	517	497	1014	529	433	962	3113	2698	5811
	योग न0क्षेत्र	3557	3213	6770	2876	2484	5360	2380	2248	4628	2085	1975	4060	1706	1752	3458	12604	11672	24276
	महायोग	17917	17464	35381	12942	12353	25295	11489	11045	22534	9970	9750	19720	8573	8372	16945	60891	58984	119875

– स्त्रोत विभागीय

सारिणी - 2.13.1

जनपद – देहरादून

कुल छात्र संख्या–उच्च प्राथमिक स्तर (समस्त) वर्ष 2001–02

क्र0सं0	विकासखण्ड / नगरक्षेत्र	कक्षा–6			कक्षा–7			कक्षा–8			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	चकराता	511	462	973	378	363	741	303	228	531	1192	1053	2245
2.	कालसी	560	475	1035	495	358	853	375	307	682	1430	1140	2570
3.	विकासनगर	1400	1202	2602	1195	985	2180	973	915	1888	3568	3102	6670
4.	सहसपुर	1202	1299	2501	1021	1156	2177	990	968	1958	3213	3423	6636
5.	रायपुर	2289	2624	4913	2069	2535	4604	1943	2415	4358	6301	7574	13875
6.	डोईवाला	2635	2984	5619	2429	2601	5030	2149	2143	4292	8013	7728	15741
	योग ग्रामीण	8597	9046	17643	7587	7998	15585	6733	6976	13709	23717	24028	47745
7.	नगरक्षेत्र– दे0दून	1124	913	2037	884	836	1720	788	720	1508	2796	2469	5265
8.	मसूरी	41	35	76	37	32	69	27	31	58	105	98	203
9.	ऋषिकेश	158	131	289	158	118	276	147	100	247	463	349	812
	योग नगरक्षेत्र	1323	1079	2402	1079	986	2065	962	851	1813	3364	2916	6280
	महायोग	**9920**	**10125**	**20045**	**8666**	**8984**	**17650**	**7695**	**7827**	**15522**	**27081**	**26944**	**54025**

– स्त्रोत विभागीय

सारिणी 2.14 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

क0स0	विकासखण्ड /	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं0				2:1 के अनुपात में	उ0प्रा0वि(
	नगर क्षेत्र	विद्यालयों की सख्या	परिषदीय	राजकीय हा0/इ0 से सम्बद्ध	मान्यता प्राप्त हा0/इ0 से सम्बद्ध	योग	उ0प्रा0वि0 की आवश्यकता	की कमी
1	चकराता	155	36	6	0	42	77	35
2	कालसी	150	34	6	0	40	75	35
3	विकासनगर	91	30	6	4	40	45	5
4	सहसपुर	107	33	10	11	54	53	–1
5	रायपुर	115	29	6	9	44	57	13
6	डोईवाला	127	36	12	8	56	63	7
7	न.क्षे. देहरादून	57	7	2	18	27	28	1
8	न.क्षे.मसूरी	16	4	1	4	9	8	–1
9	न.क्षे. ऋषिकेश	13	1	01	3	5	6	1
	कुल योग	831	210	50	57	317	412	97

सरिणी 2.15

छात्र संख्या (प्राथमिक स्तर) जातिवार जनपद देहरादून (वर्ष 2001–02)

विद्यालय का प्रकार	कक्षा	सामान्य			अनु0 जाति			अनु0 जन जाति			पिछड़ा वर्ग			अल्प संख्यक		
परिषदीय		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
	1	1765	1850	3615	3143	2966	6109	1977	2230	4207	961	958	1919	2402	2163	4565
	2	1278	1465	2743	2221	2247	4468	1366	1573	2939	782	812	1594	1774	1575	3349
	3	1198	1357	2555	1884	2039	3923	1198	1423	2621	734	757	1491	1402	1224	2626
	4	1012	1257	2269	1496	1660	3156	1129	1183	2312	670	704	1374	1105	955	2060
	5	1145	1062	2207	1220	1232	2452	834	873	1707	519	553	1072	870	772	1642
	योग	**6398**	**6991**	**13389**	**9964**	**10144**	**20108**	**6504**	**7282**	**13786**	**3666**	**3784**	**7450**	**7553**	**6689**	**14242**
मान्यता प्राप्त	1	4336	4401	8737	1278	1229	2507	411	233	644	599	494	1093	1045	939	1984
	2	3185	2784	5969	896	810	1706	258	177	435	425	333	758	757	577	1334
	3	2953	2531	5484	882	736	1618	268	176	444	373	308	681	597	494	1091
	4	2742	2457	5199	794	719	1513	247	171	418	361	309	670	514	435	949
	5	2245	2485	4730	706	607	1313	260	159	419	331	281	612	443	348	791
	योग	**15461**	**14658**	**30119**	**4556**	**4101**	**8657**	**1444**	**916**	**2360**	**2089**	**1725**	**3814**	**3356**	**2793**	**6149**
	महायोग	**21859**	**21649**	**43508**	**14520**	**14245**	**28765**	**7948**	**8198**	**16146**	**5755**	**5509**	**11264**	**10909**	**9482**	**20391**

सारिणी– 2.16

छात्र संख्या (उच्च प्राथमिक स्तर) जातिवार जनपद देहरादून (वर्ष 2001–02)

विद्यालय का प्रकार	कक्षा	सामान्य			अनु0 जाति			अनु0 जन जाति			पिछड़ा वर्ग			अल्प संख्यक		
परिषदीय		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
	6	4214	4790	9004	1635	1552	3187	1045	898	1943	768	761	1529	1135	1045	2180
	7	3946	4570	8516	1223	1332	2555	901	721	1622	702	656	1358	825	745	1570
	8	3842	4254	8096	986	1042	2028	727	554	1281	516	544	1060	652	573	1225
	योग	**12002**	**13614**	**25616**	**3844**	**3926**	**7770**	**2673**	**2173**	**4846**	**1986**	**1961**	**3947**	**2612**	**2363**	**4975**
मान्यता प्राप्त	1	841	586	1427	122	99	221	17	19	36	69	48	117	52	57	109
	2	716	558	1274	112	113	225	21	16	37	30	28	58	15	19	34
	3	586	476	1062	95	96	191	17	7	24	68	53	121	45	42	87
	योग	**2143**	**1620**	**3763**	**329**	**308**	**637**	**55**	**42**	**97**	**167**	**129**	**296**	**112**	**118**	**230**
	महायोग	**14145**	**15234**	**29379**	**4173**	**4234**	**8407**	**2728**	**2215**	**4943**	**2153**	**2090**	**4243**	**2724**	**2481**	**5205**

सारिणी – 2.17

छात्र/ अध्यापक अनुपात (परिषदीय प्राथमिक विद्यालय) – वर्ष 2002–03

क्र0सं0	विकासखण्ड/ नगरक्षेत्र	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या	छात्र/ अध्यापक अनुपात
1.	चकराता	9005	220	1:41
2.	कालसी	8115	245	1:33
3.	विकासनगर	12786	277	1:46
4.	सहसपुर	10574	356	1:30
5.	रायपुर	10250	369	1:28
6.	डोईवाला	9697	328	1:30
	योग ग्रामीण	**60427**	**1795**	**1:34**
7.	नगरक्षेत्र– दे0दून	6131	116	1:53
8.	मसूरी	752	30	1:25
9.	ऋषिकेश	1665	36	1:46
	योग नगरक्षेत्र	8548	182	1:47
	महायोग	**68975**	**1977**	**1:35**

– स्त्रोत विभागीय

सारिणी – 2.18

प्राथमिक विद्यालय रहित बस्तियाँ (वर्ष 2002–03)

क्र0सं0	विकासखण्ड / नगरक्षेत्र	बस्तियों की संख्या जहाँ विद्यालयों की आवश्यकता है।			
		1 कि0मी0 से अधिक परन्तु2 कि0मी0 से कम	2 कि0मी0 से अधिक परन्35 कि0मी0 से कम	3 कि0मी0 से अधिक	कुल बस्तियों की संख्या
1.	चकराता	34	24	26	84
2.	कालसी	35	23	19	77
3.	विकासनगर	30	11	3	44
4.	सहसपुर	51	13	6	70
5.	रायपुर	61	22	36	119
6.	डोईवाला	23	8	5	36
7.	नगरक्षेत्र-- दे0दून				
8.	मसूरी				
9.	ऋषिकेश				
	योग	234	101	95	430

– स्त्रोत विभागीय
(परिवार सर्वेक्षण)

सारिणी – 2.19

उच्च प्राथमिक विद्यालय रहित बस्तियाँ (वर्ष 2002–03)

क्र0सं0	विकासखण्ड / नगरक्षेत्र	बस्तियों की संख्या जहाँ विद्यालयों की आवश्यकता है।			
		3 कि0मी0 से अधिक परन्तु 4 कि0मी0 से कम	4 कि0मी0 से अधिक परन्तु 5 कि0मी0 से कम	5 कि0मी0 से अधिक परन्तु 6 कि0मी0 से कम	कुल बस्तियों की संख्या
1.	चकराता	35	19	24	78
2.	कालसी	31	17	20	68
3.	विकासनगर	15	8	3	26
4.	सहसपुर	21	8	1	30
5.	रायपुर	29	17	23	69
6.	डोईवाला	10	3	4	17
7.	नगरक्षेत्र– दे0दून				
8.	मसूरी				
9.	ऋषिकेश				
	योग	141	72	75	288

– स्त्रोत विभागीय
परिवार सर्वेक्षण

तारणी 2–20

जनपद–देहरादून में विद्यालय रहित बस्तियाँ तथा ई0जी0एस0 एवं ए0एस0 की आवश्यकता

क्र0सं0	विकासखण्ड / नगर क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय रहित बस्तियों की संख्या	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या	उच्च प्रा0वि0 रहित बस्तियाँ	11–14 वय वर्ग के बच्चे	कुल ई0जी0एस0 की आवश्यकता	कुल ए0एस0 की आवश्यकता	कुल ई0जी0एस0 उच्चीकरण
1.	चकराता	84	290	78	195	20	10	10
2.	कालसी	77	125	68	108	12	8	6
3.	विकासनगर	44	262	26	313	20	15	10
4.	सहसपुर	70	116	30	93	10	6	5
5.	रायपुर	36	152	17	118	10	10	6
6.	डोईवाला	119	35	69	20	3	2	2
7.	नगरक्षेत्र– दे0दून							
8.	मसूरी							
9.	ऋषिकेश							
	योग	430	980	288	847	75	51	39

– स्त्रोत विभागीय

सरिणी 2–21

जनपद – देहरादून

परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जाने वाले एवं न जाने वाले बालक/बालिकाओं का विवरण– 2002–03

विकासखण्ड	कुल छात्र संख्या						विद्यालय जाने वाले						विद्यालय न जाने वाले					
	6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग			6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग			6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
चकराता	4222	4060	8282	2222	2027	4249	3748	3523	7271	1833	1610	3443	474	537	1011	389	417	806
कालसी	4000	3963	7963	2282	1910	4192	3719	3737	7456	2002	1705	3707	281	226	507	280	205	485
विकासनगर	9252	7758	17010	6058	5003	11061	8618	7037	15655	5246	4185	9431	634	721	1355	812	818	1630
सहसपुर	7815	7035	14850	4485	4166	8651	7587	6796	14383	4249	3892	8141	228	239	467	236	274	510
रायपुर	6408	7209	13617	4222	4580	8802	6188	7022	13210	4029	4417	8446	220	187	407	193	163	356
डोईवाला	7490	5908	13398	4192	4444	8636	7362	5770	13132	4039	4288	8327	128	138	266	153	156	309
योग ग्रामीण	**39187**	**35933**	**75120**	**23461**	**22130**	**45591**	**37222**	**33885**	**71107**	**21398**	**20097**	**41495**	**1965**	**2048**	**4013**	**2063**	**2033**	**4096**
नगरक्षेत्र– दे0दून	21108	15104	36212	19159	17005	36164	20386	14569	34955	18643	16576	35219	722	535	1257	516	429	945
मसूरी	1813	1663	3476	838	813	1651	1690	1532	3222	767	777	1544	123	131	254	72	36	108
ऋषिकेश	5658	4633	10291	2566	2783	5349	5599	4552	10151	2558	2778	5336	59	81	140	8	5	13
योग नगरक्षेत्र	28579	21400	49979	22563	20601	43164	27675	20653	48328	21968	20131	42099	904	747	1651	596	470	1066
महायोग	**67766**	**57333**	**125099**	**46024**	**42731**	**88755**	**64897**	**54538**	**119435**	**43366**	**40228**	**83594**	**2869**	**2795**	**5664**	**2659**	**2503**	**5162**

स्त्रोत विभागीय
(परिवार सर्वेक्षण)

1. ग्रामीण क्षेत्र के आँकड़े परिवार सर्वेक्षण पर आधारित हैं
2. नगर क्षेत्र के आँकड़े विभागीय सर्वेक्षण पर आधारित है।

सारिणी – 2.22

6–11 वय वर्ग की अनुमानित छात्र संख्या – परिषदीय

देहरादून

क्र0 सं0	विकासखण्ड / नगरक्षेत्र	2001–02			2002–03			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	चकराता	4329	4676	9005	3748	3523	7271	3823	3593	7416	3898	3663	7561	3976	3736	7712	4056	3811	7867
2.	कालसी	3813	4302	8115	3538	3572	7110	3609	3644	7253	3681	3717	7398	3755	3790	7545	3830	3866	7696
3.	विकासनगर	6659	6127	12786	6735	5454	12189	6870	5564	12434	7005	5676	12681	7145	5790	12935	7288	5906	13194
4.	सहसपुर	5275	5299	10574	7587	6796	14383	7739	6932	14671	7894	7070	14964	8052	7211	15263	8213	7355	15568
5.	रायपुर	4971	5279	10250	6188	7022	13210	6312	7166	13478	6483	7309	13747	6567	7455	14022	6698	7605	14303
6.	डोईवाला	4720	4977	9697	7362	5770	13132	7509	5885	13394	7659	6003	13662	7912	6123	13935	7968	6246	14214
	ग्रामीण योग	29767	30660	60427	35158	32137	67295	35862	32784	68646	36575	34438	71013	37307	34105	71412	38053	34789	72842
1.	दे0दून	3129	3002	6131	3192	3062	6254	3256	3123	6379	3321	3185	6506	3387	3249	6636	3455	3314	6769
2.	मसूरी	371	381	752	379	389	768	387	397	784	395	405	800	403	413	816	411	412	832
3.	ऋषिकेश	818	847	1665	834	864	1698	851	881	1732	868	899	1767	885	917	1802	903	935	1838
	योग	4318	4230	8548	4405	4315	8720	4494	4401	8895	4584	4489	9073	4675	4579	9254	4769	4670	9439
	योग ग्रामीण+नगर	**34085**	**34890**	**68975**	**39563**	**36452**	**76015**	**40356**	**37185**	**77541**	**41159**	**38927**	**80086**	**41982**	**38684**	**80666**	**42822**	**39459**	**82281**

सारीणी– 2.23

11–14 वय वर्ग की अनुमानित छात्र संख्या – परिषदीय

देहरादून

क्र0 सं0	विकासखण्ड / नगरक्षेत्र	2001–02			2002–03			2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	चकराता	1192	1053	2245	1833	1610	3443	1870	1642	3512	1907	1675	3582	1945	1708	3653	1984	1742	3726
2.	कालसी	1410	1084	2494	1918	1641	3559	1956	1674	3630	1995	1707	3702	2035	1741	3776	2076	1776	3852
3.	विकासनगर	2812	2544	5356	4074	3193	7267	4155	3263	7418	4239	3328	7567	4323	3395	7718	4410	3663	8073
4.	सहसपुर	1981	2047	4028	4249	3892	8141	4334	3970	8304	4421	4049	8470	4509	4130	8639	4599	4213	8812
5.	रायपुर	3122	4212	7334	4029	4417	8446	4110	4505	8615	4192	4595	8787	4276	4687	8963	4361	4781	9142
6.	डोईवाला	2230	2482	4712	4039	4288	8327	4120	4374	8494	4202	4461	8663	4286	4550	8836	4372	4641	9013
	ग्रामीण योग	12747	13422	26169	20142	19041	39183	20545	19428	39973	20956	19815	40771	21374	20211	41585	21802	20816	42618
1.	दे0दून	18236	16214	34450	18601	16538	35139	18973	16869	35842	19352	17206	36558	19740	17550	37290	20134	17901	38035
2.	मसूरी	750	760	1510	765	775	1540	780	790	1570	796	806	1602	812	822	1634	828	839	1667
3.	ऋषिकेश	2502	2777	5279	2552	2832	5384	2603	2888	5491	2655	2946	5601	2708	3005	5713	2762	3065	5827
	योग	21488	19751	41239	21918	20145	42063	22356	20547	42903	22803	20958	43761	23260	21377	44637	23724	21805	45529
	योग ग्रामीण +नगर	**34235**	**33173**	**67408**	**42060**	**39186**	**81246**	**42901**	**39975**	**82876**	**43759**	**40773**	**84532**	**44634**	**41588**	**86222**	**45526**	**42621**	**88147**

सारिणी– 2.24

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण (ग्रामीण क्षेत्र) –2002–03

जनपद – देहरादून

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	न्याय पंचायत की संख्या	बस्ती की संख्या	0–3 वय वर्ग			3–6 वय वर्ग			6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
				G	B	T	G	B	T	G	B	T	G	B	T
1.	चकराता	9+1	277	2688	2699	5387	1600	1482	3082	568	474	1042	417	389	806
2.	कालसी	9	260	1618	2543	4161	1250	1268	2518	281	226	507	280	205	485
3.	विकासनगर	5+2	215	4142	4786	8928	2521	2177	4698	721	634	1355	818	812	1630
4.	सहसपुर	6	229	2869	3362	6231	1224	1389	2613	239	228	467	274	236	510
5.	रायपुर	6	276	4198	3612	7810	1204	1099	2303	187	220	407	163	193	356
6.	डोईवाला	5+1	315	3493	4202	7695	1510	1781	3291	138	128	266	156	153	309
	योग	44	**1572**	**19008**	**21204**	**40212**	**9309**	**9196**	**18505**	**2134**	**1910**	**4044**	**2108**	**1988**	**4096**

स्त्रोत – विभागीय (परिवार सर्वेक्षण)

सारिणी – 2.25

विकलांग बच्चों का विवरण– ग्रामीण क्षेत्र 2002–03

जनपद – देहरादून

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	पंचायत की संख्या	बस्ती की संख्या	0–3 वय वर्ग			3–6 वय वर्ग			6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग			14–18 वय वर्ग		
				G	B	T	G	B	T	G	B	T	G	B	T	G	B	T
1.	चकराता	9+1	277	4	5	9	6	10	16	23	15	38	11	9	20	7	12	19
2.	कालसी	9	260		1	1	3	7	10	12	16	28	3	9	12	3	8	11
3.	विकासनगर	5+2	215	2	3	5	5	6	11	12	22	34	17	21	38	8	22	30
4.	सहसपुर	6	229	3	2	5	3	9	12	13	26	29	11	14	25	10	18	28
5.	रायपुर	6	276	5	1	6	3	4	7	14	14	28	8	11	19	14	10	24
6.	डोईवाला	5+1	315					1	1	4	8	12	5	5	10		3	3
	योग		**1572**	**14**	**12**	**26**	**20**	**37**	**57**	**78**	**101**	**169**	**55**	**69**	**124**	**42**	**73**	**115**

स्त्रोत – विभागीय (परिवार सर्वेक्षण)

सारिणी–26 प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन– जनपद देहरादून

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल प्रा0 वि0 की सं0	भवनों की स्थिति										शौचालय	पेयजल	चाहरदीवारी
			एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांचं कक्षीय	पांच से अधिक	भवनहीन	अपूर्ण भवन	कुल भवन	जर्जर भवन			
1	चकराता	155	1	85	41	0	1	0	0	27	128	19	0	15	0
2	कालसी	150	4	107	7	8	2	0	0	22	128	25	7	2	4
3	विकास नगर	91	1	58	6	8	8	0	0	10	81	9	46	24	15
4	सहसपुर	107	0	49	32	7	3	5	0	11	96	14	22	28	21
5	रायपुर	115	2	55	31	5	5	3	0	14	101	22	64	32	19
6	डोईवाला	127	4	44	40	15	7	3	0	14	113	6	52	55	30
7	न0क्षे0देहरादून	57	0	8	5	6	4	1	किराए पर 33	0	24	0	18	18	19
8	न0क्षे0मसूरी	16	1	5	2	0	2	1	5	0	11	2	0	5	5
9	न0क्षे0ऋषिकेश	13	1	0	1	2	8	0	1	0	12	1	7	5	7
	योग	831	14	411	165	51	40	13	39	98	694	98	216	184	120

स्रोत – विभागीय

सारिणी–27 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधान जनपद– देहरादून

क्र0 सं0	ब्लाक	कुल उच्च प्रा0 वि0 की	भवनो की स्थिति										पेयजल	शौचालय	चाहरदीवारी
			एक	दो	तीन	चार	पांचं	पांच से अधिक	भवनहीन	अपूर्ण भवन	कुल भवन	जर्जर भवन			
		सं0	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय	कक्षीय								
1	चकराता	36	0	0	3	13	0	9	7	4	25	3	10	5	0
2	कालसी	34	0	1	7	11	8	0	7	0	27	5	12	13	4
3	विकास नगर	30	0	0	14	10	0	2	3	1	26	0	14	7	4
4	सहसपुर	33	0	1	0	0	0	26	6	0	27	3	13	16	3
5	रायपुर	29	0	0	6	4	2	8	6	3	20	1	18	12	10
6	डोईवाला	36	0	0	4	6	1	16	7	2	27	1	19	19	9
7	हा0/इण्टर से सम्बद्ध														
	उच्च प्रा0विद्यालय	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	11	21
8	न0क्षे0देहरादून	7	0	1	2	1	2	0	1	0	6	0	3	4	6
9	न0क्षे0मसूरी	4	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	4	0	4
10	न0क्षे0ऋषिकेश	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	योग	258	0	3	38	46	14	61	38	10	162	13	130	88	62

स्रोत – विभागीय

सारिणी–28(अ)

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी/आवश्यकता

विकासक्षेत्र/नगर क्षेत्र	पूर्ण भवन	मरम्मत		शौचालय	पेयजल	चाहरदीवारी	अति0कक्षा कक्ष
		लधु	वृहद				
चकराता	46	0	26	109	106	109	35
कालसी	50	0	11	104	101	99	43
विकास नगर	22	0	37	26	48	57	62
सहसपुर	25	0	23	60	54	61	79
रायपुर	40	0	75	15	47	60	68
डोईवाला	22	0	18	55	52	77	66
न0क्षे0देहरादून	10	0	24	6	6	5	34
न0क्षे0मसूरी	2	0	9	11	4	4	2
न0क्षे0ऋषिकेश	4	0	5	6	4	4	12
योग	221	0	228	392	422	476	401

स्रोत – विभागीय

सारणी 29(अ)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी/आवश्यकता

विकासक्षेत्र/नगर क्षेत्र	पूर्ण भवन	मरम्मत		शौचालय	पेयजल	चाहरदीवारी	अति0कक्षा कक्ष
		लधु	वृहद				
चकराता	14	0	10	21	12	22	3
कालसी	12	0	7	12	10	18	2
विकास नगर	4	0	23	22	12	22	13
सहसपुर	9	0	4	8	11	21	14
रायपुर	10	0	13	19	8	9	14
डोईवाला	10	0	2	7	7	17	12
हा0/इण्टर से सम्बद्ध उ0प्रा0वि0	0	0	0	37	12	27	198
न0क्षे0देहरादून	1	0	0	22	3	0	8
न0क्षे0मसूरी	0	0	3	1	0	0	1
न0क्षे0ऋषिकेश	0	0	1	0	0	0	5
योग	60	0	63	149	75	136	270

स्रोत – विभागीय

शैक्षिक परिदृश्य (ब)

विश्लेषण – सारिणी–2–1 में जनपद स्तर पर कुल साक्षरता 78.96 प्रतिशत है, जिसमें 85.57 प्रतिशत् पुरूषों तथा 71.22 प्रतिशत महिलाओं का साक्षरता दर है। पुरूषों तथा महिलाओं के साक्षरता दर में 14.35 प्रतिशत् का अन्तर है। इस अन्तर को समाप्त करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रणनीति तैयार की जायेगा।

– सारिणी 2.2 में वर्ष 1991 के अनुसार जनपद की विकासखण्डवार साक्षरता दर दर्शायी गयी है। विकासखण्ड चकराता में कुल साक्षरता दर 27.88 प्रतिशत है। जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 27.08 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 12.36 प्रतिशत है। विकासखण्ड कालसी में कुल साक्षरता दर 38.06 प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों की 53.22 प्रतिशत् तथा महिला की साक्षरता दर 20.12 प्रतिशत है तथा विकासखण्ड विकासनगर में कुल साक्षरता दर 46.01 है, जिसमें पुरूषों की 57.64 प्रतिशत् तथा महिला की साक्षरता दर 32.31 प्रतिशत् है। इन विकासखण्डों में जहाँ कुल साक्षरता दर न्यून है, वही महिलाओं की साक्षरता दर सोचनीय हैं। इन विकासखण्डों में अनु जनजाति तथा अल्प संख्यक जातियाँ निवास करती है, यहाँ पर महिला साक्षरता दर वृद्धि हेतु रणनीतियाँ तैयार की जायेगी।

– सारिणी–2–3 में जनपद की शैक्षिक संस्थाएँ दर्शायी गयी हैं, जो जनपद की शैक्षिक समृद्धि की दर्शाती है। जनपद में 1341 प्राथमिक विद्यालय, तथा 16 प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध, 452 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 107 उच्च प्राथमिक अनुभाग माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध 11 केन्द्रीय विद्यालय, 53 हाईस्कूल, 160 इण्टरमीडिएट कालेज, 02 डिग्री कालेज, 07 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 01 प्रशिक्षण संस्थान (बी0एड0), 06 तकनीकी संस्थान, 406 आँबनवाड़ी केन्द्र, 07 मकतब/ मदरसे 01 डायट, 05 विकालांग संस्थाएँ हैं।

– सारिणी–2–4 में जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून का संगठनात्मक ढाँचा दर्शाया गया है। चर संस्थान जनपद की प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिये कार्य कर रहा है। इस संस्थान में 01 प्राचार्य, 01 उपप्राचार्य, 06 वरिष्ठ प्रवक्ता, 17 प्रवक्ता, 03 सहायक अध्यापक, 01 कार्यालय अधीक्षक, 01 लेखाकार (रिक्त), 01 आशुलिपिक, 02 प्रयोगशाला सहायक, 09 कनिष्ठ लिपिक तथा 05 परिचारक कार्यरत है।

– सारिणी 2–5 में संस्थान का संकायगत ढाँचा दर्शाया गया है। इस संस्थान में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संकाय, सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण संकाय, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मुल्यांकन संकाय, कार्यानुभव संकाय, शैक्षिक तकनीकी संकाय, जिला संसाधन इकाई तथा शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्ध संकाय मिलाकर कुल 7 संकाय हैं।

– सारिणी 2–6 में जनपद में विकासखण्डवार एकल अध्यापकीय विद्यालयों का विवरण दर्शाया गया है। विकासखण्ड चकराता में 67, कालसी में 40 तथा अन्य विकासखण्डों में भी एकल अध्यापकीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों के लिये बहुकक्षा शिक्षण तकनीक पर रणनीति तैयार की जायेगी।

– सारिणी 2.7 में छात्रसंख्या के अनुसार विकासखण्डवार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या दर्शायी गयी है। 0–20 छात्रसंख्या वाले 69 विद्यालय तथा 21 से 80 छात्रसंख्या वाले 471 विद्यालयों में ऋषिवैली पैटर्न पर आधारित वहुकक्षा शिक्षण तकनीक अपनायी जायेगी। इन विद्यालयों में विकासखण्ड चकराता में 128 तथा कालसी में 130 विद्यालय है। ये विकासखण्ड पूर्णतः जनजातीय क्षेत्र है।

– सारिणी 2.8 में जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण दर्शाया गया है। जनपद में 554 प्रधानाध्यापक कार्यरत है। जिसमें 293 पुरूष तथा 261 महिलाएँ है तथा 1423 सहायक अध्यापक कार्यरत है, जिसमें 254 पुरूष तथा 1255 महिला अध्यापिकाएँ है। इस तरह कुल 1977 शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा 116 शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था की गयी है।

– सारिणी 2–9 में जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध अध्यापकों का विवरण दर्शाया गया है। जनपद में कल 842 अध्यापक कार्यरत हैं जिसमें 174 प्रधानाध्यापक तथा 668 सहायक अध्यापक कार्यरत है।

– सारिणी 2–10 में जनपद में प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की स्थिति दर्शायी गयी है। जनपद के नगर क्षेत्र देहरादून में 37, मसूरी में 2 तथा ऋषिकेश में 6 अध्यापकों की आवश्यकता है।

–सारिणी 2–11 में जनपद में संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण दर्शाया गया है। जनपद में कुल 453 आँगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिसमें 12506 बच्चें पढ़ते है। 20 से अधिक छात्रसंख्या वाले 358 आँगनवाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु रणनीति तैयार की जायेगी।

– सारिणी 2.13 में प्राथमिक स्तर पर अध्ययन कक्षावार बच्चों की संख्या दर्शायी गयी है। जनपद में कक्षा–1 में 35381 बच्चे, कक्षा–2 में 25295 बच्चे कक्षा–3 में 22534 बच्चे, कक्षा–4 में 19720 बच्चे तथा कक्षा–5 में 16945 बच्चे अध्ययनरत है इस तरह कुल 119875 बच्चों में कुल 60891 बालक तथा 58984 बालिकाएँ अध्ययनरत हैं। कक्षा–3, 4 तथा 5 के बच्चों के लिये तथा बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति तैयार की जायेगी।

– सारिणी 2–14 में जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल छात्रसंख्या–कक्षावार दर्शाया गया है। कक्षा–6 में कुल 20045 बच्चे, कक्षा–7 में 17650 बच्चे, तथा कक्षा–8 में 15522 बच्चे अध्ययनरत है। जनपद में कुल 54025 बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत है, जिसमें 27081 बालक तथा 26944 बालिकाएँ सम्मिलित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं के ठहराव एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिये रणनीति तैयार की जायेगी।

– सारिणी 2.15 में जनपद की छात्र संख्या (प्राथमिक स्तर) जातिवार दशायी गयी है। जनपद में 43508 बच्चे सामान्य वर्ग के जिसमें 21859 बालक तथा 21649 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। 28765 बच्चे अनुसूचित जाति के हैं जिसमें

14520 बालक तथा 14245 बालिकाएँ सम्मिलित है। 16146 बच्चे अनुसूचित जनजाति के हैं, जिसमें 7648 बालक तथा 8198 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। पिछड़े वर्ग के कुल 11264 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें 5755 बालक तथा 5509 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 20391 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें 10909 बालक तथा 9482 बालिकाएँ सम्मिलित है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनु0 जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया जायेगा।

– सारिणी 2–16 में छात्र संख्या (उच्च प्राथमिक) स्तर जातिवार दर्शाया गया हैं। जनपद में कुल सामान्य वर्ग के 29379 बच्चे अध्ययनरत हैं। जिनमें 14145 बालक तथा 15234 बालिकाएँ सम्मिलित है अनु0 जाति के 8407 बच्चे हैं जिसमें 4173 बालक तथा 4234 बालिकाएँ सम्मिलित है, अनु जनजाति के 4943 बच्चे हैं जिसमें 2728 बालक तथा 2215 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। पिछड़ा वर्ग के कुल 4243 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें 2153 बालक तथा 2090 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के 5205 बच्चे हैं, जिसमें 2724 बालक तथा 2481 बालिकाएँ सम्मिलित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के ठहराव एवं जीवनोपयोगी शिक्षा के लिये कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया जायेगा।

– सारिणी 2–17 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में विकासखण्डवार छात्र–शिक्षक अनुपात दर्शाया गया है। विकासखण्ड चकराता में शिक्षक– छात्र अनुपात 1:41 कालसी में 1:33, विकासनगर में 1:46, सहसपुर में 1:30, रायपुर में 1:28, डोईवाला में 1:30 है। नगर क्षेत्र देहरादून में 1:53, मसूरी में 1:25 तथा ऋषिकेश में 1:46 है।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक–छात्र अनुपात 1:34 तथा नगर क्षेत्र में 1:47 है। जनपद का शिक्षक–छात्र अनुपात 1:35 है।

– सारिणी 2–18 में परिवार सर्वेक्षण (वर्ष 2002) के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय रहित बस्तियाँ दर्शायी गयी है। विकासखण्ड चकराता में प्राथमिक विद्यालय रहित 84 बस्तियाँ, कालसी में 77, विकासनगर में 44, सहसपुर में 119 तथा डोईवाला में 36 बस्तियाँ है। हस तरह जनपद में कुल 430 बस्तियाँ ऐसी हैं, जहाँ प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस बस्तियों में मानकानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय, ई0जी0एस0/ ए0एस0/ ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के खोलने की रणनीति बनाई जायेगी।

– सारिणी 2–19 में विकासखण्डवार उच्च प्राथमिक विद्यालय रहित बस्तियाँ दर्शायी गयी हैं। इस जनपद मे विकासखण्ड चकराता की 78 बस्तियाँ, कालसी की 68 बस्तियाँ, विकासनगर की 26 बस्तियाँ, सहसपुर की 30 बस्तियाँ,

रायपुर की 69 बस्तियाँ तथा डोईवाला की 17 बस्तियाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय रहित हैं। इन बस्तियों में मानकानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों के खोलने की रणनीति अपनाई जायेगी।

– सारिणी 2–20 में 6–11 वयवर्ग तथा 11–14 वयवर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा की पहुँच का विस्तार हेतु ई0जी0एस0 एवं ए0एस0 की आवश्यकता दर्शायी गयी है। जनपद में कुल 39 ई0जी0एस0 तथा 51 ए0एस0 केन्द्रों को खोलने की रणनीति जायेगी।

–सारिणी 2–21 में परिवार सर्वेक्षण (वर्ष 2002) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जाने वाले तथा न जाने वाले बच्चों की संख्या दर्शायी गयी है। तथा विभागीय आँकड़ों के अनुसार नगर क्षेत्र में स्कूल जाने वाले तथा न जाने वाले बच्चों की संख्या दर्शायी गयी है। जनपद में 6–11 वय वर्ग के कुल 125099 बच्चे हैं, जिसमें 67766 बालक तथा 57333 बालिकाएँ हैं। इन बच्चों में कुल 119435 बच्चे विद्यालय जाते हैं, जिसमें 64897 बालक तथा 54538 बालिकाएँ सम्मिलित हैं तथा कुल 5664 बच्चे विद्यालय नही जाते है जिसमें 2869 बालक तथा 2795 बालिकाएँ सम्मिलित हैं।

जनपद में 11–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या 88755 हैं, जिसमें 46024 बालक तथा 42731 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। इन बच्चों में विद्यालय जाने वाले 83594 बच्चे हैं। जिसमें 43366 बालक तथा 40228 बालिकाएँ सम्मिलित हैं तथा विद्यालय न जाने वाले कुल 5162 बच्चे है, जिसमें 2659 बालक तथा 2659 बालिकाएँ सम्मिलित है। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिये ई0जी0एस0 ए0एस0 तथा ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को खोलने तथा जनजागरण अभियान हेतु रणनीति अपनाई जायेगी।

– सारिणी 2.22 में 6–11 वयवर्ग की वर्ष वार अनुमानित छात्र संख्या वर्ष 2001–02 से वर्ष 2006–07 तक प्रक्षेपित की गयी है।

– वर्ष 2001–02 में 68975 बच्चे जिसमें 34085 बालक तथा 34890 बालिकाएँ सम्मिलित है। वर्ष 2002–03 में कुल 77541 बच्चे है, जिसमें 40356 बालक तथा 37185 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। वर्ष 2004–05 में कुल बच्चे 80666 है, जिसमें 41982 बालक तथा 38684 बालिकाएँ सम्मिलित है। वर्ष 2005–06 में कुल बच्चे 80086 है, जिसमें 41159 बालक तथा 38927 बालिकाएँ सम्मिलित है। वर्ष 2006–07 में कुल बच्चे 82281 हैं, जिसमें 42822 बालक तथा 39459 बालिकाएँ सम्मिलित हैं। इन बच्चों की संख्या के अनुसार 1:40 के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता हेतु रणनीति अपनाई जायेगी।

– सारिणी 2.23 में 11–14 वय वर्ग की अनुमानित छात्रसंख्या वर्षवार प्रक्षेपित की गयी है। वर्ष 2001–02 में 67408 बच्चे, वर्ष 2002–03 में 81246 बच्चे, वर्ष 03–04 में 82876 बच्चे, वर्ष 2004–05 में 84532 बच्चे वर्ष 2005–06 में

86222 बच्चे तथा वर्ष 2006–07 में 88147 बच्चे अध्ययनरत होगें। इन बच्चों की संख्यानुसार अध्यापकों की व्यवस्था तथा अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था हेतु रणनीति तैयार की जायेगी।

– सारिणी 2.24 में परिवार सर्वेक्षण (वर्ष 2002) के अनुसार जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण दर्शाया गया है। जनपद में कुल 44 न्याय पंचायत हैं, जिसमें 1572 बस्तियाँ है। इन बस्तियों में 0–3 वय वर्ग के कुल 40212 बच्चे हैं, जिसमें 19008 बालक तथा 21204 बालिकाएँ हैं।

– 3–6 वय वर्ग के 18505 बच्चे हैं, जिसमें 9309 बालक तथा 9196 बालिकाएँ हैं। इन बच्चों के लिये ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों को खोलने की रणनीति अपनाई जायेगी।

– 6–11 वय वर्ग के 4044 बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, जिसमें 2134 बालक तथा 1910 बालिकाएँ हैं तथा 11–14 वयवर्ग के 4096 बच्चे विद्यालय नहीं जाते है, जिसमें 2108 बालक तथा 1988 बालिकाएँ सम्मिलित है। इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये ई0जी0एस0, ए0एस0, नवीन प्राथमिक विद्यालय, नवीन उच्च प्राथमिक, ब्रिज कोर्स, समर कैम्प, जनजागरण अभियान तथा शैक्षिक गुणवत्ता विकास हेतु रणनीति तैयार की जायेगी।

– सारिणी 2–25 में परिवार सर्वेक्षण (वर्ष 2002) के अनुसार जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग बच्चों का विवरण दर्शाया गया है। 0–3 वय वर्ग के 26, 3–6 दय वर्ग के 57, 6–11 वय वर्ग के 169, 11–14 वय वर्ग के 124 तथा 14–18 वय वर्ग के 115 बच्चे विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है।

विभागीय स्त्रोत (2001–02) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अध्याय 10 के सारिणी 10–1 में 6–11 वयवर्ग तथा सारिणी 10–2 में 11–14 वय वर्ग के विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुसार विकलांग बच्चों की संख्या दर्शायी गयी है।

– 6–11 वय वर्ग के 17 बालक तथा 21 बालिकाएँ दृष्टिबाधित हैं, 64 बालक तथा 31 बालिकाएँ मूक हैं 26 बालक तथा 24 बालिकाएँ बधिर हैं, 197 बालक तथा 123 बालिकाएँ शारीरिक रूप से विकलांग हैं, 84 बालक तथा 59 बालिकाएँ मानसिक रूप से विकलांग हैं, तथा 17 बालक तथा 09 बालिकाओं में बहुविलांगता है। इस तरह जनपद में 405 बालक तथा 267 बालिकाएँ विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं।

इसी तरह 11–14 वय वर्ग के 12 बालक तथा 10 बालिकाएँ दृष्टिबाधित हैं, 30 बालक तथा 06 बालिकाएँ मूक हैं, 08 बालक तथा 06 बालिकाएँ बधिर हैं, 90 बालक तथा 57 बालिकाएँ शारीरिक रूप से विकलांग हैं, 24 बालक तथा 08 बालिकाएँ मानसिक रूप से विकलांग है तथा 12 बालक तथा 08 बालिकाएँ बहुविलांगता से ग्रसित हैं। जनपद में कुल 176 बालक तथा 95 बालिकाएँ विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं।

परिवार सर्वेक्षण में नगर क्षेत्र की विकलांग बच्चों की गणना नही हो सकी है। अतः द्वीतियक आँकड़ों के आधार पर विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये रणनीति तैयार की जायेगी।

– सारिणी 2.26 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों को दर्शाया गया है।

जनपद में 14 विद्यालय एक कक्षीय हैं, 411 विद्यालय दो कक्षीय है, 165 विद्यालय तीन कक्षीय है, 51 विद्यालय चार कक्षीय है तथा 40 विद्यालय पाँच कक्षीय है। पाँच से अधिक कक्षा–कक्ष वाले 13 विद्यालय है।

– जनपद में 39 विद्यालय भवनहीन है, 98 विद्यालयों का भवन अपूर्व हैं, 98 विद्यालयों का भवन जर्जर है, 216 विद्यालयों में शौचालय है 184 विद्यालयों में पेयजक है तथा 120 विद्यालयों में चाहरदीवारी है।

–सारिणी 2–27 में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों को दर्शाया गया है। जनपद में दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या 03,, तीन कक्षीय 38, चार कक्षीय 46, पाँच कक्षीय 14, पाँच से अधिक 61, भवनहीन 38, अपूर्ण भवन 10, जर्जर भवन 13 पेयजल 130, शौचालय 88 चाहरदीवारी 62 उपलब्ध हैं।

– सारिणी 2–28 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता दर्शायी गयी है। जनपद में 221 पूर्ण विद्यालय भवन, 228 भवनों का वृहद मरम्मत, 392 विद्यालयों में शौचालय 422 विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 476 विद्यालयों में चाहरदीवारी तथा 401 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की उपलब्धता के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्षवार 2001 से 2007 तक रणनीति बनाई जायेगी।

– सारिणी 2–29 में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता दर्शायी गयी है। जनपद में 60 पूर्ण विद्यालय भवन, 63 भवनों का वृहद मरम्मत, 149 विद्यालयों में शौचालय, 75 विद्यालयों में पेयजल, 136 विद्यालयों में चाहरदीवारी तथा 270 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की उपलब्धता के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001 से 2007 तक वर्षवार रणनीति बनाई जायेगी।

विकास क्षेत्र - कालसी

पैमाना - 1 सेमी. = 4 किमी. (लगभग)

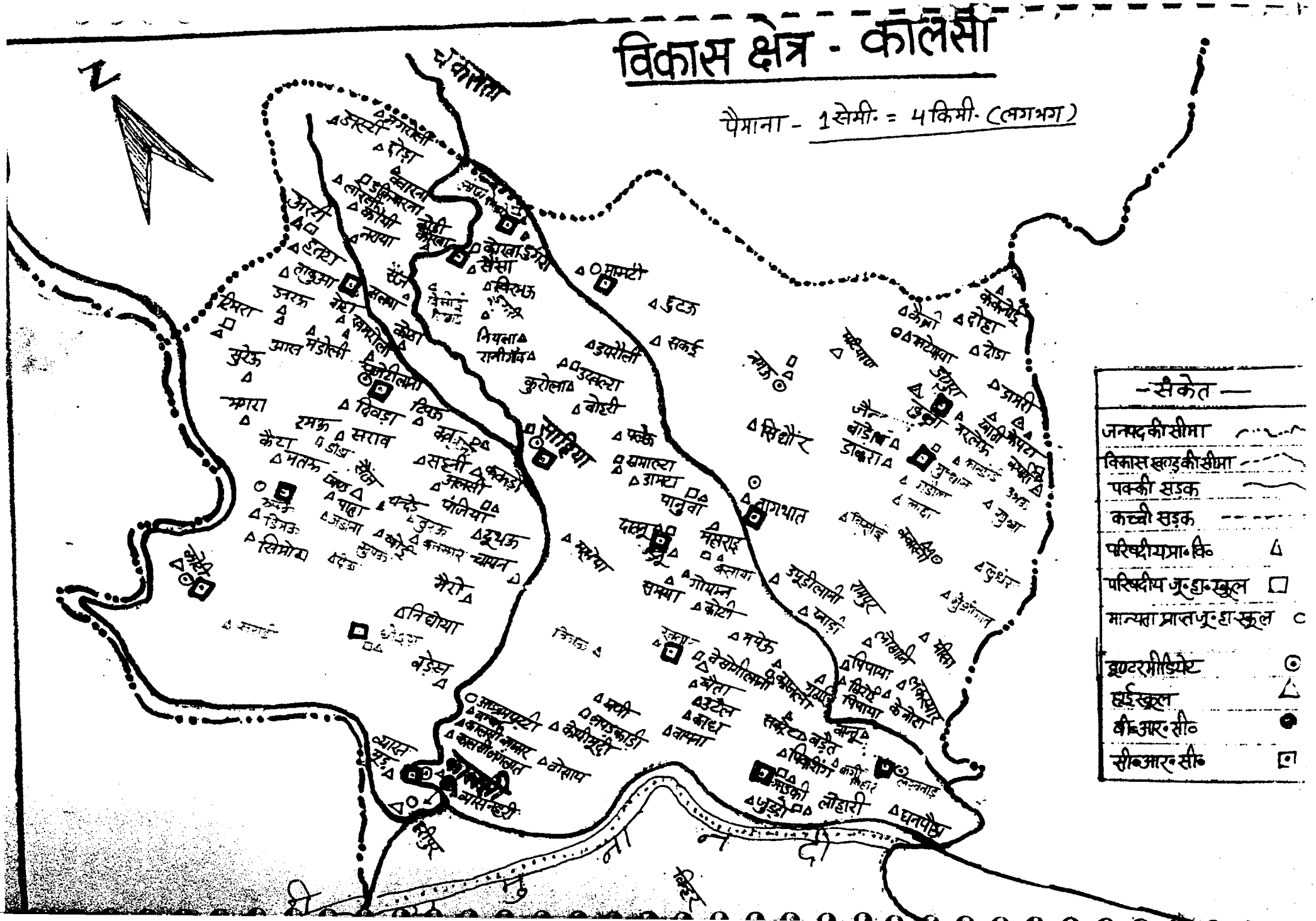

अध्याय– 3

भाग (अ) जनपद में क्रियान्वित कार्यक्रम

भाग (ब) सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवंम् उद्देश्य

उप विषय

3.1	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के लक्ष्य एवं उद्देश्य।
3.2	नामांकन के लक्ष्य।
3..21	सारिणी–प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य–वर्ष (2000–01 से 2009–10)
3.2.2	सारिणी– उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य– वर्ष (2000–01 से 2009–10)
3.3	एन.ई.आर. (6–11 वय वर्ग)
3.4	सारिणी– प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर– वर्ष (2000–01 से 2009–10)
	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर– वर्ष (2000–01 से 2009–10)

अध्याय– 3 भाग (अ)
जनपद में क्रियान्वित कार्यक्रम

जनपद– देहरादून महिला साक्षरता दर की अधिकता के कारण परियोजना से आच्छादित नही रहा है। वर्ष 1991 के अनुसार विकासखण्डवार/नगर क्षेत्रवार साक्षरता दर पर दृष्टिपात करें तो हम पायेंगें कि इस जनपद में विकासखण्ड चकराता में कुल साक्षरता दर 27.88 प्रतिशत हैं, जिसमें महिला साक्षरता दर 12.36 प्रतिशत है तथा विकासखण्ड कालसी में कुल साक्षरता दर 38.06 प्रतिशत हैं, जिसमें महिला साक्षरता दर 20.12 प्रतिशत हैं, वही दूसरी ओर जनपद के नगर क्षेत्र की कुल साक्षरता दर 81.04 प्रतिशत है, जिसमें 73.71 प्रतिशत महिला साक्षरता दर है, फिर भी उक्त दो विकासखण्ड़ों के लिये अलग से किसी प्रकार की परियोजना या कार्यक्रम का क्रियान्वयन नही हो सका है। डायट के अकादमिक नेतृत्व में शिक्षक शिक्षा, शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक विकास कक्षा–प्रबन्धन, सहायक–शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियों तथा तकनीकों में सुधार एवं विकास के लिये सेवापूर्व शिक्षक–प्रशिक्षण, शोध–अध्ययन, क्रियात्मक–शोध, प्रायोगिक अनुसंधान शैक्षिक नवाचार, शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री विकास, स्थानीय संदर्भ साहित्य विकास, शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण कार्यो का सम्पादन किया जाता रहा है।

मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार तथा यूनीसेफ द्वारा पोषित कार्यक्रमों का संचालन, जनपद के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किया गया उसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना :

नई शिक्षा नीति 1986 के आलोक में इस जनपद को अप्रैल 1987 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत आच्छादित किया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 87–88, 88–89 तथा 89–90 में तीन चरणों में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय को शिक्षण सहायक सामग्री, अध्ययन सामग्री तथा खेल सामग्री के रूप में 38 वस्तुओं का किट दिया गयां जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों के मरम्मत का कार्य भी सम्पन्न हुआ। इस जनपद में 120 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जिनमें आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री उपलब्ध नही हो पायी थी। इन विद्यालयों का भौतिक एवं शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बजट का प्रस्ताव किया जायेगा।

रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम :

जनपद में यूनीसेफ से सहायता प्राप्त रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1995–96 से वर्ष 2000–2001 तक संचालित किया गया। यह कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर जनपद के एक विकासखण्ड–रायपुर को पायलट ब्लाक के रूप में चयनित कर आच्छादित किया गया तदुपरान्त जनपद के अन्य विकासखण्डों को आच्छादित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षावार प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। शिक्षकों के उपयोगार्थ कक्षावार प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण आगत के रूप में खेल, अभिनय, नाटक, कहानी, गीत को प्रभावी ढंग से सम्मिलित किया गया। प्रशिक्षण की विधा सिमूलेशन पर आधारित थी। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणर्थियों द्वारा पाठ्यवस्तु पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण व प्रयोग बेहद आकर्षक था।

अध्याय– 3 भाग (ब)

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवंम् उद्देश्य

भारत सरकार द्वारा 6–14 वयवर्ग के बच्चों के लिये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान के संचालन का निर्णय लिया गया हैं। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत् 85:15, दशम पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए है:–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय,शिक्षा गारण्टी केन्द्र,वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, बैक टू स्कूल, शिविर विद्यालय आदि के माध्यम से शत–प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन,ठहराव व सम्प्राप्ति में अंतर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उक्त लक्ष्यों को जनपद के लिए भी मान लिया गया है। उक्त वृहद् लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनपद स्तर पर विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है।

3.1 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के लक्ष्य एंवम् उद्देश्य

- इस जनपद में मलिन बस्तियों,मजरों के **0–6, 6–11, 11–14** वय वर्ग के ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना जो विद्यालयी शिक्षा से बाहर हैं।
- इस जनपद में ड्राप आउट दर **33** प्रतिशत हैं। इसे समाप्त कर शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।
- सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा एवम् गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना।
- जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुदूर क्षेत्रों में समुदाय की आवश्यकता पर तथा मलिन बस्तियों में उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नए प्राथमिक विद्यालयों,ई0जी0एस0 एवम् ए0आई0ई0 की स्थापना।
- मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत,उनमें शौचालय,पेयजल एवम् चाहरदीवारी का निर्माण करवाना।
- **6–14** वय वर्ग की बालिकाओं, अनु0जाति तथा अनु0 जनजाति के बच्चों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण।
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और वांछित वय वर्ग की बालिकाओं का नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना।
- स्त्री–पुरूष साक्षरता अंतर को समाप्त करना।
- विकलांग बच्चों की पहचान कर उनकी विकलांगता के अनुरूप उन्हें शिक्षा प्रदान करना तथा विद्यालयों में विकलांग शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की व्यवस्था करना।
- अनु0जाति तथा अनु0जनजाति के बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- वर्तमान सकल नामांकन अनुपात को **93** प्रतिशत से बढ़ाकर **120** प्रतिशत तक पहुँचाना।
- उच्च प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को **97.02** प्रतिशत से बढ़ाकर **120** प्रतिशत तक पहुँचाना।

3.2 नामांकन के लक्ष्य

सारिणी 3.2.1 प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य–वर्ष 2001से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की बालसंख्या व नामांकन

क0स0	वर्ष	6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6–11 वय वर्ग के नामांकित बच्चों की संख्या			जी0ई0आर 0
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2000–2001	64842	54859	119701	58606	49125	107731	90
2	2001–2002	66788	56482	122370	62101	51091	113192	92.5
3	2002–2003	67766	57333	125099	64897	54538	119435	95.47
4	2003–2004	69277	58612	127889	67344	57987	125331	98
5	2004–2005	70822	59919	130741	69823	60918	130741	100
6	2005–2006	72401	61255	133656	75335	65004	140331	105
7	2006–2007	74015	62621	136636	80881	69419	150300	110

स्त्रोत–विभागीय

❖ नामांकन प्रक्षेपण के लिये अपनायी गयी विधा; नामांकन के प्रोजेक्सन हेतु वर्तमान जी0 ई0 आर0 को आधार मानते हुये नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित " **इनरोलमेंट रेशियों मेथड** " से 2002 से 2010 तक का की0 ई0 आर0 प्रक्षेपित किया गया हैं। जनगणना–2001 से प्रदेश की जनपद वार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना–1991 की जनसंख्या के आँकड़ो को आधार मानते हुये विगत दस वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुयी वृद्धि के आधार पर कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथड से जनपद की वार्षिक वृद्धिदर ज्ञात की गई। जनपद की 6–14 वय वर्ग के बच्चों की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर लगभग **2.23** प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धिदर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल 6–14 वय वर्ग के बच्चों की जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी हैं। जनगणना –2001 की आयु–वर्गवार जनसंख्या के आँकड़े अभी तक उपलब्ध नही हैं। अतः जनगणना –1991 की आयुवर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत् को मानते हुये वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6–11 वयवर्ग के एवम् 11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिये 2000–2001 को आधार वर्ष मानते हुए प्रतिवर्ष **2.23** प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रक्षेपित किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयु की जनसंख्या,

ग्रामीण/नगरीय अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित विशिष्ट अकँड़े उपलब्ध होने पर इन आँकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता हैं।

सारिणी 3.2.2 उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य (वर्ष 2001से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की बालसंख्या व नामांकन

क0स0	वर्ष	11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11–14 वय वर्ग के नामांकित बच्चों की संख्या			जी0ई0आर0
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2000–2001	44038	40887	84925	40121	36312	76433	90
2	2001–2002	45020	41799	86819	41567	38306	79873	92
3	2002–2003	46024	42731	88755	43366	40228	83594	94.18
4	2003–2004	47050	43684	90734	45879	42133	88012	97
5	2004–2005	48099	44658	92757	48099	44658	92757	100
6	2005–2006	49172	45654	94826	51211	48356	99567	105
7	2006–2007	50268	46672	96940	54376	52258	106634	110

स्त्रोत– विभागीय

प्राथमिक स्तर पर 6–11 वयवर्ग के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्चप्राथमिक स्तर पर 11–14 वयवर्ग के लिये वर्ष 2007 तक शत्–प्रतिशत् नामांकन का लक्ष्य रखा गया हैं। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होगें अतः जी0 ई0 आर0 का लक्ष्य **100** से अधिक रखा गया हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय हैं कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्चप्राथमिक स्तर पर 2007 के बाद जी0 ई0 आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6–11 एवं 11–14 वय वर्ग में बढ़ेगें उतनी ही लगभग नामांकन में वृद्धि होगी। जैसा सारिणी 3.2.1 तथा सारिणी 3.2.2 में वर्णित है।

3.4 ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा उच्चप्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010 तक शत् प्रतिशत् ठहराव का लक्ष्य रखा गया हैं। सारिणी 3.31 में प्राथमिक स्तर पर वर्षवार ड्राप आउट दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

सारिणी 3.4.1

प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्राथमिक स्तर पर
	ड्राप आउट दर	ड्राप आउट दर
2000–2001	33	31
2001–2002	29	28
2002–2003	25	25
2003–2004	20	22
2004–2005	15	19
2005–2006	10	15
2006–2007	5	12
2007–2008	0	9
2008–2009	0	5
2009–2010	0	0

स्त्रोत–विभागीय

जनपद में ठहराव के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक स्तर पर सारिणी **3. 3.1** में वर्णित ड्राप आउट दर वर्षवार **2000–01** से **2009–2010** तक निर्धारित किया गया है। जनपद के दो विकासखण्डों (डोईवाला, सहसपुर) का सैम्पल स्टडी के आधार पर जनपद के लिये वर्ष **2000–01** का ड्राप आउट दर माना गया है। प्राथमिक स्तर पर **33** प्रतिशत एवम् उच्च प्राथमिक स्तर पर **31** प्रतिशत ड्राप आउट दर दर्शाया गया है। परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में प्रत्येक तीन वर्ष में प्राथमिक एवंम् उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट ज्ञात करने के लिये अलग–अलग " **कोहोर्ट विश्लेषण** " किया जायेगा।

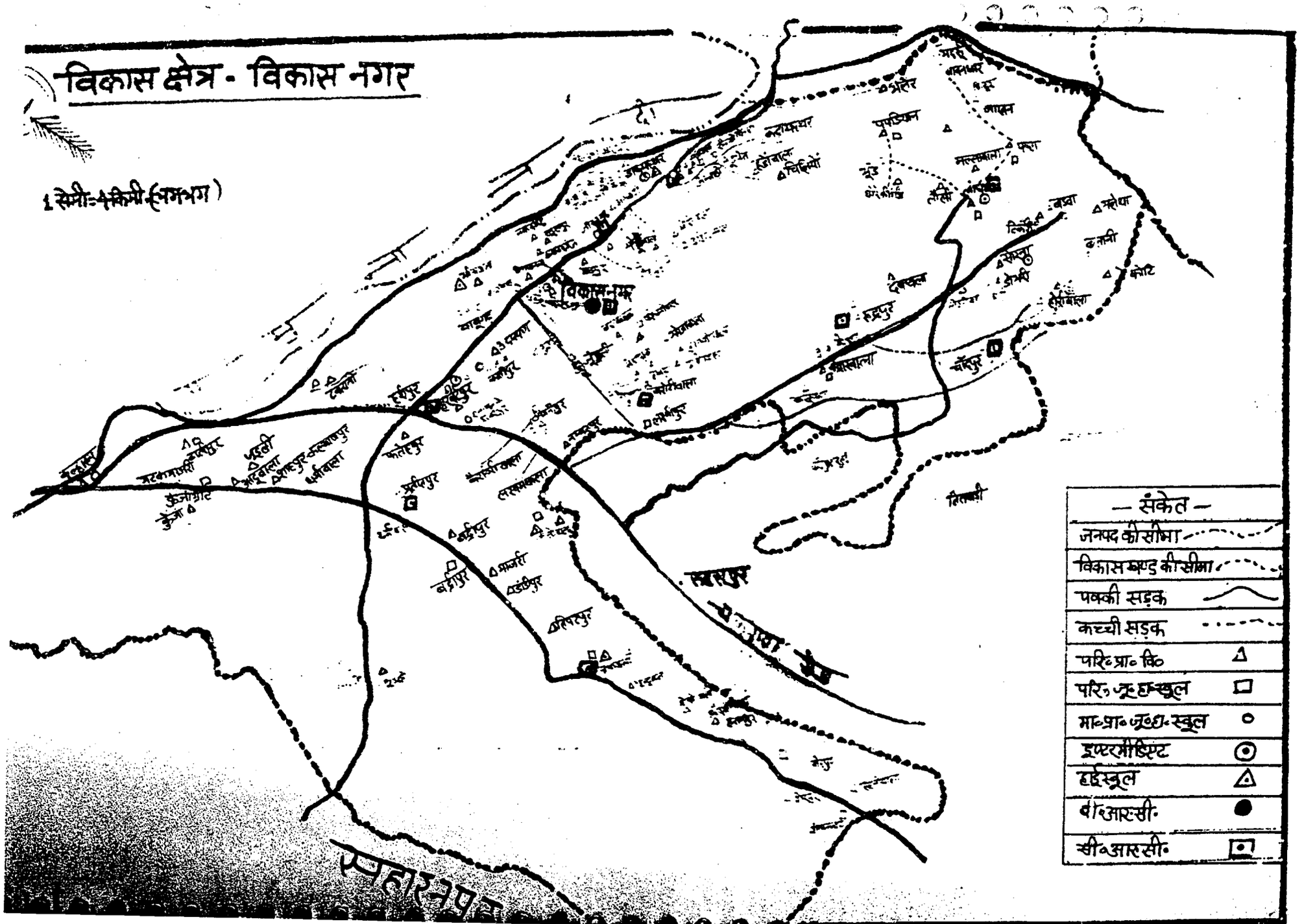

विकास क्षेत्र - विकास नगर
1 सेमी = 4 किमी (लगभग)
विकास नगर
सहारनपुर
— संकेत —
जनपद की सीमा
विकास खण्ड की सीमा
पक्की सड़क
कच्ची सड़क
परि॰ प्रा॰ वि॰
परि॰ जू॰ हा॰ स्कूल
मा॰ प्रा॰ जू॰ हा॰ स्कूल
इण्टरमीडिएट
हाईस्कूल
पी॰ आर॰ सी॰
सी॰ आर॰ सी॰

अध्याय– 4

नियोजन प्रकिया

उपविषय

4.1	स्कूल चलो अभियान।
4.1.1	स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण वर्ष 2000–01
4.2	माइक्रोप्लानिंग।
4.3	परिवार सर्वेक्षण
4.4	योजना पूर्व गतिविधियाँ (कमांक 1 से 15 तक)

अध्याय–4

नियोजन प्रक्रिया

यह सर्वविदत और सर्वमान्य तथ्य है कि, किसी भी कार्य के प्रभावी ढंग से सम्पादन के लिए पूर्व नियोजन आवश्यक है। नियोजन का वर्तमान स्वरूप जनसहभागिता पर आधारित नहीं रहा हैं , जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में बनने वाली योजनाऐं लक्ष्य समूह की आवश्कताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है और ना ही योजना कियान्वयन में गुणवत्ता आ पा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात् सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित योजना निर्माण की प्रक्रिया स्वीकार की गई है । ऐसी शैक्षिक योजना जो समुदाय की अपेक्षा की पूर्ति का साधन बन सके, इस अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों के लिए स्कूल व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अनु0जाति, अनु0जनजाति के बच्चों की शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा, ग्राम शिक्षा समिति एवम् सामुदायिक सक्रियता, आदि प्रनुख रूप से उभरे हुये मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिये, ग्राम, बस्ती, मजरे पर आधारित आवश्कताओं को विकास खण्ड स्तर पर संकलित कर, योजना का निर्माण किया गया है।

4.1 स्कूल चलो अभियान (वर्ष 2000–2001)

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6–14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपदमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लाक स्तर, ग्राम स्तर के समस्त शिक्षाधिकारी, शिक्षक, निरीक्षक, जनप्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया। वर्ष 2000–2001 में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण सारिणी 4.1.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.1.1

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत चिन्हित एवम् नामांकित बच्चों का विवरण वर्ष 2000–2001

क0स0	विकासखण्ड/नगर क्षेत्र	विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (6–14 वय वर्ग)			बीच में विद्यालय छोडने वाले बच्चों की संख्या		
		चिन्हित बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	शेष	चिन्हित बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	शेष
1	चकराता	2007	1970	37	179	173	6
2	कालसी	7454	7446	8	43	35	8
3	विकासनगर	4544	4050	494	387	246	141
4	सहसपुर	1615	1516	99	128	0	128
5	रायपुर	1209	1089	120	85	69	16
6	डोईवाला	1544	1510	34	14	14	0
7	नगर क्षेत्र देहरादून	451	279	172	177	98	79
8	नगर क्षेत्र मसूरी	1073	697	376	395	233	162
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	549	396	153	70	46	24
	कुल योग	20446	18953	1493	1478	914	564

(4.2) माइक्रोप्लानिंग

जनपद देहरादून में ग्राम तथा परिवार को इकाई मानकर माइक्रोप्लानिंग किया गया। वर्ष **2000 – 2001** की जनसंख्या एवं विभागीय आँकडों का संकलन किया गया है। विकास खण्ड एवम् नगर क्षेत्र स्तर पर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों कों शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ई0जी0एस0 अथवा ए0आई0ई0 खोलने के लिये प्रस्ताव तैयार किये गय है। नये प्राथमिक विधालयों, उच्च प्राथमिक विधालयों के खोलने एवम् वर्तमान समय में विधालय भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार, पेयजल , शौचालय ,चाहरदीवारी पुस्तकालय प्रयोगशाला आदि सुविधाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा की गई। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिये डी0पी0ओ0 एवम् डायट जिला स्तर पर, बी0आर0सी0 ब्लाक स्तर पर,सी0आर0सी0 स्थानीय स्तर एवं नगर क्षेत्र में संकुल केन्द्र स्थापित करने तथा उन्हे संसाधनों से युक्त करने के सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार किये गये। राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 एवम् सीमेट के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम,पाठ्य, पुस्तक संदर्भ पुस्तक एवम् ग्राम शिक्षा समिति की शैक्षिक आवश्कताओं पर आधारित प्रस्ताव तैयार किये गये है।

उपरोक्त क्रिया कलापों के सम्पादन से इस जनपद के ग्राम, बस्ती मजरे स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार हुआ तथा समुदाय की भागीदारी सशक्त हुयी । ग्राम्य स्तर पर जन – समुदाय द्वारा बेहिचक अपनी आवश्कताओं की पूर्ति के लिये नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी की गयी। शिक्षा की योजना निर्माण प्रक्रिया में ग्राम प्रधानों पंचायत सदस्यों जनप्रतिनिधियों शिक्षकों एवम् शिक्षा विदों को एक साथ सम्मिलित किया जा रहा है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना निर्माण किया जा रहा है।

4.3 जनपद में परिवार सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के आँकड़ों के आधार पर दीर्घकालीन योजना का निर्माण परिवार सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 0–3, 3–6, 6–11 तथा 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चे, स्कूल जाने वाले तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या सम्मिलित हैं, परन्तु नगरक्षेत्र देहरादून, मसूरी तथा ऋषिकेश में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है अतः नगरक्षेत्र की रणनीतियाँ विभागीय आँकड़ों के आधार पर तैयार की गयी हैं।

4.4 योजना पूर्व गतिविधियाँ

-- विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों तथा फोकसग्रुप चर्चा एवम् विचार विमर्श के मुद्दें :–

क्रम0 सं0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या व विवरण	विचार–विमर्श के मुद्दे एवंम् सम्पादित कार्य
1.	20 मई से 31 मई 2000	समस्त जनपद	–	बालगणना

2.	1 जुलाई से 3जुलाई 2001 तक	समस्त जनपद	–	– स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत सर्वेक्षण, प्रभात फेरियाँ।
3.	दिनांक 5, 6, 7 जुलाई 2001	रूलेक, देहरादून	डायट के प्राचार्य, चार प्रवक्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून	1– सर्व शिक्षा अभियान क्या हैं ? 2.– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना निर्माण प्रकिया। 3– पहुँच, नामांकन, ठहराव, संस्थागत क्षमता सम्वर्द्धन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा।
4.	दिनांक 16 अगस्त 2001	सर्वशिक्षा अभियान जिला प्रकोष्ठ देहरादून	बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्राचार्य डायट,उप बेसिकशिक्षाअधिकारी,समस्त स0बे0शि0अ0,प्रवक्ता डायट	1 सर्वेक्षण प्रपत्र निर्माण। 1 जिला कोर टीम का गठन। 2 आँकडों एंव सूचनाओं के संकलन के लिए रणनीति तैयार की गई।
5	दिनाँक 30 अगस्त 2001	सर्व शिक्षा अभियान प्रकोष्ठ देहरादून	जिला कोर टीम के सदस्य	विकासखण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला के आयोजन हेतु विचार विमर्श किया गया तथा तिथियाँ सुनिश्चित कर स0बे0शि0अ0 को उत्तरदायित्व सौंपा गया।

6	दिनाँक 3 सितम्बर 2001	सर्व शिक्षा अभियान प्रकोष्ठ देहरादून	जिला कोर टीम के सदस्य	; योजना निर्माण की प्रकिया। 2 आँकड़ों का विश्लेषण। 3 फोकस ग्रुप की पहचान। 4 समस्याओं की पहचान। 5 समस्याओं के समाधान की रणनीति तैयार करना।
7	14 सितम्बर 2001	उच्च प्राथमिक विद्यालय फर्गर,नगर क्षेत्र	1 मलिन बस्ती के सामाजिक कार्यकर्ता। 2 अध्यक्ष प्रा0शि0 संध उत्तरांचल। 3 प्रा0 एंव उ0प्रा0विद्यालय के शिक्षक। 4 स्वंय सेवी संस्था के पदाधिकारी व सदस्य। 5 शिक्षा अधिकारी। 6 वरिष्ठ प्रवक्ता डायंट। 7 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 फोकस ग्रुप चर्चा में मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय तक न पहुँचने की समस्या पर चर्चा हुई। 3 गुणवत्ता विकास पर चर्चा की गई।

			प्रकोष्ठ के सदस्य।	
8	17 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय रायपुर,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 विकासखण्ड अधिकारी। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 ग्राम व बस्ती स्तर की समस्याओं पर चर्चा की गई। 3 स्कूल से बाहर बच्चों के लिए ई0जी0एस0,ए0आई0ई0 केन्द्रों के बारे में चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समितियों के बारे में चर्चा की गई।
9	18 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय डोईवाला,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 नवीन विद्यालय,भवन निर्माण,मरम्मत तथा अन्य भौतिक सुविधाओं पर चर्चा की गई।
10	20 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय	1 ब्लाक प्रमुख।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई।

		चकराता,देहरादून	2 ज्येष्ठ प्रमुख। 3 निदेशक एंव अध्यक्ष समता। 4 समता के कार्यकर्ता। 5 प्रा0 व उ0प्रा0वि0 के शिक्षक। 6 ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य। 7 स0बे0शि0अधिकारी 8 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ट के सदस्य।	2 इस क्षेत्र में दूर–दूर तक फैले हुए मजरों के बारे में चर्चा हुई। 3 शिक्षकों के ठहराव न होने के कारणों पर चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समिति की निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा की गई।
11	दिनांक 21 सितम्बर 2001	विकासखण्ड कार्यालय देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ज्येष्ठ प्रमुख। 3 निदेशक एंव अध्यक्ष समता। 4 समता के कार्यकर्ता। 5 प्रा0 व उ0प्रा0वि0 के शिक्षक।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 इस क्षेत्र में दूर–दूर तक फैले हुए मजरों के बारे में चर्चा हुई। 3 शिक्षकों के ठहराव न होने के कारणों पर चर्चा की गई। 4 ग्राम शिक्षा समिति की निष्क्रियता

			शिक्षक। 6 ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य। 7 स0बे0शि0अधिकारी। 9 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य। 10 बहुधंधी कर्मचारी।	के कारणों पर चर्चा की गई। 6 शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा की गई। 7 नए विद्यालयों के निर्माण एंव अन्य भौतिक आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। 8 जनजाति बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
12	दिनांक 22 सितम्बर 2001	राज्य प्रकोष्ठ,इेहरादून	1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 2 जिला कोर ग्रुप के सदस्य	1 एक वर्षीय कार्ययोजना के सम्बन्ध में चर्चा की गई। 2 आँकडों एवम् सूचनाओं को संकलित तथा विश्लेषण करने की रणनीति पर चर्चा की गई।
13	दिनांक 24 सितम्बर 2001	विकासखण्ड विकासनगर, देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 नवीन विद्यालय,भवन निर्माण,मरम्मत तथा अन्य भौतिक सुविधाओं पर चर्चा की गई। 3 फोकस ग्रुप चर्चा में नामांकन,ठहराव एंव गुणवत्ता विकास की समस्याओं पर बल दिया

			राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	गया।
14	दिनांक 26 सितम्बर 2001	विकासखण्ड सहसपुर,देहरादून	1 ब्लाक प्रमुख। 2 ब्लाक उपप्रमुख। 3 ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्य। 4 प्रा0 तथा उ0प्रा0 वि0 के शिक्षक। 5 सर्व शिक्षा अभियान राज्य एंव जिला प्रकोष्ठ के सदस्य।	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन,ठहराव एवम् गुणवत्ता विकास में अवरोधों पर चर्चा हुई।

15	18 अक्टूबर 2001	जनपद देहरादून	1 एन0एस0डार्ट के निदेशक तथा विशेषज्ञ। 2 शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल। 3 मुख्य विकास अधिकारी। 4 जिला विकास अधिकारीं। 5 समस्त बी0डी0ओ0। 6 क्षेत्रीय विधायक। 7 समस्त ब्लाक प्रमुख,प्रधान,पंचायत सदस्य,पालिका अध्यक्ष	1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्यों पर चर्चा की गई। 2 जिले का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु एन0एस0डार्ट के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा चिन्हित समस्याओं :– जैसे भौतिक संसाधनों की कमी,शिक्षकों की कमी,गुणवत्ता आदि का विश्लेषण किया गया।

16.	मई 2002 से अद्यावधि	जनपद के सभी विकासखण्ड तथा नगर क्षेत्र	1. जनपद के परि0 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक। 2. ई0एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ, जिला परियोजना कार्यालय।	1. परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों पर कार्यशाला का आयोजन 2. सर्वेक्षण प्रपत्रों की परिपूर्ति। 3. प्रपत्रों का विश्लेषण।
17.	3, 4 तथा 5 अक्टूबर 2002	1. डायट के दो प्रवक्ता 2. एक प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	2. राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तरांचल।	1.दीर्घ कालीन योजना निर्माण की रूप रेखा। 2. आँकड़ों का विशलेषण। 3. गुणवत्ता विकास। 4. क्रियाकलाप एवं बजट।

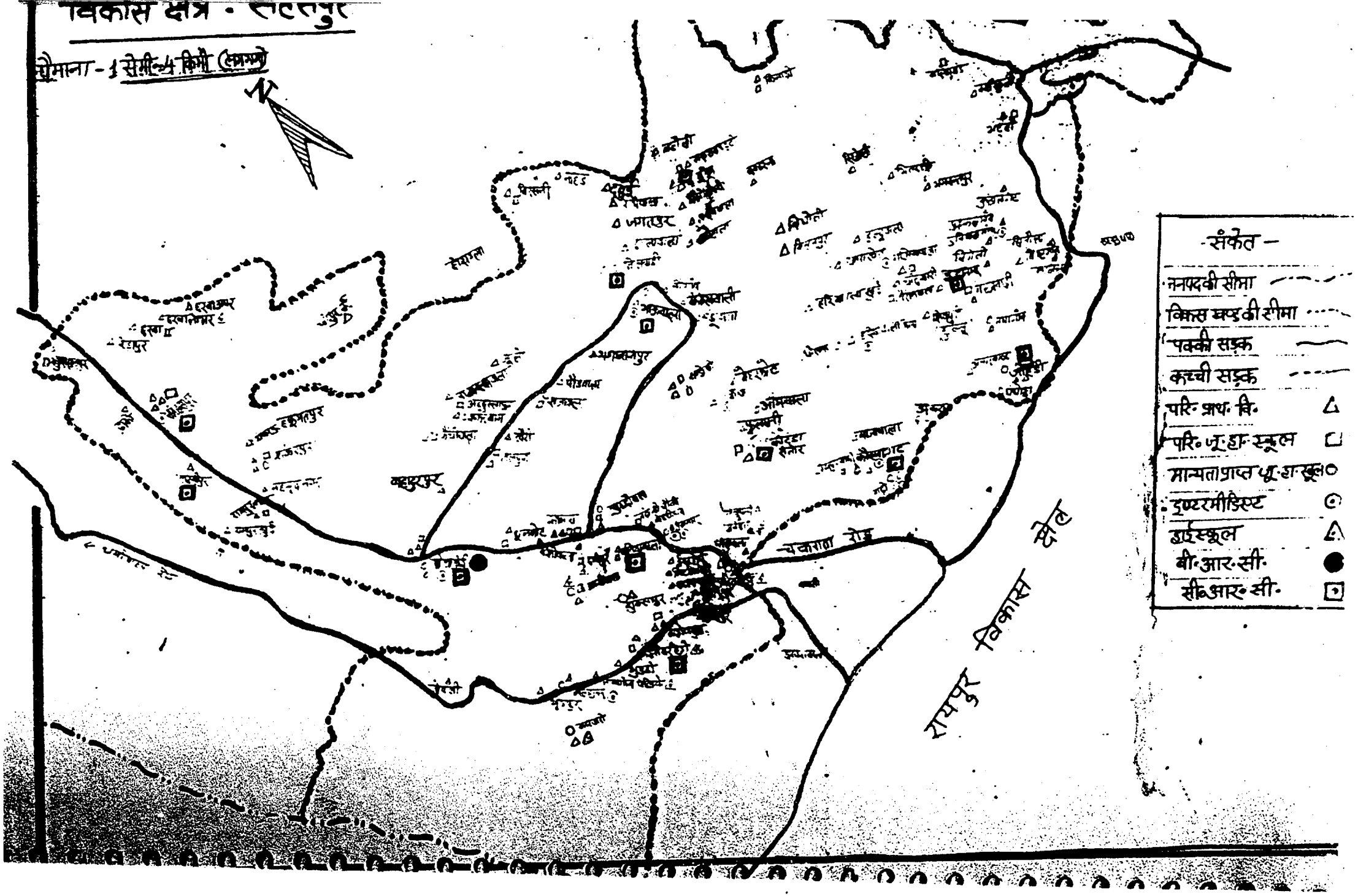

विकास क्षेत्र - सहसपुर
पैमाना - 1 सेमी॰ = 4 किमी॰ (लगभग)
N
संकेत -
जनपद की सीमा
विकास खण्ड की सीमा
पक्की सड़क
कच्ची सड़क
परि॰ प्राथ॰ वि॰
परि॰ जू॰ हा॰ स्कूल
मान्यताप्राप्त जू॰ हा॰ स्कूल
इण्टरमीडिएट
हाईस्कूल
बी॰ आर॰ सी॰
सी॰ आर॰ सी॰
चकराता रोड
रायपुर विकास क्षेत्र

अध्याय–5

समस्याएँ एंव रणनीतियाँ

उपविषय

अ :	शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी
ब :	नामांकन सम्बन्धी
स :	ठहराव सम्बन्धी
द :	गुणवत्ता सम्बन्धी
य :	संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी

अध्याय–5

समस्यायें एवं रणनीतियाँ

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रकिया अपनायी गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का शत्–प्रतिशत् नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जाना हैं। ठहराव के साथ–साथ शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाए जाने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु जनपद के विकासखण्डों एवं नगरक्षेत्रों में ग्राम्य, बस्ती, मजरे स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशालाओं, गोष्ठियों तथा फोकस ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षकों, शिक्षाविदों समुदाय के विभिन्न वर्गो, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि ने प्रतिभाग किया। फोकसग्रुप डिस्कशन एवं गोष्ठियों में सम्पन्न चर्चा से उभरे मुद्दों के समाधान के लिये इस अभियान के अन्तर्गत जो रणनीतियाँ अपनाई जायेगी उनका वर्णन निम्नवत हैं–

	समस्यायें	रणनीतियाँ
(अ)	**शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी**	
	1– सामाजिक एवम् आर्थिक पिछड़ापन	जनपद में मलिन बस्तियों एवम् जनजाति क्षेत्र की महिलाओं में समाजिक चेतना जागृत करने तथा बच्चों एंव उनके माता पिता,अभिभावकों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन हेतु महिला मँगल दल, महिला सशक्तिकरण,कला जत्था,जनसम्पर्क आदि का क्रियान्वयन कर ग्राम शिक्षा समितियों एवम् जागरूक नागरिकों के सहयोग से लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

2–जनपद में असेवित बस्तियों मे विद्यालय का अभाव।	जनपद में ऐसी असेवित बस्तियाँ जहाँ की आबादी **200** या इससे अधिक है तथा 1 कि0मी0 की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं,वहाँ पर विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा।ऐसे ग्राम व बस्ती जहाँ पर 6–11 वय वर्ग के **20** बच्चे उपलब्ध हैं, वहाँ पर ई0जी0एस0 खोले जाएगें तथा ड्राप आउट होने वाले बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्र खोले जाएगें।
3–शिक्षा की उपादेयता का संदिग्ध होना।	जनपद की मलिन बस्तियों तथा जनजाति क्षेत्रों की बरितयों के लोगों के लिए व्यवसाय या धन कमाना,शिक्षा से अपेक्षाकृत प्रमुख है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपादेयता पर लगे प्रश्नचिन्ह के समाधान के लिए उ0प्रा0 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा,जिससे बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास हो सके तथा उनका आर्थिक पिछडापन भी दूर होसके। विशेषकर बालिकाओं के लिए कढाई,बुनाई, सिलाई, चटाई निर्माण, झाड़ू निर्माण, टोकरी निर्माण, मोमबत्ति बनाना, जूस, चटनी ,अचार, जैली बनाना आदि सिखाने का प्राविधान किया जाएगा।

4–जनपद में निजी(पब्लिक,मोन्टेसरी) विद्यालयों के प्रति आर्कषण।	इस जनपद में अभिभावक अपने बच्चों को अधिक शुल्क अदा करके अंग्रेजी स्कूलों में पढाना अपने सामाजिक स्तर का प्रतीक मानते हैं। जनपद के सभी परिषदीय तथा मान्यताप्राप्त विद्यालयों की भौतिक आवश्यकताओं जैसे कक्षा–कक्ष,शौचाजय,पेयजल,चाहरदीवारी, साज–सज्जा आदि की उपलब्धता करायी जाएगी। नगर क्षेत्र देहरादून में 10 प्रा0वि0 को एवम् दो उ0प्रा0वि0 को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा तथा अध्यापक/ अभिभावक संघ की सहभागिता से मेज–कुर्सी, कम्प्यूटर आदि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएगी तथा कक्षा 1 से अंग्रेजी का शिक्षण कराया जाएगा। अध्यापक–अभिभावक संघ के प्रस्तावनानुसार अतिरिक्त शुल्क का प्राविधान किया जाएगा।

ब:– नामांकन सम्बन्धी समस्या

1–अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरूचि।	बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की रूचि जागृत करने के लिए माह जुलाई में प्रथम 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान, जनसम्पर्क, अभिभावक

	गोष्टी, नुक्कड़नाटक आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
2–भौगोलिक कठिनाई जेसे नदी, नाले एवम् आदि के कारण शिक्षा में अवरोध।	जनपद के चकराता, कालसी एवम् जंगल रायपुर विकास खण्ड के पर्वतीय भाग के ऐसे बस्तियों /मजरों में जहाँ भौगोलिक अवरोध के कारण विद्यालय में नामांकित नहीं हो पाते हैं वहाँ मानक के अनुसार ई.जी.एस. व ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायेगें तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ें जायेगें।
3. अध्यापकों का समुदाय से अलगाव।	अध्यापक एंव समुदाय में पारस्परिक सद्भावना जागृत करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति को सकिय बनाया जाएगा। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा लक्ष्य क्षेत्र में अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। महिला अध्यापिका द्वारा ग्राम या बस्ती की महिलाओं से संपर्क किया जाएगा तथा उन्हें शिक्षा के गुणों के बारे में बताया जाएगा।
4. अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति रूचि में कमी	बालक को शिक्षित करना एक व्यक्ति को शिक्षित करना है तथा बालिका को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है इस संदेश के द्वारा जनपद में सेमिनार,गोष्ठी एवं फोकस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।

5. विकलांग एंव विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था उपयुक्त न होना।	विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विभिन्न प्रकार प्रशिक्षण में संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाएगा तथा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0आई0 को बच्चों के उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा।
6 विद्यालय के कियाकलापों के प्रति बच्चों की अरूचि।	कक्षा शिक्षण को रूचिपूर्ण बनाने के लिए आकर्षक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण रिया जाएगा तथा शिक्षकों को रूचिपूर्ण शिक्षण विधाओं का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

(स) ठहराव

1–विद्यालयों के छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी।	जनपद के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी तथा छात्र संख्या के सापेक्ष 40 बच्चों पर 01 अध्यापक के मानक के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद के दो विकासखण्डों चकराता तथा कालसी में शिक्षकों का ठहराव नहीं होता है अतः चकराता एवम् कालसी विकास खण्ड में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

2–विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना।	जनपद के प्रा0वि0 एवम् उ0प्रा0वि0 के विद्यालय भवन के अग्रभाग पर तथा कक्षा–कक्ष की दीवारों पर नैतिक वचन एवम् सूक्तियों को लिखवाया जायेगा । कक्षा कक्ष का आन्तरिक सौन्दर्यीकरण किया जायेगा जो सहायक शिक्षण सामग्री से सम्बन्धित होगा । विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण एवम् पुष्प वाटिका की व्यवस्था की जायेगी जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा।
3. अभिभावकों द्वारा बच्चों की अन्य सुविधाओं को अधिक महत्व देना।	शिक्षा के अलावा शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए अभिभावकों की गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा तथा शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी।
4. अध्यापकों द्वारा अपने विभाग के साथ–साथ अन्य शासकीय / विभागीय कार्यो का निष्पादन करना।	अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य कराए जाए पठन–पाठन के प्रति पूर्ण उत्तदायी बनाया जायेगा।
5. विद्यालयों में फर्नीचर उपकरण एवम् पेयजल,शौचालय एवम् विद्युतीकरण,चाहरदीवारी का अभाव ।	विद्यालयों में शिक्षकों के सापेक्ष कुर्सी मेज की व्यवस्था बच्चों को बैठने के

	लिये टाट–पट्टी तथा शिक्षण कार्यो में सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे विद्यालय जो विद्युतीकृत ग्रामों मे स्थिति हैं, वहाँ विद्युतीकरण की व्यवस्था की जायेगी तथा चाहरदीवारी, पेयजल एवम् शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति की सहायता ली जाएगी।

द. गुणवत्ता सम्बन्धी

1. ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी एंव सदस्यों को अपने दायित्वों की जानकारी न होना।	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा ग्राम प्रधान पंचायत के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण मे भवननिर्माण, रखरखाव, नामांकन एंव ठहराव सम्बन्धी कार्यो में गुणवत्ता प्रदान करने की जानकारी दी जाएगी।
2. विद्यालयों में बच्चों की अनियमित उपस्थिति	विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए अभिभावकों एवम् बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। ऐसे बालकों या बालिकाओं को अपने छोटे भाई या बहिनों की देखभाल

	के लिए धर पर ही रह जाते हैं उनके लिए ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
3. अध्यापकों की शिक्षण कार्य में अरूचि।	अध्यापकों की शिक्षण कार्य में रूचि उत्पन्न हो इसके लिए अध्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाएगा। शिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले शिक्षकों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा तथा शिक्षण कार्य में रूचि न रखने वाले एवं खराब परीक्षाफल देने वाले शिक्षकों के लिए दण्ड का प्राविधान किया जाएगा।
4. अध्यापक की व्यवहार कुशलता एंव व्यक्तित्व में ह्रास।	अध्यापक का व्यवहार मधुर हो,बच्चों के दैनिक जीवन के प्रति संवेदनशील हो तथा उनके मस्तिष्क में अध्यापक की छवि सकारात्मक आत्मीय एवम् प्रभावी हो इसके लिए अभिप्रेरण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
5. विद्यालय,शिक्षक एंव विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का न होना।	प्राथमिक स्तर पर बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी। उ0प्रा0 स्तर पर संस्थागत नियोजन

	एवम् विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
6. उपयुक्त निरीक्षण का अभाव	जनपद के निरीक्षक वर्ग के लिए नियोजन एवम् प्रबन्धन तथा एम0आई0एस0 से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
7. बच्चों एवं शिक्षकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का ह्रास।	जनपद, विकासखंड एवं संकुल स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी तथा विद्यालयों में लर्निंग कॉर्नर बनाये जायेगें। इस तरह बच्चें एवं शिक्षक अपनी रूचि के अनुसार पुस्तक प्राप्त करके स्वाध्याय कर सकेगें।
8. विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव।	विद्यालय अनुदान तथा शिक्षक अनुदान के उपयोग से कक्षावार तथा विषय वस्तु पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करवाय जाएगा।

संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी

1. विशिष्ट एंव अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षण की व्यवस्था	अध्यापकों को विशिष्ट बच्चों की पहचान तथा उनकी शौक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा मलिन बस्तियों, पिछड़े

	वर्ग, अनु0जाति0 जनजाति तथा बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
2. विद्यालयों में कीडांगन की व्यवस्था।	जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश विद्यालयों में कीडांगन नहीं है। इन विद्यालयों में कीडांगन का विकास किया जाएगा।
2. बच्चों की अधिक संख्या के सापेक्ष अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की व्यवस्था	विद्यालयों में बच्चों के सापेक्ष अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जाएगा।
4. जनपद में संसाधन केन्द्रों का अभाव	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में 6 बी0आर0सी0, 01 एन0आर0सी0 तथा 88 सी0आर0सी0 की स्थापना/निर्माण किया जाएगा।

उपरोक्त समस्याओं के अलावा जनपद में भविष्य में आने वाली समस्याओं की पहचान की जाएगी तथा उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

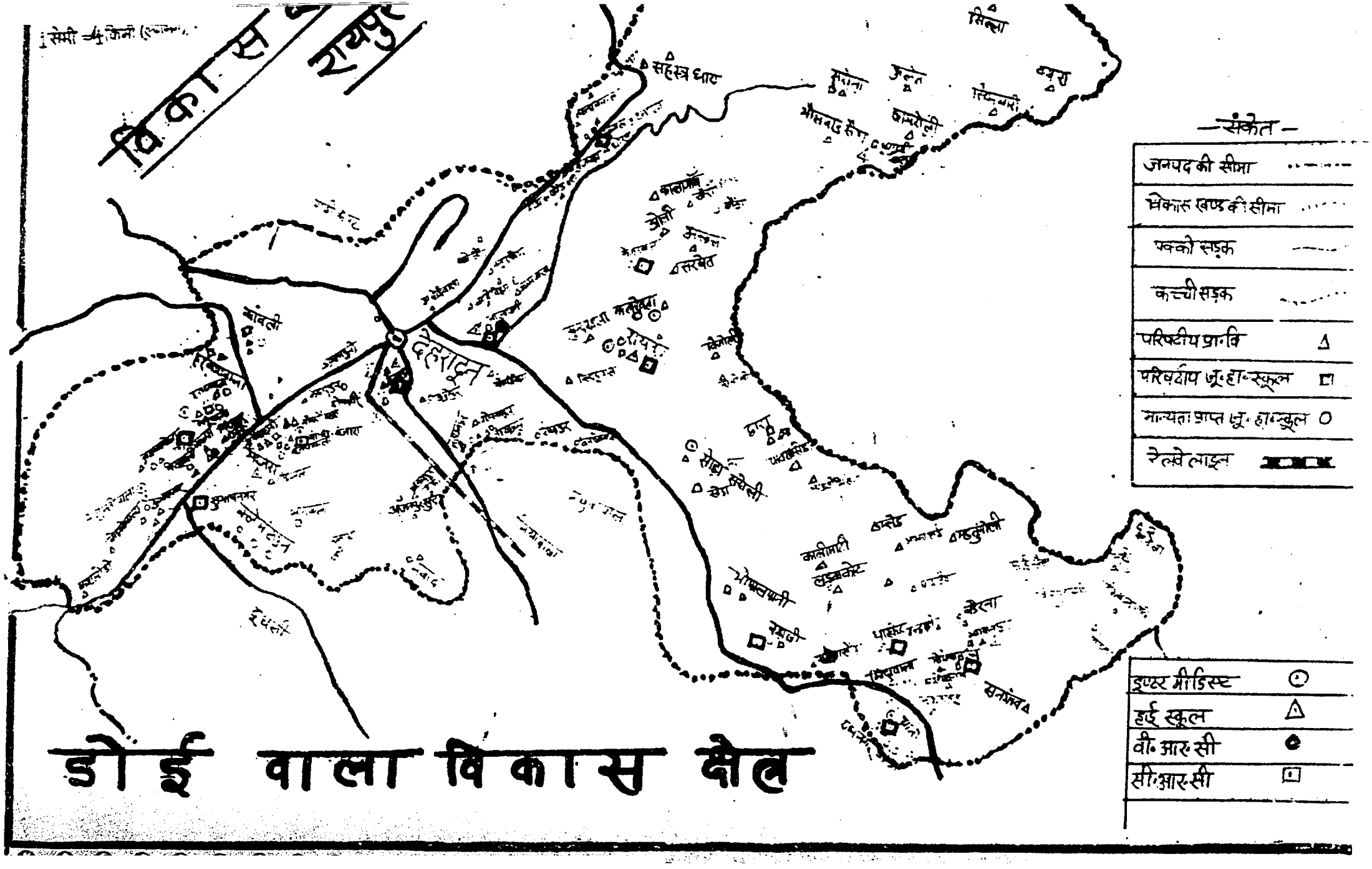

डोई वाला विकास खैल
रायपुर
देहरादून
सहस्त्र धारा
सिल्ला
संकेत
जनपद की सीमा
विकास खण्ड की सीमा
पक्की सड़क
कच्ची सड़क
परिषदीय प्रा० वि०
परिषदीय जू० हा० स्कूल
मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूल
रेलवे लाइन
इण्टर मीडिएट
हाई स्कूल
बी० आर० सी०
सी० आर० सी०

अध्याय–6

निर्माण कार्य एवं भौतिक आवश्यकताएँ

उप– विषय

6.1	निर्माण कार्य।
6.2	निर्माण प्रक्रिया।
6.3	जनपद देहरादून में विद्यालयों की आवश्यकता।
6.3.1	जनपद में नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता।
6.4	भौतिक संसाधन– निर्माण कार्य।
6.1.1	जनपद के प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार विद्यालय /निर्माण कार्य/भौतिक संसाधन।
6.1.2	विकासखण्ड चकराता में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।
6.1.3	विकासखण्ड कालसी में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।
6.1.4	विकासखण्ड विकासनगर में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।
6.1.5	विकासखण्ड सहसपुर में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।

विकासखण्ड रायपुर में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।

विकासखण्ड डोईवाला में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।

नगरक्षेत्र देहरादून में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।

नगरक्षेत्र मसूरी में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।

विकासखण्ड ऋषिकेश में वर्षवार विद्यालय एवं निर्माण कार्य की आवश्यकता।

निर्माण कार्यदायी संस्था।

सर्वेक्षण।

विद्यालय निर्माण कार्य तकनीकी पर्यवेक्षण।

अध्याय–6

6.1– निर्माण कार्य :

–जनपद देहरादून में विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहाँ के ग्रामों/ बस्तियों में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नही है। यहाँ के बच्चे अपने शारीरिक एवं भौगोलिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था कर नामांकन बढ़ाया जायेगा। यह जनपद प्रथम बार परियोजना से आच्छादित हो रहा हैं। विभागीय परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से कतिपय असेवित बस्तियाँ उभर कर सामने आयी हैं। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान की मंशा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की हैं, अतः असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तथा वर्षवार बच्चों के वृद्धिदर के अनुसार नवीन विद्यालयों को खोलने का प्रस्ताव वर्षवार किया जायेगा।

6.2 निर्माण–प्रक्रिया :

- माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असेवित बस्तियों में आवश्यकतानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया जायेगा।
- स्थल चिन्हांकन तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जायेगी।
- स्थल चयन के उपरान्त ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।
- विद्यालय निर्माण के लिये ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। धन का हिसाब प्रधानाध्यापक के पास रहेगा।
- धनराशि ग्राम प्रधान के पास पहुँच जाने पर निर्माण कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा। इस आशय का शपथ–पत्र निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

- निर्माण कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत होने के साथ ही एक प्रधानाध्यापक को उस नवीन विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जायेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त ही एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी।

- निर्माण कार्य में पारदर्शिता लाने के लिये विद्यालय के सूचना –पट्ट पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान एवं खर्च का स्पष्ट विवरण लिख कर प्रदर्शित किया जायेगा।

- निर्माण कार्य को अबाध गति प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अनुश्रवण कराने की व्यवस्था की जायेगी।

6.3 जनपद में नवीन प्राथमिक एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना (वर्षवार)

सारिणी– 6–3–1

वर्ष	नवीन प्राथमिक विद्यालय	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	ई0जी0एस0 का उच्चीकरण	कुल नवीन प्रा0वि0	कुल नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय
2001–02	–	–	–	–	–
2002–03	12	06	–	12	06
2003–04	06	15	–	06	15
2004–05	06	10	13	19	10
2005–06	06	09	15	21	09
2006–07	06	05	11	17	05
कुल योग	36	45	39	75	45

सारिणी 6.3.1 का विश्लेषण

जनपद–देहरादून में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष **2002–03** से **2009–10** तक कुल **36** नवीन प्राथमिक विद्यालय, **95** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा **39** ई0जी0एस0 का नवीन प्राथमिक विद्यालयों में उच्चीकरण का प्रस्ताव है।

वर्ष 2002–03 में **12** नवीन प्राथमिक विद्यालय, **06** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, **2003–04** में **06** नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा **15** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, वर्ष 2004–05 में **06** नवीन प्राथमिक विद्यालय, **10** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा **13** ई0जी0एस0 केन्द्रों का प्राथमिक विद्यालयों के रूप में उच्चीकरण, वर्ष **2005–06** में **06** नवीन प्राथमिक विद्यालय, 09 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 15 ईजी0एस. केन्द्रों का नवीन प्राथमिक विद्यालयों में उच्चीकरण, वर्ष 2006–07 में 06 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 05 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 11 ई0जी0एस0 केन्द्रों का प्राथमिक विद्यालयों में उच्चीकरण का प्रस्ताव है।

6.4 – भौतिक संसाधन – निर्माण कार्य

➢ जनपद के शैक्षिक सर्वेक्षणों, शोध–अध्ययनों एवं निरीक्षणों से यह परिणाम सामने आये हैं कि जनपद में नामांकन की अपेक्षा ठहराव की अधिक समस्या है। विद्यालयों में ठहराव स्थापित करने के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों, पेयजल सुविधा, शौचालयों का निर्माण, चाहरदीवारी का निर्माण तथा जर्जर एवं ध्वस्थ विद्यालय भवनों के निर्माण आवश्यकता होगी।

➢ पेयजल, शौचालय, चाहरदीवारी तथा अतिरिक्त कक्ष का निर्माण :

❖ नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। इस जनपद के मैदानी क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगने वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में हैंण्ड पम्प की व्यवस्था की जायेगी तथा पर्वतीय क्षेत्र में नल (पाइप लाइन) की व्यवस्था की जायेगी। माइक्रोप्लानिंग के आधार पर पेयजल सुविधा की आवश्यकताओं की पहचान की जायेगी। इस कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

❖ प्रत्येक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक तथा बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालयों का निर्माण करवाया जायेगा। इस कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

❖ विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से तथा बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये चाहरदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। नये विद्यालयों के भवन निर्माण में इनकी लागत यूनिट कास्ट में सम्मिलित है। इस कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

❖ जनपद में विद्यालयवार छात्रसंख्या के सापेक्ष अतिरिक्त कक्ष का प्रस्ताव किया जायेगा। इस कार्य को पूर्ण कराने का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

सारिणी – 6.1.1 जनपद के प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/ निर्माण कार्य :

सारिणी– 6.1.1 के अनुसार जनपद में कुल **6** बी0आर0सी0 **88** सी0आर0सी0, **36** नवीन प्राथमिक विद्यालय, **45** उच्च प्राथमिक विद्यालय, **394** प्राथमिक विद्यालयों तथा **73** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, **420** प्राथमिक विद्यालयों तथा **64** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, **421** प्राथमिक विद्यालयों तथा **117** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, **476** प्राथमिक विद्यालयों तथा **136** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी एवम् **161** प्राथमिक विद्यालयों तथा **70** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष **2001** से वर्ष **2007** तक निर्माण कार्य एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।

उक्त निर्माण कार्यों तथा भौतिक संसाधनों की पूर्ति हेतु वर्षवार कार्ययोजना प्रस्तावित किया जायेगा।

➢ वर्ष 2001–02 में कार्ययोजनानुसार जनपद में **02** बी0आर0सी0, **02** सी0आर0सी0, **23** प्राथमिक विद्यालयों एवं **18** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, **30** प्राथमिक विद्यालयों एवं **20** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय तथा **12** प्राथमिक विद्यालयों तथा **7** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनः निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है।

➢ वर्ष 2002–03 की कार्ययोजना में **02** बी0आर0सी0, **10** सी0आर0सी0, **12** नवीन प्राथमिक विद्यालय, **06** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, **40** प्राथमिक तथा **28** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, **50** प्राथमिक तथा **15** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, **30** प्राथमिक तथा **15** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, **15** प्राथमिक तथा **06** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहर दीवारी तथा **10** प्राथमिक एवं **06** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनः निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

- वर्ष 2003–04 में **02** बी0आर0सी0, **20** सी0आर0सी0, **06** नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा **15** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, **95** प्राथमिक तथा **25** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, **105** प्राथमिक तथा **20** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, **96** प्राथमिक तथा **36** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, **123** प्राथमिक तथा **46** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी तथा **50** प्राथमिक एवं **29** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

- वर्ष 2004–05 में **23** सी0आर0सी0, **06** नवीन प्राथमिक विद्यालय **10** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, **92** प्राथमिक एवं **20** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, **87** प्राथमिक एवं **11** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, **95** प्राथमिक तथा **29** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, **122** प्राथमिक तथा **41** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहर दीवारी तथा **30** प्राथमिक एवं **28** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

- वर्ष 2005–06 में **19** सी0आर0सी0 **06** नवीन प्राथमिक विद्यालय **09** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, **86** प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, **84** प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, **90** प्राथमिक तथा **15** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, **110** प्राथमिक तथा **36** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी तथा **30** प्राथमिक विद्यालयों पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

- वर्ष 2006–07 में **14** सी0आर0सी0, **06** नवीन प्राथमिक विद्यालय **05** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, **81** प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, **71** प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, **80** प्राथमिक तथा **02** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, **106** प्राथमिक तथा **07** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी, **29** प्राथमिक विद्यालयों में पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

सारिणी– 6.1.1

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य

जनपद देहरादून वर्षवार

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0	2	2	2	–	–	–	6
2.	सी0आर0सी0	2	10	20	23	19	14	88
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय	–	12	6	६	6	6	36
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	6	15	10	9	5	45
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)	–	40	95	92	86	81	394
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)	–	28	25	20	–	–	73
7.	पेयजल (प्राथमिक)	23	50	105	87	84	71	420
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)	18	15	20	11	–	–	64
9.	शौचालय (प्राथमिक)	30	30	96	95	90	80	421
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)	20	15	36	29	15	2	117
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)	–	15	123	122	110	106	476
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)	–	6	46	41	36	7	136
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	12	10	50	30	30	29	161
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)	7	6	29	28	–	–	70

विकासखण्डवार निर्माण कार्य एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता।

विकासखण्ड चकराता :–

सारिणी 6–1–2 निर्माण कार्य एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता (वर्षवार)

विकासखण्ड चकराता की जनपद–देहरादून में ही नही वरन् उत्तरांचल में विशिष्ट पहचान है। यह क्षेत्र पूर्णतः पर्वतीय है, यहाँ का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत महाभारत कालीन है। यह विकासखण्ड पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के रूप में घोषित हैं। यहाँ पर मजरें दूर–दूर तक फैले हुये हैं। इन विषम परिस्थितियों के मध्य नजर विकासखण्ड चकराता में सारिणी 6–1–2 प्रदर्शित निर्माण कार्य एवं भौतिक संसाधनों का प्रस्ताव वर्षवार (वर्ष 2001 से 2010 तक) किया गया है।

- वर्ष **2001** से **2007** तक **01** बी0आर0सी0, **17** सी0आर0सी0, **7** नवीन प्राथमिक विद्यालय, **7** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, **35** प्राथमिक तथा **03** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, **104** प्राथमिक तथा **12** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा, **106** प्राथमिक, **24** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, **109** प्राथमिक तथा **24** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी तथा **31** प्राथमिक एवं **16** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

विकासखण्ड कालसी :–

- यह विकासखण्ड भी चकराता की ही भाँति अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है। भू–भाग पर्वतीय तथा यहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत विशिष्ट है। बस्तियाँ/मजरें दूर–दूर तक फैले है। इस विकासखण्ड के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2001 से 2007तक वर्षवार भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव है।

सारिणी 6–1–3

- वर्ष **2001–02** में **01** बी0आर0सी0, **03** प्राथमिक तथा **03** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा, **05** प्राथमिक तथा **03** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, **02** प्राथमिक तथा **01** उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुनः निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है।

सारिणी – 6.1.2

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य

विकासखण्ड– चकराता

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0		1	–	–	–	–	1
2.	सी0आर0सी0		2	3	4	4	4	17
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय		2	2	2	1	–	7
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय		–	3	1	2	1	7
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)		2	9	8	8	8	35
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)		3	0	0	0	0	3
7.	पेयजल (प्राथमिक)	3	8	23	23	24	23	104
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)	3	2	4	3	0	0	12
9.	शौचालय (प्राथमिक)	5	4	20	22	27	28	106
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)	3	2	8	8	3	–	24
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)	–	2	25	29	25	28	109
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)	–	1	7	6	5	5	24
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	1	2	8	8	6	8	31
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)	2	1	7	6	–	–	16

सारिणी 6.1.3

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य

विकासखण्ड कालसी

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0	1	–	–				1
2.	सी0आर0सी0		2	3	5	4	3	17
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय		2	1	1	1	1	6
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय		1	3	1	1	1	7
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)		2	10	9	8	8	37
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)		3	–	–	–	–	3
7.	पेयजल (प्राथमिक)	3	8	23	23	24	22	103
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)	3	2	3	2	–	–	10
9.	शौचालय (प्राथमिक)	5	4	21	22	23	27	102
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)	3	2	4	3	–		12
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)	–	2	25	27	23	21	98
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)	–	1	5	5	5	2	18
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	2	2	8	6	6	7	31
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)	1	1	6	6			14

सारिणी 6.1.5

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य

विकासखण्ड – सहसपुर

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0	1	–	–	–	–	–	1
2.	सी0आर0सी0	–	1	3	3	3	2	12
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय	–	2	1	1	1	2	7
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	1	2	2	2	0	7
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)	--	8	20	18	17	16	79
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)	–	5	5	4	–	–	14
7.	पेयजल (प्राथमिक)	4	7	14	14	10	4	53
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)	2	2	3	3	–	–	10
9.	शौचालय (प्राथमिक)	4	4	15	15	15	8	61
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)	3	2	3	–	–	–	8
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)	–	2	15	15	15	14	61
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)	–	1	10	10	8	–	29
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	1	1	7	5	5	3	22
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)	1	1	3	3	–	–	8

बी0आर0सी0, 12 सी0आर0सी0, 7 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 7 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 79 प्राथमिक तथा 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 53 प्राथमिक तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 61 प्राथमिक तथा 08 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, 61 प्राथमिक तथा 29 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी, 22 प्राथमिक तथा 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनःनिर्माण का प्रस्ताव किया जायेगा।

विकासखण्ड – रायपुर :–

सारिणी 6–1–6

- भौतिक संसाधनों / निर्माण कार्य की आवश्यकता – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर में वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक 01 बी0आर0सी0, 13 सी0आर0सी0, 06 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 8 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 68 प्राथमिक तथा 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 46 प्राथमिक तथा 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 40 प्राथमिक तथा 19 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, 60 प्राथमिक तथा 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी, 25 प्राथमिक तथा 9 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनः निर्माण का प्रस्ताव किया जायेगा।

विकासखण्ड – डोईवाला :–

सारिणी 6–1–7

- विकासखण्ड डोईवाला में वर्ष 2001 से 2007 तक 01 बी0आर0सी0, 13 सी0आर0सी0, 2 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 7 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 68 प्राथमिक तथा 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, 50 प्राथमिक तथा 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, 56 प्राथमिक तथा 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे शौचालय, 77 प्राथमिक तथा 26 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी, 19 प्राथमिक तथा 9 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

सारिणी 6.1.6

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य

विकासखण्ड –रायपुर

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0	–	–	1	–	–	–	1
2.	सी0आर0सी0	–	1	3	3	3	3	13
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय	–	2	1	1	1	1	6
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	2	2	2	1	1	8
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)	–	8	15	15	15	15	68
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)	–	5	5	4	–	–	14
7.	पेयजल (प्राथमिक)	4	7	14	9	6	6	46
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)	2	2	3	–	–	–	7
9.	शौचालय (प्राथमिक)	4	4	10	10	8	4	40
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)	3	2	5	5	4	–	19
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)	–	2	15	15	15	13	60
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)	–	1	5	5	5	–	16
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	2	1	8	3	4	7	25
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)	1	1	4	3	–	–	9

सारिणी 6.1.7

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य

विकासखण्ड – डोईवाला

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0	–	1	–	–	–	–	1
2.	सी0आर0सी0	1	1	3	3	3	2	13
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय	–	–	–	–	1	1	2
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	–	2	2	2	1	7
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)	–	8	15	15	15	15	68
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)	–	5	4	3	–	–	12
7.	पेयजल (प्राथमिक)	4	7	14	9	10	6	50
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)	3	2	2	–	–	–	7
9.	शौचालय (प्राथमिक)	4	4	15	15	10	8	56
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)	3	2	2	–	–	–	7
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)	–	2	20	18	19	18	77
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)	–	1	10	8	7	–	26
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	2	1	7	3	4	2	19
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)	1	1	5	2	–	–	9

नगरक्षेत्र देहरादून :–

सारिणी 6–1–8

- नगरक्षेत्र देहरादून में वर्ष **2001–2007** तक **4** सी0आर0सी0, **2** नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, **35** प्राथमिक तथा **08** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, **06** प्राथमिक तथा **22** उच्च प्राथमिक/ हाई/ इण्टर कालेजों में शौचालय, **6** प्राथमिक तथा **01** उच्च प्राथमिक विद्यालय में चाहरदीवारी **6** प्राथमिक तथा **2** उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

नगर क्षेत्र मसूरी :–

सारिणी 6–1–9

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगरक्षेत्र मसूरी में वर्ष **2001** से **2006** तक **01** सी0आर0सी0, **02** प्राथमिक तथा **01** उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष, **04** प्राथमिक तथा **01** उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल सुविधा, **12** प्राथमिक तथा **01** उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय, **04** प्राथमिक विद्यालय में चाहरदीवारी, **02** प्राथमिक विद्यालय तथा **01** उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुनःनिर्माण का प्रस्ताव है।

नगरक्षेत्र ऋृषिकेश :–

सारिणी 6–1–10

- वर्ष **2001** से **2005** तक नगर क्षेत्र ऋृषिकेश में **01** सी0आर0सी0, **7** प्राथमिक तथा **05** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, **04** प्राथमिक तथा **02** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा तथा **10** प्राथमिक तथा **02** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण, **04** प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी तथा **04** प्राथमिक विद्यालयों में तथा **02** उच्च प्राथमिक विद्यालयों पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

सारिणी 6.1.8

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य
नगर क्षेत्र देहरादून

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0	–	–	–	–	–	–	0
2.	सी0आर0सी0	–	1	2	1	–	–	4
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	–	0
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	1	1	–	–	–	2
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)	–	2	10	8	10	5	35
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)	–	2	3	3	–	–	8
7.	पेयजल (प्राथमिक)	1	2	3	–	–	–	6
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)	1	1	1	–	–	–	3
9.	शौचालय (प्राथमिक)	2	2	2	–	–	–	6
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)	1	1	8	8	4	–	22
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)	–	1	2	3	–	–	6
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)	–	–	1	–	–	–	1
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	1	1	2	2	–	–	6
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)	–	–	1	1	–	–	2

सारिणी 6.1.9

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य
नगर क्षेत्र मसूरी

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0							0
2.	सी0आर0सी0			1				1
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय							0
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय							0
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)		1	1				2
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)			1				1
7.	पेयजल (प्राथमिक)		2	2				4
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)		1					1
9.	शौचालय (प्राथमिक)	1	2	4	3	2		12
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)		1					1
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)		1	3				4
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)							0
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	1		1				2
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)				1			1

सारिणी 6.1.10

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षवार भौतिक संसाधन/निर्माण कार्य

नगर क्षेत्र ऋषिकेश

क्र0सं0	भौतिक आवश्यकता/ निर्माण कार्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	बी0आर0सी0							0
2.	सी0आर0सी0		1					1
3.	नवीन प्राथमिक विद्यालय							0
4.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय							0
5.	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक)		1	1	5			7
6.	अतिरिक्त कक्ष (उ0 प्र0)			3	2			5
7.	पेयजल (प्राथमिक)		2	2				4
8.	पेयजल (उ0 प्राथमिक)	1	1					2
9.	शौचालय (प्राथमिक)	1	2	4	3			10
10.	शौचालय (उ0 प्रा0)	1	1					2
11.	चाहरदीवारी (प्राथमिक)		1	3				4
12.	चाहरदीवारी (उ0 प्राथमिक)							0
13.	पुनः निर्माण (प्राथमिक)	1	1	2				4
14.	पुनः निर्माण (उ0 प्राथमिक)			1				1

6.5 निर्माण कार्यदायी संस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके अलावा सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति अपनत्व की भावना (हमारा विद्यालय) को जाग्रत करने के लिये विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया हैं ग्राम शिक्षा समितियाँ निर्माण कार्य में प्राप्त धनराशि तथा व्यय की जाने वाली धनराशि की पारदर्शिता के लिए उत्तरदायी होगी।

6.6 सर्वेक्षण :

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण किया जायेगा। नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना मानक के अनुसार की जायेगी। ग्रामों/ बस्तियों का प्रतिवर्ष सर्वेक्षण किया जायेगा सर्वेक्षण में विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का आंकलन किया जायेगा। तदुपरान्त आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना मे नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव किया जायेगा। सर्वेक्षण के लिये प्रतिवर्ष धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

6.7 विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण:

विद्यालय भवन, शौचालय, हैन्डपम्प, नल (पाइपलाइन) चाहरदीवारी आदि का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा।

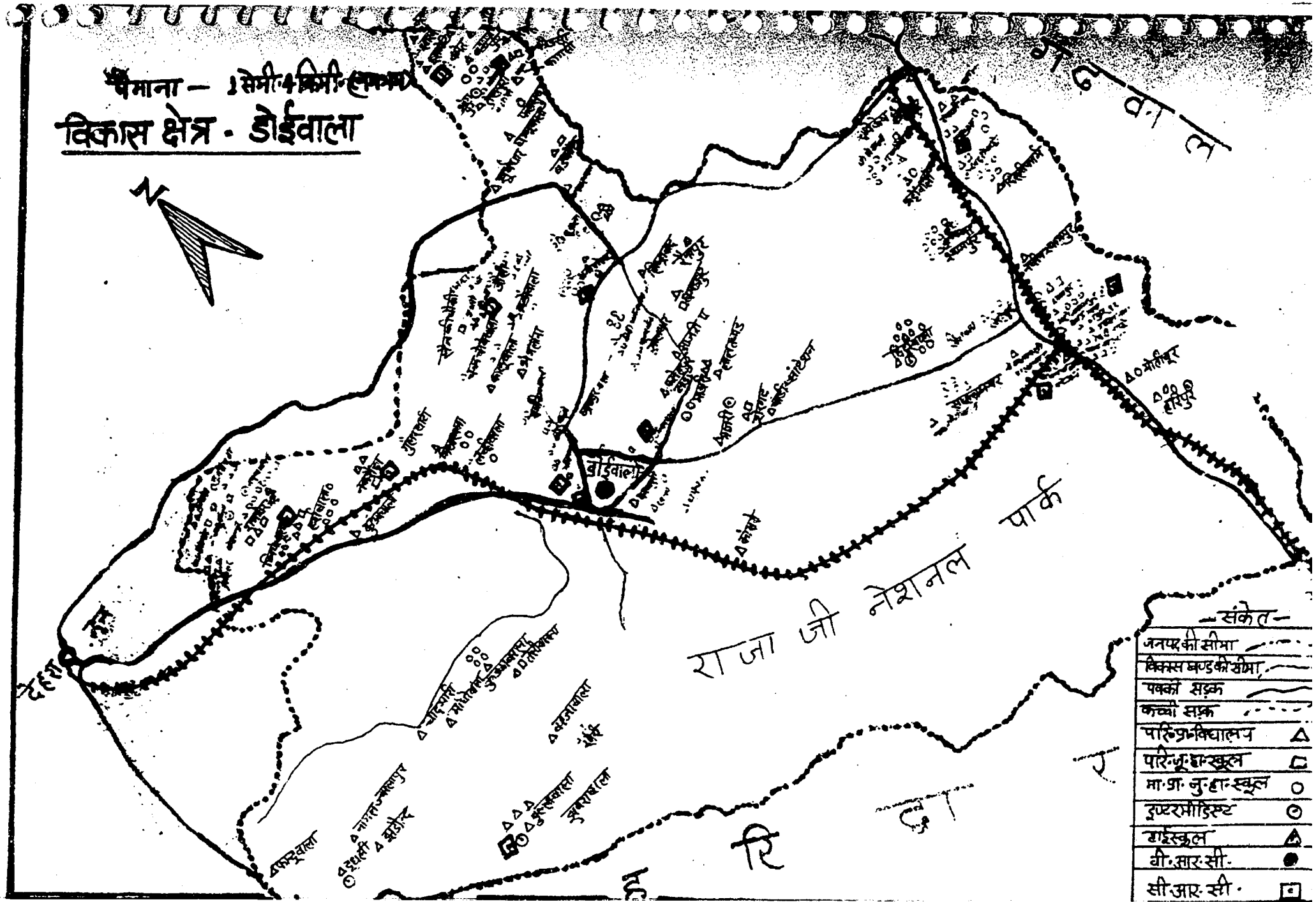

पैमाना — 1 सेमी 4 किमी
विकास क्षेत्र - डोईवाला
N
डोईवाला
राजा जी नेशनल पार्क
संकेत
जनपद की सीमा
विकास खण्ड की सीमा
पक्की सड़क
कच्ची सड़क
परि॰प्र॰विद्यालय
परि॰जू॰हा॰स्कूल
मा॰प्रा॰ जु॰हा॰स्कूल
इण्टरमीडिएट
हाईस्कूल
बी॰आर॰सी॰
सी॰आर॰सी॰

अध्याय–7

शिक्षा की पहुंच का विस्तार

(शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवमं नवाचार शिक्षा)

उपविषय

7.1 EGS

7.2 शिक्षा गारण्टी केन्द्र (ई0जी0एस)

7. 2 .1 EGS का प्राथमिक विद्यालयों में उच्चीकरण।

7. 2. 2 वैकल्पिक एवम् नवाचार शिक्षा केन्द्र।

7. 3 शिक्षा गारण्टी केन्द्रों का संचालन।

7. 4 अनुदेशकों का चयन।

7. 5 अनुदेशकों का प्रशिक्षण।

7. 6 अनुदेशकों का मानदेय वितरण।

7. 7 पर्यवेक्षण।

7. 8 सहायक शिक्षण सामग्री।

7. 9 छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन।

7. 10 प्रबन्ध लागत।

अध्याय–7

शिक्षा की पहुंच का विस्तार

(शिक्षा गांरटी योजना तथा वैकल्पिक एवमं नवाचार शिक्षा)

EGS/AIE योजना

7.1 EGS/AIE योजना :– जनपद देहरादून में विभागीय सर्वेक्षण एंव बालगणना वर्ष **2000–2001** के आँकडों के अनुसार **6–11** वय वर्ग की सकल नामांकन दर **92.96** प्रतिशतहै जिसके सापेक्ष **33** प्रतिशत ड्राप आऊट है। इसी तरह **11–14** वय वर्ग में सकल नामांकन दर **95.86** प्रतिशत है जिसके सापेक्ष **31** प्रतिशत ड्राप आउट है। उक्त आँकडों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि जनपद में शिक्षा गारण्टी केन्द्रों तथा वैकल्पिक एवम् नवाचार शिक्षा केन्द्रों की भूमिका शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोडने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी। अतः जपनद में **6-8** वय वर्ग तथा **9–14** वय वर्ग के बच्चों के लिए **80** शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, **57** वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है। ऐसी बालिकाएँ जो अपने छोटे भाई–बहिनों की देखरेख के लिए विद्यालय छोड़ देतीं हैं,या प्रायः अनुपस्थित रहती हैं उनके छोटे भाई–बहिनों की देखरेख एंव शिक्षा के लिए ई0जी0एस0 तथा प्राथमिक विद्यालयों के नजदीक **163** ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

सारिणी 7.1.1

ई0सी0सी0ई0, ई0जी0एस0 तथा ए0आई0 केन्द्रों की स्थापना – (वर्षवार)

वर्ष	ई0सी0सी0ई0	ई0जी0एस0	ए0आई0ई0
2001–02	–	23	–
2002–03	50	57	57
2003–04	50	–	–
2004–05	63	–	..
योग	163	80	57

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत **3–6** वयवर्ग, **6–11** वयवर्ग तथा **11–14** वयवर्ग के समस्त बच्चों तक शिक्षा की पहुँच बनाने के लिये **163** ई0सी0सी0ई0, **80** ई0जी0एस0, **57** ए0आई0ई0 का वर्षवार प्रस्ताव किया गया है। वर्ष **2002–03** में **50** ई0सी0सी0ई0, **80** ई0जी0एस0, **57** ए0आई0ई0 का प्रस्ताव है, वर्ष **2003–04** में **50** ई0सी0सी0ई0 का प्रस्ताव है तथा वर्ष **2004–05** में **63** ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

जनपद में विकास खण्डवार प्रस्तावित ई0सी0सी0ई0,ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 सारिणी 7.1.2 में प्रदर्शित है।

सारिणी 7.1. 2

क0सं0	विकासखण्ड / नगर क्षेत्र	ई0सी0सी0ई0	ई0जी0एस0	ए0आई0ई0
1	चकराता	08	20	10
2	कालसी	20	12	08
3	विकासनगर	08	20	15
4	सहसपुर	00	10	06
5	रायपुर	74	03	02
6	डोईवाला	43	10	10
	योग ग्रामीण	**153**	**75**	**51**
7	नगर क्षेत्र देहरादून	00	01	03
8	नगर क्षेत्र मसूरी	05	04	02
9	नगर क्षेत्र ऋषिकेश	05	00	01
	योग नगरीय	10	05	06
	कुल योग	**163**	**80**	**57**

(7. 2) शिक्षा गारंटी केन्द्र (ई.जी.एस.)

इस योजना के अर्न्तगत 6-8 वय वर्ग के बच्चों को पंजीकृत कराया जायेगा जो ग्राम/बस्ती/मजरा/मोहल्ले प्राथमिक विद्यालय से 1 कि0मी0 की दूरी पर हैं तथा उस बस्ती में 20 बच्चे उपलब्ध हो, वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्र खोले जायेगें। इन केन्द्रों के लिये एक अनुदेशक प्रति केन्द्र प्रस्तावित है।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर विकासखण्डवार निम्न ग्रामों/वसित्यों में ई0जी0एस0 खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

(7. 2 .1) ई0जी0एस0 का प्राथमिक विद्यालयों में उच्चीकरण

वर्ष 2004–2005 तक 13 ई0जी0एस0 केन्द्रों का प्राथमिक स्कूलों में उच्चीकरण किया जाएगा। इसी प्रकार 2005–2006 में 15 एवम् वर्ष 2006–2007 में 11 ई0जी0एस0 केन्द्रों को प्राइमरी स्कूलों में उच्चीकृत किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जाएगी।

(7. 2.2) वैकल्पिक एवम् नवाचार शिक्षा (ए.आई.ई.)

यह कार्यक्रम 9–14 वयवर्ग के बच्चों के लिये है, जो किन्ही कारणों से न तो स्कूल गये है अथवा ड्रापआउट हो गये है। ऐसे सुविधा वंचित या अभाव ग्रस्त बच्चों के लिऐ वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिस बस्ती/मजरे में बच्चे उपलब्ध होगें वहाँ ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायेगें। ए.आई.ई. केन्द्र दो प्रकार के होगें।

1. प्राथमिक स्तर
2. उच्च प्राथमिक स्तर

प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर एक अनुदेशक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर दो अनुदेशको की व्यवस्था की जायेगी।

(7. 3) शिक्षा गारंटी केन्द्रों का संचालन

ई.जी.एस. का संचालन का समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक होगा। ए.आई.ई. केन्द्रों का संचालन का समय प्रतिदिन चार घंटे का होगा । ये सभी केन्द्र दिन में ही ई0जी0एस0 तथा प्राथमिक विद्यालयों के समयनुसार ही संचालित किये जायेगें।

(7. 4) अनुदेशकों का चयन

अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । अनुदेशक उसी स्थान व समुदाय का होगा जहाँ पर ई.जी.एस एवम् ए.आई.ई.ई0सी0सी0ई0 तथा बाल मित्र केन्द्र स्थापित होना है। ई0सी0सी0ई0 तथा बाल मित्र केन्द्र में कमशः महिला कार्यकत्री तथा महिला सहायिका की व्यवस्था की जाएगी। ई0जी0एस0 के अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी तथा उम्र 18 वर्ष अनिवार्य है। महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। चयन का आधार हाईस्कूल के प्राप्तांको का प्रतिशत होगा। अनुदेशक को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा । अनुदेशक का कार्य संतोष जनक न होने पर आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निरस्त किया जाएगा । उसके स्थान पर समिति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रण पत्र निर्गत करेगी । ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

नगर क्षेत्र के ई.जी.एस. एवम् ए.आई.ई केन्द्रों पर अनुदेशेकों का चयन शिक्षा अधीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभासद, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक की समिति द्वारा की जायेगी। ई.जी.एस. एवम् ए.आई.ई केन्द्र मकतब एवम् मदरसों में खोले जायेगें। मकतब एवम् मदरसों के अनुदेशक मौलवी एवम् मुस्लिम समुदाय का ही सदस्य होगा। उच्च प्राथमिक केन्द्र हेतु अनुदेशक की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट होगी तथा उम्र 21 वर्ष होगी। महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(7. 5) अनुदेशकों का प्रशिक्षण

अनुदेशकों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में सम्पन्न होगा। यह प्रशिक्षण कार्यकम तीस दिन का होगा एवम् आवासीय होगा । अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ताओं द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में अनुदेशकों को मानदेय के रूप में कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी। एस0सी0ई0आर0टी0 तथा राज्य परियोजना द्वारा प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा तथा मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएगें।

(7. 6) अनुदेशकों का मानदेय विवरण

अनुदेशको का मानदेय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से एक हजार रूपये प्रति अनुदेशक की दर से 6 माह का मानदेय ग्राम शिक्षा समितियों के संयुक्त खाते में प्रेषित कर दिया जायेगा। जिसे अनुदेशक को पूरे माह केन्द्र पर कार्य करने के पश्चात् ग्राम प्रधान एंव सचिव चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से मानदेय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नगर क्षेत्र के अनुदेशकों का मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक एंव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दिया जायेगा। अनुदेशक का कार्य संतोषजनक होने पर ही शिक्षा अधीक्षक भुगतान की कार्यवाही करेगे। मानदेय की धनराशि वरिष्ठ प्रधानाध्यापक एंव सभासद के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। अनुदेशकों के मानदेय का चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(7. 7) पर्यवेक्षण

ई0जी0एस0/ई0सी0सी0ई0 एंव ए0आइ0ई0 केन्द्रो का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उपविद्यालय निरिक्षक बी0आर0.सी0 समन्वयक, संकुल समन्वयक तथा ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक सहायक शिक्षा, अधीक्षक एन0 आर0 सी0 समन्वयक, संकुल समन्वयक एंव सभासद द्वारा किया जायेगा। अनुदेशकों की मासिक बैठको का आयोजन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रतिउपविद्यालय निरिक्षक द्वारा की जायेगी। नगर क्षेत्र की मासिक बैठके शिक्षा अधीक्षक द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

अनुदेशकों के मासिक बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपबेसिक शिक्षा अधिकारी अनुश्रवण हेतु प्रतिभाग करेगे। इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक करते रहेगें तथा शिक्षण कार्य की प्रगति अपने अधिकारियों को प्रतिमाह देते रहेगे। ग्राम शिक्षा समिति इन केन्द्रो के संचालन पर नजर रखेगी और समय समय पर अपने सुझाव अनुदेशकों को देगी। डायट के अधिकारी भी इन केन्द्रो पर समय समय पर अनुश्रवण हेतु जायेगे। पर्यवेक्षण का कार्य सभी अधिकारियों द्वारो एक रोस्टर प्रणाली द्वारा किया जायेगा। जिससे सभी केन्द्रो का पर्यवेक्षण नियमित होता रहे।

(7. 8) सहायक शिक्षण सामग्री

ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 केन्द्रो की साज सज्जा एंव शिक्षण सामग्री के लिए धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खातों मे भेज दी जायेगी। ये समितियॉ अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त सामग्री नियमानुसार बाजार मूल्य पर क्रय करके सीधे अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगें। केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्यपुस्तकें भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कय करके अनुदेशकों के माध्यम से बच्चो को उपलब्ध करायेगी। यह पाठ्यपुस्तके वहीं होगी जो प्राथमिक विद्यालय में पूर्व से ही चल रही है।

(7. 9) छात्र/छात्राओं का मूल्याकंन

शिक्षा गारंटी योजना एंव वैकिल्पक शिक्षा केन्द्रो पर पढ़ने वाले बच्चों का यूनिट मूल्याकंन प्रतिमाह अनुदेशकों द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। अनुदेशक द्वारा बच्चे का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्याकंन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशक के शिक्षण कार्य का मून्याकंन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, वी0 आर0 सी0 समन्वयक एंव संकुल प्रभारियों के द्वारा किया जाएगा।

(7. 10) प्रबन्ध लागत

ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 केन्द्रो की अधिकतम लागत में **5** प्रतिशत धनराशि राज्य एंव जिला/ विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक प्रबन्धन पर होने वाला व्यय में सम्मिलित है। विकासखण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत होगी।

80-100 केन्द्रों के मध्य – **2.50** लाख रूपए प्रतिवर्ष

50-80 केन्द्रों के मध्य – **2** लाख रूपए प्रतिवर्ष

25–50 केन्द्रों के मध्य – **1.50** लाख रूपए प्रतिवर्ष

25 से कम केन्द्रों के मध्य – **100** रूपए प्रति छात्र प्रतिवर्ष ।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

उपविषय

8.1	अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र।
8.2	विद्यालयीय सुविधाएँ।
8.3	विद्यालय अनुदान।
8.4	शिक्षण अधिगम उपकरण।
8.5	शिक्षक अनुदान।
8.6	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था।
8.7	मरम्मत एंव रखरखाव।
8.8	निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद के शैक्षिक सर्वेक्षणों, शोध अध्ययनों एवं निरीक्षणों से यह परिणाम सामने आये हैं कि जनपद में नामांकन की अपेक्षा ठहराव की अधिक समस्या है। विद्यालयों में ठहराव स्थापित करने के लिये निर्माण कार्यों के अतिरिक्त शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता, शिक्षण अधिगम उपकरणों की उपलब्धता के साथ अध्यापकों की दक्षता विकास के लिये नवाचार युक्त प्रशिक्षणों की आवश्यकता व आयोजन अति आवश्यक है। ठहराव में वृद्धि के अंतर्गत अनुभूत आवश्यकताओं में सामुदायिक सहभागिता की उपयोगिता अनिवार्य हो जाती हैं। शैक्षिक व्यवस्था में समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है। अतः समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिये आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उक्त कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सर्व शिक्षा अभियान को गतिशील बनाने के लिये सम्यक् पश्चपोषण, शोध अध्ययन, क्रियात्मक शोध, सर्वेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा। अनुश्रवण, पश्चपोषण, शोध अध्ययन एवं क्रियात्मक शोध से मिले तथ्यों का प्रकाशन स्मारिका के रूप में किया जायेगा। ठहराव एवम् वृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित युक्तियों का प्रविधान किया जा रहा है।

8.1 अतिरिक्त शिक्षक सारणी – 8.1

अतिरिक्त शिक्षक

वर्ष	प्रभावी नामांकन	शिक्षक आवश्यकता	कुल शिक्षक (संचयी)
2001–2002	1332	33	33
2002–2003	1359	34	67
2003–2004	1386	35	102
2004–2005	1414	36	138
2005–2006	1420	37	175
2006–2007	1470	38	213

सोत्र–विभागीय

इस जनपद में छात्र नामांकन वार्षिक वृद्धि दर **2 . 23** प्रतिशत है। वृद्धि दर के अनुसार वर्ष 2001–02 से 2006–2007 तक कुल **213** अध्यापकों की आवश्यकता होगी। शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रा0वि0 में एक प्र0अ0 तथा एक स0अ0 की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक नवीन प्रा0विद्यालय में दो अध्यापको की नियुक्ति की जाएगी। एकल अध्यापकीय विद्यालयों में भी शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मित्रों की व्यवस्था शासनादेश में उल्लिखित नियमों के आधार पर होगी। इस प्रकार जनपद के सभी प्रा0वि0 में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी तथा छात्र संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक अध्यापकों का आंकलन सारणी 8.1 में दर्शाया गया है।

8.1.1 इस जनपद में दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत **8** उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है, परन्तु इन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत **8** विद्यालयों में **24** अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव किया गया है।

8.2 विद्यालयी सुविधाएँ

जनपद देहरादून प्रथमवार परियोजना से आच्छादित हो रहा है। नई शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत इस जनपद के प्रा0वि0 एंव उ0प्रा0वि0 में शिक्षण–अधिगम उपकरणों जैसे विज्ञान किट,गणित किट की उपलब्धता करायी गयी परन्तु रखरखाव एंव सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था न होने के कारण ये उपकरण निष्प्रयोज्य हो गए है। जनपद के **50** विद्यालयों जिसमें प्रा0वि0 तथा उ0प्रा0वि0 सम्मिलित हैं में टी0वी0 तथा टू इन वन उपलब्ध कराया गया। इन विद्यालयों में विद्युतीकरण एवम् रखरखाव की सुविधा न होने से इन उपकरणों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को जागरूक बनाकर ऐसे विद्यालयों के विद्युतीकरण का प्रयास किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता विकास हेतु प्राथमिक शिक्षकों के लिए दस दिवसीय विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण/पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रा0वि0 एवम् उ0प्रा0वि0 में सुधार हेतु निम्नलिखित कार्ययोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है–

8.3 विद्यालय अनुदान

सारिणी 8.3 विद्यालय अनुदान हेतु :

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
	राजकीय/ परिषदीय विद्यालय	वित्तीय मान्यता प्राप्त	योग	राजकीय/ परिषदीय विद्यालय	वित्तीय मान्यता प्राप्त	योग
2001–02	831	–	831	260	100	360
2002–03	831	16	847	260	103	363
2003–04	843	16	859	266	103	369
2004–05	849	16	865	296	103	399
2005–06	868	16	884	316	103	419
2006–07	889	16	905	336	103	439

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रा0वि0 तथा उ0प्रा0वि0 में प्रत्येक के लिए 2000/–रू0 प्रति वर्ष विद्यालय सुधार अनुदान का प्राविधान है। यह धनराशि विद्यालय के उपकरणों के रखरखाव व निष्प्रयोज्य हुई सामग्री के स्थान पर नई सामग्री क्रय करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। विद्यालय अनुदान की प्राप्त धनराशि का उपभोग ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय के प्र0अ0 द्वारा किया जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय समिति व्यय विवरण को पारदर्शी बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

8.4 शिक्षण अधिगम उपकरण (टी0एल0ई)

यह जनपद परियोजना से अनाच्छादित रहा है, अतः जनपद के सभी उ0प्रा0वि0 में शिक्षण अधिगम उपकरणों का अभाव है। अतः जनपद के सभी उवप्रा0वि0 में शिक्षण अधिगम उपकरणों का प्रस्ताव किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम उपकरणों के लिए **50000/–रू0** का प्राविधान है। इस जनपद में कुल **459** उ0प्रा0वि0 है,जिनमें शिक्षण अधिगम उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय स्तर पर आवश्यकताओं का निर्धारण प्र0अ0 एवम् शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित उपकरणों का कय किया जाएगा। व्यय की गई धनराशि की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सम्बन्धित विद्यालयों के प्र0अ0 को उत्तरदायी बनाया जाएगा।

8.5 शिक्षक अनुदान

सारिणी 8.5.1 -

शिक्षक अनुदान–हेतु शिक्षकों का विवरण :

वर्ष	प्राथमिक शिक्षक	उच्च प्राथमिक शिक्षक
2001–02	2032	1115
2002–03	2009	1157
2003–04	2224	2149
2004–05	2243	2209
2005–06	2264	2269
2006–07	2281	2326

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त सारिणी में वर्णित वर्षवार शिक्षकों की संख्या के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक को रू0 500/ – शिक्षक अनुदान के रूप में दिया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण के लिये सुनिश्चित किया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री गुणवत्ता हेतु संकुल स्तर, विकासखण्ड स्तर तथा जनपद स्तर पर टी0एल0एम0 प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा।

8.6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था

छात्र–छात्राओं को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव हेतु जपनद के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों की छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि बच्चे विद्यालयों की ओर आकर्षित हो सकें। फर्नीचर की व्यवस्था वर्ष 2004–05 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

8.7 मरम्मत एवम् रख–रखाव

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय को लघु मरम्मत योग्य हैं, तथा विद्यालयों में उपकरणों की मरम्मत व रखरखाव के लिये प्रति विद्यालय रू0 5000/– उपलब्ध कराने का प्राविधान हैं। इस जनपद में 831 प्राथमिक विद्यालयों एवम् 16 हाईस्कूल/इण्टर कालेज से सम्बद्ध प्राथमिक अनुभाग तथा 260 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक योजनाओं में प्रस्ताव किया गया हैं। विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्तावानुसार धनराशी का उपभोग किया जायेगा तथा व्यय विवरण की पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को इस कार्य के लिये पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा।

8. 8 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

इस जनपद में बालिका शिक्षा तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय में ठहराव की स्थिति बनाएँ रखने के लिये प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित कराई जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर निः शुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रति छात्र /छात्रा 150 रूपये की दर का प्राविधान हैं। निःशुल्क पाठयपुस्तकों की उपलब्धता माह जुलाई में सुनिश्चित करायी जायेगी।

सारिणी 8. 8.1

वर्ष	अनु0जाति बालक		अनु0जनजाति बालक		सभी वर्ग की बालिकाएँ		कुल योग	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2001–02	14520	4814	7948	2795	59083	28812	81551	36421
2002–03	14844	4921	8125	2858	60401	29454	83370	37233
2003–04	15175	5031	8306	2921	61748	30111	85229	38063
2004–05	15513	5143	8491	2986	63125	30782	87129	38911
2005–06	15359	5258	8680	3052	64533	31468	89072	39778
2006–07	16213	5375	8874	3120	65971	321670	91058	40665

स्रोत–विभागीय

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के परिषदीय, राजकीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जायेगा। पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था हेतु रू0 150/ – प्रति बच्चा के हिसाब से प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 2001–02 में प्राथमिक स्तर के 81551 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 36421 बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण का प्रस्ताव किया गया। पुस्तकों का वितरण शैक्षिक सत्र वर्ष 2002–03 में किया गया।

वर्ष 2002–03 में प्राथमिक स्तर के 83370 बच्चों को तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 37233 बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 2003–04 में प्राथमिक स्तर के 85229 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 38063 बच्चों के लिये तथा वर्ष 2004–05 में प्राथमिक स्तर के 87129 बच्चों तथाउच्च प्राथमिक स्तर के 38911 बच्चों के लिये तथा वर्ष 2005–06 में प्राथमिक स्तर के 89072 बच्चों एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 39778 बच्चों के लिये तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 40665 बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिये बजट का प्रस्ताव है।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट) के अलावा जनपद के ऐसे मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान करने के लिये सम्मिलित किया गया है। जो समान पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली, मुल्यांकन एवं राज्य सरकार के नियमों के अधीन संचालित है।

अध्याय – 9

शैक्षिक नवाचार

9.1	बालिका शिक्षा
9.2	समस्याओं के समाधान हेतु रणनीतियाँ।
9.3	क्षमता सम्बर्द्धन।
9.4	कम्प्यूटर शिक्षा।
9.5	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र।
9.6	ग्रीष्मकालीन शिविर।
9.7	उपचारात्मक शिक्षण।
9.8	ब्रिज कोर्स तथा राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालयों से समन्वय।
9.9	बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत ऋषिवैली पैटर्न पर आधारित शैक्षिक नवाचार।
9.10	पायलट एप्रोच।
9.11	विशेष नामांकन अभियान।

अध्याय – 9

शैक्षिक नवाचार

9.1 बालिका शिक्षा

जनपद देहरादून की भौगोलिक संरचना इस प्रकार है, कि बालिकाओं को ग्राम के बाहर जाना सम्भव नही हो पाता है। जिससे अधिकांश बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रह जाती है। फलस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत् बालकों की अपेक्षाकृत न्यून हैं। इस जनपद के जनजाति, अनु0 जाति, अल्पसंख्यक एवं मलिन बस्ती वाहुल्य विकासखण्ड चकराता, कालसी, सहसपुर तथा नगर क्षेत्र देहरादून की मलिन वस्तियों की बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत् न्यून हैं। बालिकाओं में शत् प्रतिशत् साक्षरता दर प्राप्त करने के लिये नवीन विद्यालय, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं की साक्षरता दर में वृद्धि करने तथा उनके शत्–प्रतिशत् नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने में निम्नवत समस्याएँ प्रमुखता से उभर कर सामने आयी हैं –

- ❖ माता – पिता अथवा अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर है।
- ❖ परिवार के अधिकतर सदस्यों को रोजी–रोटी के लिये मजदूरी पर जाना पड़ता है तथा 6–14 वयवर्ग की बालिकाओं को गृहकार्य, छोटे भाई–बहिनों की देख–रेख भोजन पकाने के लिये जंगल से ईधन इकट्ठा करने के लिये पीने के पानी की व्यवस्था आदि करने के लिये शिक्षा से वंचित होना पड़ता है।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उम्र की वजह से बालिकाएँ कक्षा– 1 व 2 में प्रवेश लेने में झेंप महसूस करती है।
- ❖ जनपद के पर्वतीय क्षेत्र के विकासखण्ड जैसे चकराता, कालसी तथा रायपुर में नदी, नाले तथा जंगल के कारण बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है।
- ❖ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी बालिकाएं भी हैं जो गम्भीर बीमारी होने के कारण, कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण तथा आर्थिक रूप से परिवार को मदद करने के कारण शिक्षा को बीच में ही छोड़ देती है।

❖ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाएँ गणित विषय में कमजोर होने के कारण या अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण बीच में ही पढाई छोड़ देती है।

❖ माता–पिता अथवा अभिभावकों के मन में यह भ्रांति है कि बालिकाओं को अन्ततः घरेलू कार्यो को ही करना पड़ता है तथा विवाहोपरान्त दूसरे के घर जाना है, अतः उन्हें गृहस्थी सम्बन्धित कार्यो को ही करना चाहिए। परिणामस्वरूप बालिकाएँ 8 वीं तक की भी शिक्षा पूरी नही कर पाती हैं।

❖ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा वर्ष **1999–2000** में प्राथमिक एंवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों के **6–11** तथा **11–14** वय वर्ग के बालक एवं बालिकाओं की स्थिति विषयक शोध अध्ययन किया गया। यह अध्ययन जनपद के दो विकासखण्ड़ों, सहसपुर, तथा विकासनगर में किया गया जिसका निष्कर्ष जनपद के संदेश के रूप में स्वीकार किया गया।

सारिणी– **9.1**

बालक तथा बालिकाओं में ड्राप आउट की तुलनात्मक स्थिति – सारिणी – 9.1

विकास खण्ड	वय–वर्ग	बालक (प्रतिशत में)	बालिका (प्रतिशत में)
विकासनगर	6-11	9	11.44
	11-14	17-07	20.67
सहसपुर	6-11	14-54	16.89
	11-14	27-66	20.80

उक्त सारिणी से स्पष्ट है, कि जनपद की बालिकाओं में ड्राप आउट दर बालकों से अधिक हैं।

ड्राप आउट के कारण

❖ **पारिवारिक कारण –** बालिकाएँ घरेलू कार्यो में अपने अभिभावकों को मदद के लिये, जीविकोपार्जन के लिये तथा घरेलू कार्यो मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ड्राप आउट होती हैं।

❖ **आर्थिक कारण –** पढ़ाई में व्यय अधिक होने के कारण ड्राप आउट होती हैं।

❖ **भौगोलिक कारण–** विद्यालय अधिक दूर होने के कारण बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण नही कर पाती है।

❖ **अन्य कारण –** अनुत्तीर्ण हो जाने पर कुछ न सीख सकने के कारण, बीमारी या अस्वस्थता के कारण तथा मित्रों के कारण बालिकाएँ विद्यालय छोड़ देती हैं।

9.2 समस्याओं के समाधान हेतु रणनीतियाँ –

❖ **जनजागरण अभियान**

वर्ष 2000–2001 की जनगणना के अनुसार जिले स्तर पर प्राप्त इस जनपद की कुल साक्षरता दर **78.98** प्रतिशत् हैं। जिसमें **85.57** प्रतिशत् पुरूषों तथा **71.22** प्रतिशत् महिलाओं की साक्षरता दर हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यदि हम विकासखण्ड वार साक्षरता की दर पर दृष्टि डाले तो पायेगें कि जनपद की कुल साक्षरता दर **69.05** प्रतिशत् में पुरूषों की साक्षरता दर **77.95** प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर **59.26** प्रतिशत् हैं। इस जनपद में विकासखण्ड चकराता में महिला साक्षरता दर **12.36** प्रतिशत् है, विकासखण्ड कालसी में महिला साक्षरता दर **20.12** प्रतिशत् हैं।तथा विकासनगर में **32.31** प्रतिशत् है यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

❖ विकासखण्ड चकराता तथा कालसी पूर्णतः जनजातीय विकासखण्ड है तथा विकासखण्ड विकासनगर में अनु0 जन जाति, अनु0 जाति तथा अल्प संख्यक जातियों की बहुलता हैं।

❖ परिवार सर्वेक्षण 2002 के आँकड़ों के अनुसार विकासखण्ड–चकराता में 6–11 वयवर्ग के कुल 1011 बच्चे

विद्यालय नही जा रहे हैं, सिमें 537 बालिकाएँ सम्मिलित हैं तथा 11–14 वय वर्ग के 806 बच्चे विद्यालय नही जा रहे है, जिसमें 417 बालिकाएँ सम्मिलित हैं।

❖ विकासखण्ड कालसी में 6–11 वयवर्ग के 507 बच्चे विद्यालय नही जा रहे हैं, जिसमें 226 बालिकाएँ सम्मिलित हैं तथा 11–14 वयवर्ग के 485 बच्चे विद्यालय नही जा रहे हैं, जिसमें 205 बालिकाएँ सम्मिलित है।

❖ विकासखण्ड विकासनगर में 6–11 वय वर्ग के 1355 बच्चे विद्यालय नही जा रहे है, जिसमें 721 बालिकाएँ सम्मिलित हैं।

उक्त बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिये जन–जागरण अभियान चलाया जायेगा। माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह इस अभियान के अन्तर्गत महिला मंगल दल, महिला स्वयं सहायता समूह की बैठकों का आयोजन किया जायेगा तथा इनकी सहभागिता से प्रभातफेरी, तथा जुलूस निकाले जायेंगे।

9.3 क्षमता सम्बर्द्धन

◆ बालिका शिक्षा हेतु 335 ग्राम शिक्षा समितियों/एस.एम.सी. के लिये संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

◆ 830 प्राथमिक तथा 210 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एम0टी0ए0 का गठन कर उनके सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

◆ जनपद में कार्यरत सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों को बालिका शिक्षा संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु स्वतः निर्देशित प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण कर वर्ष 2002–03 में शिक्षकों को विकासखण्डवार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

◆ ग्राम सभा स्तर पर अभिप्रेरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

9.4 कम्प्यूटर शिक्षा

वर्तमान समय सूचना एवं प्रौद्योगिकी का है। कम्प्यूटर शिक्षा वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता हैं। समाज में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति आकर्षण है, परन्तु महँगी शिक्षा होने के कारण आम लोगों के पहुँच के बाहर हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा को अनुसूचित जाति के बच्चों, जनजाति के बच्चें तथा ग्रामीण बालिकाओं तक पहुँचाने के लिये प्रस्ताव किया गया हैं। इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में एक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिक स्तर के 10 अध्यापकों को 20 दिन के कम्प्यूटर प्रशिक्षण, का प्राविधान किया गया हैं, जिससे वे बच्चों को प्रभावी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करेगें।

9.5 ई0सी0सी0ई0 केन्द्र :

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 453 आँगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में 12506 बच्चे अध्ययनरत हैं। इन केन्द्रों में से 358 केन्द्र ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में 20 अधिक छात्र संख्या है तथा 95 केन्द्र ऐसे हैं। जहाँ प्रत्येक में 20 से कम छात्र संख्या है। इन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। आँगनवाडी कार्यकर्त्रीयों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जनपद में ऐसे ग्रामों/बस्तियों में जहाँ आँगनवाडी नहीं है वहाँ विकासखण्डवार चकराता में 8, कालसी में 20, विकासनगर में 08, रायपुर में 74, डोईवाला में 43, मसूरी में 05 तथा ऋषिकेश में 05 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन केन्द्रों को खोलते समय इस बात का घ्यान रखा जायेगा कि ये केन्द्र ई0जी0एस0 तथा प्राथमिक के विद्यालय के नजदीक या उसी परिसर में हों। ई0सी0सी0ई0 के कार्यकर्त्रीयों के लिए मानदेय एवम् प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आँगनवाड़ी बालवाड़ी तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिये इन केन्द्रों को टी0एल0एम0 के लिये अनुदान तथा कार्यकर्त्रियों के लिये अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था की जायेगी। गाँव में संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रो को प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ सीपित कर गतिशील बनाया जायेगा।

9.6 ग्रीष्मकालीन शिविर :

जनपद के नगर क्षेत्र देहरादून तथा ऋृषिकेश में ऐसी बालिकाएँ जो गम्भीर बीमारी होने के कारण, तथा आर्थिक रूप से परिवार की मदद करने के कारण शिक्षा को बीच में ही छोड़ देती हैं, उनहे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजना किया जायेगा। इन शिविरों में स्थानीय अनुदेशकों की व्यवस्था की जायेगी। अनुदेशकों को डायट में 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ग्रीष्म कालीन शिविर की अवधि 3 माह से 6 माह तक की होगी।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ड्राप आउट बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क किया जायेगा। उनके ड्राप आउट होने के कारणों का विश्लेषण किया जायेगा तथा बालिकाओं को शिविर में भेजने के लिये उनके अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा। शिविर में प्रतिभाग करने वाली बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जायेगा।

9.7 उपचारात्मक शिक्षण :

जनपद के चकराता तथा कालसी तथा विकासनगर विकासखण्ड में बालिकाओं की संख्या उच्च प्राथमिक स्तर पर कम होती जाती है या कुछ बालिकाएँ कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय छोड़ देती हैं। ऐसी बालिकाओं से, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली बालिकाओं से, अध्यापकों एवं अभिभावकों से बातचीत करने पर यह तथ्य सामने आया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाएँ गणित विषय को कठिन समझती हैं, जिसके कारण नामांकन एवं ठहराव पर कुप्रभाव पड़ रहा है। प्रायः यह भी देखने में आया है कि अधिकांश बालिकाएँ गणित विषय के स्थान पर अन्य विषय पढ़ना पसन्द करती हैं, जैसे– कक्षा –9 में गणित विषय के स्थान पर गृहविज्ञान।

उक्त समस्या के समाधान के लिये विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में एक–एक मॉडल क्लस्टर का चयन किया जायेगा। मॉडल क्लस्टर का चयन किया जायेगा। मॉडल क्लस्टर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को उपचारात्म शिक्षण के लिये क्रियात्मक शोध उपागम (Action Research Approach) के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

9.8 ब्रिज कोर्स तथा राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालयों से समन्वय –

भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण जिन क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में बाँधा पहुँचती हैं, अथवा जहाँ विद्यालय दूर हैं तथा बालिकाएँ अन्य कार्यो में संलग्न हैं, वहाँ ब्रिज कोर्स जो पूर्ण रूप से आवासीय होगें कि व्यवस्था की जायेगी। इस जनपद में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति से आच्छादित विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में पूर्व रूप से आवासीय विद्यालय संचालित है। विकासखण्ड चकराता में जनजाति बालिकाओं के लिये राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय लाखामण्डल में संचालित किया जा रहा हैं। जहाँ पर 169 बालिकाएँ अध्ययनरत है तथा 21 अध्यापक

कालसी राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय संचालित हो रहा हैं इन दोनो विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा इनमे व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा।

9.9 बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत ऋृषिवैली पैटर्न पर आधारित शैक्षिक नवाचार।

जनपद के शैक्षिक आधारभूत विभागीय आँकड़ों के अनुसार जनपद में 0–20 छात्रसंख्या वाले 69 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है, 21–80 छात्रसंख्या वाले 471 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में एक या दो शिक्षकों को कक्षा – 1से 5 तक की कक्षाओं का शिक्षण कार्य करना पड़ता हैं, यहीं शिक्षक राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे – जनगणना, बालगणना, निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण आदि को भी करते हैं। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित समस्याएँ उभर कर सामने आयी हैं –

- प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चा प्रत्येक विषय को नही पढ़ पाता हैं।
- बच्चों की सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी है।
- विभिन्न विषयों में सम्प्राप्ति स्तर न्यून है।
- कक्षा शिक्षण प्रक्रिया आनन्दायी नही है।
- अध्यापक के अवकाश पर रहने की स्थिति में विद्यालय बन्द रहता है।
- कक्षा शिक्षण पूर्णत– अध्यापक निर्देशित है।
- कक्षा शिक्षण में मात्र पाठ्य पुस्तक ही सीखने–सिखाने का आधार है।
- विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिये आकर्षक नही है।
- इन विद्यालयों के प्रति समुदाय की सोच नकारात्मक हो रही है।

उक्त समस्याओं के आलोक में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के जनजातिय विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में जहाँ 0–20 छात्रसंख्या वाले क्रमशः 05 तथा 12 एवं 21 से 80 छात्र संख्या वाले क्रमशः 123 तथा 118 विद्यालय हैं, जहाँ एक या दो अध्यापक कार्यरत हैं, में बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत ऋृषिवैली पैटर्न पर शिक्षण विधा को प्रायोगिक रूप से संचालित किया जायेगा।

- ❖ प्रथम चरण में विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में एक–एक विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा।
- ❖ द्वितीय चरण में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति वाले विद्यालयों को आच्छादित किया जायेगा।
- ❖ शिक्षक–प्रशिक्षण की विधा प्रयोगात्मक व स्थानापन्न होगी।
- ❖ उत्तरांचल में ऋृषिवैली सैटेलाइट स्कूल पैटर्न का अध्ययन, राज्य की 6 सदस्यी टीम ने किया है। इस टीम द्वारा उत्तरांचल के तीन जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी तथा पिथौरागढ़ में ऋृषिवैली सैटेलाइट स्कूल

पैटर्न पर प्रायोगिक अनुसंधान का कार्य प्रारम्भ किया गया है। उक्त जनपदों में बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत विकसित मॉडल का भी उपयोग किया जायेगा।

इसके अन्तर्गत निम्नवत क्रियाकलाप प्रस्तावित है–

1. जनपद तथा संकुल स्तर पर क्षमता विकास
2. शिक्षक सशक्तीकरण
3. सामग्री विकास व निर्माण
4. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण
5. मूल्यांकन
6. प्रबन्धन।

9.10 पायलट एप्रोच

❖ जनपद के जनजातीय विकासखण्ड चकराता तथा कालसी में महिला साक्षरता दर में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पायलट एप्रोच से किया जायेगा।

❖ उक्त विकासखण्डों में न्याय पंचायत स्तर पर एक–एक गाँव को पायलट गाँव के रूप में चयनित किया जायेगा। पायलट गाँव की साक्षरता दर सबसे न्यून होगी तथा 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं का नामांकन दर भी न्यून होगा।

❖ पायलट गाँव की साक्षर या शिक्षित बालिकाओं का एक बालिका शिक्षा समूह होगा, जिसके सदस्यों को पायलट गाँव की निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने तथा बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये न्याय पंचायत स्तर/ ग्राम स्तर पर नुक्कड़–नाटक, गोष्ठी, प्रभातफेरी, अभिप्रेरण कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस संघ द्वारा सम्बन्धित न्यायपंचायत के गाँवों/बस्तियों की बालिकाओं को शत् –प्रतिशत् नामांकन निश्चित करते हुये महिला साक्षरता दर बढ़ाया जायेगा। इस प्रक्रिया से पूरे विकासखण्ड को चरणबद्ध तरीके से आच्छादित किया जायेगा।

9.11 विशेष नामांकन अभियान

इस जनपद में सहभागितापूर्ण सूक्ष्म नियोजन के आधार पर सभी विकासखण्डों तथा नगर क्षेत्र की मलिन बास्तियों में स्थानीय समुदाय विशेष रूप से महिला मंगलदल, महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग से निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

- **.माँ बेटी मेला आयोजन**– ग्राम स्तर पर माँ– बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा। माताओं को अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

- **मीना कम्पैन**– इसके माध्यम से प्रत्येक गाँव में गोष्ठियों का आयोजन, फिल्म प्रदर्शन ,बैनर, चार्ट, पोस्टर, कला जत्था के माध्यम से माता–पिता एवम् आभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा।

अध्याय 10

समेकित शिक्षा– विशेषवर्ग की शिक्षा

10.1 6–11 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का विवरण।

10.2 11–14 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का विवरण।

10.3 सामुदायिक सहभागिता।

10.4 अन्य विभागों का अपेक्षित सहयोग।

10.5 सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम में स्वयं संगठनों की भूमिका।

अध्याय – 10

समेकित शिक्षा– विशेषवर्ग की शिक्षा

विकलांगता मानव का विशिष्ट स्वरूप है, इसे सहानुभूति नही वरन् सुअवसर प्रदत्त करने की आवश्यकता हैं। भारत की 5–10 प्रतेशत् जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित हैं। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता, जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों कों विद्यालय नही लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव, जहाँ बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता हैं, वही परिवार व समुदाय को भी प्रभावित करता हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। जिला विकलांगता अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 17 वर्ष से ऊपर विकलांगों की कुल संख्या 2178 है, तथा 17 वर्ष से कम विकलांगों की कुल संख्या 368 हैं। विभागीय सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य क्षेत्र में आने वाले ग्रामों बस्तियों में रहने वाले तथा विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग बच्चों की विकलांगता के प्रकार पर आधारित आँकड़ों का विश्लेषण किया गया हैं। सारिणी 8.8.1 तथा 8.8.2 में विकलांग बच्चों की उनकी अक्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया हैं। सारिणी 8.8.1 में जनपद में 6–11 वय वर्ग तथा सारिणी 8.8.2 में 11–14 वय वर्ग के बालक एवम् बालिकाओं का विवरण दर्शाया गया है।

सारिणी– 10.1 6–11 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का विवरण वर्ष 2001–02

क्र0सं0	विकलांगता	चकराता		कालसी		विकासनगर		सहसपुर		डोईवाला		रायपुर		न0क्षे0 देहरादून		न0क्षे0 मसूरी		न0क्षे0 ऋषिकेश		योग	
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
1	दृष्टिबाधित	5	0	0	2	5	13	1	0	2	2	3	2	1	2	0	0	0	0	17	21
2	मूक	7	6	11	7	10	5	11	6	1	0	17	7	6	0	1	0	0	0	64	31
3	बधिर	12	10	8	6	2	2	0	0	1	4	0	0	2	0	1	2	0	0	26	24
4	शारीरिक	20	22	27	11	50	32	36	20	23	11	22	12	17	11	0	2	2	2	197	123
5	मानसिक	08	08	11	09	18	14	12	09	17	07	17	10	01	02	00	00	00	00	84	59
6	बहुविकलांग	01	00	00	00	01	00	00	00	00	00	15	09	00	00	00	00	00	00	17	09
	योग	53	46	57	35	86	66	60	35	44	24	74	40	27	15	02	04	02	02	405	267

सारिणी– 10.2 11–14 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का विवरण वर्ष 2001–03

क्र0सं0	विकलांगता का प्रकार	चकराता		कालसी		विकासनगर		सहसपुर		डोईवाला		रायपुर		न0क्षे0 देहरादून		न0क्षे0 मसूरी		न0क्षे0ऋषिकेश		योग	
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G
1	दृष्टि बाधित	00	00	00	00	06	01	01	04	05	03	00	02	00	00	00	00	00	00	12	10
2	मूक	08	00	01	02	07	01	04	00	00	01	09	02	00	00	01	00	00	00	30	06
3	बधिर	04	03	00	00	01	00	00	00	01	01	00	00	01	00	01	02	00	00	08	06
4	शारीरिक	12	05	05	00	43	28	12	08	06	06	11	06	01	01	00	02	00	01	90	57
5	मानसिक	15	00	00	00	03	05	05	03	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	24	08
6	बहुविकलांग	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	12	08	00	00	00	00	00	00	12	08
	योग	39	08	06	02	60	35	22	15	13	11	32	18	02	01	02	04	00	01	176	95

स्रोतः– विभागीय

◆ समस्या का विश्लेषण;

सारिणी 8.8.1 व 8.8.2 से स्पष्ट हैं, कि विकलांगता कई प्रकार की हैं तथा उनकी समस्याएँ भी भिन्न–भिन्न प्रकार की हैं।बच्चों में कुछ विकलांगतायें/अक्षमताएँजन्म से होती है, तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती हैं तथा कुछ अक्षमताएँ वातावरण से सम्बन्धित होती हैं, परिणामस्वरूप सीखने की अक्षमताओं के कई कारण होते हैं। जैसे– बौद्धिक कियाकलाप का निम्नस्तर एवं विकास की मन्द गति, देखने में कठिनाई, सुनने व बोलने में कठिनाई, हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगों की विकृति, मांसपेशियों के तालमेल न हीने से कियाकलाप सम्पन्न करने में कठिनाई तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति विषयक समस्याएँ।

बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित कुछ कारण होते हैं, जैसे– माता–पिता के स्नेह में कमी, बच्चों को हीने भावना से देखना, सीखने के समान अवसर न मिलना, बचपन में लालन–पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना, शिक्षकों का विकलांग बच्चों के साथ अनुकूल व्यवहार न होना। विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता की कमी, चलने में परेशानी, समाज द्वारा उपेक्षित व्यवहार का भय बना रहता हैं।

निदानात्मक विश्लेषण–

विकलांगता की समस्याओं के विश्लेषण से ये तथ्य उभरकर सामने आये हैं कि–

- अध्यापकों को विश्वास हैं कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती हैं, जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता नही होती, केवल अध्यापक को ऐसे बच्चों के लिये कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना होगा।

- गम्भीर रूप से विकलांग या असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों के लिये विशिष्ट संस्था तथा शिक्षक की आवश्यकता होगी।

- हाथ–पैर से विकलांग बच्चों के लिये उपयुक्त उपकरणों की आवश्यकता होगी।

- आत्मनिर्भरता में कमी, समाज में उपेक्षित बच्चों के लिये शिक्षकों की संवेदनशीलता आवश्यक हैं।

- मानसिक मन्दता, प्रत्यक्षीकरण, अवधान तथा स्मृति विषयक समस्याओं के लिये मनोविज्ञान के विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी।

- बचपन में अनुपयुक्त तरीके से लालन–पालन की विकृतियों को दूर करने के लिये माता–पिता अथवा अभिभवकों की संवेदनशीलता आवश्यक हैं।

संवेदीकरण

समुदाय का संवेदीकरण

- इसके अन्तर्गत जनसमुदाय की भ्रांतियों को दूर किया जायेगा तथा विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा। इसके लिये प्रचार माध्यम एवं गोष्ठियों का उपयोग किया जायेगा

- इस जनपद में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान स्थापित है। पूर्णरूपेण दृष्टिबाधित बच्चों को इस संस्थाने में प्रवेश दिलाने के लिये उनके माता–पिता व अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा।

- विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण के माध्यम से संवेदनशील बनाया जायेगा, तथा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0आई0 को हाथ–पैर से विकलांग बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव भेजा जायेगा!

स्वास्थ्य परीक्षण

- जनपद में ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्साधिकारियों को मुख्य संकल्पनाओं के बारे में अवगत कराया जायेगा।

- ब्लाक स्तर पर चुने हुये स्कूल के अध्यापकों के साथ चिकित्साधिकारियों का दल विकलांग बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर विचार–विमर्श कर सहयोग पूर्ण वातावरण के महत्व पर बल दिया जायेगा।

- विकलांग बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा।

- विशेषज्ञों के लिये सम्मान स्वरूप मानदेय की व्यवस्था की जायेगी।

उपकरण एंव उपस्कर

विकलांग बच्चों की अक्षमता की स्थिति की जानकारी के लिये उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये चिकित्सकों के दल द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा। चिकित्सकों के दल में एक आर्थोपेडिक्ट, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एंव एक आई स्पेशलिस्ट सम्मिलत होगें। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराए जाएगें। उपस्कर एवम् उपकरणों की उपलब्धता के लिये विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। इसके लिये निम्न संस्थाओं सें सम्पर्क किया जायेगा----

- राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून
- यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13लूकरगंज, इलाहाबाद

◆ मंगलम, ए-445 इँदिरानगर, लखनऊ

◆ एलिम्को, जी0टी0रोड, कानपुर-208016

◆ अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेण्टर, कर्करडूमा, विकासमार्ग दिल्ली।

◆ शिक्षकों का प्रशिक्षण

◆ शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षकों कें सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप सें लिया जायेगा, जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ **शिक्षा** देने की विद्या पर बल दिया जायेगा। सेवारत शिक्षकों के लिये समेकित शिक्षा हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। समेकित शिक्षा के मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन एस0सी0ई0आर0टी0 तथा राज्य परियोजना सर्वशिक्षा अभियान द्वारा आयोजित किया जायेगा।

◆ समेकित शिक्षा के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण हैतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा।

◆ विकलांग बच्चों का कार्यात्मक आकलन।

- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान।
- विकलांग बच्चों के समूहों के लिये शिक्षण रणनीति का विकास करना।
- कक्षा–कक्ष प्रबन्धन, प्रभावी निरीक्षण एवं मूल्यांकन।
- विकलांग बच्चों के माता–पिता तथा अभिभावकों के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन।
- विकलांग बच्चों के प्रति अन्य बच्चों को संवेदनशील बनाना।

◆ समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेमित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिये सहायता प्रदान की जायेगी। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का यागदान महत्वपूर्ण होगा। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शिक्षकों तथा अभिभावकों का संवेदीकरण, सामुदायिक गतिशीलता , शिक्षकां में विशेष कौशल विकसित करना, विकलांग बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में शिक्षकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद के अनुभवी, ख्यातिप्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे प्रस्तावों का फील्ड अप्रैजल किया जायेंगा तथा कुशल एवं अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

10.3 – सामुदायिक गतिशीलता

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामशिक्षा समितियों का निर्माण किया गया है, तथा नगर क्षेत्र में विद्यालय समितियों का निर्माण किया गया हैं। परन्तु ये समितियाँ अपनी भूमिका में कुछ संकुचित गतिविधियों

- अन्तरक्षेत्रीय समन्वय, सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय एवम् अन्य संसाधन जुटाने के लिये प्रेरित तथा सुग्राहित किया जायेगा।

10.4 अन्य विभागों का अपेक्षित सहयोग

- **महिला एवं बाल विकास विभाग–** महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर आँगनबाड़ी कार्यकत्रीयों की सहायता से बच्चों का नियमित वजन करवाना ताकि बच्चों की कुपोषण से बचाया जा सके। सभी बच्चों को नियमित एवं समय पर टीकें लगवायेगें, गर्भवती महिलाओं को अपेक्षित सलाह तथा आयरन फौलिक एसिड गोलियाँ दी जायेगी।

- **स्वास्थ्य विभाग–** विद्यालयों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से करवाया जायेगा। ग्रामवासियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जायेगा। गाँव में स्वास्थ्य घर खुलवाये जायेगें, जहाँ दवाइयाँ, ओ0 आर0 एस0 के पैकेट, आयरन की गोलियाँ आसानी से मिल सके।

- **समाज कल्याण विभाग–** प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों की छात्रवृत्ति का वितरण समय से कराया जाएगा। इस राज्य में विकलांग कल्याण विभागग को समाज कल्याण विभाग के अंग के रूप में संचालित किया जा रहा हैं। जिले स्तर पर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी नही हैं। अतः विकलांग बच्चों की पहचान का प्रमाण–पत्र बनवाये जायेगें, तथा उपकरण एवं उपस्कर की व्यवस्था करायी जायेगी।

- **श्रम विभाग–** 6–14 वयवर्ग के बाल मजदूरों की पहचान करायी जायेगी तथा इन बच्चों के लिये स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था करायी जायेगी।

- **जल विभाग–** खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत, टूटी पाइप लाइन की मरम्मत तथा नये हैण्डपम्प व पाइप लाइन की व्यवस्था कर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

- **वन विभाग–** विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका पौध रोपण में सहयोग लिया जायेगगा।

- **खाद्यान्न आपूर्ति विभाग–** विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार का नियमित वितरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जायेगी।

तक सिमटी हुयी हैं। अर्थात् मात्र कागजी हैं। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को अपने अधिकार व दायित्वों की जानकारी नही हैं,परिणाम स्वरूप विद्यालयों के सुधार के बारे में ग्राम्य स्तर पर सोच विकसित नही होती हैं। अतः समुदाय विद्यालयी शिक्षा को मात्र सरकारी काम–काज की संज्ञा देकर अपने दायित्वों से मुँह मोड़ लेता हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन समितियों को न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सफल कियान्वयन का दायित्वों दिया जायेगा साथ ही ग्राम की शिक्षा विकास योजना की संरचना का भी दायित्व दिया जायेगा। इसका मूल उद्देश्य है कि स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित गुणवत्तायुक्त शिक्षा के नियोजन में ग्राम शिक्षा समिति और इसके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता की भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान स्थिति में यह एक नवीन चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि आज के बालकों के भविष्य की शिक्षा का नियोजन एवं प्रबन्धन और उसके माध्यम से एक सफल नागरिक का विकास हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता हैं। इस अभियान के अन्तर्गत जिले में उत्कृष्ट कार्य के लिये एक ग्राम शिक्षा समिति को प्रोत्साहन स्वरूप रू **25000/** का पुरस्कार देने की योजना हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के बीच प्रतिर्स्पधा की भावना जागृत की जायेगी।

♦ सामुदायिक गतिशीलता के लिये निम्नवत् कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण–

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यसें के लिये संकुल संसाधन केन्द्रों पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा के प्रति क्रियाशील बनाया जायेगा।
- बालिका शिक्षा विकलांग बच्चों की शिक्षा, अनु0 जाति, जनजाति के बच्चों की शिक्षा के प्रति सदस्यों को विशेष रूप से संवेदनशील बनाया जायेगा।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित की जायेगी।
- आकर्षक विद्यालय; कक्षा–कक्ष निर्माण, रूचिपूर्ण वातावरण तथा विद्यालय संचालन में योगदान हेतु ग्राम शिक्षा समिति को अभिप्रेरित तथा सुग्रहित किया जायेगा।

- **महिला समाख्या**– बालिकाओ के नामांकन एवं ठहराव तथा महिला साक्षरता वृद्धि हेतु सहयोग लिया जायेगा।

10.5 सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम में स्वयं सेंवी संगठनों की भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षको अभिभावको तथा स्थनीय समुदाय में 6–11 तथा 11–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूप बनाने के लिये सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों में स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, सूक्ष्मनियोजन, विद्यालय मानचित्रण तथा स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रकिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वनूर्ण योगदान लिया जा सकता हैं। जनपद स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद के अनुभवी व ख्यातिप्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे। इन प्रस्तावों का फील्ड अप्रैजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी । स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षयता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–11 (अ)

गुणवत्ता विकास के लिए परियोजना

उपविषय

11.अ.1	रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम।
11.अ.2	विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम।
11.अ.3	वर्ष 2000–01 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्यात्मक स्थिति।
11.अ.4	शोध अध्ययन।
11.अ.5	उपलब्ध स्तर का मूल्यांकन।
11.अ.6	ड्राप आउट की स्थिति।
11.अ.7	शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन।
11अ.8	कियात्मक शोध।
11.अ 9	सामग्री विकास तथा प्रकाशन।
11.अ 10	शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयाँ।

11.अ 11	शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवम् समर्थन।
11.अ11.1	पर्यवेक्षण के आधार पर ग्रेडिंग।
11.अ 11.2	प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रथम पाँच वर्षो के प्रशिक्षण कार्यक्रम।
11.अ 12	शिक्षण सामग्री विकास।
11.अ 13	कार्यशाला तथा गोष्ठियों का आयोजन।
11.अ 14	जनजागृति सामग्री विकास।
11.अ 15	पुरस्कार योजना।
11.अ 16	सप्लीमेन्ट्री मेटीरियल का निर्माण।
11. अ 17	क्षमता विकास।
11.अ 18	डायट/बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 की भूमिका।
11 अ .19	बी0आर0सी0 की भूमिका।
11 अ .20	सी0आर0सी0 की भूमिका।
11 अ 21	गुणवत्ता विकास में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका।
11 अ 22	पारदर्शिता के लिए उपाय ।

अध्याय 11 (अ)

गुणवत्ता विकास के लिये परियोजना

" शौक्षिक परिदृश्य "

जनपद देहरादून में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं। यद्यपि यह जनपद महिला साक्षरता दर की अधिकता के कारण परियोजना से आच्छादित नही रहा हैं, फिर भी डायट के अकादमिक नेतृत्व में शिक्षक–शिक्षा, शिक्षण–अधिगम प्रकिया, कक्षा प्रबन्धन, सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियों तथा तकनीकों में सुधार एवं विकास के लिये सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, शोध अध्ययन, कियात्तमक शोध, प्रायोगिक अनुसंधान, शैक्षिक नवाचार, शिक्षण एवम् प्रशिक्षण सामग्री विकास स्थानीय संदर्भ साहित्य विकास, शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण कार्यो का सम्पादन किया गया है।

11.अ.1– रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम

इस जनपद में यूनीसेफ से सहायता प्राप्त रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1995–96 से वर्ष 2000–2001 तक संचालित किया गया। यह कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर जनपद के एक विकासखण्ड (रायपुर) में पायलट ब्लाक के रूप में चयनित कर आच्छादित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षावार प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। शिक्षकों, शिक्षाविदों, डायट तथा यूनीसेफ की सहभागिता से **प्रबोधिका** का निर्माण प्रशिक्षण पैकेज के रूप में किया गया जिसमें शिक्षकों का रूचिपूर्ण शिक्षण विधा जैसे– खेल, अभिनय, नाटक, कहानी, गीत का प्रशिक्षण दिया गया; प्रशिक्षण की तकनीक " शिक्षक–कक्षा " पर आधारित थी। प्रशिक्षण अवधि में शिक्षकों द्वारा पाठ्यवस्तु पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाना तथा उनका प्रयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आकर्षक अंग था।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के एक कक्ष में रूचिपूर्ण शिक्षण कक्ष की साज–सज्जा की गयी। साज–जज्जा के अन्तर्गत दीवार श्यामपट्ट (कक्षा– कक्ष के आन्तरिक दीवार की काली पट्टी), कहानी भित्त चित्रण, पर्यावरण, चित्रण, वर्णमाला, गिनती, पहाड़े आदि का समावेश आकर्षक ढंग से किया गया।

रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम जनपद के विकासखण्ड रायपुर में कक्षा–1 से 5 तक, विकासखण्ड डोईवाला में कक्षा 1 तथा 2 में संचालित किया गया। वर्ष 2000–2001 में विकासखण्ड–सहसपुर , रायपुर, डोईवाला, तथा चकराता के सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

सारिणी 11.अ.1.1 वर्ष 2001–2002 में सम्पन्न रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम

क0स0	विकासखण्ड का नाम	फेरा	तिथि कब से कब तक	प्रतिभागियों की संख्या
1	रायपुर– कक्षा 4–5 (प्र0अ0/ स0अ0)	05	13–12–99 से 12–1–2000	204
2	डोईवाला कक्षा 4–5 (प्र0अ0/ स0अ0)	05	24–8–2000 से 20–9–2000	227
3	स्हसपुर कक्षा 4–5 (प्र0अ0 /स0अ0)	05	16–10–2000 से 24–11–2000	193
4	चकराता– कक्षा–1	04	16–10–2000 से 17–10–2000	164
5	रायपुर, डोईवाला	01	15–3–2000	41
	योग	20		829

11.अ.2– विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम (एस0ओ0पी0टी0)

इस जनपद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं एस0सी0ई0आर0टी0 की सहायता से प्राथमिक शिक्षकों के लिये विशेष अनुस्थापन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2000–2001 में उच्चप्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये गाणित विषय का विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण की समयावधि 10 दिन की थी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उच्चप्राथमिक विद्यालयों में गणित विषय का शिक्षण कर रहे शिक्षकों को सम्मिलित कराया गया।

सारिणी 11.अ.2.1 वर्ष 2000–2001 में उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए गणित विषय का प्रशिक्षण

क0स0	तिथि	फेरा	प्रतिभागियों की संख्या
1	1–11–2000 से 10–11–2000	प्रथम	34
2	11–11–2000 से 20–11–2000	द्वितीय	20
3	21–11–2000 से 30–11–2000	तृतीय	53
4	15–01–2001 से 24–01–2001	चतुर्थ	31
5	27–01–2001 से 5–2–2001	पंचम	43
6	12–2–2001 से 21–2–2001	षष्टम्	20
7	12–3–2001 से 21–3–2001	सप्तम्	47
	योग		248

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी 11.अ..3 वर्ष 2000–2001 में बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों की संख्यात्मक स्थिति

वर्ष	वर्ग	सामान्य	अनुसूचित जाति	पिछडी जाति	अनु0जनजाति	योग
1997 बैच	पुरूष	11	05	07	00	23
	महिला	13	04	06	00	23
	योग	24	09	13	00	46
1998 बैच	पुरूष	12	06	06	01	24
	महिला	13	05	06	01	25
	योग	25	11	12	02	49
	पुरूष	25	10	14	01	50
2000 बैच	महिला	25	11	13	01	50
	योग	50	21	27	02	100

स्त्रोत– विभागीय

11.अ..4 शोध अध्ययन

जनपद देहरादून में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये डायट के अकादमिक नेतृत्व में समय–समय पर शोध अध्ययन सम्पन्न किये गये। इन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर शिक्षक–प्रशिक्षण; शिक्षण सामग्री विकास, संस्थागत प्रबन्धन आदि क्षेत्रों में गुणवत्ता विकास के लिये प्रयास किये गये।

डायट के अकादमिक नेतृत्व में सम्पन्न शोध–अध्ययन

(वर्ष 1995–96 से 2000–2001 तक)

क्र0 सं0	शोध–अध्ययन का शीर्षक	वर्ष	उपलब्धि
1.	जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रमें बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता के कारणों का अध्ययन एवं समाधान के उपाय।	वर्ष 1996–97	1. ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुयी।
2.	जनपद देहरादून के परिषदीय विद्यालयों के अपेक्षाकृत माण्टेसरी (अंग्रेजी माध्यम) के प्रति अभिभावकों की अभिरूचि विषयम अध्ययन।	वर्ष 1997–98	2. प्राथमिक विद्यालयों (परिषदीय) में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता हेतु सुझाव दिया गया। 2.1 लैवएरिया के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रायोगिक रूप से कक्षा–1 में अंग्रेजी शिक्षण प्रारम्भ कराया गया, कक्षा–1 में नामांकन में वृद्धि हुयी।
3.	जनपद देहरादून में प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट होने के कारणों का अध्ययन।	वर्ष 1998–99	3. ड्राप आउट के कारणों का पता चला।

			3.1 ड्राप आउट की समस्या समाधान हेतु सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शैक्षिक आगत प्रदान किया गया।
4.	जनपद देहरादून में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गृह कार्य के प्रति उदासीनता का अध्ययन।	वर्ष 1997–98	4. शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर शिक्षकों को प्रदत्त सुझाव लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं।
5.	जनपद देहरादून में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रदत्त शैक्षिक तकनीकी सामग्री का प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव।	वर्ष 1998–99	5. शैक्षिक तकनीकी सामग्री की पहिचान की गयी तथा विद्यालयों में उनका प्रयोग सुनिश्चित किया गया।

11.अ.5 उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन

वर्ष 1998–99 में डायट के अकादमिक नेतृत्व में जनपद के ग्रामीण एवम् नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा–2 तथा कक्षा–5 के बच्चों का भाषा तथा गणित विषय में उपलब्धि स्तर का

मूल्यांकन किया गया। इस कार्य के लिये जनपद में विकासखण्ड डोईवाला तथा नगर क्षेत्र देहरादून का चयन किया गया। उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन की स्थिति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी हैं–

सारिणी 11.अ.5.1

विकासखण्ड डोईवाला–ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में भाषा तथा गणित में मध्यमान उपलब्धि (प्रतिशत् में)

कक्षा	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा–2	326	55	7.27	326	35.7	13.8
कक्षा–5	226	52	5.92	226	25	15

उपरोक्त सारेणी में दर्शायी गयी मध्यमान उपलब्धि से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा–2 में भाषा की उपलब्धि का मानक विचलन **7.27** प्रतिशत् हैं। तथा कक्षा 5 के बच्चों का उपलब्धि का मानक विचलन **5.92** प्रतिशत् है, जो असामान्य प्रविृति को दर्शाता हैं। इसी तरह गाणित विषय में कक्षा 2 में **13.8** प्रतिशत् तथा कक्षा 5 में **15** प्रतिशत् इस बात को स्पष्ट करता है कि बच्चे अगली कक्षाओं में गणित विषय में कमजोर होते जा रहे हैं। यदि कक्षा 2 तथा कक्षा 5 की उसी कक्षा के भाषा तथा गणित का मध्यमान उपलब्धि देखे तो पायेगे कि बच्चे भाषा की अपेक्षाकृत गणित में अधिक कमजोर हैं।

सारिणी 11.अ.5.1 (नगर क्षेत्र देहरादून के प्राथमिक विद्यालयों में भाषा तथा गणित में मध्यमान उपलब्धि)(प्रतिशत् में)

कक्षा	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	412	60	5.99	412	50	8.28
कक्षा 5	172	54	5.80	172	30	9.49

स्त्रोत– उपलब्धि स्तर मूल्यांकन रिपोर्ट

सारिणी 9.5.2 पर दृष्टिपात करने से हमे यह पता चलता है कि नगरक्षेत्र के विद्यालयों में भाषा विषय में कक्षा 2 में मानक विचलन **5.99** प्रतिशत् तथा कक्षा 5 में **5.80** प्रतिशत है जो लगभग सामान्य स्थिति में प्रगतिशील है। इसी तरह गणित विषय में भी दोनो कक्षाओं में लगभग सामान्य स्थिति है परन्तु कक्षा 2 के बच्चों का भाषा तथा गणित में मानक विचलन कमशः **5.99** प्रतिशत तथा **8.28** प्रतिशत है तथा कक्षा–5 में भी भाषा तथा गणित में कमशः मानक विचलन **5.80** प्रतिशत तथा **9.49** प्रतिशत् हैं। इन दोनो विषयों का उसी कक्षा में विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि गणित विषय में बच्चों का उपलब्धि स्तर चिन्ता जनक है। अतः प्राथमिक स्तर पर गणित विषय के प्रभावी शिक्षण के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं।

11.अ.6 ड्राप आउट की स्थिति

जनपद देहरादून में डायट के अकादमिक नेतृत्व में ड्राप आउट की स्थिति एवम् उसके कारणों को ज्ञात करने के लिये वर्ष 1998–99 में शोध अध्ययन सम्पन्न किया गया हैं। इस अध्ययन के अन्तर्गत जनपद के दो विकासखण्डों (सहसपुर और विकासनगर) को ही सर्वेक्षण तथा प्राथमिक आँकड़ो के संकलन हेतु चुना गया, इनमें से सहसपुर विकासखण्ड जहाँ शहर से लगा हुआ है, वहीं विकासनगर विकासखण्ड पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र हैं। इन दोनों विकासखण्डों में सभी जाति, वर्गो के लोग निवास करते हैं। इस शोध अध्ययन को सम्पन्न करने के लिये रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर सहसपुर के 10 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा 06 उच्च प्राथमिक विद्यालयो तथा विकासनगर के 10 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयो तथा 06 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का छात्र संख्या, भौगोलिक परिवेश, मानवीय व भौतिक संसाधनों के आधार पर शोध सर्वेक्षण हेतु चयन किया गया, तथा इन दोनों विकासखण्डों के सेवित क्षेत्र में स्थित 336 ड्राप आउट छात्र–छात्राओं, उनके अभिभावकों तथा विद्यालय के अध्यापकों को परिदर्श उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया गया।

सारिणी 11.अ.6.1 से स्पष्ट है कि सहसपुर विकासखण्ड में 9 प्रतिशत् बालकों तथा **11.44** बालिकाओं में ड्राप आउट है, तथा विकासखण्ड विकासनगर में **14.54** प्रतिशत बालकों एवम् **16.89** प्रतिशत बालिकाओं में ड्राप आउट हैं। इस विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती हैं। कि बालकों की अपेक्षाकृत बालिकाओं में ड्राप आउट की स्थिति चिन्ताजनक हैं। सहसपुर विकासखण्ड में अनुसूचित जाति के बालकों में **13.57** प्रतिशत् तथा बालिकाओं में **15.28** प्रतिशत है जो समाज के अन्य जाति व वर्ग के बालक तथा बालिकाओं के ड्राप आउट के प्रतिशत् से अधिक हैं। इसी तरह विकासखण्ड विकासनगर में अनुसूचित जनजाति के बालक एवम् बालिकाओं में ड्राप आउट अन्य वर्ग या जाति के बच्चों से अधिक है सारिणी 11.अ.6.2 में बालिकाओं के ड्राप आउट प्रतिशत् पर नजर डाले तो सहसपुर विकासखण्ड में **17.07** प्रतिशत् बालकों तथा **20.67** प्रतिशत् बालिकाओं में ड्राप आउट है, तथा इस विकासखण्ड में अनु0 जनजाति की बालिकाओं का ड्राप आउट प्रतिशत् सबसे अधिक **40** प्रतिशत् हैं। विकासखण्ड विकासनगर में **27.66** प्रतिशत् बालको तथा **20.80** प्रतिशत् बालिकाओं में ड्राप आउट की स्थिति है। इस विकासखण्ड में बालिकाओं की अपेक्षाकृत बालकों में ड्राप आउट अधिक है। इस विकासखण्ड में अनुसूचित जाति के बालकों तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में कमशः **35.71** प्रतिशत् तथा **34.11** प्रतिशत् ड्राप आउट है। जो अन्यवर्ग या जाति के बच्चों के ड्राप आउट प्रतिशत् से अधिक है।

ड्राप आउट के कारण

क0स0	मुख्य कारण	कारणो का विश्लेषण
1.	पारिवारिक कारण 22.47 प्रतिशत्	1.1 घर के कार्य में मदद के लिये। 1.2 जीविकोपार्जन के लिये। 1.3 घरेलू कार्यो में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये।
2.	आर्थिक कारण 19.10 प्रतिशत्	2..1 पढाई पर व्यय अधिक होने के कारण।
3.	भौगोलिक कारण 10.11 प्रतिशत्	3.1 विद्यालय दूर होने के कारण।

सारिणी 11.अ.6.1 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट की स्थिति– (वर्ष 1998–99) (प्रतिशत् में)

विकास खण्ड का नाम	अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		पिछड़ा वर्ग		अल्पसंख्यक		सामान्य		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
सहसपुर	13.57	15.28	6.90	12.16	16.43	10.06	6.67	10.13	8.22	12.00	9.00	11.44
विकासनगर	15.68	20.67	27.75	32.20	22.89	28.28	9.11	11.44	18.29	18.69	14.54	16.89

सारिणी 11.अ.6.2उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट की स्थिति– (वर्ष 1998–99) (प्रतिशत् में)

विकासखण्ड का नाम	अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		पिछड़ा वर्ग		अल्पसंख्यक		सामान्य		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
सहसपुर	29.33	23.68	24.65	40.00	12.23	17.59	14.17	22.58	11.54	15.31	17.07	20.67
विकासनगर	35.71	26.67	30.23	34.11	17.91	12.5	27.65	20.83	23.80	18.84	27.66	20.80

स्त्रोत– ड्राप आउट शोध अध्ययन रिपोर्ट

4.	अन्य कारण 9.83 प्रतिशत्	4.1 अनुत्तीर्ण हो जाना। 4.2 कुछ न सीख सकना। 4.3 बीमारी/अस्वस्थता। 4.4 मित्रों के न पढ़ने के कारण।

11.अ.7 शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन

❖ यूनीसेफ की सहायता से रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण निर्माण, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय की शैक्षिक एवम् भौतिक समस्याओं के समाधान के लिये जनपद के रायपुर विकासखण्ड के **31** परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन का कार्य सम्पादित किया गया जिसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। यह कार्य प्रायोगिक रूप से किया गया हैं।

11.अ.7.1 शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया

1.	विद्यालय स्तर पर शिक्षकों ,ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय के लक्ष्य क्षेत्र में स्थित समस्त अभिकरणों के कर्मी, जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गोष्ठी का आयोजन।
2.	गोष्ठी मे शैक्षिक नवाचार की जानकारी प्रदान करना। 2.1 बच्चों के लिये। 2.2 शिक्षकों के लिये। 2.3 माता–पिता तथा अभिभावक के लिये।
3.	सीखने के माइलस्टोन पर चर्चा।
4.	विद्यालय की शैक्षिक एवम् भौतिक समस्याओं की सूची तैयार करना।

5.	समाधान के लिये एक मुख्य समस्या का चयन करना।
6.	सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र में निर्णित विचारों को लिखना।
7.	शैक्षिक समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को देना।
8.	भौतिक समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान या जागरूक जनप्रतिनिधि को देना।

11.अ.7.2 शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन की उपलब्धि

जनपद – देहरादून

विकासखण्ड – रायपुर

विद्यालयों की संख्या – **31**

क्र0 स0	प्रतिभागियों का विवरण	उपलब्धि का प्रकार (समस्या जिनका समाधान हुआ)
1.	प्राचार्य, डायट देहरादून।	1. बच्चों की अपर्याप्त उपस्थिति
2.	डायट के तीन प्रवक्ता,	2. शिक्षकों के शिक्षण कार्य मे कठिनाई।
3.	बेसिक शिक्षा अधिकारी	3. मध्यान्तर के बाद बच्चों की अनुपस्थिति।
4.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	4. विद्यालय के आँगन मे बरसात में पानी का भराव।
5.	ब्लाक अध्यक्ष/मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ।	5. विद्यालय की छत की मरम्मत।
6.	संकुल समन्वयक, रूचिपूर्ण शिक्षा,	6. शैचालय–निमार्ण।
7.	विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षक,	

8. 9 10.	ग्राम प्रधान तथा ग्राम शिक्षा समिति के अन्य सदस्य। ग्राम पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि। स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान, वन विभाग बैक के कर्मी, ग्राम के जनगरूक नागरिक, युवक मंगल दल के सदस्य तथा अभिभावक।	7. कटीले तार से घेर–बाड़। 8. चाहरदीवारी की मरम्मत। 9. विद्यालय भवन–मरम्मत। 10. दरवाजों की मरम्मत। 11. खिड़कियों की मरम्मत। 12. ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यो की उपस्थिति न होना। 13. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण 14. पेयजल व्यवस्था। 15. टाट–पट्टी की व्यवस्था।

स्त्रोत– यूनिसेफ

11.अ.8 कियात्मक शोध

प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा प्रबन्धन, शिक्षण–अधिगम प्रकिया तथा सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग मे गुणवत्ता विकास के लिये डायट के अकादमिक नेतृत्व में वर्ष 1999–2000 में कियात्मक शोध उपागम का कियान्वयन किया गया। यह कार्य प्रायोगिक परीक्षण के रूप में डायट की लैव एरिया के 20 प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सम्पादित किया गया।

समस्या के तत्काल एवं वैज्ञानिक समाधान के लिये प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक शिक्षकों जिनकी संख्या 20 थी, के लिये तीन दिवसीय कियात्मक शोध उपागम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के उपरान्त अनुश्रवण प्रकिया के अन्तर्गत " **जवाबी पोस्ट कार्ड** " का प्रयोग किया गया, जो अत्यन्त प्रभावी रहा। इस अनुश्रवण प्रकिया से जहाँ एक ओर शिक्षकों में कियाशीजता रही, वही दूसरी ओर शोध को निर्धारित समय में पूरा करने में

मदद मिली। ये शोध कार्य कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का विभिन्न विषयों में कमियों/कठिनाईयों पर आधारित था। इस किया से उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाया गया। शोध निष्कर्षो का प्रकाशन किया गया।

11.अ.9 सामग्री विकास तथा प्रकाशन

क0 स0	सामग्री का नाम
1.	डायट की वार्षिक पत्रिका " आयाम " का प्रकाशन।
2.	डायट सांख्यिकी का प्रकाशन (वर्षवार)।
3.	गुणवत्ता विकास की गतिविधियों पर आधारित डायट समाचार पत्र का प्रकाशन।
4.	बालिका शिक्षा उन्नयन संदर्शिका का विकास।
5.	दूरदर्शन एवं टू इन वन के शैक्षिक उपयोग हेतु निर्देशिका का प्रकाशन।
6.	स्थानीय व विशिष्ट सामग्री– " दून दीपिका " का प्रकाशन।
7.	कियात्मक शोध संदर्शिका का विकास व प्रकाशन।
8.	कियात्मक शोध उपागम के निष्कर्षो का प्रकाशन।
9.	उपलब्धि मूल्यांकन का प्रकाशन।
10.	शोध अध्ययनों के निष्कर्षो का प्रकाशन।

11.अ.10 शिक्षकों की अकादमिक कठिनाईयाँ

❖ विद्यालयों के भ्रमण एवं पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया गया कि शिक्षक विद्यालय में कार्य करने दौरान यह पाया गया कि शिक्षक विद्यालय में कार्य करने के दौरान कठिनाईयों का सामना करते हैं। ये कठिनाईयाँ संज्ञानात्मक पक्ष की होती हैं।, जिसकी कमी से शिक्षक विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट नही कर पाते है।

सारिणी 11.अ.10.1 (परिषदीय शिक्षकों की योग्यता का विवरण)

क0 स0	योग्यता का विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	1829	810
2.	हाईस्कूल से कम योग्यता धारी	95	–
3.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	356	28
4.	केवल इण्टर उत्तीर्ण	420	249
5.	केवल स्नातक (अप्रशिक्षित)	27	4
6.	विज्ञान शिक्षक	–	153
7.	संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी शिक्षक	21	198
8.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	17	3
9.	इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	498	290
10	स्नातक एवं प्रशिक्षित	507	307
11.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	289	158

स्त्रोत – विभागीय

उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि– परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की कुल संख्या **1829** तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों की कुल संख्या **810** हैं प्राथमिक विद्यालयों में हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या 95 हैं, इन शिक्षकों की व्यवसायिक दक्षता विकास तथा विशिष्ट विषयों पर आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं। जनपद में हाईस्कूल उत्तीर्ण शिक्षकों की कुल संख्या **356** तथा उच्चप्राथमिक शिक्षकों की कुल संख्या **28** हैं। इन शिक्षको के लिये विशेष प्रशिक्षण की आवयश्कता हैं। जनपद में प्राथमिक स्तर पर **420** शिक्षक इण्टर तथा **27** शिक्षक स्नातक परन्तु अप्रशिक्षित हैं। तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर **249** शिक्षक इण्टर तथा **04** शिक्षक स्नातक अप्रशिक्षित हैं। इन शिक्षकों के लिये सेवापूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं। ऐसे शिक्षकों के लिये पत्राचार बी0टी0सी0 की व्यवस्था की जायेगी। जनपद में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी विषयों के अध्यापक कार्यरत हैं। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

सारिणी 11.अ.10.2 (शिक्षण अनुभव पर आधारित शिक्षकों का विवरण)

क्र0 स0	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक शिक्षक	उच्च प्राथमिक शिक्षक
1.	5 वर्ष से कम	241	35
2.	5 से 10 वर्ष तक	314	97
3.	10 से 15 वर्ष तक	225	149
4.	15 से 20 वर्ष तक	356	133
5.	20 से 25 वर्ष तक	301	126
6.	25 से 30 वर्ष तक	163	91
7.	30 वर्ष से अधिक	229	179
योग		1829	810

(स्त्रोत – विभागीय)

❖ जनपद में शिक्षकों की पदस्थापना की स्थिति सारिणी में स्पष्ट हैं कि–

प्राथमिक स्तर पर 5 वर्ष से कम अनुभव रखते वाले **13.17** प्रतिशत अध्यापक हैं। **17.16** प्रतिशत् अध्यापक 5 से 10 वर्ष तक का अनुभव रखते हैं 10 से 15 वर्ष तक का अनुभव रखने वाले **12.30** प्रतिशत् अध्यापक हैं। 15 से 20 वर्ष तक का अनुभव रखने वाले **19.4** प्रतिशत् अध्यापक है 20 वर्ष से 25 वर्ष तक अनुभव रखने वाले **16.4** प्रतिशत् अध्यापक है। 25 से 30 वर्ष तक का अनुभव रखने वाले **8.91** प्रतिशत् अध्यापक हैं तथा 30 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले **12.52** प्रतिशत् अध्यापक हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर पर – 5 वर्ष से कम अनुभव रखने वाले **4.32** प्रतिशत, 5 से 10 वर्ष के बीच का अनुभव रखने वाले **11.9** प्रतिशत् 10 से 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले **18.39** प्रतिशत्, 15 से 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले **16.4** प्रतिशत, 20 वर्ष से 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले **15.5** प्रतिशत, 25 से 30 वर्ष का अनुभव रखने वाले **11.2** प्रतिशत् तथा 30 वर्ष से ऊपर अनुभव रखने वाल **22.09** प्रतिशत् शिक्षक कार्यरत हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य उभर का सामने आता है कि ऐसे अध्यापक जो 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखते हैं, उनके लिये विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण नवाचार के रूप में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं।

11.अ.11 शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन

❖ शिक्षकों को सहयोग एवं समर्थन देने के लिये डायट स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियाँ अपनाई जायेगी। कार्यनीतियों पर विशेष बल देने के लिये डायट द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 तथा एस0आर0जी0 के निर्देशन में शैक्षिक सहयोग एवे समर्थन के लिये अनुश्रवण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी, इसमें समस्त बी0आर0सी0 समन्वयक सहसमन्वयक, सी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों एवं डायट के प्रवक्ताओं का प्रतिभाग सुनिश्चित किया जायेगा।

वर्तमान स्थिति में विद्यालयों की उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग की गयी है, जिसके आधार पर विद्यालयीय सुधार के अन्तर्गत कार्यनीतियाँ अपनाई जायेगी तथा विद्यालय की गुणवत्ता विकास में शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवम् समर्थन दिया जायेगा।

सारिणी 11.अ.11.1 (पर्यवेक्षण के आधार पर ग्रेडिंग – वर्ष 2000–2001)

क0 स0	विकासखण्ड /नगरक्षेत्र	प्राथमिक स्तर					उच्च प्राथमिक स्तर				
		कुल विद्यालय	ए श्रेणी	बी श्रेणी	सी श्रेणी	डी श्रेणी	कुल विद्यालय	ए श्रेणी	बी श्रेणी	सी श्रेणी	डी श्रेणी
1.	चकराता	155	53	64	20	18	36	05	10	08	13
2.	कालसी	151	10	35	25	81	34	04	10	10	10
3.	विकासनगर	91	15	30	25	21	30	18	05	04	03
4.	सहसपुर	107	26	60	21	–	33	10	14	09	–
5.	रायपुर	115	12	48	41	14	29	08	09	06	06
6.	डाईवाला	127	22	50	40	15	36	09	10	10	07
7.	नगरक्षेत्र देहरादून	57	08	12	14	23	07	03	02	01	01
8.	मसूरी	16	11	03	02	–	04	02	02	–	–
9.	ऋषिकेश	12	02	04	02	04	01	–	01	–	–

स्त्रोत– विभागीय

सारिणी 11.अ.11.1 से स्पष्ट है कि जनपद में ऐसे विद्यालय जो सी अथवा डी श्रेणी में आते हैं, उस विद्यालय का शैक्षिक परिवेश अच्छा नही है। इन विद्यालयों को गुणवत्ता विकास हेतु वरीयता क्रम में रखा जायेगा

तथा इन विद्यालयों के शिक्षकों को विशिष्ट तकनीकों एवं विद्याओं पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा। गुणवत्ता सम्बर्द्धन के लिये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों तथा शिक्षकों को दक्ष एवम् कुशल होना अति आवश्यक हैं। अपने–अपने कार्यो को पूर्ण मनोयोग, दक्षता तथा कुशलता से कर सकें इसके लिये प्रशिक्षण सबसे उपयुक्त एवं प्रभावी कार्य नीति हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आयेजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्न सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

सारिणी 11.अ.11.2 गुणवत्ता विकास हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम–वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक

क0 स0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी0पी0ओ0 स्टाफ, ए0वी0एस0ए0, वी0आर0सी0 समन्वयक।	05 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण।	चयनित शिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण 1. आधार भूत प्रशिक्षण 2. पुनर्वोधात्मक	 1. चयनित शिक्षामित्र। 2. सेवारत शिक्षामित्र।	 30 दिन 15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण।	वी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 समन्यवक।	03 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण– 1. आधरभूत प्रशिक्षण 2. पुर्नोधात्मक प्रशिक्षण	अनुदेशक	 1. 15 दिन 2. 10 दिन

6.	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण।	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यकत्रियाँ तथा सहायिकाएँ	07 दिन
7.	वी0आर0सी, सी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण।	वी0आर0सी0,सी0आर0सी0 समन्वयक	07 दिन
8.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के लिये प्रशिक्षण।	ए0वी0एस0ए/एस0डी0आई0	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु वी0आर0सी0 का प्रशिक्षण।	वी0आर0सी0 सदस्य	02 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण।	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चयनित शिक्षक	03 दिन
12.	संस्कृत शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चयनित शिक्षक	03 दिन
13.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	03 दिन
14.	सेवापूर्वागम प्रशिक्षण	नव नियुक्त सहायक अध्यापक	10 दिन
15.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त	05 दिन
16.	क्रियात्मक शोध हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, वी0आर0सी0, सी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक तथा चुने हुये शिक्षक	05 दिन
17.	शिक्षण सामग्री मेला (मेटेरियल मेला)	चयनित शिक्षक	03 दिन
18.	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण।	डायट, वी0आर0सी0, सी0आर0सी0	03 दिन

		के समन्वयक तथा चुने हुये शिक्षक	
19.	अकादमिक पर्यवेक्षण एवं श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण।	डायट स्टाफ, वी0आर0सी0, सी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन
20.	कार्यानुभव प्रशिक्षण।	वी0आर0सी0, सी0आर0सी0, के चुने हुये समन्वयक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के चुने हुये शिक्षक।	05 दिन
21.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला।	चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
22.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं मे विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला।	प्राथमिक/उच्चप्राथमिक. हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज के चुने हुये शिक्षक।	03 दिन
23.	गाणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला।	प्राथमिक,उच्चप्राथमिक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों के चुने हुये शिक्षक।	03 दिन
24.	भाषा शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला।	प्राथमिक,उच्चप्राथमिक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों के चुने हुये शिक्षक।	03 दिन
25.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
26.	कक्षा शिक्षण मे श्रव्य--दृश्य माध्यम के उपयोग सम्वन्धी कार्यशाला।	बी0आर0सी0 समन्वयक चुनें हुये विद्यालय के शिक्षक।	02 दिन
27.	बहुकक्षा शिक्षण हेतु स्व अधिगम सामग्री (self learning material	चुने हुये शिक्षक।	05 दिन

	विकास– कार्यशाला)		
28.	संस्थागत नियोजन एवम् विद्यालय सुधार विषयक कार्यशाला।	बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 के समन्वयक।	02 दिन
29.	संथागत क्षमता विकास कार्यशाला।	डायट के संकाय सदस्य।	03 दिन
30.	बाल श्रमिकों के लिये वैकल्पिक/पूरक सामग्री निर्माण कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, शिक्षक।	05 दिन
31.	जनपद के जे0ई0/ए0ई0 का सिविल कार्य का प्रशिक्षण	जनपद के जे0ई0/ए0ई।	03 दिन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं। जनपद देहरादून में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हैं। इस अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्यनीतियाँ प्रस्तावित की गयी हैं–

1.1 प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण

जनपद में वर्ष 2001–02 में 2032 शिक्षकों, वर्ष 2002–03 में 2009, वर्ष 2003–04 में 2224 वर्ष 2004–05 में 2243, वर्ष 2005–06 में 2264 तथा वर्ष 2006–07 में 2281 शिक्षकों के लिये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत प्रशिक्षण, पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। प्रशिक्षण की कुल अवधि **20** दिन की होगी। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विशिष्ट विषयों पर आधारित, विधाओं एवं तकनीकों पर आधारित तथा सामग्री विकास पर आधारित होगें। ये प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर तथा नगर क्षेत्र स्तर पर नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर संचालित किया जायेगा। डायट के प्रशिक्षित एम0टी0 द्वारा प्रत्येक विकासखण्डों से प्रति **4** एवं नगर क्षेत्र से **4** (कुल **28** शिक्षकों को टी0ओ0टी0 के रूप में) चयनित शिक्षकों को शिक्षकों के प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण एस0सी0ई0आर0टी0, राज्य संदर्भ समूह तथा जिला संदर्भ समूह के सहयोग से किया जायेगा। प्रशिक्षण पैकेज में कक्षा शिक्षण, शिक्षण–अधिगम, रूचिपूर्ण शिक्षण,बालकेन्द्रित शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण एवं सहायक सामग्री निर्माण एंव अनुप्रयोग तथा सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालय प्रबन्धन विषयक तत्वों का समावेश किया जायेगा।

1.2 उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण

जनपद में वर्ष 2001–02 में 1115 शिक्षकों, वर्ष 2002–03 में 1157, वर्ष 2003–04 में 2149, वर्ष 2004–05 में 2209, वर्ष 2005–06 में 2269 तथा वर्ष 2006–07 में 2326 शिक्षक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं **20** दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा **20** दिवसीय प्रशिक्षण अवधि को विशिष्ट विषयों पर आधारित, विधियों तथा तकनीकों पर आधारित तथा सामुदायिक सहभागिता पर आधारित प्रशिक्षणों के लिये विभाजित किया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर आधारित प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण एस0सी0ई0आर0टी0, सीमेट तथा राज्य संदर्भ समूह के निर्देशन में किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल में विषय आधारित कियात्मक प्रशिक्षण, संस्थागत नियोजन एवं प्रबन्धन, सहायक सामग्री निर्माण एवं अनुप्रयोग, श्रव्यदृश्य सामग्री, सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों के आयोजन विषयक तत्वों का समावेश किया जायेगा। उच्चप्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये डायट द्वारा प्रशिक्षित एम0टी0 द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड/नगरक्षेत्र से **4–4** शिक्षकों को टी0ओ0टी के रूप में तैयार किया जायेगा।

1.3 शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण

जनपद में कार्यरत कुल **116** शिक्षा मित्रों के लिये **15** दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा तथा नये चयनित शिक्षा–मित्रों के लिये **30** दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। आधारभूत प्रशिक्षण के लिये पूर्व में तैयार शिक्षा–मित्र प्रशिक्षण पैकेज उपयोग मे लाया जायेगा तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण पैकेज का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 तथा राज्य संदर्भ समूह की सहायता से किया जायेगा। पैकेज परिवर्द्धन में विषयों पर आधारित रूचिपूर्ण शिक्षण विधाओं पर आधारित तथा शिक्षण–अधिगम सामग्री निर्माण सम्बन्धी तत्थों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम डायट में आयोजित किया जायेगा जो आवासीय होगा।

आधार भूत प्रशिक्षण – वर्ष 2002–03 में 12 शिक्षा मित्रों, वर्ष 2003–04 में 127, वर्ष 2003–04 में 146, वर्ष 2005–06 में 167 तथा वर्ष 2006–07 में 184 शिक्षा मित्रों को आधार–भूत प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा वर्षवार 15 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदत्त किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता विकास के लिये आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया हैं। जनपद देहरादून में **6–14** वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष **2010** तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय

दूरस्थ शिक्षा माध्यमों का उपयोग आधिकाधिक किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण में नव विकसित शैक्षिक तकनीक तथा उपकरणों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम पाँच वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत संचालित होगे।

2 प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रथम वर्ष में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम– प्रथम वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों तथा शिक्षा मित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के उपरान्त लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे, जो निम्नवत होगें–

1. विजनिग कार्यशाला– 3 दिवसीय– सी0आर0सी0 स्तर पर

2 बहुकक्षा शिक्षण के उद्देश्य से शिक्षण–सामग्री निर्माण कार्यशाला– 1 दिवसीय– सी0आर0सी0 स्तर।

3 सामग्री मेला (मेटेरियल मेला)– 1 दिवसीय–सी0आर0सी0 स्तर।

4 विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप के अन्तर्गत सी0आर0सी0 स्तर पर मासिक कार्यशालाएं–

एक दिवसीय– पाठप्रस्तुतीकरण पर आधारित।

5 ये वर्ष के 6 महीनों में आयोजित होगी इन प्रशिक्षण काय्रकमों की कार्ययोजना डायट तैयार करेगा

द्वितीय वर्ष में बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित, तथा भाषा तथा गणित की विषयवस्तु आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी।

1. बहुकक्षा तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण "शिक्षण सामग्री निर्माण, समय प्रबन्धन
2. शिक्षण कार्य कों प्रभावी बनाने तथा प्रशिक्षण के लिये रणनीतियों कों तैयार करने विषयक कार्यशाला– 3 दिवसीय।
3. बी0आर0सी0 स्तर पर सम्पन्न प्रशिक्षण के फालोअप के लिये सी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण का आयोजन।

तृतीय वर्ष, में सामाजिक विषय तथा विज्ञान और मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। इसके लिये बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1. विज्ञान शिक्षण को रूचिपूर्ण बनाने के लिये सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन – बी0आर0सी0 स्तर पर।
2. सामाजिक विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण – बी0आर0सी0 स्तर पर।
3. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु दो दिवसीय कार्यशाला–बी0आर0सी0 स्तर पर।

चतुर्थ वर्ष में बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षण अधिगम प्रकिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर विषेष बल दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया जायेगा।

1. सी0आर0सी0 स्तर पर मासिक फालोअप हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं।
2. अनुपूरक सामग्री विकास के लिये 2 दिवसीय कार्यशाला– सी0आर0सी0 स्तर।
3. गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन– सी0आर0सी0 स्तर
4. कक्षा शिक्षण में टी0वी0 तथा टू इन वन की उपयोग सम्बधी प्रशिक्षण सी0आर0सी0 स्तर।

पाँचवे वर्ष, में पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण की विषय सामग्री पूर्व प्रशिक्षण एवं उसके उपलब्धि के अनुभवों पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगें।

1. अंग्रेजी, संस्कृत, का 05 दिवसीय प्रशिक्षण जिसमें सामग्री विकास व निर्माण, विधा तथा तकनीक को सम्मिलित किया जायेगा।
2. 3 दिवसीय उर्दू भाषा के शिक्षण का प्रशिक्षण।
3. कम शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षको के लिये 5 दिवसीय विषय वस्तु पर प्रशिक्षण।
4. जिन शिक्षको का अनुभव 15–20 वर्ष के बीच हैं। उन्हें 06 दिवसीय प्रशिक्षण नवीन विधियों तथा तकनीकों पर आधारित होगा।
5. नव नियुक्त शिक्षकों को 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण दिया जायेगा।
6. ऐसे अध्यापक जो पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बने हैं। उन्हें नेतृत्व, समय प्रबन्धन विद्यालय अभिलेखों का रख–रखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित 05 दिवसीय प्रशिक्षण।
7. शिक्षकों के लिये कियात्मक शोध का 03 दिवसीय प्रशिक्षण।
8. सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण का 03 दिवसीय प्रशिक्षण।

3 उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण एवम् शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजो में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेगें। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण विधियों के अपेक्षाकृत पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक हैं। इस प्रकार उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये निम्नवत प्रकार से प्रशिक्षण आयोजित होगें–

प्रथम वर्ष

1. विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण जिसमें सामग्री विकास तथा शिक्षण विधियाँ सम्मिलित होगी–बी0आर0सी0 स्तर 8 दिवसीय।
2. बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री विकास पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तैयारी से सम्बन्धित 03 दिवसीय कार्यशाला।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन डायट द्वारा किया जाएगा।
4. क्रियात्मक शोध के लिए 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बी0आर0सी0 पर किया जाएगा।
5. माइक्रोप्लानिंग तथा विद्यालय मानचित्रण के लिए 03 दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर की जाएगी।

द्वितीय वर्ष

1. गणित विषय के शिक्षण विषय वस्तु की सामग्री का विकास तथा विद्याा पर आधारित प्रशिक्षण।
2. बी0आर0सी0 पर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना डायट द्वारा तैयार की जाएगी।
4. माइक्रोप्लानिंग तथा विद्यालय मानचित्रण के लिए 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बी0आर0सी0 स्तर पर किया जाएगा।

तृतीय वर्ष

1 अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण 06 दिवसीय प्रशिक्षण – यह प्रशिक्षण विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित होगा।

2 विकासखण्ड स्तर पर पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक पर आधारित पाठों की प्रस्तुति तथा सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग विषयक 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

3 डायट द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना तैयार की जाएगी।

चतुर्थ वर्ष

1 भाषा शिक्षण तथा मूल्यांकन सम्बन्धी 08 दिवसीय प्रशिक्षण।

2 बी0आर0सी0 स्तर पर भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक सामग्री का विकास सम्बन्धी 02 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

3 सी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण के फालोअप के लिए 02 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

4 कियात्मक शोध के लिए 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

5 कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण।

6 समेकित शिक्षा का 45 दिवसीय प्रशिक्षण।

पंचम वर्ष

06 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण – इन प्रशिक्षणों की विषय वस्तु पूर्व के प्रशिक्षणों तथा फीड बैक से प्राप्त प्रशिक्षणों के अनुभवों पर आधारित होगा।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 पर आयोजित किए जाएगें।

4– बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण

जनपद में स्थापित बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 के समन्वयकों का 07 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में किया जाएगा। डायट के प्रशिक्षित प्रवक्ता बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 समन्वयकों को एम0टी0 के रूप में प्रशिक्षित करेगें। इस विशिष्ट प्रशिक्षण की विषय वस्तु में सूचनाओं का संकलन एंव प्रेषण बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकमों के आयोजन की दक्षता बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 द्वारा सम्बद्ध विद्यालयों पर नियंत्रण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 अभिलेखों का रखरखाव एंव शौक्षिक नवाचारों से सम्बन्धित होगी। इस प्रशिक्षण में 109 प्रतिभागी प्रतिभाग करेगें। यह प्रशिक्षण 02 चक्रों में होगा।

5– ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 के लिए प्रशिक्षण

जनपद में कार्यरत निरीक्षक वर्ग के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण की डायट के प्रवक्ताओं द्वारा दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की विषय वस्तु में अनुश्रवण एंव निरीक्षण की प्रभावोत्पदकता , अनुश्रवण एंव निरीक्षण के पश्चात् पश्चपोषण, अनुश्रवण एंव मूल्यांकन की अनुपालन आख्या का निर्माण सम्मिलित होगा। प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण एस0सी0ई0आर0टी0, सीमेट तथा राज्य संदर्भ समूह द्वारा किया जाएगा।

6– ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 के अनुदेशकों का प्रशिक्षण

जनपद में स्थापित ई0जी0एस0 केन्द्रों के अनुदेशकों को 30 दिवसीयएंव ए0आई0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों को **40** दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण तथा **15** दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ई0जी0एस0 के अनुदेशकों के लिए 6 से 8 वय वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखकर ए0आई0 केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए 9–15 वय वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा। पैकेज परिवर्धन में शिक्षा मित्र प्रशिक्षण पैकेज को आधार बनाया जाएगा। प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण एस0सी0ई0आर0टी0 तथा राज्य संदर्भ समूह के निर्देशन में किया जाएगा।

7– ई0सी0सी0ई0 के कार्यकत्रियों एंव सहायिकाओं का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में कुल **163** ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोले जाएगें, जिसमें **163** कार्यकत्रियों के लिए **07** दिवसीय आधारभूत एंव पुनर्बोध प्रशिक्षण की व्यवस्था डायट में की जाएगी। जपनद में कुल **358** ऑगनवाडी केन्द्र पूर्व से संचालित हैं। इन केन्द्रों के **358** कार्यकत्रियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

आई0सी0डी0एस0 एवम् पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण माडयूल का उपयोग किया जाएगा, जिसकी उपलब्धता एस0सी0ई0आर0टी0 तथा राज्य परियोजना के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी।

8– डायट के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण

इस अभियान के अन्तर्गत वांछित दक्षताओं के विकास के लिए डायट के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर सीमेट या अन्य संस्था द्वारा दिया जाएगा।

9– कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण

विद्यालय स्तर से जपनद स्तर तक सूचनाओं, आँकड़ों का संकलन एंव सूचनाओं के यथासमय उपलब्धता के लिए जनपद के प्रत्येक बी0आर0सी0 एंव एन0आर0सी0 पर कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। अतः डायट के प्रवक्ताओं , बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीयों तथा उ0प्रा0वि0 के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण की अवधि 01 माह होगी तथा इसका आयोजन एस0सी0ई0आर0टी0 तथा राज्य परियोजना द्वारा किया जाएगा।

10 विल कार्य का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सिविल कार्य की तकनीकी जानकारी हेतु जनपद के सरकारी निर्माण संस्थाओं के अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जाएगा।

11 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण

विद्यालय स्तर पर गठित ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण संकुल केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में सदस्यों को विद्यालय के शैक्षिक प्रबन्ध, सामुदायिक सहभागिता एंव बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। डायट द्वारा इन विषय वस्तुओं पर आधरित प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में चुने हुए बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 समन्वयक संदर्भदाता होगें।

12 लर्निंग कार्नर/बुक बैंक

जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में लर्निंग कार्नर तथा बुक बैंक की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री, बाल गीत व बाल साहित्य उपलब्ध होगा। लर्निंग कार्नर के अन्तर्गत भाषा कार्नर, गणित कार्नर तथा पर्यावरण कार्नर की व्यवस्था होगी। प्रत्येक कार्नर में विषय एवम् विषय वस्तु से सम्बन्धित स्व अधिगम सामग्री रखने की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे स्वयं इन लर्निंग कार्नरों में बैठकर स्वाधिगम कर सकें। इस व्यवस्था का उत्तरदायित्व संबधित विद्यालय के शिक्षकों का होगा।

जनपद के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय तथा बुक बैंक की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें अध्यापकों के लिए, बच्चों के लिए स्वाध्याय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी। पुस्तकालय एंव बुक बैंक के संचालन का उत्तरदायित्व संबधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का होगा।

11अ–12 शिक्षण सामग्री का विकास करना

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सी0आर0सी0 स्तर पर कुशल अध्यापकों की सहभागिता से किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षक को 500/–रू0 अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। जिसे शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री निर्माण में व्यय करेगें। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर व अन्य पठन सामग्री विशेषकर जैसे विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण का क्रय कर सकते हैं। शिक्षण सामग्री निर्माण के पश्चात् जिला स्तर पर डायट में सामग्री मेले का आयोजन किया जाएगा।

11अ.13 कार्यशाला , गोष्ठियों का आयोजन

प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु डायट स्तर पर कार्यशालाओं एंव गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। गोष्ठी में डायट स्तर पर एक वर्षीय कार्ययोजना बनाने में बी0आर0सी0 एंव सी0आर0सी0 की सहायता से की जाएगी। ये कार्यशालाएँ मुख्यतः शिक्षण सामग्री निर्माण, नियोजन, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाईयों के निवारण, आर्दश पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा।

11अ 14 जनजागृति सामग्री का विकास

वर्ष के अन्त में प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों से प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट निर्माण में स्थानीय समाज सेवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, समाज में चेतना जागृत करने वाले वृद्ध व्यक्तियों के चित्रों का संकलन, स्थानीय जड़ी बूटियों का सेकलन, प्राचीन मंदिरों और स्थानीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन कराया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क पर सत्रांत में अंक प्रदान किए जाएगें। ऐसी व्यवस्था करने से स्थानीय परिवेश से संदर्भित सामग्री का संकलन होगा तथा व्यक्तियों, समाज सेवियों तथा प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्तित्व कृत्यत्व का उद्धाटन करने पर समुदाय का जुड़ाव विद्यालयों से होगा।

स्थानीय गायकों/स्थानीय संस्कृति पर आधारित नृत्य नाटिकाओं और संगीत रिकार्डिंग, विद्यालय में समय-समय पर होने वाली गतिविधियों की भी रिकाडिंग की जाएगी ताकि इसे समय-समय पर सुना जा सके और इससे सामाजिक जागृति एंव प्रेरणा मिलती रहे।

स्थानीय शिक्षा विदों, विशिष्ट शिल्पियों, समाज सेवियों, दानदाताओं एंवम् विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के योगदान को विद्यालय में अंकित किया जाएगा।

बच्चों से इस प्रकार के कार्य कराने पर बच्चे सर्वेक्षण की विद्या से परिचित होगें, समुदाय से वार्तालाप होगा, छात्र तथ्यों का विश्लेषण कर सकेगें तथा स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की क्षमता का विकास उनमें हो सकेगा।

विद्यालयों में निर्मित सर्वोतम प्रोजेक्ट की प्रतियाँ बी0आर0सी0 एंव सी0आर0सी0 में उपलब्ध करवायी जाएगी।

बच्चों द्वारा निर्मित सर्वोत्तम प्रोजेक्ट को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस समारोह में अभिभावकों को आमंत्रित कर प्रोजेक्ट में निहित स्थानीय तथ्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। यह अनुप्रयोग समाज को शिक्षा से जोडने और जनजागृति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

11अ.15 पुरस्कार योजना

जनपद में विभिन्न स्तरों पर अच्छे कार्य करने वाले अध्यापकों, ग्राम शिक्षा समितियों एंव शिक्षा मित्रों को पुरस्कृत किया जाएगा तथा एक प्राथमिक एंव एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को जपनद में सबसे अच्छे विद्यालय के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। जनपद के दो ग्राम शिक्षा समितियों को उतकृष्ट कार्य के लिए पुररकृत किया जाएगा

तथा 05 शिक्षा मित्रों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक चयन समिति का निर्माण किया जाएगा। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होगें। पुरस्कारों के लिए नामों की संस्तुति बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 के समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी करेगें पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन जिला स्तर पर होगा।

11अ.16 सप्ली मेन्ट्री रीडिंग मैटीरियल का निर्माण

इस जपनद में डायट द्वारा सरल पाठ्यक्रम के विकास तथा बच्चों के लिए सप्ली मेन्ट्री रीडिंग मैटीरियल का विकास किया गया, जिसका नाम **दून दीपिका** रखा गया। इस पुस्तक में जपनद की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एंव भौगोलिक परिदृश्य का चित्रण है तथा जपनद के स्थानीय एंव विशिष्ट बातों की जानकारियाँ हैं। डायट स्तर से शिक्षकों, शिक्षाधिकारियों तथा जनसामान्य के लिए **डायट समाचार पत्र** का प्रकाशन होता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थानीय विशिष्ट सामग्री विकास, सामान्य ज्ञान पत्रिका – कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक का विकास, बच्चों के अखबार का विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय शिक्षा विदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, चुने हुए शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा।

11अ.17 क्षमता विकास

जपनद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विद्या पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए **संस्थागत क्षमता विकास** कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयं सेवी संगठनों से रिर्सोस नेटवर्किंग भी की जाएगी। डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0, प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता का विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जाएगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता वृद्धि की जाएगी।

11अ.18 अकादमिक सहयोग एंव अनुश्रवण में डायट, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 की भूमिका

शैक्षिक सहयोग एंव पर्यवेक्षण में डायट, बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 की समेकित भूमिका रहेगी। सी0आर0सी0 अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी0आर0सी0 को देगा तथा बी0आर0सी0 समीक्षा के उपरांत डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए0आर0सी0 के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। डायट जनपद में अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा। इसके निर्देशन में बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 कार्य करेगें। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जाएगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों, इण्टर कालेजों में 6 से 8 की कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0, ई0जी0एस0 तथा ए0एस0 केन्द्रों को भी लाया जाएगा।

11अ.19 बी0आर0सी0 की भूमिका

ब्लाक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेगें।

1 सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करेगें।

2 विद्यालयों में प्रशिक्षण के प्रभाव का पर्यवेक्षण एंव मूल्यांकन करेगें।

3 वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0, ई0जी0एस0 केन्द्रों का पर्यवेक्षण एंव मूल्यांकन करेगें।

4 समुदाय के सदस्यों का बी0आर0सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य विभागों में समन्वय स्थापित करेगें।

5 ई0एम0आई0एस0 आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेगें।

6 शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए सी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेगें।

7 बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करेगें।

8 शोध एंव मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेगें।

9 विद्यालय विकास योजना (एस0डी0पी0) का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेगें।

10 प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनाएगें।

11अ.20 सी0आर0सी0 की भूमिका

- सी0आर0सी0 अपनी वार्षिक कार्ययोजना का विकास करेगें।
- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेगें।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेगें।
- वी0ई0सी0 के सदस्यों,डब्लू0एम0सी0/पी0टी0ए0/एम0टी0ए0 सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेगें।
- ई0आई0एम0एस0 आँकडों का संकलन एंव विश्लेषण करेगें।
- स्कूल भ्रमण एंव आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेगें।
- शोध एंव मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों का सहयोग करेगें।
- विद्यालय विकास योजना (एस0डी0पी0) का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेगें।
- सी0आर0सी0, अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेगें।

11अ.21– गुणवत्ता विकास में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है, उनका सहयोग जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता के विकास, अकादमिक संदर्भ समूह को सक्रिय बनाने , जिला तथा ब्लाक स्तर पर संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एंव समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की

जाएगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जाएगा।

11.अ.22 पारदर्शिता के लिये उपाय

सर्व शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण, मरम्मत, विद्यालय अनुदान, शिक्षक अनुदान, एवम् विद्यालय के अन्य शैक्षिक, भौतिक तथा प्रबन्धन से सम्बधित कार्यों में विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवम् विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उत्तरदायी बनाया जायेगा। विद्यालय के सूचना पट्ट पर इस अभियान के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि, प्राप्त धनराशि तथा उपभोग की स्थिति का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

अध्याय– 11 (ब)

शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

शोध/क्रियात्मक शोध –

जनपद की विशिष्ट परिस्थितियों एंव आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता विकास के लिए शोध कार्यो का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार डायट के द्वारा विभिन्न विषयों जैसे --पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण , विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आकलन कर व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध एवं शोध अध्ययन करके प्राप्त निष्कर्षो की क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाएगा। क्रियात्मक शोध एवं शोध अध्ययन हेतु कुछ प्रस्तावित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं , जो निम्नवत हैं–

1. विद्यालय में बच्चों की कम उपस्थिति की समस्या।
2. विद्यालय में अपराह्न के बाद बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों के शिक्षण की समस्या।
4. बच्चों के सतत् एंव व्यापक मुल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहायक।
5. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है।
6. कक्षा की प्रकिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
7. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में कियान्वयन सुनिश्चित करने के उपाय।
8. चिन्हित कमजोर विद्यालयों में प्रबन्धन के मुददे।
9. धीमी गति से सिखने वाले बच्चों के लिए शिक्षण तकनीक।
10. ग्राम शिक्षा समिति की सक्रिय सहभागिता कैसे हो।

मूल्यांकन प्रणाली

वर्तमान समय में छात्रों की मासिक छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था है, उचित है, किन्तु सुधार आवश्यक है। छात्रों के समस्त कियाकलापों जैसे– शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर को सम्मिलित कर मूल्यांकन की प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्रों के उपलब्धि का मुल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत् एंव व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का भाषा, गणित पर्यावरणीय विज्ञान, तथा अन्य शौक्षिक क्रियाकलापों के सम्प्राप्ति स्तर का मूल्यांकन किया जायेगा।

मासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों की विषयवार प्रगति का वार्षिक आंकलन तैयार किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण –

जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक भौतिक एवं प्रबन्धकीय समस्याओं को अभिचिन्हत किया जायेगा तथा समस्याओं के समाधान के लिये डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं/ प्रवक्ताओं तथा बेसिक शिक्षा के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/ प्रति उँप विद्यालय निरीक्षकों की विकासखण्ड स्तरीय सम्मिलित टीम का निर्माण किया जायेगा।

उक्त टीम द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता विकास के लिये विद्यालयों का मासिक अनुश्रवण / पर्यवेक्षण किया जायेगा।

शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी क्रियाकलाप 1400/ – प्रति विद्यालय के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट से किया जायेगा।

अध्याय– 12

योजना क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण

उपविषय

12.1	प्रबन्ध तन्त्र।
12.2	ग्राम शिक्षा समिति।
12.3	क्षेत्र पंचायत समिति।
12.4	संकुल संसाधन केन्द्र।
12.5	एम0टी0एन/पी0टी0ए0 का गठन।
12.6	ब्लाक संसाधन केन्द्र।
12.7	जनपद स्तरीय समिति।
12.8	जिला बेसिक शिक्षा समिति।
12.9	प्रशासनिक तन्त्र।
12.10	ई0एम0आई0एस0।
12.11	जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान।
12.12	परियोजना प्रबन्धन एवम् योजना प्रणाली।
12.13	निधि प्रवाह।

अध्याय – 12

योजना क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्तमान व्यवस्था की समपूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2010 तक होगी । इस अवधि में 6 – 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवम् प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है। प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा इसमे व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर

उपलब्ध होगें। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि इसमें अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित हो सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनितियों में परिर्वतन के लिये तत्पर रहना होगा। इसमें सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा अध्यापकों एवम् छात्रों की उपस्थित सुनिशचित की जायेगी ।

(12.1) प्रबन्ध तंत्र

प्रबन्ध तंत्र संवेदनशील एवम् लचीली प्रणाली के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की जायेगी। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली को स्थापित किया जायेगा। वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारपरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया गया है जो निम्नवत है:–

निर्णय कर्त्ता	प्रबन्ध तन्त्र	अकादमिक संस्थाएं
साधारण सभा और कार्य कारणी	राज्य परियोजन कार्यालय	एस.सी.ई.आर.टी.एवम् सीमेट
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन.जी.ओ.
ग्राम शिक्षा समिति	विधालय प्रधानाध्यापक/अध्यापिका	सी.आर.सी.

संगठनात्मक ढाँचा

(12.2) ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम्य स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

- ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का प्रधान होगा ।
- ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापको मे से ज्येष्ठतम् अध्यापक सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।
- बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन अभिभावक (जिसमें एक अभिभावक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे, सदस्य होगे।

अधिकार एवम् दायित्व

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :–

- पंचायत क्षेत्र के स्कूलों का प्रशासन नियन्त्रण एवम् प्रबन्धन करना ।
- बेसिक स्कूलो में प्रचार प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
- बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिऐ आवश्यक समझें जायेंगे।
- पंचायत की सीमाओं के अंदर अनियमितताओं के लिये, बेसिक स्कूल के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के लिए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।

◆ बेसिक शिक्षा से संम्बन्धित ऐसे अन्य कार्यो को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उन्हे सौंपा जायें ।

कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी.टी.ए., महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जाऐगें । इन कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा गांरटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का कार्य एंवम् दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

(12.3) क्षेत्र पंचायत समिति

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत समिति के दर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगा ।

क्षेत्र सहायक समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है:–

1. ब्लाक प्रमुख – अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान – सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम् अध्यापक – सदस्य

अधिकार एवम् दायित्व

इस समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करना तथा ग्राम पंचायत समिति एवम् जिला पंचायत समिति के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना है। ब्लाक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की एक कोर टीम का गठन गया है इस कोर टीम के निम्नलिखित सदस्य है –:

1. खण्ड विकास अधिकारी – अध्यक्ष

2. ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य

3. क्षेत्र पंचायत समिति की भी सदस्यता हो 01 वर्ष के लिये नामित – सदस्य

4. क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित अनु0जाति/अनु0जनजाति पिछड़े वर्ग का ग्राम प्रधान 01 वर्ष के लिये नामित – सदस्य

5. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उ0प्रा0वि0 (1) – सदस्य

6. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0 (1) – सदस्य

7. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य /सचिव

अधिकार एवम् दायित्व

इस कोर टीम का प्रमुख कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकास खण्ड होगा । विकास खण्ड स्तर पर जिला परियोजना या जिला कोर टीम द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण करना विधालयों शिक्षकों बच्चों एवम् ग्राम शिक्षा समितियो के बारें में सूचनाओं / आँकड़ो का संकलन करना तथा प्रत्येक माह ब्लाक स्तर पर संकलन, समन्वयकों के साथ बैठक का आयोजन करना, इस टीम के प्रमुख दायित्वों के रूप में संदर्भित है।

12.4 संकुल संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.)

जनपद की भौगेलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण हेतु संकुल संसाधन केन्द्रों का चयन कर लिया गया है। एक संकुल केन्द्र से अधिकतम 12 विधालय सम्बद्ध होगें। प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र पर संकुल समन्वयक की नियुक्ति की जाऐगी तथा इस केन्द्र पर वांछित शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेगे। संकुल संसाधन केन्द्रों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

कार्य एवम् दायित्व

- संकुल केन्द्र से सम्बद्ध विधालयों का अकादमिक निरीक्षण करना ।
- अध्यापकों की सप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्गित कठिनाईयों पर विचार विमर्श करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से, संकुल केन्द्रों से सम्बद्ध विधालयों में गुणवत्ता सुधार की दिशा में परिवेश निर्माण की योजना बनाना। संकुल स्तरीय सूचनाओं/ आँकड़ों का संकलन करना ।

(12.5) एम0 टी0 ए0/ पीC टी0 ए0 का गठनः

प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों मे एम0 टी0 ए0/ पी0 टी0ए0 का गठन किय जायेगा। विद्यालयो में होने वालें शैक्षिक कार्यो, विद्यालयों में भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने में, विद्यालयो में होने वाले निर्माण कार्यो तथा विद्यालय स्तर पर अनुभूत समस्याओं कें निराकरण में यह संगठन सक्रिय भूमिका निभायेगें। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम0 टी0 ए0 का गठन किया जायेगा।

(12.6) ब्लाक संसाधन केन्द्र एवम् नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र

इस जनपद के सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवम् नगर क्षेत्रों में नगर संसाधन केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराया जायेगा। इन संसाधन केन्द्रों को उपकरणों, विधुतीकरण,कम्प्यूटर एवम् अन्य मूल भूत सुविधा से सुसज्जित किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । विकास खण्डों एवम् नगर क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों एवम् कार्यक्रम की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड एवम् नगर क्षेत्र में सह समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी । समन्वयकों एवम् सहसमन्वयकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाऐगी।

कार्य एवम् दायित्व

- अध्यापकों के लिए अभीनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।

- ♦ विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्कताओं की पूर्ति हेतु सूक्ष्म नियोजन करना।
- ♦ विधालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना नवीन विधियों एवम् सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित करना ।
- ♦ ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
- ♦ संकुल केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
- ♦ ब्लाक स्तर पर अधिकारियों एवम् अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- ♦ विकास खण्ड में स्कूल से बाहर विभिन्न वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार कम्प्यूटरीकृत आँकडें तैयार करना
- ♦ विधालय से सम्बन्धित आँकडों का संकलन जाँच एवम् विश्लेषण करना ।
- ♦ प्रत्येक माह में शैक्षिक प्रगति हेतु संकुल समन्वयकों के साथ बैठक करना।
- ♦ विकास खण्ड में संकुल एवम् विधालय स्तरीय शैक्षिक कठिनाईयों तथा प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय एवम् डायट को अवगत कराना है।

(12.7) जनपद स्तरीय समिति

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवम् रणनितियों के निर्धारण हेतु जिला स्तर पर, जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है –:

जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
प्राचार्य/डायट	सदस्य

वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवम् लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आर.ई.एस)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्लू.डी)	सदस्य
जिला विधालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद् (अवकाश प्राप्त अधिकारी)	सदस्य
विश्व विधालय व महाविधालय से	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्ण माला क्रम से)	सदस्य
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिला अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना के अधिकारी एवम् दायित्व

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति होगी । जिले स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुऐ इसे सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार होगा। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार एवम् जनसहभागिता सुनिशचित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवम् शैक्षिक अंगों को मान्य होगें। प्रवेश,धारण, गुणवत्ता सम्बधी निर्माण की तकनीक के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारण किये जाएगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के संरचना, संचालन एवम् निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा ।

(12.8) जिला बेसिक शिक्षा समिति

बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद् अधिनियम 1972 के अर्न्तगत जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसका स्वरूप निम्नवत है –

जिला पंचायत अध्यक्ष	**अध्यक्ष**
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/ सचिव
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
जिला हरिजन कल्याण एवम् समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
जिला विधालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	पदेन सदस्य
तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट	सदस्य
विधालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक उप सचिव होगा	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी ।

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।
2. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।
3. बेसिक स्कूल के विकास, प्रचार प्रसार एवम् सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।

(12.9) प्रशासनिक तन्त्र

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवम् कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमे अभिकर्मियों के पद सृजित करतैनाती सुनिशचित की जायेगी ।

1.	जिला परियोजना अधिकारी	पदेन– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
2.	उप परियोजना अधिकारी	पदेन– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी
3.	समन्वयक	04 (रू0 6500–10500) राजपत्रित प्रतिनियुक्ति पर
4.	सलाहकार	02 (रू 10000/– नियत वेतन प्रति पद) आवश्यकतानुसार
5	लेखाकार/वरिष्ठ लिपिक	01 (रू0 4500–8000)
6.	लिपिक	01 (रू0 4000–6000)
7.	आशुलिपिक	01 (रू 5000–8000)
8.	कम्प्यूटर आपरेटर	01 (रू0 5000–8000)
9.	परिचारक	02 (रू0 2550–3200)

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें । जनपद में कार्यरत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें।

(12.10) शैक्षिक प्रबन्धन एवम् सूचना प्रणाली (ई.एम.आई.एस.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जिला परियोजना में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण आकड़ों का संकलन एवम् विश्लेषण किया जायेगा । विधालय सांख्यिकी कार्य के लिये कम्प्यूटर आपरेटर ,प्रधानाध्यापक,संकुल समन्वयक बी.आर.सी. समन्वयक,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई.एम.आई.एस. सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने व संकलन विश्लेषण आदि की जानकारी दी जाऐगी।

आँकड़ों का उपयोग

ई.एम.आई.एस. आँकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचक जैसे, जी.ई.आर., एन.ई.आर., ड्राप आउट दर, छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विधालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन सूचको का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा, ताकि बार बार सूचनाओं के संकलन में समय की बचत हो सके और कार्य के योजना की संरचना में तदनुसार समावेश/संशोधन किया जा सके ।

आँकड़ों का उपयोग नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में, शिक्षा गारंटी केन्द्र/ नवाचार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान में, एकल अध्यापकीय विद्यालयों के चिन्हीकरण में, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में, बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों के चिन्हीकरण में, पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थियों की संख्या के आकलन में, शिक्षकों के विवरण में विकलांग बच्चों के चिन्हीकरण तथा उन्हे उपलब्ध करायी गई सुविधा के बारे में, आंकड़ों, का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होगा।

(12.11) जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिऐ जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। वर्तमान में नवसृजित उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप इस संस्थान के भूमि एवम् भवन पर उत्तरांचल राज्य का सचिवालय स्थापित हो चुका है।सम्प्रति यह संस्थान स्पोर्टस कालेज रायपुर (देहरादून) के प्रशासनिक

भवन में अस्थाई रूप से संचालित हो रहा है, इसके फलस्वरूप भौतिक सुविधाओं का अभाव है। सर्वशिक्षा अभियान की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए इसको सुदृढ़ किया जायेगा ।

इस योजना के अर्न्तगत इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य होगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर, संदर्भ व्यक्तियों को चयनित करना, तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।

2. राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों कें सम्पर्क में रहना, तथा शिक्षा में नवाचार अभिनव प्रवृत्तियों अनुसंधानों, क्रियात्मक शोधों, शोध अध्ययनों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना, ताकि जिला स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके ।

3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षत करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।

4. जिला स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवम् उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना ।

5. जिले कें समस्त विद्यालयों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण एवम् अनुश्रवण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवम् नियन्त्रण करना ।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवम् अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. न्यूनमत अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये वेस लाइन सर्वे करना।

9. जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

10. शिक्षा के गुणवत्ता विकास के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शिक्षकों, समन्वयकों ई.सी.सी.ई., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों,

तथा निरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

12. शैक्षिक आँकड़ों (ई.एम.आई.एस. के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

13. जिले में एक वर्षीय कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वित कार्यक्रमों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु स्मारिका, फोल्डर एवम् सांख्यिकी का प्रकाशन ।

(12.12) परियोजना प्रबन्धन एवम् योजना प्रणाली

एम.आई.एस के द्वारा जनपद के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है, उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति सुनिश्चित करने वाले करकों की पहचान कर, प्रभावी कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा।

(12.13) निधि का प्रवाह

जिले की वार्षिक योजना एवम् बजट के आधार पर राज्य परियोजना द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी । प्रशिक्षण, अकादमिक,पर्यवेक्षण, अनुश्रवण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी ।इस संस्थान द्वारा गुणवत्ता के लिये बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी. को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण,वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वय सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तारित की जायगी। जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त एवम् व्यय की धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि राज्य परियोजना द्वारा जिला परियोजना कार्यालय को तथा जिला परियोजना द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 को उपलब्ध करा दी जायेगी।

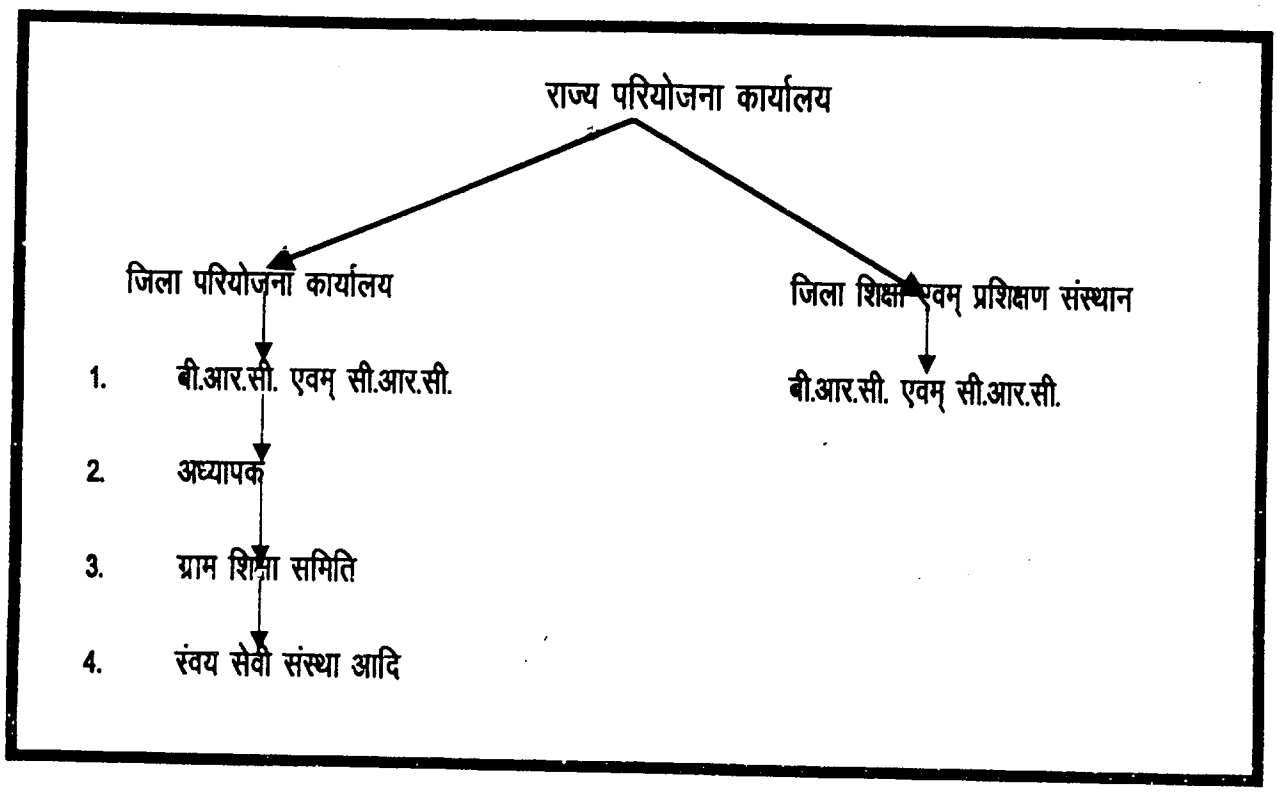
राज्य परियोजना कार्यालय
जिला परियोजना कार्यालय
जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान
1. बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी.
2. अध्यापक
3. ग्राम शिक्षा समिति
4. स्वयं सेवी संस्था आदि
बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी.

BUDGET PROPOSAL UNDER SSA 2001-2007 DISTRICT DEHRADUN

S.No	Heads/Activity	Unit Cost in 000's	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		TOTAL	
			PHY	FIN	PHY	FIN	PHY	FIN	PHY	FIN	PHY	FIN	PHY	FIN	PHY	FIN
A	ACCESS															
A1	New P.S	275			12	3300	6	1650	19	5225	21	5775	17	4675	75	20625
A2	New U.P.S	400			6	2400	15	6000	10	4000	9	3600	5	2000	45	18000
A3	Sal. Of PS Asst.															
	New PS	8.5			12	816	18	1927.8	37	3962.7	58	6211.8	75	8032.5	200	20950.8
A4	Sal. Of UPS Asst.															
	New UPS 3/UPS	10			18	1440	63	7560	93	11160	120	14400	135	16200	429	50760
A5	TLE for new PS	10			12	120	6	60	19	190	21	210	17	170	75	750
A6	TLE for new UPS	50			6	300	30	1500	20	1000	20	1000	19	950	95	4750
A7	Hono. Of Para Teacher															
	Shiksha Mitra	2.75			12	264	124	4092	143	4719	164	5412	181	5973	624	20460
	SUB TOTAL		**0**	**0**	**78**	**8640**	**262**	**22789.8**	**341**	**30256.7**	**413**	**36608.8**	**449**	**38000.5**		**136295.8**
	EGS/AS															
E1	Hono. Of EGS Anudeshak	1	53	663	80	960	80	960	67	804	52	624	41	492	373	4503
E2	Hono. Of AS Anudeshak	1	114	1368	114	1368	114	1368	114	1368	114	1368	114	1368	684	3208
E3	Ind. Trg of EGS Anud.30days	0.05pp/day	53	79.5	27	40.5									80	120
E4	Ind. Trg of AS Anud.40days	0.05pp/day	114	228											114	228
E5	TLM of EGS Center	0.1/Child	980	98	980	98	980	98	720	72	420	42	200	20	4280	428
E6	TLM of AS Center	0.15/Child	847	127.05	847	127.05	847	127.05	847	127.05	847	127.05	847	127.05	5082	762.3
E7	TLE for EGS Centre	1.1/Centre	53	58.3	80	88	80	88	67	73.7	52	57.2	41	45.1	373	410 3
E8	TLE for AS Centre	1.2/Centre	57	68.4	57	68.4	57	68.4	57	68.4	57	68.4	57	68.4	342	410.4
E9	Contingency for EGS Centre	0.46875/Centre	53	26.72	80	37.5	80	37.5	67	31.4	52	24.38	41	19.22	373	176.72
E10	Contingency for AS Centre	0.5/Centre	57	28.5	57	28.5	57	28.5	57	28.5	57	28.5	57	28.5	342	171
	SUB TOTAL		**2381**	**2745.47**	**2322**	**2815.95**	**2295**	**2775.45**	**1996**	**2573.05**	**1651**	**2339.53**	**1398**	**2168.27**		**15417.72**
	TOTAL A+E		**2381**	**2745.47**	**2400**	**11455.95**	**2557**	**25565.25**	**2337**	**32829.75**	**2064**	**38948.33**	**1847**	**40168.77**		**151713.52**
	RETENTION															
R1	Sal. Of UPS teacher (Tenth Fin.)	10			24	1920	24	3024	24	3175.2	24	3333.96	24	3500.66	120	14953.82
R2	Addl. Classrooms PS	70			40	2800	95	6650	92	6440	86	6020	81	5670	394	27580
R3	Addl. ClassroomsUPS	70			28	1960	25	1750	20	1400					73	5110
R4	Toilet PS	15	30	450	30	450	96	1440	95	1425	90	1350	80	1200	421	6315
R5	Toilet UPS	15	20	300	15	225	36	540	29	435	15	225	2	30	117	1755
R6	Ree. Const. Of old PS	275	12	3300	10	2750	50	13750	30	8250	30	8250	29	7975	161	44275
R7	Ree. Const. Of old UPS	400	7	2800	6	2400	29	11600	28	11200					70	28000
R8	Drinkining Water PS	20	23	460	50	1000	105	2100	87	1740	84	1680	71	1420	420	8400
R9	Drinkining Water UPS	20	18	540	15	300	20	400	11	220					64	1460
R10	Repair & Maintenance PS	5pa/ps			831	4155	831	4155	831	4155	831	4155	831	4155	4155	20775
R11	Repair & Maintenance UPS	5pa/ups			260	1300	260	1300	260	1300	260	1300	260	1300	1300	6500
R12	School Improv. Grant PS	2pa/ps	831	1662	847	1694	859	1718	865	1730	884	1768	905	1810	5191	10382

R14	Boundary Wall PS	40			15	600	123	4920	122	4880	110	4400	106	4240	476	19040
R15	Boundary Wall UPS	50			6	300	46	2300	41	2050	36	1800	7	350	136	6800
	SUB TOTAL- R		**1301**	**10232**	**2540**	**22580**	**2968**	**56385**	**2934**	**49198.2**	**2869**	**35119.96**	**2835**	**32528.66**		**206043.82**
	INNOVATION															
I1	**Convergence with ICDS**															
1	Addl. Hono. (.275+.125)	0.4			100	320	260	104	358	143.2	358	143.2	358	143.2	1434	853.6
2	TLM	5/centre			100	500	160	800	98	490					358	1790
3	Contingency	1.5/centre			100	150	260	390	358	537	358	537	358	537	1434	2151
4	Ind. Trg. Of Inst. 07 days	1.2pp			100	120	160	192	98	99.2					358	411.2
	OPPENING OF NEW ECCE															
5	Hono. Of Inst. & Worker(0.5+0.260)	0.76									53	402.8	75	570	128	972.8
6	TLM	5/centre									53	265	22	110	75	375
7	Contingency	1.5/centre									53	79.5	75	112.5	128	192
8	Ind. Trg. Of Inst. 07 days										53	63.6	22	26.4	75	90
	SUB TOTAL		**0**	**0**	**400**	**1090**	**840**	**1486**	**912**	**1269.4**	**928**	**1491.1**	**910**	**1499.1**		**6835.6**
I2	Multigrade Teaching(Rishi Valley)															
	for SC/ST & Tribal girls	1500			1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	1	1500	5	7500
I3	MCDA for SC/ST	75/cluster			2	150	8	600	7	525	5	375	5	375	27	2025
I4	SUPW for girls	25			20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	100	2500
I5	Teacher/ABSA/SDI/BRC/CRC														0	0
	Trg. Gender Sensitisation 3 days	0.07pp/day			200	42	60	12.6	60	12.6	60	12.6	60	12.6	440	92.4
I6	Computer Education for SC/ST															
	& girls UPS	150/school					6	900	6	900	6	900	6	900	24	3600
	SUB TOTAL		**0**	**0**	**223**	**2192**	**95**	**3512.6**	**94**	**3437.6**	**92**	**3287.6**	**92**	**3287.6**		**15717.4**
	COMMUNITY MOBILISATION															
I	VEC/SMC Trg. For 08 member															
	for 2 days per SMC	0.03pp/day			1041	499.68	1228	589.44	1264	606.72	1303	625.44	1344	645.12	6180	2966.4
	Integrated Education(IED)															
1	Provision for disabled Children	1.2/child			368	441.6	943	1131.6	943	1131.6	943	1131.6	943	1131.6	4140	4968
	TOTAL -R		**1301**	**10232**	**4572**	**26803.28**	**6074**	**63104.64**	**6147**	**55643.52**	**6135**	**41655.7**	**6124**	**39092.08**		**236531.22**
	QUALITY															
1	Inservice Trg of PS teacher 10 days	0.07pppd			2009	1406.3					2264	1584.8			4273	2991.1
2	Inservice Trg of UPS teacher 10 days	0.07pppd			1157	809.9					2269	1588.3			3426	2398.2
3	Special Trg of Sci/Maths PS teacher															
	10 days	0.07pppd					2224	1556.8					2281	1596.7	4505	3153.5
4	Special Trg of Sci/Maths UPS teacher															
	10 days(2 teacher/school)	0.07pppd					738	516.6					878	616.6	1616	1133.2
5	Special Trg of Hindi/Eng/Sansk./Urdu															
	PS teacher15 days	0.07pppd							2243	2355.15					2243	2355.15

6	Special Trg of Hindi/Eng/Sansk./Urdu															
	UPS teacher10 days	0.07pppd					369	258.3					439	307.3	808	565.6
7	Ind.Trg of Shiksha Mitra 30 days	0.07pppd			12	25.2	112	235.2	19	39.9	21	44.1	17	35.7	181	380.1
8	Refresher Trg of Shiksha Mitra 15 days	0.07pppd					128	134.4	240	252	259	271.95	280	294	907	952.35
9	Refresher Trg of PS teacher 10 days	0.07pppd											2281	1596.71	2281	1596.71
10	Refresher Trg of UPS teacher 10 days	0.07pppd											2326	1628.2	2326	1628.2
11	TLE for UPS	50	50	2500	80	4000	138	6900							268	13400
12	Teacher Grant PS	0.5pppa	2032	1016	2009	1004.5	2224	1112	2243	1121.5	2264	1132	2281	1140.5	13053	6526.5
13	Teacher Grant UPS	0.5pppa	1115	557.5	1157	578.5	2149	1074.5	2209	1104.5	2269	1134.5	2326	1163	11225	5612.5
14	Free Text books for SC/ST & all girls PS	0.150/child	53415	3148.95	61837	2339.2	85229	12784.35	87129	13069.35	89072	13360.8	91058	13658.7	467740	58361.35
15	Free Text books for SC/ST & all girls UP	0.150/child			27080	4208.3	38063	5709.45	38911	5836.65	39778	5966.7	40665	6099.75	184497	27820.85
	TOTAL - Q		**56612**	**7222.45**	**95341**	**14371.9**	**131374**	**30281.6**	**132994**	**23779.05**	**138196**	**25083.15**	**144832**	**28137.16**		**128875.31**
	CAPACITY BUILDING															
	BLOCK RESOURCE CENTRE															
1	Civil Const.	600	2	1200	2	1200	2	1200							6	3600
2	Sal. Of Coordinator	12			6	576	6	907.2	6	952.56	6	1000.18	6	1050.19	30	4486.13
3	Sal. Of Asst. Coordinator	9			12	816	12	1360.8	12	1328.84	12	1395.28	12	1465.04	60	6365.96
4	Furniture/Equipment	100	7	350	6	600									13	950
5	Contingency	12.5			6	75	6	75	6	75	6	75	6	75	30	375
6	TA	6			6	36	6	36	6	36	6	36	6	36	30	180
7	TLM	5			6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	30	150
	SUB TOTAL		**9**	**1550**	**44**	**3333**	**38**	**3609**	**36**	**2422.4**	**36**	**2536.46**	**36**	**2656.23**		**16107.09**
	CLUSTRE RESOURCE CENTRE															
1	Civil Const.	200	2	400	10	2000	20	4000	23	4600	19	3800	14	2800	88	17600
2	Sal. Of Coordinator	12			88	5984	88	13305.6	88	13920.88	88	14669.42	88	15402.89	440	63282.79
3	Furniture/Equipment	10	88	880											88	880
5	TA	2.4PA			88	211.2	88	211.2	88	211.2	88	211.2	88	211.2	440	1056
6	TLM	1PA			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	440	440
7	Contingency	2.5pa			88	220	88	220	88	220	88	220	88	220	440	1100
	SUB TOTAL		**90**	**1280**	**362**	**8503.2**	**372**	**17824.8**	**375**	**19040.08**	**371**	**18988.62**	**366**	**18722.09**		**84358.79**
	DISTRICT PROJECT OFFICE															
1	Sal. Of AAO	14			1	96	1	168	1	176.4	1	184.82	1	194.06	5	819.28
2	Sal. Of Coordinator 04no's	14			4	384	4	672	4	705.6	4	740.88	4	777.93	20	3280 41
3	Hono. Of Consultant	10			2	160	2	240	2	240	2	240	2	240	10	1120
4	Sal. Of Computer operator	8	1	21	1	68	1	96	1	96	1	96	1	96	6	473
5	Sal. Of Accountant	10	1	30	1	68	1	120	1	126	1	132.3	1	138.92	6	615.22
6	Sal. Of Steno/Clerk	6	1	21	1	56	1	72	1	75.6	1	79.38	1	83.35	6	387.33
7	Sal. Of Peon/Chowkidar 2no's	4.5	2	18	2	80	2	108	2	113.4	2	119.07	2	125.02	12	563.49
8	Furniture	50	1	50			1	50							2	100
9	Equipment	50	1	50			1	50							2	100
10	TA	200			1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
11	Contingency	100	1	50	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	6	550
12	Telephone/Fax bill charges	50	1	30	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	6	280

13	POL	100	1	50	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	6	550
14	Hiring of Vehicle	100	1	50			1	100	1	100	1	100	1	100	5	450
15	Hono. Of JE/AE	6/BRC			6	36	6	36	6	36	6	36	6	36	30	180
16	AWP&B Review	15	1	15	1	10	1	15	1	15	1	15	1	15	6	85
17	Trg of BRC/ABRC coord.10days	0.07pppd			18	12.6									18	12.6
18	Refre.Trg of BRC/ABRC coord. 5 days	0.07pppd					18	6.3	18	6.3	18	6.3	18	6.3	72	25 2
19	Trg of CRC coord.10days	0.07pppd			88	61.6									88	61.6
20	Refre.Trg of CRC coord. 5 days	0.07pppd					88	30.8	88	30.8	88	30.8	88	30.8	352	123.2
21	Trg. Of Resource person(TOT) at DIET														0	0
	for PS 10 days	0.07pppd			24	16.8	24	16.8	24	16.8	24	16.8	24	16.8	120	84
22	Trg. Of Resource person(TOT) at DIET														0	0
	for UPS 10 days	0.07pppd			24	16.8	24	16.8	24	16.8	24	16.8	24	16.8	120	84
23	Staff Development Trg of DIET 7days	0.3pppd			28	58.8	28	58.8	28	58.8	28	58.8	28	58.8	140	294
24	ABSA/SDI/BRC/CRC coord. TRG for														0	0
	Management 05 days	0.07pppd	30	10.5	109	38.5	129	45.15	129	45.15	129	45.15	129	45.15	655	229.6
25	Trg of AE/JE 05 days	0.07pppd	7	2.45											7	2.45
26	MIS Cell furnishing	50	1	50												
27	Computer Consumables	25	1	25												
26	**RESEARCH , EVALUATION ,**															
	MONITORING & SUPERVISION	1.4/school	1191	1127.4	1210	1488.9	1288	1719.2	1264	1769.5	1303	1824.2	1344	1881.6	7600	9810.8
	SUB TOTAL		**1242**	**1600.35**	**1524**	**3102**	**1625**	**4070.85**	**1599**	**4078.15**	**1638**	**4192.3**	**1679**	**4312.53**		**21281.18**
	TOTAL - C		**1341**	**4430.35**	**1930**	**14938.2**	**2035**	**25504.65**	**2010**	**25540.63**	**2045**	**25717.38**	**2081**	**25690.85**		**121747.06**
	GRAND TOTAL		**61635**	**24630.3**	**104243**	**67569.33**	**142040**	**144456.14**	**143488**	**137792.95**	**148440**	**131404.56**	**154884**	**133088.86**		**638867.11**

SUMMARY OF PROJECT COST		
DISTRICT- DEHRA DUN		
2001-2007		
HEADS	COST	%
ACCESS	151713.52	23.75
RETENTION	236531.22	37.02
QUALITY	128875.31	20.17
CAPACITY BUILDING	121747.06	19.06
TOTAL	638867.11	100

CIVIL WORK	208560	32.65
MANAGEMENT COST	21281.18	3.331
PROGRAMME COST	409025.93	64.02
TOTAL	638867.11	100

TIME SCHEDULING

S.No	ACTIVITIES	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	Preparatory Work						
2	Opening of EGS AS & ECCE						
3	Opening of N.PS & N. UPS						
4	EGS/AS upgradation						
5	Re-const,Repair,Toilet Drinking water,Addl. room,Boundary wall						
6	Sch.Imp.Grant,TLE Teacher grant						
7	Free text book Distri.						
8	Innovation						
9	M.G.T (Rishi Valley)						
10	IED						
11	REMS						
12	Training of MT						
13	Training of TOT						
14	Training of Para Teacher						
15	Training of Inst.EGS,AS, ECCE						
16	Insevice Trg. PS &UPS						
17	Training of Distt. Coord. BRC,CRC coordinator						
18	Training of ABSA/SDI						
19	Training of AE&JE						
20	Computer Training						
21	AWP&B Preparation						

सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2007 तक – एक दृष्टि में कियाकलाप

- जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना।
- कार्यशाला एवम् गोष्ठियों का आयोजन।
- विकासखण्ड स्तरीय समितियों को दिशा निर्देश निर्गत करना।
- विभिन्न स्तरीय समितियों से समन्वय।
- जिला स्तरीय समिति का प्रशिक्षण।
- वर्ष 2002 तक प्राथमिक स्तर पर नामांकन।
- वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर के सभी नामांकित बच्चों को कक्षा 5 तक की परीक्षा उत्तीर्ण कराना।
- वर्ष 2010 तक समस्त 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान कराना।
- जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण।
- गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना।
- विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों/संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना, स्थल चयन, निर्माण करना।
- ग्राम शिक्षा समितियों का पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण एवम् प्रशिक्षण।
- स्वैछिक संगठनों की पहचान।
- दृश्य – श्रव्य संसाधनों का निर्माण।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय पर्वों तथा बाल मेलों का आयोजन।
- नुक्कड़ नाटक, संवाद तथा प्रभात फेरियों का आयोजन।
- एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 का गठन।
- माइक्रोप्लानिंग/आधारभूत सर्वेक्षण।
- प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
- विद्याालय भवनों, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण।
- चाहरदीवारी, पेयजल, शौचालय एंव क्रीडास्थल की व्यवस्था।
- गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन।
- डायट, बी0आर0सी0 तथा सी0आर0सी0 स्तर पर माँ–बेटी मेला आयोजन।
- सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण।
- विद्यालयों का सौन्दर्यकरण।
- विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
- भीख माँगने वाले तथा बाल श्रमिक बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना।
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- पुस्तकालयों की व्यदस्था करना।
- दूरस्थ शिक्षा के लिए सामग्री विकास करना।
- ई0सी0सी0ई0, ई0जी0एस0 एवम् ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना।
- नवाचार शिक्षा।
- पुरस्कार एंव प्रोत्साहन।
- अनुश्रवण, मापन एवम् मूल्यांकन।

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की कमी/आवश्यकता
प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण भवन निर्माण (जीर्ण शीर्ण, नवीन, भवनहीन)
विकासखण्ड – चकराता

प्रा0वि0 कोटातपलाड़, निनुस,खनाड़ जाडी, दावला, बिजनू, सुनाड़, चान्जोंई, मेण्डाल, खबऊ, सैंचातपलाड़, खेड़ा खरसाड़, सारणी, भटाड़, उदावा, बागी, जोगियों, सीड़ीया, सो जाड़, मानथात, डिरनाड़, जष्टा, गवेला, डुंगियारा, सैंचाखेड़ा, कठंग, मोहना, खरकोटा, मठियाना, दसऊ क्वानू, समोग–मझगाँव, बनियाना, कोटी बावर, म्यूढ़ा, एठाण, सिलामू प्यूटाड़ डीडाखेड़ा, मैलोथ, खाटवा, विरनाड़, फनार, झिटाड़ बहमू

विकासखण्ड – कालसी

प्रा0वि0 पंजिया, निचिया, बा0 कालसी, बाजार, सैरी, कैत्री, टगरी, मुन्धान, गडौल, जैन्देऊ, समाल्टा,डामटा, सवाई, लाघा पोखरी, क्वारना, साहिया, रिखाड़, चन्देऊ, देऊ, पाटा, दातनू, मशेऊ, कोथी भौन्दी, मुन्शीगाऊव, लेल्टा, छुटऊ, मरलऊ, खराया, कोरवा, मागटी, उपरौली, कनबुआ, नराया, रूपऊ, अष्टाड, बान्सू, लखवाड़, क्यारी, सैन्ज अठगाँव, चोर कुनावा, मटियावा, बिरमऊ, जिसऊ, बहेड़ा, टिपऊ, टिमरा, थैना, क0 कालसी बाजार, बसाया, कुन्ना डोगुरा।

विकासखण्ड – विकासनगर

प्रा0वि0 देवथला, टिकरी, मल्लावाला, जाखन, तौली, बातनधार, पण्टा, मलेथा, काण्डोई, मटोगी, मदरसू, झंडूपुर, पृथ्वीपुर, कटापत्थर, होरावाला।, केदारवाला, टिमली, अटूर वाला, मटक माजरी, जमनीपुर ।, भलर, वैरागीवाला।

विकासखण्ड – सहसपुर

प्रा0वि0 बड़ोवाला आकेडिया, कारबारी ग्रान्ट, मल्हान ग्रान्ट, सेवली, बहादुरपुर, खैरी अटक फार्म, झाझरा, भाऊवाला, मेहरकोट, पौडवाला, भानवाला, बिसनपुर, पौधा, जोहड़ी, नया गाँव, मालसी, बिष्ट गाँव, मट्टा, किमाड़ी, रामपुर खुर्द, तिलवाड़ी, दूधई, राम सावाला, बटोली, भुडडी, बद्रीपुर, बंजारा वाला, मोथरोवाला, केदारपुर, काली माटी, भगवान पुर, अधोईवाला, आमवाला मंझला, कंडोली, माजरा ।, ब्राहमणवाला, पित्थूवाला खुर्द कांवली । तुन्तोवाला, भौसवाड सैण, बुराखखंडा छमरौली, क0 रायपुर, नागल हटनाला, अजबपुर ।, अपर तलाई, पलेड, नांही, कोटला नाहीं, नालापान, सहस्त्रधारा, चौकी चुंगी चामासारी, सिल्ला, चलचला, मालदेवता, पित्थूवाला कलां, रामनगर डाडां, रामगढ़, ननूर गढ़, ननूर खेड़ा, सुवा खोली, काँवली ।।, अजबपुर ।।, केशरवाला।

विकासखण्ड – डोईवाला

प्रा0वि0 दूधली, नथूवावाला I, नथुवाला II, चक चौबेवाला, कालूवाला, घमण्डपुर, भानियावाला II, डोईवाला II, कौडसी, कुडकावाला, गढ़ी हिसरपुर, माजरी ग्रान्ट, लिस्ट्राबाद I, बालावाला, नकरौदा नवीन, गुमानीवाला, खांड गाँव, मियावाला, बड़ोवाला जौली, फतेहपुर डांडा, इठारना, बापूग्राम।

नगर क्षेत्र – देहरादून

प्रा0वि0 श्री देव सुमन बल्लुपुर, गाँधी ग्राम पार्क रोड़, नई बस्ती रेसकोर्स, नई बस्ती बलबीर रोड़, विवेक विहार I जाखन, नई बस्ती बोडी गार्ड, नई बस्ती ह0 चन्द्र रोड़, नई बस्ती काठ बंगला राजपुर, मु0 का0 रिठामण्डी, सालावाला।

नगर क्षेत्र – मंसूरी,

प्रा0वि0 धोबी घाट लण्डोर,बारलों गंज।

नगर क्षेत्र – ऋषिकेष

प्रा0वि0 नाबा हाऊस, नगर क्षेत्र – I, नगरक्षेत्र – 2, नगरक्षेत्र – 7

प्राथमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता

विकासखण्ड – चकराता

प्रा0वि0 सैतोली, विरपा, सिलावडा, प्लासूखेड़ा, हटाल, कांडी, गोठाड, डेरसा, सैंचा खेड़ा, कान्डोईभरम, स्वीकचाणू, मशक, त्यूना कोटि, हनोल, काण्डा, चातरा, कोदुवा, अल्सीखेडा, केराड, भंगार, इन्द्रोली, लावडी, कावा खेड़ा, गोरछा, सीढी बड़कोटि।

विकासखण्ड – कालसी

प्रा0वि0 धोइरा, नगऊ, कचटा, फटेऊ डिमऊ, कालसी जंगलात, जडाना, सैंज, कुनबुआ, सलगा, देसऊ, कान्डोई, व्यास भूड़, हरिपुर,।

विकासखण्ड – विकासनगर

प्रा0वि0 भीमावाला, उदियाबाग, बरोटीवाला, नम्बरपुर, ढाकोवाला, बुलाकीवाला, रूद्रपुर, बालूवाला, सोरना, डोभरी, ।।, होरावाला ।।, लांघा, बडवा, पसोली,ढलानी, जीवनगढ़, डांडा नंगल, चिलियों , मेहुंवाला, बाडवाला, तेलपुर, डाकपत्थर, हरबर्टपुर, बद्रीपुर, ढकरानी कालोनी, जमनीपुर, लक्खन वाला, प्रतीतपुर, शाहपुर कल्याणपुर, जूडली, कुंजा ग्रांट, कुल्हाल, सभावाला, शेरपुर, डांडीपुर, ढलानी, भलेर।

विकासखण्ड – सहसपुर

प्रा0वि0 बनियावाला, अम्बीवाला, ईस्ट होपटाउन, देवीपुर, झींवर हेड़ी, मिठठी मेडी, प्रा0वि0 भूडडी, नया गांव पेलियों, कोटडा संतोर, फूल सनी, कोल्हू पानी, आमवाला, जामुनवाला, खाराखेत, भितरली, हरियावाला खुर्द, सहसपुर ।, रामपुर कलां, केंची वाला, शंकर बाग, रेडापुर, तिलवाड़ी।

विकासखण्ड – रायपुर

प्रा0वि0 रामपुर ।, किदद्वाला, रांझावाला, लाडपुर, केशरवाला, खैरी, बैंढा, नेहरू ग्राम ।, ग0ब0 नेहरू ग्राम, काला गांव, तरला नागल, डांडा खुदनिवाला, सुन्दरवाला, चांलग, दौडवाला, नवादा, नत्थनपुर, बंजारावाला, गोरखपुर, दीपनगर, क0 अजबपुर, अजबपुर डांडा, धाई सैण, बडासी, सौडा सरोली, थानों ।, चक सिधवाल गांव, तगोली गढ़ मिढावाला, लडवा

कोट, बडेरना, चकतलाई, हल्द्वानी, थानों ।।, कुडियाल, सिंधवाला गांव, सनगांव, सतेली, रैठवान गांव, क0 नाही, कैरवाण गांव, अस्थल, वाणी विहार, ननूर खेड़ा, सुभाष नगर, माजरा ।।, मेहूँवाला ।, रामगढ़, मेहूँवाला ।।, हरबंशवाला, मोहब्बेवाला, पित्थुवाला कलां, चामासारी, क्यारा, नाली, सुवा खोली, सिमयारी, फूलेत।

विकासखण्ड – डोईवाला

प्रा0वि0 मिस्सरवाला, खत्ता, बाजावाला, तुनवाला ।, गुजरौ वाली, भंगलाना, पाल बस्ती, जौली ।।, माजरी ।।, जोली ग्रान्ट ।, कोटि भानियावाला, भटटोवाला खदरी, शेरगढ़, बीवीवाला, गौहरी माफी, नागाधेर, जोगियाणा, लक्कड़घाट, इन्दिरा गांधी नगर, गढ़ी श्यामपुर, मोलधार,बरकोट, सुनार गांव, लाल तप्पड़, चांडी प्लाटेशन नुन्नावाला, बमेथ, कौडसी।

नगरक्षेत्र – देहरादून

प्रा0वि0 नेहरू नगर कालोनी, आराघर न0 1, आराधर न0 2, न्यू खुडबुड़ा, कुम्हार मौहल्ला, हकीकत राय नगर, लक्खी बाग न0 2, लक्खी बाग –1, पटेल नगर, डोभालवाला न0 , इन्द्रा कालोनी, डोभाल वाला न0 2, पुराना डालन वाला न0 1, पुराना डालन वाला न0 2, परेड़ ग्राउण्ड न01, परेड़ ग्राउण्ड न0 3, चक्कूवाला न0 2, नया गांव, दिलाराम बाजार।

नगरक्षेत्र – मंसूरी

प्रा0वि0 कुल्डी, किताबघर, हुसैन गंज, चार्ली हिल, नाला पानी, बासागाड़, बुडस्टाम, कोल्हूखेत, लेण्डोर न01

नगरक्षेत्र – ऋषिकेश

प्रा0वि0 नगरक्षेत्र न0 1, नगरक्षेत्र न0 3, नगरक्षेत्र न0 5, नगरक्षेत्र न0 8, नगरक्षेत्र न0 9।

प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की आवश्यकता।

विकासखण्ड – चकराता

प्रा0वि0 निगमा, सुनीर, किस्तूड़, ओली, मलेथा, रायगी, काण्डा, चातरा, बाइला, छजाड–हटाड, बुराइला, कितरौली, कोटा–क्वानू, हाजा, क्वानू ।।, आसोई, गमरी, दौधा, जगथान, कलेथा, कावा खेड़ा पिंगुवा, गोरठा, ठारठा, सिर्वा, कान्डोई भरम, पाटी, रावना, खारसी, थणता, बुल्हड, सीठी बड़कोटी, बरौथा, बनियाना, पुनः पोखरी, विरपा, बागनी, सैज तराणू, कोल्हा, बाणाधार, सिलावड़ा, प्यूनल, चिल्हाड, खडीनल, डेरसा, दांर्मिगाड, त्यूना ।।, चौसाल, रडू, अणु, प्लासूखेडा, टयूटाड, हटाल, फनार, मोठी, कांडी, गोठाड, छुल्टाड, भटाड–छटाड़, घोइरा पुडिया, गडसार, नाडा, काण्डोई, लाखामण्डल, कुन्ना, पेनुवा, सरना, डूगरी, सैज कुनैन, खौलरा, हरटाड, रजाणू, स्वीकचाणू, मसक, त्यूना कोटी, कोटी कनासर, पटयूड, एठाड, बानपुर, लोइच, हनोल, कोटी मेद्रथ, मेघाटू, चौरालानी, छुमरा, त्यूनी 1

विकासखण्ड – कालसी

प्रा0वि0 घोईरा, ठुरऊ, चापनू, दधेऊ, कालसी जंगलात, गास्की, बागी विहार, जुड्डो, लोहारी, लखस्यार, धनपऊ, वान्सू, कैनोटा, नगऊ ककनोई, बाढ़ो, डामठा, चिहाड, कचटा, गांगरौ, सिधोर, फटेऊ, कुन्ना, दोऊ, दोहा, मंगरौली, टुगरा, होडा, कोटी कोरूवा, कुरोली, उदपाल्टा, रानी गांव, बिसोइ रिखाड, ककाडी, अलसी, पंजिटीलानी,सलगा, कोथी, उभरेऊ अष्टी, सुरेऊ भंजरा, चिपऊ, टिपऊ, कोठा, जामुवा, मन्ढोली, बोहा, आरा, टिमरा, खमरोली, सिमोग, सराडी, देसऊ, डांन्डा, जडाना, दोऊ, डिमऊ, अतलेऊ, कोटी, कालोनी, कान्डोई, लुधेरा, खुन्ना, उभऊ, बिसोई, लाछा, मलेथा, पानुआ, मसराड, बसाया, खतार, समाया, कोष्टी, ऊटेल, थेना, गोथान, बाँधना, डूयूडीलानी, लोहारना, धीरोई पिपाया, खाडी, सकरौल, बडैथ, कामला, थलीन, खाती, हजटा, पीनगीरी, कालसी गेट।

विकासखण्ड – विकासनगर

प्रा0वि0 विकासनगर, रसूलपुर,डाक्टर गंज, बरोटीवाला, नम्बरपुर, खेडा पछुवा, ढाकोवाला, भोजावाला, पश्चिमीवाला, बादामावाला, छोटूवाला, मु0ब0 केदारावाला, बालूवाला, गोडरिया, सोरना, डोभरी ।, डोभरी ।।, चांदपुर, कोटी, लांघा, भूड, बडवा, घोरे की डांडी, पसौली, पपडियान, ढलानी, डोडा जंगल, चिलीयों हडोवाला, मोरोवाला, तेलपुर, डूमेट, ढकरानी, हरीपुर, शाहपुर कल्याणपुर, कुल्हाल, शेखो वाला, माजरी, निपरपुर, आवलीवाला, शेरपुर, डांडीपुर।

विकासखण्ड – सहसपुर

प्रा0वि0 झींवरहेडी, लाइन परवल, गोरखपुर, भूडपुर, शुक्लापुर, कोटडा सन्तौर, केहरी गांव, कोहलू पानी, आमवाला जामुनवाला, हरिया वाला, हल्दुवाला, चाँदमारी शुद्धोवाला, बकारना,कंढालो, नौगाँव, बडोवाला भाऊवाला, रेतीवाला, डूंगा कांसवाली, कंटोली अपर, खारा खेत, मसरास, विधोली, जोहडी ।।, सिनोला, पुडकल गाँव, गुनियाल गांव, भगवन्तपुर सिंगली, बिष्ट गांव, कुढनल गांव, रिखोली, भितली, गजियावाला, इन्द्रानगर गलनवाडी, कौलागढ़, धरतावाला, बाजावाला पुरोहित वाला, शिवपुरी हुल्लु, हरियावाला खुर्द, रामनगर खुर्द, कैंचीवाला, शंकरबाग, खुशहालपुर, रेडापुर, छरबालोअर ढाकी,बिरसनी नाहड, बिरसनी, जगतपुर ढालवाला, जगतपुर खादर।

विकासखण्ड : रायपुर

प्रा0वि0 रायपुर 1, लाडपुर, बिजोली, बौठा, समोली, द्वारा, अखाडी भिलंग, नेहरू ग्राम 1, गढवाली बस्ती नेहरूग्राम तरला नागल, चांलन, दौडवाला, दीपनगर, घाइसैण, पाववाला सौडा, सौडा द्वारा, थानो 1, नाली गांव, चक सिधवाला गाँव, भगवानपुर, तगोली गढ़ लडवाकोट, धारकोट, बडेरना, चक तलाई हल्द्वाडी, थानो–2, सन गांव, सतेली, रैठवाण गाँव, कैरवाण गांव, मेहूंवाला –1, हरभजवाला, हरबन्सवाला, चामासारी, सरोना, क्यारा, नाला–पानी, सिमयारी, फुलेथ।

विकासखण्ड : डोईवाला

प्रा0वि0 डोईवाला, गा0 ग्राम0 बुल्लावाला, ह0ब0 बुल्लावाला, माधोवाला, तीर्थवाला बस्ती वालावाला, बालावाला–2, शमशेरगढ़, गढ़निवास, भंगलाना, जोग्याणा, नवीन जौली, पाल बस्ती, सैन की चौकी 1, सैन की चौकी–2, अपर जौली, जौली ग्रान्ट 1, जौली ग्रान्ट– 2, ह0ब0 माजरी, शेरगढ़, चाण्डी प्लांटेशन, लालतप्पड़, रेशम माजरी /, लिष्ट्राबाद नवीन, रैनापुर, फलसुवा, द्विजिया वाला, क0 बरकोट, डांडी, भोगपुर, फागसी, तेलपुरा–2, मादसी, सिल्ला चौकी, काल बन, इठारना –2, प्रा0वि0 बमेत, इलकोटि, डिम्मर, सूर्यधार, बसन्तपुर, खलदार, चक जोगीवाला, छिददरवाला, गोहरी माफी, दिल्ली फार्म, नवीन श्यामपुर, बोक्सा बस्ती, साहब नगर, ठाकुर पुर, गढ़ी श्यामपुर, भट्टोवाला, शिवाजी नगर, बीबी वालाख लक्कड धाट, बीरपुर खुर्द।

नगरक्षेत्र – देहरादून।

प्रा0वि0 नेहरू नगर कालोनी, कुम्हार मौहल्ला, हकीकत राय नगर, पुलिस लाइन, आराधर–2, डोभाल वाला –1, दिलाराम बाजार, परेड़ ग्राउड।

नगरक्षेत्र मंसूरी

प्रा0वि0 दूधली, हुसैन गंज, लौन्ढोर–1, लौन्ढोर–3, धोबीघाट बुड स्टाक, कोल्हू खेत लेन्ढोर कैन्ट, बार्ली गंज, झड़ी पानी, बांसा गाड, मकडेत गाँव, कुलडी।

नगरक्षेत्र – ऋषिकेश

प्रा0वि0 ऋषिकेश न0 1, ऋषिकेश न0 2, ऋषिकेश न0 3, ऋषिकेश न0 4, ऋषिकेश न0 5, ऋषिकेश न0 6, ऋषिकेश न0 7, ऋषिकेश न0 8, ऋषिकेश न0 11, ऋषिकेश न0 12

प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की आवश्यकता

विकासखण्ड – चकराता

प्रा0वि0 निमगा, सुनीर, किस्तुड, ओली, मोहना, बायला, कितरौली, कोटा क्वानू, असोई, गमरी, दौधा, जगथान, कलेथा, कावाखेडा, पिगवा, गोरछा, ठारठा, शिखा, काण्डोईभरम, पाटी रावना, खारसी, थणता, उदाँवा, बुल्हाड, सीढी बडकोटी, बरोथा, पुनह पोखरी, बागनी सैजतराणू, बाणाधार, सिलाबडा, प्यूनल, चिल्हाड, खडकीनल, उेरसा, बृनाड, न्यूनी 2, चौसाल, रंडूं, प्लासू खेडा, टयूटाड, हटाल, काण्डी, गोठाड़, छुल्टाड़, भटाड– छोटाड, गडसार, नाडा, काण्डोई, लाखामण्डल, मयपाटा, कुन्ना, पेनुवा, सरना, डुंगरी, सैंज कुनैन, खोलरा, हरटाड, रजाणू, स्वीकचाणू, मसक, पटयूड, बानपुर, लोइच, निनूष, हनौल, कोटी मैन्द्रथ, मैन्द्रथ, मेघाटू, चौरालानी, छुमरा, बंगूर, रायगी, सहिया तपलाड, छजाड–हटाड, काण्डा, चातरा, डेरियो, भुनाड, केराड, सारणी, इन्द्रोली, कन्धार, लावडी, कोल्हा, मलेथा, त्यूनी–1

विकासखण्ड – कालसी

प्रा0वि0 धोइरा, हरिपुर, चापनू, कालसी गेट, बोसान, व्यास नहरी, दधेऊ, सैरी, कालसी जंगलात, गास्की, जूड़डो, लोहारी, लखस्यार, धनपऊ, कैनोटा, ककनोई, बाढ़ो, व्यासभूड़, डाबरा, चिहाड, कचटा, गांगरो, सिन्धोर, फटेऊ, दोऊ, दोहा, मंगरौली, टुंगरा, होडा, कोटी कोरूवा, बोहारी, कुरौली, उदपाल्आ, रानी गांव, सैंज, लोरली, ककाडी, अलसी, पंजिटीलानी, खोई, सलगा, कोथी, उभरेऊ, अष्टी, तुरेऊ, भंजरा, चिबऊ, सूपऊ, कोठा, जामुवा, मण्डोली, बोहा, आरा, समरौली, सिमोग, सराडी, देसऊ, डोडा, जड़ाना, डिमऊ, अतलेऊ, कान्डोई, खुन्ना, उभऊ, क्वासा, दिसोई, लाच्छा, पानुवा, मसराड, खतार, काहा, समाया, कोप्टी, उटैल, विजऊ, खणी, गोथान, बाहाना, डयूडिलानी, लोहारना, सक्रोल, थलीन, खाती हजटा।

विकासखण्ड –विकासनगर

प्रा0वि0 विकासनगर –2, डाक्टर गंज, नवाब गढ़, भीमावाला, गुडरिच, बरोटीवाला, नम्बरपुर, खेडज्ञ पछुवा, पृथ्वीपुर, मोजावाला, बुलाकीवाला, पश्चिमी वाला, बदामावाला, छोटूवाला, मु0बा0 केदारावाला, बालूवाला, गोडरिया, सोरना, डोभरी–1, डोभरी–2, होरावाला–2, कोटी, लांघा, भूड, बडवा, घोरे की डांडी, पसौली, पपडियान, ढलानी, डांडा जंगल,

चिलियों, हडोवाला, मोरोवाला, तेलपुर, डुमेट, जीवन गढ़, बाडवाला, ढकरानी, जमनीपुर 2, जस्सोवाला, जूडली, कुंजा ग्रान्ट, कुल्हाल, शेखो वाला, माजरी, आवलीवाला, डाडीपुर।

विकासखण्ड – सहसपुर

प्रा0वि0 ईस्टहोप टाउन, झीवरहेडी, मिठठ्री भेडी, भूडडी, नया गांव पेलियो, गोरखपुर, भूउपुर, कोटडा सन्तौर, फुलसनी, कोल्हूपानी, आमवाला, जामुनवाला, हरियावाला, चांदमारी, तेलपुर, सुद्धोवाला, बंशीवाला, धूलकोट, बकारना, कण्ढोली लोअर, नौगांव, बडोवाला भाऊवाला, रेतीवाला, डूंडा, कांसवली, बेलोवाला, मसरास, विधोली, गोपीवाला अनारवाला, संगली, रिखोली, भितरली, गलज्वाडी, गजिया वाला, इन्द्रा नगर, इन्द्रा नगर गल्ज्वाडी, कौला गढ़, पुरोहित वाला, शिवपुरी कुल्लु, महमूद नगर, शंकरपुर 2, शंकरबा।ा, रैडापुर, छरबर अपर, ढाकी, विरसणी नाहड, विरसनी, दूधई, जगतपुर ढालवाला, जूलों, जगतपुर खादर।

विकासखण्ड – रायपुर

प्रा0वि0 लाडपुर, माल देवता, सरखेत, बिजोली, बौठा, समोली, द्वारा, नेहरू ग्राम 1, ग0ब0 नेहरू ग्राम, तरला नागल, चांलग, अजबपुर खुर्द, मोथरोवाला, क0 अपर तलाई, पाववाला सौडा, बड़ासी, सौडा द्वारा, काली माटी, थानो 1, चक सिधवाल गांव, भगवानपुर 2, भगवानपुर 1, तगोली गढ़, लडवाकोट, धार कोट, बडेरना, चक तलाई, हलद्वाडी, थानों 2, प्लेउ, सन गांव, सतेली, रैठवाण गांव, कांवली 2 क0 नाही, कैरवाण गांव, ब्रहमण वाला, मेहूँवाला 1, राम गढ़, हरभजवाला, तुन्तोवाला, हरबंशवाला, चामासारी, सरोना, भैसवाड सैण, क्यारा, नाली गांव, सुवाखोली, बुराशखण्डा, छमरौली, सिमयारी, फुलेत, नालापानी, रायपुर।

विकासखण्ड – डोईवाला

प्रा0वि0 डोईवाला, केशवपुरी, बुल्ला वाला, ह0ब0 बुल्लावाला, झडौन्द, नागल ज्वालापुर, माजरी माफी, शमशेर गढ़, तुनवाला लोअर, ह0ब0 बालावाला, भंगलाना, जोग्याणा, नवीन जौली, फाल बस्ती, अपर जौली, जौली ग्रान्ट 2, ह0ब0 माजरी, माजरी 2, शेरगढ़, संगतियावाला, मोलधार, कोटि भानियावालां, जीवनवाला, चांडी प्लाटेशन, लाल तप्पड़, रेशम माजरी, भानियावाला, नागाधेर, क0 रानी पोखरी, रानी पोखरी, लिष्ट्राबाद नवीन, रैनापुर, फाल सुवा, दुजियावाला, क0 बरकोट, डांडी, भोगपुर,भोगपुर 2, फागसी, तेलपुरा 1, तेलपुरा 2, मादसी, इठारना 2, बमेत, इलकोटि सूर्यधार, खलदार,

चक जोगीवाला, रायवाला गांव, नवीन श्यामपुर, बोक्सा बस्ती, सहाब नगर, गढ़ी श्यामपुर, शिवाजी नगर, लक्कड घाट, वीरपुर खुर्द।

नगरक्षेत्र – देहरादून

प्रा0वि0 परेड ग्राउन्ड 1, परेड ग्राउन्ड न0 3, नया गांव, राजपुर, नेहरू कालोनी, करनपुर न. 1, कुम्हार मौहल्ला न0 इन्द्रेश नगर, पुलिस लाईन।

नगरक्षेत्र ऋषिकेश

प्रा0वि0 न0 3, प्रा0वि0 न0 6, प्रा0वि0 न0 12, प्रा0वि0 शिशु निकेतन।

नगरक्षेत्र मसूरी

प्रा0वि0 नालापानी, लन्ढौर न0 2, मकडेती, कोल्हूखेत।

प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी की आवश्यकता

विकासखण्ड – चकराता

प्रा0वि0 निमगा, मुनीर, किस्तुर, सैंतोली, ओली, डाकरा, वायला, दसऊ, धारिया, बुरायला, कितरौली, कोटा क्वानू, हाजा क्वानू, असोई, गमरी, दौधा, जगथान, कलेथा, कावाखेडा, मैलोत, पिगवा, गोरछा, ठरठा, शिवी, काण्डोईभरम, मयरावना, डुगियारा, पार्टी, रावना, जोगियों, जाडी, लेवरा, खारसी, लोहारी, उदावा, बुल्हाड, सीडी बडकोटी, बरोथा, दावला, पनियाना, बागनी, बिजनू, खाटवा, कोटा तपलाड, सैंज तराणू, वाणाधार, सिलावडा, प्यूनल, चिल्हाड, खडकीनल, डेरना, चाँदनी, कोटी बाबर, मुन्धौल, बृनाड, त्यूनी 2, चौसाल, रंडू, अणु हाली, बागी, प्लासु खेडा, त्यूणी 1, हटाल, फनार, सेडियों, म्यूढा, मोठी, काण्डी, गोठाड, छुल्टाड, भटाड–छोटाड, मानथात, सैचार खेडा, गडसार, नाडा, काण्डोई, लाखा मण्डल, डिमिच, मयपाटा, कुन्ना, पेनुवा, सरना, डुंगरी, जस्टा, सैंज कुनैन, कुनैन, खोलरा, हरटाड, रजाणू, स्वीकचाणु मसक, त्यूना कोटी, कोटी कनासर, बहमू, पटयूड, एठांण, बानपुर, लोईच, झिटाड, निनूस, हनौल, कोटी मैन्द्रथ, मेघाटू, चौरालानी, छुमरा, बंगूर, रायगी, सहिया तपलाड, काण्डा, सिलामू, घण्ता, चातरा, डेरियों, खेरा खडसार, कोटुवा, पुरटाड, कठंग, डिरनाड, मुनाड, केराड, सारणी, भंगार, इन्द्रोली, कन्धार, लावडी, कोल्हा, डीड़ा खेरा।

विकासखण्ड – कालसी

प्रा0वि0 धोईरा, हरिपुर, पंजिया, ठुरऊ, चापनू, कालसी गेट, बोसान, व्यास नहरी, दधेऊ, सैरी, निचिया, बालक कालसी, कालसी जंगलात, बागी–विहार, गास्की, जूड्डों, लोहारी, लख्स्यार, धनपऊ, बान्सू, कैनोठा, नगऊ, कैतरी, टगरी, ककनोई, मुन्धान, गडौल, बाढो जैन्देऊ, डाबरा, चिहाड, कचटा, गांगरों, सिंधोर, समाल्टा, डामठा, फटेऊ, सवाई, दोउ नवीन, दोहा, सैंसा, लाघा पोखरी, क्वासा, टुगरा, होडा, कोटी कोरूवा, साहिया, बोहरी, कुरौली, उदपाल्टा, उपरौली रानी गांव, निथला, बिसोई रिखाड़, सैंज, लोरली, ककाडी, सकनी, अलसी, पंजिटीलानी, खोई, सलगा, कोथी, उभरेउ अष्टी, सुरेऊ, भंजरा, चंदेऊ, चिपऊ, सुपऊ, कोठा, जामुवा, मन्डोली, वोहा, आरा, समरौं, सिमोग, देऊ, सराडी, देसऊ डोडा, जडाना, पाटा, दोऊ, लेल्आ, डिमऊ, अतलेऊ, कोटी कालोनी, लुधेरा, खुन्ना, नागथात, उभऊ, कवासा, विसोई लाच्छा, दातनू, बडनू, मलेथा, पानवा, मसराड, खतार, कहा, समाया, कोप्टी, उटैल, विसऊ, खणी, मथेऊ, कोटी मैन्डी गोथान, बाहाना, डयूडिलानी, लोहारना, धिरोई, खाडी, मुंशी ग्राम, सकरौल, पिनगिरी, बड़ेथ, कामला, थलीन, खाती हजटा।

विकासखण्ड – विकासनगर

प्रा0वि0 रसूलपूर, डाक्टर गंज, नवाबगढ़, भीमावाला, उदियाबाग, नम्बरगुर, खेडा पछुवा, ढकोवाला, भोजवाला, बुलाकीवाला, पश्चिमीवाला, बादामावाला, छोटूवाला, मु0ब0 केदारावाला, केदारावाला, देवथला, बालूवाला, गोडरिय, सोरना, चांदपुर, होरोवाला I, होरोवाला II, कोटी, मल्लावाला, तोली, भूड, बातनधार, पष्टा मदर्सू, धोरे की डांडी, मटोगी, काण्डोई, जाखन, पपडियान, ढलानी, डाडा जंगल, चीलियों, हडोवाला, कटा पत्थर, बाडवाला, भूडपुर, तेलपुर, भलेर, डुमेट, ढकरानी, बैरागीवाला, बद्रीपुर, फतेहपुर, जमनीपुर–1,जमनीपुर–2, हरिपुर, लाक्खनवाल, जस्सोवाला, प्रतीतपुर, शाहपुर कल्याणपुर, जुडली, आठूवाला, कुंजा ग्रान्ट, मटक माजरी, ढालीपुर, सभावाला, शेखोवाला, तीपरपुर, आवलीवाला, शेरपुर, डांडीपुर, हिल्दूवाला, टिमली।

विकासखण्ड – सहसपुर

प्रा0वि0 बनियावाला, अम्बीवाला, इस्टहोप टाऊन, देवीपुर, झींवरहेडी, ठाकुरपुर, बडोवाला आरकेडिया, लाइनपरवल, भूडड़ी, कारबारी, नया गांव पेलियों, मल्हान ग्रांट, गोरखपुर, भूडपुर, सेवली, शुक्लापुर, कोटडा सन्तौर, केहरी गांव, फुलसनी, कोल्हूपानी, आमवाला, जामुनवाला, हरियावाला, हल्दूवाला, चांदमारी, सेलाकुई, बहादुरपुर, खैरी अटक फार्म, तेलपुर, सुद्धोवाला, झाझरा, बंशीवाला, धूलकोट, भाऊवाला, बकारना, कण्ढोली लोअर, नौगांव, मांडूवाला, मेहरकोट, बडोवाला भाऊवाला, रेतीवाला, डूंगा, पौडवाला, कांसवाली भगवानपुर, भनवाला, बेलोवाला, विशनपुर, बण्ढोली अपर, खाराखेत, मसरास, पौंधा, जोहडी –1, जोहडी –2, नयांगाव, गोपीवाला अनारवाला, सिनौला, मालसी, गुनियाल गांव, भगवन्तपुर, सिंगली, बिष्ट गांव, क्यारकुल, भट्टा, किमाडी, रिखोली, भितरली, गलज्वाडी, गजियावाला, इन्द्रा नगर गलज्वाडी, कौलागढ़, बाजावाला, पुरोहित वाला।

विकासखण्ड – रायपुर

प्रा0वि0 रायपुर, राँझावाला, केशरवाला, सरखेत, बिजोली, समोली, द्वारा, अखाडी भिलंग, हिलाशवाली, नेहरू ग्राम 1, ग0 बस्ती नेहरू ग्राम, काला गांव गुजराडा, तरला नागल, डांडा लखोण्ड, चालंग, अजबपुर खुर्द, ह0ब0 कारगी, दौड़वाला, बंजारावाला, मोथरोवाला, केदारपुर, कारगी ग्रान्ट, बाँध वि0 बंजारावाला, अजबपुर डांडा, घाईसैण, पाववाला सौडा, भूपाल पानी, काली माटी, सौडा सरोली, थानों –1, चकसिंधवाल, भगवानपुर 1, भगवानपुर 2, तगोली गढ़, मिढावाला, लडवाकोट, धारकोट, धण्डोल गांव, बडेरना, चक तलाई, थानों 2, प्लेड, कुडियाल, सन गांव, सतेली, रैठवाण गांव, क0

नाही, कैरवाण गांव, अस्थल, वाणी विहार, सुन्दरवाला, ननूरखेडा, आमवाला, पित्थूवाला खुर्द, कांवली 1, राम गढ़, मेहूँवाला 2. हरभजवाला, तुन्तोवाला, हरवंशवाला, पित्थूवाला, चामासारी, रारोना, भैसवाड सैण, क्यारा, नाली गाँव, बुराशखण्डा, छमरौली, सिमयारी, फुलेत।

विकासखण्ड – डोईवाला

प्रा0वि0 डोईवाला, केशवपुरी, मिस्सरवाला, लच्छीवाला, धर्मूचक, बुल्लावाला 1, बुल्लावाला 2, माधोवाला, ग0मा0 बुल्लावाला, झडौन्द, दूधली, नागलज्वालापुर, झबरावाला, फान्दूवाला, चांदमारी, हर्रावाला–1, तीर्थवाल बस्ती बालावाला, कुआवाला, बागाखाला, बालावाला 2, नथुवावाला 2, शमशेर गढ़, नकरौंदा नवीन, नथुवावाला, नकरौंदा, बालावाला 1, तुनवाला लोअर, गूलरघाटी, मियांवाला, ह0ब0 बालावाला, गढ निवास, चक चौवे वाला, भंगलाना, जोगियाणा, बडोवाला जौली, पाल बस्ती जौली, कालूवाला, सैन की चौकी 1, सैन की चौकी 2, अपर जौली, जौली ग्रान्ट 1, जौली ग्रान्ट 2, ह0ब0 माजरी, माजरी 2, फतेहपुर डांडा, शेरगढ, सुनार गांव, संगनियावाला, मोलधार, कोटि भानियावाला, जीवनवाला, चांडी प्लांटेशन, लाल तप्पड, नुन्नावाला, रेशम माजरी, भानियावाला, भानियावाला 2,नागाधेर, क0 रानी पोखरी, लिस्ट्रवाद, घमण्डपुर, रानी पोखरी, लिस्ट्राबाद नवीन, रैनापुर, बरकोट, फलसुवा, दुजियावाला, डांडी, भोगपुर 2, फागसी, तेलपुर 2, मादसी, सिल्ला चौकी, कालबन, इठारना 1, इठारना 2, बमेत, इलकोटि, डिम्मर, सूर्यधार, बसन्तपुर, बागी, खलदार, कौडसी, चक जोगीवाला, गोहरी माफी, दिल्ली फार्म, रायवाला गांव, खदरी, नवीन श्यामपुर, बोक्सा बस्ती सहाबनगर, सहाब नगर, गढ़ी हिसार पुर, गढ़ी श्यामपुर, प्रतीत नगर रायवाला, रायवाला स्टेशन, शिवाजी नगर, बीवी वाला, लक्कडघाट, वीरपुर खुर्द, बापूग्राम।

नगरक्षेत्र – देहरादून।

प्रा0वि0 नयागांव, पटेल नगर, हाथी बडकलां न0 2, जाखन, आराघर न0 1, परेड ग्राउण्ड न0 1, परेड ग्राउण्ड न0 3, परेडग्राउण्ड न0 3

नगरक्षेत्र ऋषिकेश

प्रा0वि0 न0 3, प्रा0वि0 न0 5, प्रा0वि0 न0 9, प्रा0वि0 न0 12

नगरक्षेत्र मसूरी

प्रा0वि0 दूधली, हुसैनगंज, धोबीघाट बुडस्टॉक, झडीपानी।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष की आवश्यकता

विकासखण्ड चकराता

प्रा0वि0 मलेथा, बायला, क्वानू, पिंगवा, मयरावना, रावना, बुल्हाड, बरौथा, पुनह पोखरी, खाटवा, बागनी, सैंजतराणु, कोल्हा, डेरसा, दार्मीगाड, रंडू, भाटगढ़ी, टयूटाड, हटाल, गडसार, नाडा, लाखामण्डल, डिमिच, कुन्ना सरना, खरोडा, कुनैन, खोलरा, रजाणू, मैन्द्रथ, मैघाटू, रायगी, हजाड–हटाड, डेरियों।

विकासखण्ड कालसी

प्रा0वि0 हरिपुर, घोइरा, चापनू, कालसी गेट, दधेऊ, बागी विहार, नगऊ, ककनोई, गडोल, कचटा, गांगरो, सिंधोर, फटेऊ, कोरूवा, उदपाल्टा, पंजिटीलानी, सलगा, कोथी, उभरेऊ।

विकासखण्ड विकासनगर

प्रा0वि0 विकासनगर 1, रसूलपुर, डाक्टरगंज, नवाबगढ़, भीमावाला, गुडरिच, बरोटीवाला, बुलाकीवाला, छोटूवाला, रूद्रपुर, केदारावाला, देवथला, डोभरी–2, जीवनगढ़, हाडोवाला, अम्बाडी, मोरोवाला, कटा पत्थर, हरबर्टपुर, ढकरानी, बैरागीवाला, फतेहपुर, ढकरानी कालोनी, जमनीपुर– 1,जमनीपुर–2, जस्सोवाला, प्रतीतपुर, शाहपुर कल्याणपुर, जुडली, आटूवाला, कुंजा ग्रान्ट, मटक माजरी, कुल्हाल, ढालीपुर, टिमरी, सभावाला, शेखोवाला, सिहनीवाला, माजरी, तीपरपुर, आवलीवाला, डाडीपुर, लक्खनवाला।

विकासखण्ड सहसपुर

प्रा0वि0 बनियावाला, इस्टहोप टाउन, देवीपुर, झींवर हेडी, बडोवाला आरकेडिया, लाइन परवल, भूडडी, नयागांव पेलियों, मल्हान ग्रान्ट, गोरखपुर, भूडपुर, कोल्हूपानी, आमवाला, चांदमारी, सेलाकुई बहादुरपुर, तेलपुरा, बंशीवाला, धूलकोट, भाऊवाला, कान्डोली लोअर, नौ गांव, मान्डूवाला, मेहरकोट, बडोवाला भाउवाला, रेतीवाला, डूंगा, कांसवाली, भगवानपुर, भानवाला, बेलोवाली, बिशनपुर, कन्ढोली अपर, खाराखेत, गसरास, विधोली, जोहड़ी 2, नयागांव गोपीवाला अनारवाला, सिनौला, मालसी, पुरकल गांव, गुनियाल गांव, भगवन्तपुर, सिंधली, बिष्टगांव, कुठाल गांव, क्यारकुली, किमाडी, भितरली, गलज्वाडी, गजियावाला, इन्द्रानगर गलज्वाडी, कौलागढ, धरतावाला, शिवपुरी हुल्लु, सहसपुर 1, सहसपुर 2, लक्ष्मीपुर,

रामपुर खुर्द, रामपुर कला, महमूदनगर, शंकरपुर 2, शंकरपुर हकुमतवाला, कैंचीवाला, शंकर बाग, खुशालपुर, रेडापुर, छरबा अपर, ढाकी, तिलवाडी, बिरसनी नहाड, बिरसनी, दूधई, जगतपुर ढालवाला, रामसावाला, जूलो, जगतपुर खादर

विकासखण्ड रायपुर

प्रा0वि0 केशरवाला, खैरी, सरखेत, नेहरू ग्राम, गढवाली बस्ती नेहरूग्राम, नागल हटनाला, तरला नागल, अजबपुर – 1, अजबपुर खुर्द, दौडवाला, नवादा, बद्रीपुर, नत्थनपुर, मोथरोवाला, केदारपुर, गोरखपुर, दीपनगर, क0 अजबपुर, कारगी ग्रान्ट, अजबपुर डांडा, बडासी, सौडा द्वारा, सौडा सरोली, थानों 1, भगवानपुर 1, भगवानपुर 2, मिढावाला, बडेरना सिंधवाल गांव, वाणी विहार, ननूरखेड़ा, अधोईवाला, कांवली 2, माजरा 1, माजरा 2, ब्राहमणवाला, मेहूँवाला 2 हरभजवाला, निरजनपुर, ब्रहमपुरी, हरवशवाला, पित्थूवाला कला, सरोना, क्यारा, नाली।

विकासखण्ड – डोईवाला

प्रा0वि0 डोईवाला, केशवपुरी, खत, खैरी मारखम, बडोवाला तेलीवाला, बुल्लावाला 2, गांधीग्राम बुल्लावाला, ह0ब0 बुल्लावाला, माधोवाला, बाजावाला, हर्रावाला 1, कुआवाला, बांगाखाला, माजरी माफी, नथुवावाला 2, शमशेरगढ़, नंकरौदा, बालावाला 2, तुनवाला 1, तुनवाला 1, तुनवाला लोअर, मियांवाला, भंगलाना, पाल बस्ती जौली, जौली ग्रान्ट 2, ह0ब0 माजरी, माजरी 2, माजरी ग्रान्ट, जीवनवाला, लाल तप्पड, रेशम माजरी, भानियावाला, नागाधेर, लिस्ट्राबाद, घमण्डपुर, रानीपोखरी, लिस्ट्राबाद नवीन, फलसुवा. दुजियावाला, क0 बरकोट, डिम्मर, गोहरी माफी, रायवाला गांव, गढ़ी हिसारपुर, गढ़ी श्यामपुर, भटट्रोंवाला, रायवाला स्टेशन, इन्द्रागांधी नगर, गुमानीवाला, शिवाजी नगर, बीवीवाला, लक्कडघाट, वीरपुर खुर्द, बापू ग्राम।

नगर क्षेत्र देहरादून।

प्रा0वि0 लक्खी बाग न0 1, लक्खी बाग न0 2, डोभाल वाला न0 1, डालनवाला न0 2, परेड ग्राउड न0 1, परेडग्राउण्ड न0 2, नया गांव, राजपुर, इन्द्रेश नगर, पुलिस लाईन, करनपुर न0 1

नगरक्षेत्र ऋृषिकेश

प्रा0वि0 न0 1,प्रा0वि0 न0– 2, प्रा0वि0 न0– 9, प्रा0वि0 न0– 10, प्रा0वि0 न0 11, प्रा0वि0 न0 12

नगरक्षेत्र मंसूरी

प्रा0वि0 लण्ढौर न0 2, प्रा0वि0 लण्ढौर कैन्ट।

पू0मा0वि0 में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता

पूर्ण भवन (निर्माण जीर्ण–शीर्ण, नवीन भवनहीन)

विकासखण्ड – चकराता
पू0मा0वि0 केराड, सिलामू, बरौंथा, कोटा तपलाड़, काण्ड़ी, भाटगडी, फनार, कोटि कनासर, मयपाटा, दार्मिगाड, विशऊ, गमरी गवेला, डुगियार।

विकासखण्ड – कालसी
पू0मा0वि0 बिसोई, पानुवा, अष्टी, कनबुआ, जैन्देऊ, सैलालानी, डकियारना, घोइरा, पंजिया, मटियावा, क्वासा, उभरेऊ।

विकासखण्ड – विकासनगर
पू0मा0वि0 लक्ष्मीपुर, एन फील्ड, पष्टा, ढकरानी।

विकासखण्ड – सहसपुर
पू0मा0वि0 अम्बीवाला, रामपुर कला, किमाडी, झाजरा, भटट्ा, गजियावाला, बांसा गाड़, अब्दुलापुर, खुशालपुर।

विकासखण्ड – रायपुर
पू0मा0वि0 भृगुद्वारीखाल, हरवंशवाला, चामासारी, कंडोली (कन्या), सतेली, बडेरना, सरोना, क0 भारूवाला, रायपुर, कांवली, 55 राजपुर रोड़।

विकासखण्ड – डोईवाला
पू0मा0वि0 क0 डोईवाला, जौली ग्रान्ट, नकरौन्दा, नथुवावाला, माजरीमाफी, चकतुनवाला, गोहरी माफी।

नगरक्षेत्र – देहरादून
पू0मा0वि0 पुलिस लाईन, क0 खुडबुडा, क्रमा0 हाथी बडकल्ला, डालनवाला।

पू0मा0वि0 में वृहद मरम्मत की आवश्यकता

विकासखण्ड – चकराता

पू0मा0वि0 हाजा, मलेथा, लोहारी, काण्डोईभरम, क्वानू, मोहना, काण्डा, नाडा, लाखामण्डल, हनौल, दार्मिगाड, अणु, कोटिबावर।

विकासखण्ड – कालसी

पू0मा0वि0 उदपाल्टा, लांगा पोखरी, जैन्दऊ, गांगरों, समाल्टा, अष्टी, कुन्नाडांगुरा

विकासखण्ड – विकासनगर

पू0मा0वि0 धर्मावाला, बाडवाला, रूद्रपुर, पश्चिमीवाला, चांदपुर, ढलानी, भूड, पपडियान, पसोली, मदरसू, बडवा, मिहूँवाला खालसा, कटापत्थर, जस्सांवाला, जमनीपुर, शीशमबाडा, कुन्जा ग्रान्ट, कुल्हाल, बद्रीपुर, टिमली, सभावाला, शेरपुर।

विकासखण्ड – सहसपुर

पू0मा0वि0 गलज्वाडी, तिलवाडी, मसरास पटट्री, जैन्तनवाला।

विकासखण्ड – रायपुर

पू0मा0वि0 द्वारा, नागल, कारगी, नवादा, क0 कारगी, बडायर, भूपालपानी, भगवानपुर, क0 रामनगर डांडा, सेवला कंला, क0 मेहूँवाला, नालापानी, हरबशंवाला।

नगरक्षेत्र देहरादून।

पू0मा0वि0 आराधर, पटेल नगर, खुडबुडा, डोभाल वाला, परेड ग्राउण्ड।

पू0मा0 विद्यालयों में शौचालय की आवश्यकता

विकासखण्ड – चकराता

पू0मा0वि0 खरोडा, हाजा, गमरी गवेला, मलेथा, खाटवा, लोहारी, काण्डोईभरम, आसोई, क्वानु, मोहना, मसक, खबऊ, काण्डा, नाडा, लाखामण्डल, मानथात, हनोल, अणु, मुन्धोल, कोटी बाबर, कठंग, बुल्हाड, मेण्डाल।

विकासखण्ड – कालसी

पू0मा0वि0 क्वासा, दातनू, बसाया, बिसोगलानी, खणकाण्डी, टिमरा, देसऊ, लोरली, उदपाल्टा, कोरूवा, लांगापोखरी, कुन्नाडांगुरा, गांगरों, नगऊ, मुन्धान, गास्की, लोहारी, कामला, पिपाया, खबऊ, समाल्टा, हरिपुर

विकासखण्ड – विकासनगर

पू0मा0वि0 चांदपुर, भूड, पपडियान, मदर्सू, बडवा, बाडवाला, कटापत्थर, घर्मावाला, शेरपुर,

विकासखण्ड – सहसपुर

पू0मा0वि0 देवीपुर, क्रमों0 झाजरा, रामपुर कलां, झाजरा, क्रमों0 गजियावाला, बासांगाड, डूंगा, कन्ढोली, अब्दुल्लापुर, जैन्तनवाला, खुशालपुर, कैंचीवाला, क0 पंडितवाड़ी।

विकासखण्ड – रायपुर

पू0मा0वि0 द्वारा, नागलहटनाला, रामनगर डांडा (क0), मिढावाला, सतेली, हरवंशवाला, बुरांशखण्डा, भृगुद्वारीखाल।

विकासखण्ड – डोईवाला

पू0मा0वि0क0 क्रमों0 नकरौंदा, माजरी माफी, क0 चक तुनवाला, जौली ग्रान्ट, कान्डरवाला, खाण्ड गांव, गोहरी माफी।

नगर क्षेत्र – देहरादून

पू0मा0वि0 पटेलनगर, क्रमों0 हाथीबडकलां, परेड ग्राउण्ड।

नगरक्षेत्र ऋषिकेश

पू0मा0वि0 मनीराम रोड़।

नगरक्षेत्र – मंसूरी

पू0मा0वि0 धोबीघाट।

पू0मा0 विद्यालयों में पेयजल की आवश्यकता।

विकासखण्ड – चकराता

पू0मा0वि0 खरोडा, खाटवा, लोहारी, काण्डोईभरम, आसोई, क्वानु, मोहना, खबऊ, काण्डा, लाखामण्डल, मानथात, हनोल, अणु, मुन्धोल, कोटी बाबर, कटंग, मेन्डाल, बुल्हाड।

विकासखण्ड – कालसी

पू0मा0वि0 टिमरा, देसऊ, लोरली, उदपाल्टा, लांगापोखरी, कुन्ना डांगुरा, गांगरो, नगऊ, मुन्धान, पिपाया, रूपऊ।

विकासखण्ड – विकासनगर

पू0मा0वि0 केदारावाला, ढलानी, भूड़, पपडियान, मदर्सू, बडवा, बाडवाला, कटापत्थर, कुंजाग्रान्ट, कुल्हाल, टिमली, शेरपुर, जीवनगढ़, मेहूवाला खालसा।

विकासखण्ड – सहसपुर

पू0मा0वि0 देवीपूर, झींवरहेडी, क0 बडोवाला आर केडिया, क0 क्रमों0 झाजरा, रामपुर कलां, झाजरा, क्रमों भटट्ा, गजियावाला, गलजवाडी, बांसागाड, राजावाला, डूंगा, अबदुल्लापुर, तिलवाडी, जैन्तनवाला, खुशालपुर, शंकरपुर, क0 पंडितवाडी,

विकासखण्ड – रायपुर,

पू0मा0वि0 बंजारावाला, बडासी, भूपालपानी, भगवानपुर, सतेली, क0 माजरा, नालापानी, बुरांशखण्डा, भृगुद्वारीखल, नागल हटनाला।

विकासखण्ड – डोईवाला

पू0मा0वि0 खैरी मारखम ग्रान्ट, मियावाला, क्रमों0 नकरौंदा, क्रमों0 नथुवावाला, क्रमों0 माजरी माफी, क्रमों0 चक तुनवाला, क्रमों0 जौली ग्रान्ट,बडोवाला जौली, कान्डरवाला, रायवाला गांव, खाण्ड गांव, गोहरी माफी।

नगरक्षेत्र – देहरादून

पू0मा0वि0 परेड ग्राउण्ड, डोभालवाला, पटेल नगर, क्रमों0 हाथी बडकल्ला।

नगरक्षेत्र – मंसूरी

पू0मा0वि0 मनीराम रोड़।

पू0मा0 विद्यालयों में चहारदीवारी की आवश्यकता।

विकासखण्ड – चकराता

पू0मा0वि0 खरोडा, हाजा, गमरी गवेला, मलेथा, खाटवा, लोहारी, काण्डोईभरम, आसोई, क्वानु, मोहना, मसक, खबऊ, काण्डा, नाडा, लाखामण्डल, मानथात, हनोल, अणु, छुमरा, मुन्धोल. कोटी बावर, कठंग, मेन्डाल, बुल्हाड़।

विकासखण्ड – कालसी

पू0मा0वि0 क्यारी, क्वासा, दातनू, बसाया, टिमरा, देसऊ, लोरली, उदपाल्टा, कोरूवा, लांगापोखरी, कुन्ना डांगुरा, गांगरो, नगऊ, मुन्धान, गास्की, कामला।

विकासखण्ड – विकासनगर

पू0मा0वि0 लक्ष्मीपुर, पश्चिमीवाला, छोटूवाला, रूद्रपुर, केदारावाला, चांदपुर, ढलानी, भूड़ पपडियान, मदर्सू, पष्टा, बडव बाडवाला, कटापत्थर, जस्सोंवाला, ढकरानी, जमनीपुर, शीशमवाडा, धर्मावाला, कुन्जाग्रांट, बद्रीपुर, टिमली, सभावाला, शेरपुर, हबर्टपुर।

विकासखण्ड – सहसपुर

पू0मा0वि0 बनियावाला, देवीपुर, झींवरहेडी, अम्बीवाला, ब0 बडोवाला आरकेडिया, कोटडा सन्तौर, आमवाला, क0 सेलाकुई, क्रमों0 झाजरा, क0 सुद्धोवाला, तेलपुरा, रामपुर कलां, झाजरा, क्रमों0 भटट्ा, वि0 गजियावाला, किमाडी, गल्जवाडी, बांसागाड, राजावाला, मसरास पटट्ी, डूंगा, कन्ढोली, अब्दुल्लापुर, तिलवाड़ी, प्रेमपुर माफी, जैन्तनवाला, खुशालपुर, शंकरपुर, कैंचीवाला।

विकासखण्ड – रायपुर

पू0मा0वि0. द्वारा, कारगी, नवादा, कारगी, बंजारावाला, बडासी, भूपालपानी, क0 रामनगर डांडा, मिढावाला, सिधवाल गांव, सतेली, सेवला कलो, हरबशवाला, नालापानी, बुरासखण्डा, भृगुद्वारीखाल।

विकासखण्ड – डोईवाला

पू0मा0वि0 डोईवाला, क0 डोईवाला, खैरी मरखम ग्रान्ट, मियांवाला, क्रमों0 नकरौंदा, शमशेर गढ़, नथुवावाला, माजरी माफी, क्रमों0 माजरी माफी, चकतुनवाला, नकरौंदा, क्रमों0 जौली ग्रान्ट, बडोवाला जौली, कोठारी मौहल्ला, क0 सुनार गांव, कान्डरवाला, कोटि भानियावाला, क0 भानियावाला, शेरगढ़, क0 जीवनवाला, खदरी, गढ़ी श्यामपुर, रायवाला गांव, खाडगांव, गोहरी माफी, क0 छिददूरवाला।

नगरक्षेत्र – देहरादून

पू0मा0वि0 परेड ग्राउण्ड।

पू0मा0वि0 में अतिरेक्त कक्षा–कक्ष की आवश्यकता।

विकासखण्ड – चकराता
पू0मा0वि0 क्वानु, गमरी गवेला, मुन्धौल।

विकासखण्ड – कालसी
पू0मा0वि0 नगऊ, पिपाया।

विकासखण्ड – विकासनगर
पू0मा0वि0 लक्ष्मीपुर, रूद्रपुर, बाडवाला, जस्सोंवाला, जमनीपुर, धर्मावाला, बद्रीपुर, सभावाला, शेरपुर।

विकासखण्ड – सहसपुर
पू0मा0वि0 बनियावाला, झींवरहेडी, कोटडा सन्तौर, क0 सेलाकुई, तेलपुर, रामपुर कलां, कन्डोली, विरसनी, तिलवाडी, क0 सहसपुर।

विकासखण्ड – रायपुर
पू0मा0वि0 बंजारावाला, बडासी, भगवानपुर, मिढावाला, सेवलाकला, क0 माजरा, हरबशवाला, क0 मेहूँवाला, नालापानी।

विकासखण्ड – डोईवाला
पू0मा0वि0 डोईवाला, क0 डोईवाला, तेलीवाला, खैरी मारखम ग्रान्ट, क्रमों0 नकरौंदा, क0 नथुवावाला, खदरी।

नगरक्षेत्र – देहरादून।
पू0मा0वि0 पटेलनगर, डोभालवाला, परेड ग्राउण्ड।

प्रस्तावित ECCE केंन्द्र नगरक्षेत्र

क्र0सं0	बस्ती का नाम
1.	खटीक मौहल्ला खुडबुडा
2.	बद्रीनाथ कालोनी
3.	सैयद मौहल्ला
4.	खटीक मौ0 चुक्खुवाला
5.	इन्दिरा कालोनी – 5
6.	चुक्खुवाला – 1
7.	चुक्खुवाला – 2
8.	खुडबुडा – 1
9	न्यू कांवली
10.	इन्देशनगर
11.	जटिया मौहल्ला
12.	छबील बाग – 1
13.	छबील बाग – 2
14.	कामेड बल्ब फैक्टरी
15.	पूर्वी पटेल नगर
16.	पटेल नगर
18.	बापू नगर
19.	बाडी गार्ड
20.	राजीव नगर
21.	आर्य नगर 1
22.	आर्य नगर 2
23.	अहीर मण्डी
24.	नाला पानी रोड़
25.	खटीक मौहल्ला नाला पानी
26.	डी0एल0रोड़
27.	अम्बेडकर नगर 1
28.	पूरन बस्ती –1
29.	सूरज बस्ती
30.	आराघर
31	मोहिनी रोड़
32.	बलवीर रोड –1
33.	बलवीर रोड –2
34.	नेहरू कालोनी 1

35. मद्रासी कालोनी 1
36. लख्खीबाग
37. मुस्लिम कालोनी 1
38. पूरन बस्ती –2
39. इन्द्रा कालोनी – 1
40 देव सुमन नगर

ई0जी0एस0 केन्द्र

विकासखण्ड – चकराता

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	नायली	केराड़
2.	सिंचाड	खनाड़
3.	सावरा	सुजऊ
4.	सीजला	जाडी
5.	गहरी	खारसी
6.	शिवास बाग	मेण्डाल
7.	दारागाड़	चिल्हाड
8.	मणोर (लखवाड़)	मुन्धौल,
9.	मजोग	भाटगढ़ी
10.	वागिया	अणु
11.	फेडिज	सैंजतराणू
12.	सुनोई	पेनुवा
13.	भगवत	मेघाटू
14.	रिखाड	मुंगाड
15.	विनसावन	जाड़ी
16.	झबरा	कुनैन
17.	कुवाड	सरोडा
18.	छाछवा	पेनवा
19.	चुनौटी	बिजनू
20	बंगोली	बुराश्चां
21.	टुगरौली	मयरावना
22.	एठान	भुनाड
23	म्यूंडा	म्यूंडा

विकासखण्ड – कालसी

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	कान्डी	डिमऊ
2.	थत्यैऊ	समाल्टा
3.	बजऊ	कुन्ना
4.	हयौ	हयौगरी
5.	झुटाया	झुटाया
6.	भोडा	काहा नैहरा पुनाहा

7.	धीरेऊ	भंजरा
8.	नेवी	सहिया नैवी
9.	लूहान	खाडी
10.	डांगुरा	डांगुरा
11.	हमरऊ	जोशी वौसान
12.	कैरावा	डिमऊ
13.	रामपुर	गुन्धान
14.	धिधऊ	कैतरी

विकासखण्ड – विकासनगर

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	रूद्रपुर मु0 बस्ती	रूद्रपुर
2.	पीपल शाह	लांघा
3.	कोल	विन्हार
4.	डाडीपुर	कल्याणपुर हसनपुर
5.	मलूक चन्द	शेरपुर
6.	राजावाला	अम्बाडी
7.	कल्याणपुर	न्यूडी
8.	लक्ष्मीपुर	विकासनगर

विकासखण्ड – सहसपुर

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	शंकरपुर	रामपुर
2.	मुडडी बस्ती	छरबा
3.	नौगजा	अरकेडिया ग्रान्ट
4.	गणेशपुर	इस्टहोप टाउन
5.	थानगांव	मसरास पटट्ी
6.	सेला	चौकी
7.	नन्दा की चौकी	कन्डौली
8.	छोटी भितरली	भितरली
9.	नाथूवाला पेलियों	होपटाउन
10.	मु0 बस्ती	सहसपुर

विकासखण्ड – रायपुर

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	कार्लिगाड	कार्लीगाड
2.	सिखाल गढ़	सौडा सरौली
3.	नौंडाडा (नया गांव)	सरोना
4.	घनौला	कालीगाड
5.	गूजर बस्ती	आशारोड़ी
6.	खाल ऐंट (खलधार)	क्यारा
7.	बजेत	अस्थल
8.	चमनपुर	निरंजनपुर
9.	लडवाकोट	तलाई
10.	घनौला	नागल
11.	कोठियाना	छामरौली

विकासखण्ड – डोईवाला

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	मेरा बस्ती	ज्वालापुर
2.	सपेरा बस्ती	भानियावाला
3.	माणकी	गडूल
4.	खन्ता	खन्ता डोईवाला

नगरक्षेत्र – देहरादून।

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.		पुलिस लाइन
2.		डालनवाला
3.		अहीरमण्डी

ए0एस0

विकासखण्ड – चकराता

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	नायली	केराड़
2.	गहरी	खारसी
3.	पटाला	भाटगढ़ी
4.	लाणी	भन्द्रौली
5.	एठाण	भुनाड

विकासखण्ड – कालसी

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	जोशी	गोथान
2.	डांगुरा	डांगुरा
3.	सवाई	सवाई
4.	थलीन	खाडी
5.	दोऊ	कोटी
6.	खाड	कुन्ना

विकासखण्ड – विकासनगर

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	बालूवाला	केदारावाला
2.	उदियाबाग	
3.	लक्ष्मीपुर	विकासनगर

विकासखण्ड – रायपुर

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	राजीवनगर	अजबपुर कलां
2.	नालापानी	सपेराबस्ती (बस्ती)
3.	चूना भटट्ा (अधोईवाला)	चूना भटट्ा अधोईवाला
4.	बौठा	मालदेवता

विकासखण्ड – डोईवाला

क्र0सं0	असेवित बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	गडूल	माणकी
2.	गडूल	सूर्यधार
3.	लच्छीवाला	लच्छीवाला
4.	बालावाला	तीर्थवाल बस्ती
5.	भटट्ो वाला	भटट्ोवाला।

बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0

विकासखण्ड – चकराता

बी0आर0सी0 – चकराता
सी0आर0सी0 – प्रा0वि0 मुनधोल, कठंग, त्यूनी, दार्मिगाड, भटाड़, चिल्हाड़, खोलरा, कोटी कनासर, काण्डोईभरम,. क्वानू, गवेला, उ0प्रा0वि0 मोहना, मयरावना, बरौथा, थणता, कोटा तपलाड़, कोटी बावर, लाखा मण्डल।

विकासखण्ड – कालसी

बी0आर0सी0 – पूर्व माध्यमिक विद्यालय – हरीपुर
सी0आर0सी0 – प्रा0वि0 कालसी गेट, उ0प्रा0वि0 धोईरा, प्रा0.वि0सहिया, प्रा0वि0 लांगा पोखरी, उ0प्रा0वि0 कोरूवा, प्रा0वि0 मागटी, उ0प्रा0वि0 कुन्ना डांगुरा, प्रा0वि0 पंजिटीलानी, प्रा0वि0 सलगा, प्रा0वि0 कोटी कालोनी,उ0प्रा0वि0 रूपऊ, उ0प्रा0वि0 मुन्धान, प्रा0वि0 नागथात, प्रा0वि0 लखवाड़, उ0प्रा0वि0 गास्की, प्रा0वि0 खतार, उ0प्रा0वि0 दातनू।

विकासखण्ड – विकासनगर

बी0आर0सी0 – प्राथमिक विद्यालय – विकास नगर
सी0आर0सी0 – प्रा0वि0 विकासनगर, प्रा0वि0 बरोटीवाला, उ0प्रा0वि0 रूद्रपुर, उ0प्रा0वि0 चांदपुर, प्रा0वि0 लांघा, उ0प्रा0वि0 बाडवाला, प्रा0वि0 जीवनगढ़, हरबर्टपुर, प्रतीतपुर, सभावाला।

विकासखण्ड – सहसपुर

बी0आर0सी0 – प्राथमिक विद्यालय सेलाकुई
सी0आर0सी0 – प्रा0वि0 जोहडी, प्रा0वि0 इन्द्रानगर, प्रा0वि0 सेलाकुई, बनियावाला, झींवरहेडी, डूंगा, भाऊवाला, कौलागढ़, कोटडा संतौर, सहसपुर ।।, प्रा0वि0 लक्ष्मीपुर, उ0प्रा0वि0 तिलवाड़ी।

विकासखण्ड – रायपुर

बी0आर0सी – पूर्व माध्यमिक विद्यालय – नालापानी
सी0आर0सी0– उ0प्रा0वि0 नालापानी, उ0प्रा0वि0 नागल, प्रा0वि0 अजबपुर ।, प्रा0वि0 बंजारावाला, उ0प्रा0वि0 बडासी, प्रा0वि0 थानों, प्रा0वि0 केशरवाला, रायपुर ।, उ0प्रा0वि0 सिंधवालगांव, उ0प्रा0वि0 सेवलाकला, प्रा0वि0 सुभाषनगर, उ0प्रा0वि0 बुरांशखण्डा, प्रा0वि0 धारकोट।

विकासखण्ड – डोईवाला

बी0आर0सी0 – डोईवाला

सी0आर0सी0 – उ0प्रा0वि0 बापूग्राम, उ0प्रा0वि0 गढी श्यामपुर, प्रा0वि0 रायवाला स्टेशन, प्रा0वि0 रानी पोखरी, उ0प्रा0वि0 भोगपुर, उ0प्रा0वि0 बमेत, प्रा0वि0 डोईवाला, प्रा0वि0 बुल्लावाला, उ0प्रा0वि0 कोठारी मोहल्ला जौली, प्रा0वि भानियावाला 1, उ0प्रा0वि0 जीवनवाला, उ0प्रा0वि0 मियांवाला, उ0प्रा0वि0 नकरौंदा।

नगरक्षेत्र देहरादून

बी0आर0सी0 – पू0मा0वि0 जाखन

सी0आर0सी0 – प्रावि0 परेड ग्राउण्ड, प्रा0वि0 आराघर, उ0प्रा0वि0 डोभालवाला, प्रा0वि0 खुडबुडा

नगरक्षेत्र – ऋषिकेश

सी0आर0सी0 – उ0प्रा0वि0 मनीराम मार्ग।

नगरक्षेत्र – मंसूरी।

सी0आर0सी0 – प्रा0वि0 लण्ढौर।

असेवित बस्ती (प्राथमिक विद्यालय)

विकासखण्ड – चकराता

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	बस्ती का नाम
1.	दसऊ	भूपऊ
2.	दौधा	दौधा
3.	दौधा	सुनौडा
4.	दौधा	दीदपेड़ खेड़ा
5.	हाजा	गौना / हिडका
6.	हाजा	कितरौली
7.	हाजा	डाडवा
8.	हाजा	मताड़
9.	मलेथा	खनोड़ा
10.	मलेथा	भदेना
11.	मलेथा	खनोड़ा
12.	मलेथा	दुणवा
13.	मलेथा	लुहारँवा
14.	कान्डौई बौन्दूर	चामा / गाता
15.	म्यूढ़ाँ	मेघाड़ / मनोग
16.	लाखामण्डल	पुडिया
17.	लाखामण्डल	पनखेत
18.	लाखामण्डल	शेरा
19.	लावड़ी	धतरौटा
20.	भन्द्रौली	लाणी
21.	भन्द्रौंली	चांजोई
22.	चिल्हाड़	दारागाड़
23.	चिल्हाड़	हल्सीखेड़ा
24.	पेनुवा	छाजवा
25.	पेनुवा	छाजवा
26.	पेनुवा	किशोरी
27.	पेनुवा	सुनोई
28.	पेनुवा	ग्वाना
30.	पेनुवा	परला खावड़ा
31.	कुनैन	अमराड़32.
32.	कुनैन	रोहड़ाखडड़
33.	कुनैन	रैठाड
34.	खरोड़ा	खरोड़ा
35.	खरोड़ा	कुताड

36.	मेण्डाल	मज़रा/शिवांसवाग
37.	खनाड़	सिंचाड़/ कुराड़
38.	भूनाड़	ऐठांण
39.	भूनाड़	लोखाड़
40.	केराड़	चांटी
41.	चकराता	एम0एच0 चकराता
42.	चकराता	एम0ई0एस0
43.	चकराता	जगलांत चौकी
44.	चकराता	सप्लाई
45.	चकराता	डाक बंगला
46.	बिरनाड़	कुन्ना
47.	मैन्द्रथ	चातरागाढ़
48.	मैन्द्रथ	कोरला
49.	भाटगड़ी	पटाला
50.	भाटगड़ी	मजोग
51.	रायगी	जाबल
52.	मेघाटू	भगवत
53.	मुन्धौल	मणोर
54.	मुन्धौल	सितकी लखवाड
55.	मुन्धौल	बगिया
56.	मुन्धौल	जरला
57.	मुन्धौल	हल्सीधार
58.	अणु	हिडसू
59.	अणु	फिडिज
60.	रगेऊ	रंगेऊ
61.	रगेऊ	मानवा
62.	रंगेऊ	बिरपा
63.	रंगेऊ	धारकोट
64.	खाटवा	खाटवा चक
65.	खाटवा	वुडोग
66.	सहिया तपलाड़	पियोग
67.	बिजनू	बिजनू
68.	बिजनू	बिजनाड
69.	बिजनू	चुनौटी
70.	बुरास्वां	बंगोली
71.	डेरियो	बिसऊ
72.	जोगियो	सणऊ
73.	जोगियो	खरकोटा

74.	खारसी	गहरी वुलाथात
75.	बुल्हाड़	बेगी
76.	बायला	सैंज
77.	कान्डोईभरम	पुनीगा
78.	जाड़ी	सिलजा
79.	जाड़ी	पाका/ बडियार्ड/ रिकरा
80.	जाड़ी	सकनाई/ सजाई
81.	कोटी कनासर	त्यूणा
82.	कोटी कनासर	भंगटाड
83.	भगांड	स्की
84.	भंगाड	कचाणु
85.	मशक	विनसावन
86.	मशक	मातली
87.	हरटाड़	सटाड़

असेवित बस्ती (उच्च प्राथमिक विद्यालय)
विकासखण्ड – चकराता

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	बस्ती का नाम
1.	दौधा	मटियाना
2.	दौधा	दौधा
3.	दौधा	सुनौड़ा
4.	दौधा	दीदपेडखेड़ा
5.	हाजा	कलेथा
6.	हाजा	गोथा /हिड़का
7.	हाजाा	कितरौली
8.	हाजा	डाडवा
9.	हाजा	मताड़
10.	मझगांव (क्वानु)	सांभर खेड़ा
11.	मझगांव (क्वानु)	गमरी
12.	काण्डौई बन्दौर	चामा/गाता
13.	मंयुढ़ा	मयूंढा
14.	मंयूढ़ा	मेघाड/ मनोग
15.	मंयूढा	सेचाखेड़ा/ चामी
16.	मंयूढा	कुन्ना
17.	लावड़ी	धतरोठा
18.	लावड़ी	गढ़सार

19.	भन्द्रौली	भन्द्रौली
20.	भन्द्रौली	डिमिच
21.	भन्द्रौली	लाणी
22.	चिल्हाड़	वाणाधार
23.	पेनुवा	डुंगरी
24.	पेनुवा	छाजवा
25.	पेनुवा	किशोरी
26	पेनुवा	पेनुवा
27.	पेनुवा	सुनोई
28.	पेनुवा	गवाना
29.	पेनुवा	सावड़ा
30.	पेनुवा	परला सावड़ा
31.	केंराड़	सारणी
32.	केंराड	निमगा
33.	केंराड़	सुनीर
34.	केंराड़	चाँटी
35.	केंराड़	किस्तूड
36.	केंराड	नामली
37.	कैन्ट चकराता	एम0एच0 चं0
38.	कैंन्ट चकराता	जंगलात चौकी
39.	कैन्ट चकराता	सप्लाई
40.	कैन्ट चकराता	लाल कुर्त्ती
41.	कैन्ट चकराता	डाक बंगला
42.	बिरनाड़	चौसाल
43.	बिरनाड	लोईच/ ओबर/ थम्िच
44.	बिरनाड़	सुलेड़
45.	बिरनाड	बाठिल
46.	मैन्द्रथ	पुरड़ाट
47.	मैन्द्रथ	निनुस
48.	मैन्द्रथ	बागी
49.	मैन्द्रथ	मैन्द्रथ/ तुगाण
50.	भाटगढ़ी	बानपुर
51.	भाटगढ़ी	झिठाड़
52.	रायगी	जांबल
53.	मुंधौल	रंडू
54.	मुंधौल	मणोर
55.	मुंधौल	सितकी लखवाड़
56.	मुंधौल	बिसाणु

57.	मुंधौल	चौरालाणी
58.	मुंधौल	कोल्हा
59.	कुनैन	कुनैन
60.	कुनैन	छबराड़
61.	कुनैन	अमराड़
62.	कुनैन	सैंज
63.	कुनैन	रोहड़ा खड्ड
64.	कुनैन	रैठाड़
65.	खरौड़ा	खरौड़ा
66.	खरौड़ा	कुताड़
67.	मेण्डाल	बनियाना
68.	मेण्डाल	मजरा / शिवास्बाक
69.	कन्धाड़	कन्धाड़
70.	कन्धाड़	इन्द्ररौली
71.	कन्धाड़	सैतोंली
72.	सुजऊ	ओली
73	सुजऊ	औली
74.	सुजऊ	औली
75.	सुजऊ	डाकरा
76.	मंझगांव	मझगांव
77.	मझगांव	समोग
78.	भुनाड़	भुनाड़
79.	भुनाड़	ऐठाण
80.	भुनाड़	डागूंठा
81.	भुनाड़	लोखड़ा
82.	भुनाड़	पठियूड़
63.	भुनाड़	सुगाणुं
84.	भुठ	भूठ (खेड़ा)
85.	भूठ	बगूड़
86.	एड़ाढ	छजाड़– हठाड
87.	एडाढ़	अगेड़ी
88.	एडाढ़	डिरनाड़
89.	मुन्धौल	बगिया
90.	मुन्धौल	प्यूनल
91.	मुन्धौल	खड़कीनल
92.	मुन्धौल	जरला
93.	मुन्धौल	गबर
94.	मुन्धौल	हल्सीधार

95.	मुन्धौल	डेरसा
96.	अणु	प्लासूखेड़ा
97.	अणु	बगिया
98.	अणु	सैन्जतराणू
99.	अणु	हाली
100.	बेहमू	बेहमू
101.	बेहमू	कोटूवा
102.	दाबला	दाबला
103.	खाटवा	खाअवा चक
104.	खाटवा	बुडोग
105.	सहियातपलाड़	सहियातपलाड़
106.	सहियातपलाड़	सरना
107.	पोखरीपुनाह	पोखरी
108.	पोखरीपुनाह	पुनाह
109.	सीड़ी बरकोटी	सीड़ी
110.	सीड़ी बरकोटी	बरकोटी
111	सीड़ी बरकोटी	गोराघाटी
112.	बिजनू	बिजनाड़
113.	बुरास्वां	बंगोती
114	मयरावना	सखा
115	मयरावना	डुगरोली
116	रावना	रावना
117	रावना	पाटी
118	डेरियों	बिसऊ
119	बुल्हाड़	उदावां
120	बेंगी	बागनी
121	बायला	बायला
122.	बायला	आसौई
123.	बायला	मिनस
124.	कुनवा	पिगवां
125.	काण्डौईभरम्	कांवाखेड़ा
126.	काण्डौईभरम	नौरा
127.	जाड़ी	जाड़ी
128	जाड़ी	सिजला
129.	जाड़ी	बाल/ बडियाड
130.	जाड़ी	सकनाई सणाड़
131.	कोटी कनासर	तूवना
132.	भगड़ा	स्वी

133.	भगड़ा	कचाणु
134.	भगड़ा	मुन्डार
135.	भगड़ा	हिबाँई
136	मशक	मशक
137.	रजाणू	रजाणू
138.	बुरायला	बुरायला
139.	बुरायला	जगथान

असेवित बस्तियाँ (प्राथमिक विद्यालय)
विकासखण्ड – कालसी

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत
1.	महसासा	क्यारी
2.	कुस्यौ	कचटा
3.	रखटाड़	क्वासा
4.	बाढ़ौ	बाढ़ौ
5.	अलमान	खुन्ना
6	सरमाना	खुन्ना
7.	चीला	खुन्ना
8.	रामपुर	गडौल
9.	चिचराड़	गडौल
10.	सीला	लाछा
11.	हीना	लाछा
12.	भौड़ा	कहानेहरापुनाहा
13.	सरसौना	बाधना
14.	भन्दौरा	बाधना
15.	खतार	खतार
16.	खतार	कोलाडसुन्दरया
17.	खतार	भुगतार
18.	बामथा	बिजऊ
19.	कुइथा	बिजऊ
20.	जोखला	कालसी
21.	जोड़डी	कालसी
22.	जामनश्रोत	कालसी
23.	आमबाग	कालसी
24.	डेरीफार्म	तिलवाड़ी

25.	लुवाटा	पंजिया
26.	वकेला	धोइरा
27.	झुठाया	झुठाया
28.	क्यावा	नगऊ
29.	टिपराड़	कुन्ना
30.	बजऊ	कुन्ना
31.	रताड़	कुन्ना
32.	टिकरी	सैंसा
33.	डाबरा	अष्टी
34.	जामुवा	अष्टी
35.	ताँगड़ी	अष्टी
36.	परियांड	कोटी
37.	टिकऊ	लेलटा
38.	प्याणी	जडाना
39.	कोटा	डिमऊ
40.	कान्डी	डिमऊ
41.	मुडबांण	डिमऊ
42.	कफानी	डिमऊ
43.	खैरबा	डिमऊ
44.	कोटी	कोटी
45.	देसऊ	जड़ाना
46.	रूपऊ	डिमऊ
47.	कोटी कालोनी	कोटी
48.	सिसोई	दोहा
49.	डांगुरा	कुन्ना डांगुरा
50.	बड़ोडी	कुन्ना
51.	सिंगोटा–	थात कालोनी
52.	लूहन	खाड़ी
53.	तिलहाडा	कामला
54.	गड़ौग	सक्रौल
55.	चुणौऊ	सक्रौल
56.	भराया	धनपऊ
57.	बागी	बागी
58.	चुन्हौऊ	बागी
59.	डिडांल	गास्की
60.	धीरेऊ	सुरेऊ
61.	मलऊ	चन्देऊ
62.	दिलऊ	सैंज अठगांव
63.	खतासा	उद्पाल्टा

64.	बिन्नों	रानीगांव
65.	झूसो भाखरों	समाल्टा
66.	ददौली	समाल्टा
67.	ईच्छला	समाल्टा
68.	पाटा	समाल्टा
69.	बराड़	समाल्टा
70.	बमरांड	बमराड़
71.	थैत्यौं	बमरांड़
72.	चामड़ी	बडनू
73.	गढ़ैया	बसाया
74.	ललऊ	बसाया
75.	हमरेऊ	जोशी गोथान
76.	नेवी	नेवी

असेवित बस्तियाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय

विकासखण्ड – काजसी

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	डाबरा	मुन्धान
2.	बाढ़ो	बाढ़ों
3.	लुधेरा	खुन्ना
4.	चीला	खुन्ना
5.	सरभाना	खुन्ना
6.	सिंधोर	गडौल
7.	जन्देऊ	जन्देऊ
8.	काहा	कहुक– नेहरा–पुनाह
9.	नेहरा	कहुक– नेहरा–पुनाह
10.	पुनाहा	कहुक– नेहरा–पुनाह
11.	उटैल	कहुक– नेहरा–पुनाह
12.	भौड़ा	कहुक– नेहरा–पुनाह
13.	बालनू	कहुक– नेहरा–पुनाह
14.	बाघना	बाघना
15.	सरसौना	बाघना
16.	भन्दौरा	बाघना
17.	मुख्तार	खतार
18.	कुइथा	विजऊ
19.	कोथी भैदी	विजऊ
20.	कोथी	विजऊ

21.	हरिपुर	हरिपुर	
22.	खादर	धोइरा	
23.	बकेला	धोइरा	
24.	झुठाया	झुठाया	
25.	सैरी	झुठाया	
26.	बुरऊ	झुठाया	
27.	थैना	थैना	
28.	हरिपुर	व्यासलहरी	
29.	कैत्री	कैत्री	
30.	कुनावा	कुनावा	
31.	हयौ	डांगुरा	
32.	टंगारि	डांगुरा	
33.	भागटी	भागटी	
34.	छुटऊ	नगऊ	
35.	टिपराड़	कुन्ना	
36.	बजऊ	कुन्ना	
37.	रताड़	कुन्ना	
38.	सवाई	सवाई	
39.	दोहा	दोहा	
40.	दोऊ	दोहा	
41.	सिसोई	दोहा	
42.	बड़ोदा	कुन्ना	
43.	लूहन	खाड़ी	
44.	लोहारी	(डियूडीलानी)	लोहारी
45.	बडेत	कामला	
46.	थलीन	कामला	
47.	गड़ौंग	सक्रौल	
48.	धनपऊ	धनपऊ	
49.	विहार	बागी	
50.	वान्सू	बागी	
51.	चुन्हौऊ	बागी	
52.	मुंशीगांव	लोहारी	
53.	जुड्डो	गास्की	
54.	मण्डोली	उभरेऊ	
55.	देऊ	उभरेऊ	
56.	सकनी	कनबुआ	
57.	अलसी	कनबुआ	
58.	बुवार खेड़ा	उद्पाल्टा	
59.	कुरौली	कुरौली	

60.	बोहरी	कुरौली
61.	डामटा	समाल्आ
62.	ईच्छला	समाल्टा
63.	फटेऊ	समाल्टा
64.	बूराड़	समाल्टा
65.	मलेथा	बडनू
66.	चामड़ी	बड़नू
67.	मसराड़	बसाया
68.	जोशीगांव	जोशी गोथान
69.	गोथान	जोशी गोथान
70.	हमरेऊ	जोशी गोथान
71.	मथेऊ	जोशी गोथान
72.	नराया	नराया
73.	सलगा	नराया
74.	बोहा	नराया
75.	खमरौली	खमरौली
76.	चिबऊ	खमरौली
77.	जामुवा	अष्टी
78.	परियाड	कोटी
79.	पाटा	जडाना
80.	कान्डी	डिमऊ
81.	कफानी	डिमऊ
82.	तुनिया	कोटी
83.	खैरबा	डिमऊ
84.	कोटी	कोटी
85.	सिमोग	लेल्टा
86.	लेल्टा	लेल्टा
87.	खराड़ी	खराड़ी

असेवित बस्तिया प्राथमिक विद्यालय

विकासखण्ड – विकासनगर

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	यमुना कालोनी	एन फील्ड
2.	लखवाड़ कालोनी	एन फील्ड
3.	नई यमुना कालोनी	एन फील्ड
4.	पुरानी यमुना कालोनी	एन फील्ड
5.	शिवपुरी डांडा	एन फील्ड
6.	मडी गंग मेवा	एन फील्ड
7.	अपर ढकरानी	ढकरानी
8.	ढकरानी कालोनी	ढकरानी
9.	पृथ्वीपुर जंगल	मेहूँवाला खालसा
10.	बादशाही	वेस्ट हाप टाऊन
11.	मलुका वाला	वेस्ट हाप टाऊन
12.	लक्ष्मीपुर	वेस्ट हाप टाऊन
13.	बेलावाला	वेस्ट हाप टाऊन
14.	डांडा जीवनगढ़	जीवन गढ़
15.	राजावाला	जीवन गढ़
16.	बासोवाला	बैरागीवाला
17.	कुंजा	कुल्हाल
18.	चिठी मेली	टिमली
19.	डूगा खेत	लांघा
20.	बीच की डाड़ी	तौली
21.	आमवाला	तौली
22.	आशा रोड़ी	तौली
23.	मल्लावाला ।।	विन्हार
24.	मल्लावालाा ।।।	विन्हार
25.	सटियावाला	विन्हार
26.	किनाड़ खील	विन्हार
27.	कोल	विन्हार
28.	समेत	विन्हार
29.	भदोगी	विन्हार
30.	लोअर खुलेथ	विन्हार
31.	अपर खुलेथ	विन्हार
32.	हभियारी	विन्हार
33.	कारसिल	विन्हार
34.	देवीथला	विन्हार
35.	मादली	विन्हार
36.	हसनपुर	हसनपुर कल्याणपुर

37.	कल्याणपुर	हसनपुर कल्याणपुर
38.	कल्याणपुर	हसनपुर कल्याणपुर
39.	आवलीवाला	हसनपुर कल्याणपुर
40.	मलूकचन्द	हसनपुर कल्याणपुर
41.	हिन्दूवाला	हसनपुर कल्याणपुर
42.	डोभरी अपर	सोरना
43.	कोटी	ढलानी
44.	बंशीपुर	हरर्बटपुर
45.	फतेहपुर ग्रान्ट	हरर्बटपुर

असेवित बस्तियां उच्च प्राथमिक स्तर
विकासखण्ड – विकासनगर

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	बाबूगढ़	एनफील्ड
2.	बादशाही	वेस्टहाप टाऊन
3.	बासोवाला	बैरागीवाला
4.	घोड़ा तप्पड	कुल्हाल कुबा
5.	जुडला	आइवाला
6.	धारे की डांडी	तांली
7.	चिलियो	तौली
8.	जैघर	विन्हार
9.	किनाड खील	विन्हार
10.	बावनधार	विन्हार
11.	मटोगी	विन्हार
12.	कोल	विन्हार
13.	समेत	विन्हार
14.	कान्डोई	विन्हार
15.	भदोगी	विन्हार
16.	नकोड़	विन्हार
17.	हीमयारी	विन्हार
18.	जाखन	विन्हार
19.	मलेर	विन्हार
20.	फारसिल	विन्हार
21.	देवीथला	विन्हार
22.	मादली	विन्हार
23.	डाडीपुर	जाटोवाला
24.	जाटोवाला	जाटोवाला

25.	कल्याणपुर	हसनपुर कल्याणपुर
26.	आवलीवाला	हसनपुर कल्याणपुर
27.	मलेथा	ढलानी

असेवित बस्तियाँ प्राथमिक विद्यालय
विकासखण्ड सहसपुर

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	मुस्लिम बस्ती ।	सहसपुर
2.	मुस्लिम बस्ती	सहसपुर
3.	शंकरपुर खास	शंकरपुर हकूमतपुर
4.	शंकरपुर	शंकरपुर हकूमतपुर
5.	गुज्जर बस्ती	शंकरपुर हकूमतपुर
6.	हरिजन बस्ती	शंकरपुर हकूमतपुर
7.	कैंचीवाला अपर	अटक फार्म
8.	खैरी	अटक फार्म
9.	विनोबा भावे	छरबा
10.	शंकरपुर	शंकरपुर हकूमतपुर
11.	भुड्डी	छरबा
12.	हरिजन बस्ती	छरबा मध्य
13.	उस्मानपुर ।।	छरबा
14.	जम्मनपुर ब्लाक 3–4	सेन्ट्रल हॉफ टाउन
15.	सेलाकुई	सेन्ट्रल हॉफ टाउन
16.	नन्दा की चौकी	सुद्दोवाला
17.	भारापुर	मसरासपट्टी
18.	जगतपुर अपर	दुधई
19.	अपर मांडूवाला	कांसवाली कोठडी
20.	भांटी वाली	कांसवाली कोठडी
21.	कोटडा	मस्रास पट्टी
22.	मुनियास	मसरास पट्टी
23.	डागुर	मसरास पट्टी
24.	काँसो वाली कोटड़ी	भाऊवाला
25.	विरसनी दुधई	
26.	वीनसपुर	अब्दुल्लापुर
27.	कुतुबपुर	अब्दुलापुर
28.	धौलास	हरियावाला खुर्द
29.	विरावड़ी	हरियावाला
30	सैला	चौकी
31.	गुजराड़ा	गुजराड़ा करनपुर
32.	मझौन	आमवाला
33.	नकटपुर	कोटडासन्तौर
34.	कोलूपानी अपर	कोटडासन्तौर
35.	आँको वाला	गुजराड़ा करनपुर
36.	बादशाही बाग	हरियावाला

37.	चायबाग अम्बीवाला	ईस्ट हॉफ टाउन
38.	प्रेमपुर माफी 1,2,34	प्रेमपुर माफी
39.	मसन्दावाला	विलासपुर कॉड़ली
40	स्मिथनगर	आर्केडिया
41.	पीताम्बर पुर	आर्केडिया
42.	मिलमिल चौकी	ईस्ट हॉफ टाउन
43.	गणेशपुर	ईस्ट हॉफ टाउन
44.	डोंकवाला	नात्थूवाला पेलियो
45.	गजियावाला	गजियावाला
46.	ऊतड़ी गांव	भगवन्तपुर
47.	छोटी भितरली	भितरली
48.	ब्राहमण गांव	भगवन्तपुर
49.	चन्द्रोटी	चन्द्रोटी
50	सलोनी गांव	चन्द्रोली
51.	कुठाल वाली	जोहड़ी गांव
52.	नाईवाला	जोहड़ी गांव
53.	खेड़ा गोपीवाला	गन्जवाडी
54.	भारतवाला	चन्द्रोही
55.	पालमुहल्ला	जोहड़ी गांव
56.	जैदड़	गजवाड़ी
58.	चौरावाली	चन्द्रोही
59.	जोहड़ी गांव	जोहड़ी
60.	रिखोली	रिखोली
61.	खाला गांव	कुठाल गांव
62.	मक्कावाला	कुठाल गांव
63.	बगरियाल	कुठाल गांव
64.	गुच्चूपानी	विजयपुर गोपीवाला

असेवित बस्तियाँ उच्च प्राथमिक स्तर
विकासखण्ड सहसपुर

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	हरिजन बस्ती	शंकरपुर हकुमतपुर
2.	रामपुर खुर्द	रामपुर कलां
3.	खैरी	अटक फार्म
4.	कांसवाली	कंडौली
5.	ढाकोवाली	कंडौली
6.	नन्दा की चौकी	कंडौली
7.	सुद्धोवाला (अपर)	नौगांव
8.	मांडुवाला	नौगांव
9.	अपर मांडुवाला	नौगांव
10.	अपर मांडुवाला	कांसवाली कोठड़ी
11.	भाटों वाली	कांसवाली कोठड़ी
12.	कोटड़ा	कांसवाली कोठड़ी
13.	डागुर	मसराज पट्टी
14.	बडोली	मसराज पट्टी
15.	रामसावाला	अब्दुला पुर
16.	दुधई	दुधई
17.	चांदमारी	हरियावाला खुर्द
18.	विरावड़ी	हरियावाला
19.	पुरोहितवाला (बाढ़गंगा)	पुरोहितवाला
20.	सेला	चौकी
21.	खाराखेत	चौकी
22.	मेहरकोट	पौन्धा
23.	बादशाही बाग	हरियावाला
24.	हरियावाला खुर्द	हरियावाला खुर्द
25.	मसन्दावाला	विलासपुर कांडली
26.	डोंकवाला	नाथूवाला पेलियो
27.	ठाकुरपुर	ईस्टहोप टाउन
28.	छोटी भितरली	भितरली
29.	भितरली	भितरली
30.	जोहड़ी गांव	जोहड़ी गांव
31.	रिखोली	रिखोली
32.	कृषाली गांव	कुठाल गांव

असेवित बस्ती प्राथमिक विद्यालय
विकासखण्ड – रायपुर

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	सिलकोटी	चामासारी
2.	मसराणा	चामासारी
3.	नगरबाण गांव	चामासारी
4.	दबियाणा	चामासारी
5.	गोल्डयाणी	चामासारी
6.	बुड़दड़ा	चामासारी
7.	सेरागाड़	चामासारी
8.	कफलानी	चामासारी
9.	मोठी धार	चामासारी
10	मंझखेत	चामासारी
11.	सिमयाणा	चामासारी
12.	कम्पनीबाग	चामासारी
13.	लोहारीगढ़	चामासारी
14.	तैलानीगढ़	चामासारी
15.	खेतवाल गांव	चामासारी
16.	पटाली	चामासारी
17.	बसवालगांव	चामासारी
18.	धन्तूकासेरा	टिमली मानसिंह
19.	रंघडगांव	टिमली मानसिंह
20.	भैस्वाडगांव	टिमली मानसिंह
21.	मंझाणा	टिमली मानसिंह
22.	छमरोली	टिमली मानसिंह
23.	छोटी छमरोली	टिमली मानसिंह
24.	कोल्ठियाणा	टिमली मानसिंह
25.	क्यारा	टिमली मानसिंह
26.	खालधार (खालोंच)	टिमली मानसिंह
27.	ग्वाड़	टिमली मानसिंह
28.	खेत	टिमली मानसिंह
29.	बसवाला गांव	क्यारा
30.	पुस्ताड़ी	खैरी मानसिंह
31.	रैनीवाला	खैरी मानसिंह
32.	बुरांशखंडा	सिल्ला
33.	पनियाला	टिमली मानसिंह
34.	गढ़	सिल्ला
35.	कार्द	सिल्ला
36.	धार	सिल्ला

37.	कटिगाड़	सिल्ला
38.	चल्डियाना	सिल्ला
39.	कानागाड	सिल्ला
40.	चूलचला	सिल्ला
41.	दुणेटा	सिल्ला
42.	कशियाना	सिल्ला
43.	दुरमाला	सिल्ला
44.	कोटली	सिल्ला
45.	केदूवाला	सिल्ला
46.	एरियाना	सरोना
47.	भेंकली	सरोना
48.	कठूण	सरोना
49.	नयागांव	सरोना
50.	डोमकोट	सरोना
51.	लोहारीघाटी	सरोना
52.	भेपुड़कागांव	सरोना
53.	नवांडांडा	सरोना
54.	नालीगांव	सरोना
55.	नालींगाव	सरोना
56.	सिंहधार	सरोना
57.	रानीखेत	सनगांव
58.	कुठार	सनगांव
59.	मैदान	सनगांव
60.	अमेण्डी	सरोना
61.	थानो	थानोचकतलाई
62.	मेढ़ावाला	सरोना
63.	रामनगर डांडा	रामनगर डांडा
64.	रामनगर ग्रांट	रामनगर डांडा
65.	गुदियांवाला	रामनगर डांडा
66.	बडेरना कलां	रामनगर डांडा
67.	नाहीकलां	नांही कलां
68.	बडकोट	नांही कलां
69.	गोल्डीयानी	सिंधवाला गांव
70.	गुडियागांव	सिंधवाला गांव
71.	ढाकसारी	सिंधवाल गांव
72.	बड़वाली	सिंधवाला गांव
73.	अपरतलाई	अपरतलाई
74.	पलेटखुर्द	अपरतलाई
75.	चिन्तोर	अपरतलाई

76.	कटकोड़	अपरतलाई
77.	बडेरनाकलां	अपरतलाई
78.	सिंखालगढ़	सोढ़ा सरोली
79.	कढ़ई काटरल	सोढ़ा सरोली
80.	सिमलवाला	सोढ़ा सरोली
81.	दाबल	सोढ़ा सरोली
82.	म्योनी	सोढ़ा सरोली
83.	जोलियों	सोढ़ा सरोली
84.	सोधोवाली	नालापानी
85.	सपेर बस्ती	नालापानी
86.	बूघर तूनखेत	द्वारा
87.	कांडा	द्वारा
88.	विनयाल	द्वारा
89.	बिजोली	द्वारा
90.	ठिकर	द्वारा
91.	मालूबंद	द्वारा
92.	सोडाद्वारा	द्वारा
93.	गूलरखाल	द्वारा
94.	मालदेवता सेर की	मालदेवता थेवा
95.	आदर्श कालोनी	रायपुर
96.	आजाद कालोनी	अधोईवाला
97.	ऋषिनगर	अधोईवाला
98.	चूनाभट्टा	अधोईवाला
99.	गडरिया मोहल्ला	अधोईवाला
100.	शांतीविहार	अधोईवाला
101.	गुजरनी	अस्थल
102.	बझेत	अस्थल
103.	पुरानी लाइन भट्टा कालोनी	हरवंशवाला
104.	तेलपुर बिलवाला	हरवंशवाला
105.	घिसरपट्टी	हरवंशवाला
106.	ग्रीनपार्क	निंजनपुर
107.	चक्की टोला ।।	निरंजनपुर
108.	पिथूवाला खुर्द	सेवलाकलां
109.	व्योमपुर	कावंली ।।
110.	गांधीग्राम	कांवली ।।
111.	हरभजनवाला	मेहूँवाला
112.	माजरा नगरनिगम	माजरा
113.	माजरा	माजरा

असेवित बस्ती उच्च प्राथमिक विद्यालय
विकासखण्ड – रायपुर

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	चामासारी	चामासारी
2.	मसराणा	चामासारी
3.	नगरवाण गांव	चामासारी
4.	दबियाणा	चामासारी
5.	गोल्डयाणी	चामासारी
6.	बड़दडा	चामासारी
7.	सेरागाड़	चामासारी
8.	कफलानी	चामासारी
9.	मोठीधार	चामासारी
10.	मंझरखेत	चामासारी
11.	सिमयाणा	चामासारी
12.	कम्पनीबाग	चामासारी
13.	लोहारीगढ़	चामासारी
14.	तैलानीगाड़	चामासारी
15.	खेतवाल गांव	चामासारी
16.	पटाली	चामासारी
17.	दौंक	चामासारी
18.	पटलानी	चामासारी
19.	बसवाल गांव	टिमलीमान सिंह
20.	सरखेत	टिमलीमान सिंह
21.	धन्तूकासेरा	टिमलीमान सिंह
22.	रघडगांव	टिमलीमान सिंह
23.	भैस्वाडगांव	टिमलीमानसिंह
24.	बगड़ाघोस	कार्लिगाड
25.	बांगखाला	कार्लिगाड़
26.	खोपड़िया	कार्लिगाड
27.	छोटी छमरौली	छमरौली
28.	फुलैत	छमरौली
29.	कोल्ठियाणा	छमरौली
30.	क्यारा	क्यारा
31.	खालधारा	क्यारा
32.	ग्वाड़	क्यारा
33.	बसवाल गांव	क्यारा
34.	पुस्टाडी	खैरीमानसिंह
35.	धुनपाल	सिल्ला
36.	पनियाला	सिल्ला

37.	गढ़	सिल्ला
38.	कादें	सिल्ला
39.	धार	सिल्ला
40.	कटिगाड़	सिल्ला
41.	चल्डियाना	सिल्ला
42.	कानागाड	सिल्ला
43.	कफल्डा	सिल्ला
44.	चलचला	सिल्ला
45.	कद्दूवाला	सिल्ला
46.	झालकी बस्ती	सरोना
47.	सुवाखोली	सरोना
48.	कठूर	सरोना
49.	नयागांव	सरोना
50.	डोमकोट	सरोना
51.	लोहारीघाटी	सरोना
52.	हेपूड़ा का गांव	सरोना
53.	नवाडांडा	सरोना
54.	नालीगांव	सरोना
55.	सिंहधार	सरोना
56.	थानो	थानो एवं चकतलाई
57.	सनगांव	थानो एवं चकतलाई
58.	गवाडफर्ती	थानो एवं चकतलाई
59.	हल्द्वाडी	हल्द्वाडी
60.	नांही कला	नांही कलां
61.	नाही खुर्द	नांही कलां
62.	बड़कोट	नांही कलां
63.	कोटला	नांही कलां
64.	चकसनगांव	सिधवालागांव
65.	कनावा	सिधवाल गांव
66.	गोल्डीयानी	सिंधवाला गांव
67.	चकसिधवाल गांव	सिंधवाला गांव
68.	केरवाण गांव	सिंधवाला गांव
69.	रेठवाड़ गांव	सिंधवाला गांव
70.	अपरतलाई	सिंधवाला गांव
71.	पलेटकलां	अपरतलाई
72.	पलेटकलां	अपरतलाई
73.	पलेटखुर्द	अपरतलाई
74.	तंगोली गढ़	अपरतलाई
75.	लड़वाकोट	अपरतलाई

76.	चित्तोर	अपरतलाई
77.	घाईसैण	अपरतलाई
78.	कटकोण	अपरतलाई
79.	हलद्वाडी	अपरतलाई
80.	पाववालासोड़ा	अपरतलाई
81.	सोडा सरोली	सोडा सरोली
82.	सिधालगढ़	सोडा सरोली
83.	कढ़ई काटटल	सोडा सरोली
84.	सिमलवाला	सोडा सरोली
85.	दाब्बल	सोडा सरोली
86.	जोलियो	सोडा सरोली
87.	फाण्डाबस्ती	द्वारा
88.	सोडाद्वारा	द्वारा
89.	गुलरखाल	द्वारा
90.	बौंठा	मालदेवता झील
91.	ओली	रायपुर
92.	रामनगर लाडपुर	रायपुर
93.	ऋषिनगर	अधोईवाला
94.	पिथूवाला खुर्द	सेवलाकलां
95.	तेलपुर	मेहूँवाला माफी
96.	माजरा	माजरा

असेवित बस्ती प्राथमिक स्तर

विकासखण्ड -- डोईवाला

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	कपूरफार्म	गुमानीवाला
2.	भट्टोवाला	भट्टोवाला
3.	साहब नगर	छिद्दवाला
4.	मन्सादेवी	श्यामपुर
5.	हरिपुर कलां	श्यामपुर
6.	लीसा डिपो	श्यामपुर
7.	गीता नगर	श्यामपुर
8.	बापू ग्राम	मीरा नगर
9.	हिमालयन बस्ती	हरिपुर कलां
10.	खड़क माफ	खदरी खड़क
11.	प्लाट– 2	गौहरी माफी
12.	गुमानीवाला	अमित ग्राम
13.	डांडी	ठाकुर पुर
14.	तुलसी विहार	गुमानीवाला
15.	पाल मोहल्ला	माजरी ग्रान्ट
16.	सपेरा	भानियावाला
17.	फतेहपुर डांडा	जीवनवाला
18.	बस्सावाला	बड़ोवाला
19.	संगतियावाला	काण्डरवाला
20.	बारूवाला	काण्डरवाला
21.	बागी	जौली ग्रान्ट
22.	लेबर बस्ती	जौली ग्रान्ट
23.	कण्डरखाण्ड	अठूरवाला
24.	मिस्सरवाला खुर्द	डोईवाला
25.	राजीव नगर	डोईवाला
26.	किशनपुर	डोईवाला
27.	डिम्मर	डोईवाला
28.	मादसी	डोईवाला
29.	इठारना	डोईवाला
30.	केमर	डोईवाला
31.	काटल	डोईवाला
32.	खदालीवाला	डोईवाला
34.	सिमलत	डोईवाला
35.	गोनेन्ड	डोईवाला

36.	गोविन्द वाला	डोईवाला
37.	शान्ती नगर	डोईवाला

असेवित बस्ती उच्च प्राथमिक विद्यालय
विकासखण्ड – डोईवाला

क्र0सं0	बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	साहब नगर	छित्तरवाला
2.	सपेरा	भानियावाला
3.	किशनपुर	भानियावाला
4.	डिम्मर	भानियावाला
5.	मादसी	भानियावाला
6.	काटल	भानियावाला
7.	खदालीवाला	भानियावाला
8.	माणकी	भानियावाला
9.	शिला चौकी	भानियावाला
10.	सूर्यधार	भानियावाला
11.	काटल	भानियावाला
12.	खदालीवाला	भानियावाला
13.	नवाकोट	भानियावाला
14.	मौजा रानी पोखरी	रानीपोखरी
15.	नवीन लिस्ट्रावाद	रैनापुर
16.	बागी	रैनापुर
17.	कोड़सी	कोड़सी
18.	फगस्सी	फगस्सी
19.	चायबाग	मारखमग्रान्ट
20.	कुडकावाला कुंआ	मारखमग्रान्ट
21.	सिगलाट ग्रांट	मारखमग्रान्ट
22.	फार्म	मारखमग्रान्ट
23.	माधोवाला	मारखमग्रान्ट